दश माला, खंड 20, अंक 7

मंगलवार, 27 नवम्बर, 2001
6 अग्रहायण, 1923 (शाक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 20, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 7, मंगलवार, 27 नवम्बर, 2001/6 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय		कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख		1-2
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	121 से 140	2-38
अतारांकित प्रश्न संख्या	1381 से 1574	38-376

लोक सभा

मंगलवार, 27 नवम्बर, 2001/6 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे बड़े दुःख के साथ सभा को अपने एक अत्यन्त प्रतिष्ठित सहयोगी सदस्य श्री विष्णु दत्त शर्मा के निधन की सूचना देनी है।

श्री विष्णु दत्त शर्मा वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे तथा वे जम्मू और कश्मीर के जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वे 1998-99 के दौरान बाहरवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने इस दौरान इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

इसके पूर्व वे 1996 से 1998 के दौरान जम्मू और कश्मीर विधान सभा के सदस्य थे तथा 1972 में जम्मू नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे।

सक्रिय सांसद, श्री शर्मा ने सभा की कार्यवाही में गहन रुचि ली। वे 1998 से 2000 तक गृह कार्य संबंधी समिति और 1999-2000 के दौरान वक्फ बोर्ड के कार्यकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य रहे। वे रक्षा मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे।

व्यवसाय से आयुर्वेदिक चिकित्सक श्री शर्मा ने अपना सम्पूर्ण जीवन चिकित्सा की स्वदेशी प्रणाली के विकास तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया। उन्हें राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद की अध्येतावृत्ति दी गई।

श्री विष्णु दत्त शर्मा का निधन 75 वर्ष की आयु में आज प्रातः नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को हमारी संवेदनाएं प्रेषित करने में सभा भी मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बांग्लादेश से प्रवर्जन

***121. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के पश्चात् उस देश से एक बार फिर प्रवर्जन प्रारम्भ हो गया है और सीमा-पार से बांग्लादेशी नागरिक, विशेषकर हिन्दू, भारत में आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने हिन्दू परिवार प्रवर्जन करके विभिन्न सीमावर्ती राज्यों में पहुंच चुके हैं; और

(ग) इस से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) बांग्लादेश में 1 अक्तूबर, 2001 को हुए आम चुनावों के बाद विशेषकर हिन्दू अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हुई हिंसा की रिपोर्टों पर भारत सरकार ने गहरी चिंता व्यक्त की है। सरकार की यह चिंता राजनयिक माध्यमों से बांग्लादेश की नई सरकार के समक्ष व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में उनके प्रधान सचिव ने 26-27 अक्तूबर, 2001 को ढाका का दौरा किया और उन्होंने भी इस मामले पर बांग्लादेश सरकार के साथ विचार-विमर्श किया। बांग्लादेश की सरकार ने सभी समुदायों की सुरक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई और कहा कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने तथा हिंसा करने वालों को दंड देने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन हमलों की जांच करने के लिए सरकार ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति भी गठित की है।

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, बांग्लादेश में अक्तूबर, 2001 में नई सरकार बनने के बाद बांग्लादेश की सीमा से लगे किसी भी राज्य में बांग्लादेशी नागरिकों, विशेषकर हिन्दुओं का बड़ी मात्रा

में कोई आगमन नहीं हुआ है, अनुमान है कि इन अवधि के दौरान भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की संख्या 650 के लगभग है।

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं

***122. श्री पुन्नू लाल मोहले :**
श्री पी०आर० खूंटे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (एन.एच.आर.डी.पी.) के अंतर्गत 2001-2002 के दौरान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए राज्यों को धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्यों, विशेषकर छत्तीसगढ़, द्वारा इसके अंतर्गत निष्पादित कार्यों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ''राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम'' नामक कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बांग्लादेश और भूटान सीमा पर आई०एस०आई० की गतिविधियां

***123. श्री वाई०वी० राव :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश और भूटान से लगी सीमा पर, विशेषकर असम और पश्चिमी बंगाल की सीमा पर, आई० एस० आई० का खतरा बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बांग्लादेश से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में आई० एस० आई० ने प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर लिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में आई० एस० आई० की गतिविधियों से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) सरकार के पास इस बात की सूचना है कि विदेशों से हथियार खरीदने और उनकी खेप पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों/उग्रवादियों की सहायता की जा रही है। यह भी सूचना मिली है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को आर्थिक सहायता भी दे रही है इसके अलावा वह गुमराह युवकों को सीमा पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित कर रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पड़ोसी देशों, जिनमें बांग्लादेश और भूटान भी शामिल हैं, में कुछ शिविर हैं जिनका प्रयोग पूर्वोत्तर के आतंकवादी दलों द्वारा सुरक्षित आश्रय, शरणगाह तथा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है।

(घ) पाक आई.एस.आई. की गतिविधियों को निष्क्रिय बनाने के लिए सरकार ने एक सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं—सीमा प्रबन्धन को मजबूत करना, आसूचना तंत्र को चुस्त-दुरूस्त बनाना, आई.एस.आई. एजेन्टों और उनके द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों के विरुद्ध सुसमन्वित आसूचना के आधार पर कार्रवाई करना, सीमा पर सुरक्षा बलों चौकियां स्थापित करना और आधुनिक हथियारों एवं संचार प्रणाली के द्वारा पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण व उन्नयन करना आदि। इन उपायों के परिणामस्वरूप पाक आई.एस.आई. समर्थित विभिन्न मॉड्यूलों का पता लगा और उन्हें निष्क्रिय किया गया है। भारत विरोधी आतंकवादी शिविरों से संबंधित मामले भी भारत सरकार ने पड़ोसी देशों की सरकारों के समक्ष उठाये हैं। इन सरकारों ने आश्वासन दिया है कि वे अवांछनीय तत्वों को भारत के हितों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल नहीं करने देंगे।

आई०एस०आई० और आतंकवादी संगठनों के साथ निजी सुरक्षा एजेंसियों के संबंध

***124. श्री एन० जनार्दन रेड्डी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि देश की निजी सुरक्षा एजेंसियों के आई० एस० आई० और पड़ोसी देशों में अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आसूचना एजेंसियां ऐसी निजी सुरक्षा एजेंसियों

और आतंकवादी ग्रुपों के बीच सांठगांठ को समाप्त करने में विफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने निजी सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) ऐसे कुछ दृष्टान्त हैं जिनमें निजी सुरक्षा एजेंसियों के कुछ व्यक्तियों को पाकिस्तान स्थित एजेन्सियों के लिए जासूसी करते हुए पाया गया। हमारी काऊन्टर इन्टेलीजेन्स एजेन्सियों की सतर्कता के कारण, जासूसी गिरोह का पर्दाफास हुआ और इसमें संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

जासूसी में संलिप्त व्यक्ति अनेक कवर इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार के प्रयासों का पता लगाने और उन्हें निष्फल करने के लिए सर्वोत्तम प्रणाली, एक सुदृढ़ और काऊंटर इन्टेलीजेन्स नेटवर्क का होना है। भारत सरकार के पास पहले ही एक सुदृढ़ और प्रभावी काउन्टर इन्टेलीजेन्स तंत्र है।

(घ) निजी सुरक्षा गार्डों और एजेन्सियों के लिए विनियमन का प्रावधान करने के उद्देश्य से, निजी सुरक्षा गार्ड और एजेन्सियां (विनियमन) विधेयक, 1994 को 14 दिसम्बर, 1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक पर बहस अभी तक अनिर्णीत रही है।

महानगरों में नगर निगमों को अनुदान

***125. डा० एस० जगतरक्षकन :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली नगर निगम और केन्द्र सरकार के बीच नागरिक सुविधाओं का विकास करने और इसके लिए अनुदान जारी करने के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार अन्य महानगरों के नगर निगमों विशेषकर चेन्नई नगर निगम को भी विकास गतिविधियों के लिए सीधे अनुदान जारी करने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां। दिल्ली नगर निगम को अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सड़कों के निर्माण, सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए शहरी विकास कोष में से 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 50% राशि अनुदान के रूप में और शेष 50% ऋण के रूप में होगी। इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के बीच इस आशय के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। वर्तमान में स्कीम का आशय दिल्ली में शहरी अवस्थापना परियोजनाओं को सहायता देना है। दिल्ली से बाहर शहरी अवस्थापना के लिए इसे बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सीमा पर बाड़ लगाना

***126. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख के अनुसार राज्य-वार, कितने किलोमीटर सीमा-क्षेत्र में बाड़ लगाने का काम पूरा हो गया है;

(ख) इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) राज्य-वार कितने किलोमीटर सीमा-क्षेत्र में बाड़ लगाने का काम अभी भी किया जाना शेष है; और

(घ) बाड़ लगाने का काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (घ) सरकार ने भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है क्योंकि सीमा पार की गतिविधियों के लिए ये सीमायें भेद्य हैं। बाड़ लगाने का पूरा किया गया कार्य तथा प्रारंभ किया जाने वाला कार्य और उन पर हुआ व्यय तथा बाड़ कार्य पूरा करने की निर्धारित अवधि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

	राज्य का नाम	जिस सीमा पर बाड़ लगाई गई उसकी लंबाई (कि०मी० में)	उस सीमान्त की लंबाई जहां अभी बाड़ लगाई जानी है (कि०मी० में)	अब तक किया गया व्यय (करोड़ रु० में)	कार्य पूरा करने का संभावित वर्ष
भारत-पाक सीमान्त	जम्मू और कश्मीर	15	165	3.28	2002-2003
	पंजाब	452	–	82.00	पूरा किया गया
	राजस्थान	1048.27	–	192.51	पूरा किया गया
	गुजरात	10	300	6.47	2004-2005
भारत-बांग्ला देश सीमान्त	प० बंगाल	507	1021	88.41	2006-2007
	त्रिपुरा	–	736	–	2006-2007
	असम	149	74.8	19.29	2006-2007
	मेघालय	198	201	28.39	2006-2007
	मिजोरम	–	400	–	2006-2007

राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान

*127. **श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विश्वविद्यालयों को निधियां प्रदान करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या राज्य विश्वविद्यालयों को पूर्ण वित्तपोषित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कम अनुदान मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है; और

(घ) राज्य विश्वविद्यालयों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक अनुदान देने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोई भी राज्य विश्वविद्यालय इस आयोग से इस शर्त पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (ख) के अनुसार केन्द्रीय सहायता पाने के लिए मान्यता प्राप्त हो। सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को योजना दर योजना आधार पर सामान्य विकास स्कीम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के लिए बनाई गई कतिपय विशेष स्कीमों के सम्बन्ध में अनुदान प्राप्त करने हेतु भी विश्वविद्यालयों पर विचार किया जाता है बशर्ते वे संबंधित दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

नौवीं योजना अवधि के दौरान ऐसे विश्वविद्यालयों को प्रदत्त विकास सहायता के परिमाण का निर्णय विश्वविद्यालय के कार्यकाल; विभिन्न स्तरों (अर्थात् अवर-स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान स्तरों) पर विद्यार्थियों के नामांकन; विभागों की संख्या; संकायों की संख्या; छात्राओं के नामांकन; अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के नामांकन; तथा विश्वविद्यालय की स्थापना के स्थान जैसे मापदण्डों के आधार पर लिया गया था।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद के अधिनियमों द्वारा तथा राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधानमण्डलों के अधिनियमों द्वारा की जाती है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विकास तथा अनुरक्षण पर होने वाले खर्च की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से की जाती है तथा राज्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में इस खर्च की पूर्ति सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को पूरक अनुदान के रूप में केवल विकास अनुदान ही देता है। विशेष स्कीमों के अधीन प्रस्तावों पर विचार हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों दोनों के लिए ही मापदण्ड एक जैसे हैं।

(घ) राज्य विश्वविद्यालयों को किये जाने वाले आवंटन में दसवीं योजना के दौरान वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास

***128. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि देश में आदिवासी समुदायों को बड़े पैमाने पर उनकी परम्परागत बस्तियों से विस्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) केंद्र सरकार इन विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठा रही हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जी, हां। जनजातीय समुदाय अपने पारंपरिक निवास स्थान से विस्थापित और विमुख अनेक सामाजिक-आर्थिक कारणों की वजह किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस संबंध में एकत्रित नवीनतम सूचना नीचे दी गई है :-

क्रमांक	राज्य का नाम	क्षेत्र (एकड़ में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	31324
2.	असम	4192
3.	बिहार	9742
4.	गुजरात	19633
5.	कर्नाटक	15352
6.	मध्य प्रदेश	61275
7.	उड़ीसा	896
8.	राजस्थान	1526
9.	त्रिपुरा	21

(ग) और (घ) भूमि राज्य का विषय होने के कारण अधिकांश राज्य सरकारों ने जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए कानून अधिनियमित किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने "समता" मामले में हाल ही के निर्णय ने जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को रोक दिया है। इस निर्णय के संगत उद्धरण अनुपालन के लिए परिचालित किए गए हैं। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्कूलों, सड़कों, जल आपूर्ति जैसी सामाजिक अवसंरचनाओं का सृजन करने के पश्चात् विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास पर बल दिया जाता है। किसी परियोजना से पहले परियोजना प्राधिकारियों की ओर से यह पूर्वापेक्षा है कि वे भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लें। उनसे विस्थापित जनजातीय जनसंख्या के पुनर्वास के लिए कार्य योजना तैयार करने की भी अपेक्षा की जाती है ताकि उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास लम्बित योजनाएं

***129. श्री पी०सी० थामस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न कालेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय-वार विशेषत: एम०जी० विश्वविद्यालय, केरल, द्वारा कितनी योजनाएं भेजी गई;

(ख) इनमें से विश्वविद्यालय-वार कितनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई और कितनी योजनाएं स्वीकृत के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ग) इन योजनाओं को स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सरकारी/विदेशी निधियों का अलगाववादी ताकतों तक पहुंचना

***130. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी और विदेशी निधियां अलगाववादी ताकतों तक पहुंच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी और विदेशी निधियों के ऐसे परिवर्तन के बारे में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(घ) सरकार ने निधियों के इस प्रकार के परावर्तन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषरूप से मणिपुर में कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सरकारी निधियों को दूसरे कामों में लगाने के दृष्टांत सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ख) से (घ) गैर-सरकारी संगटनों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मणिपुर और असम राज्य सरकार ने उग्रवादी संगठनों के साथ उनके तथाकथित संबंधों के लिए आल मणिपुर स्टूडेन्ट यूनियन और मानव अधिकार संग्राम समिति के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं। जब कभी कानून के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों का पता चलता है, तो राज्य सरकारें मामले दर्ज करती हैं।

गृह मंत्रालय ने दिसम्बर, 2000 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से, मणिपुर में गैर-सरकारी संगठनों को तब तक आगे निधियों के आबंटन को स्थगित रखने के अनुदेश जारी किए जब तक कि भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से निधियों की उपयोगिता का सम्पूर्ण सत्यापन नहीं कर लिया जाता। गृह मंत्रालय ने फरवरी, 2001 में अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्पष्ट किया है कि यदि निरीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि निधियों का सही उपयोग हुआ है तो केन्द्रीय मंत्रालय/केन्द्रीय एजेंसियां अनुमोदित योजनाओं के अनुसार आगे निधियां जारी कर सकती हैं। इसलिए वास्तविक गैर सरकारी संगठन जिन्होंने निधियों का समुचित रूप से प्रयोग किया है, मंत्रालयों से आगे और निधियां पाने के पात्र हैं। यदि निधियों का उपयोग नहीं किया गया है या दुरूपयोग किया गया है तो केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों को चूक करने वाले गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डालना चाहिए और कानून के अनुसार आगे कार्रवाई करनी चाहिए।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

***131. श्री रामपाल सिंह :**
श्री प्रबोध पण्डा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं और इसमें कौन-कौन सी एजेंसियां शामिल हैं और उन्हें क्या-क्या काम सौंपे गए हैं;

(ग) क्या सरकार का इस योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने सहित इसमें ग्रामीण रोजगार योजनाओं को भी शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) इस योजना के तहत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए जाने और इससे गरीब लोगों को कितना लाभ मिलने की संभावना है;

(ङ) आज की तारीख के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, विशेषतः पूर्वोत्तर राज्यों को, कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(च) आज की तारीख के अनुसार योजना के तहत प्रत्येक राज्य को मुफ्त खाद्यान्नों की कितनी मात्रा उपलब्ध कराई गई और उन्होंने कितनी मात्रा में खाद्यान्न उठाया;

(छ) इस योजना के तहत राज्य-वार ग्रामीण विकास कार्यों के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए; और

(ज) इस योजना के अन्तर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत बंटवारे का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (ज) सितम्बर, 2001 को आरंभ की गई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

(एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को हर साल 5000 करोड़ रु० (किफायती लागत पर) के मूल्य के 50 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त दिए जाने हैं। बकाया राशि (5000 करोड़ रु०) को मजदूरी के नगद घटक तथा सामग्री लागत की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा खाद्यान्नों का भुगतान सीधे ही भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को किया जाएगा। कार्यक्रम की लागत को 87.5 : 12.5 (खाद्यान्न घटक सहित) के अनुपात में केन्द्र और राज्य के बीच वहन किया जाना है।

2. एस.जी.आर.वाई. के कार्यान्वियन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल दो चरणों में रोजगार के लगभग 100 करोड़ श्रमदिनों के सृजन किए जाने की परिकल्पना की गई हैं। प्रत्येक चरण को मुहैया कराई जा रही कुल उपलब्ध निधियों के 50 प्रतिशत के साथ प्रथम चरण जिला तथा मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर तथा दूसरा चरण ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किया जाएगा। एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत रोजगार के इच्छुक सभी मजदूरों को मजदूरी के रूप में प्रति श्रम दिन 5 कि०ग्रा० खाद्यान्न दिए जाएंगे तथा शेष मजदूरी नगद दी जाएगी ताकि मजदूरों को अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी मिलें। राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन या तो बी.पी.एल. दरों अथवा ए.पी.एल. दरों या फिर इन दोनों दरों के बीच कहीं पर भी (मजदूरी का भुगतान करने हेतु) खाद्यान्नों की लागत की गणना करने के लिए स्वतंत्र है। एफ.सी. आई. गोदामों से कार्यस्थल तक खाद्यान्नों की ढुलाई लागत की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

3. योजना चालू वर्ष के मध्य में शुरू की गई चल रही सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) (जो एस.जी.आर.वाई. के साथ पूरी तरह से समेकित होगी) एस.जी.आर.वाई. के एक भाग के रूप में चालू वर्ष में चल रही हैं। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित खाद्यान्नों तथा स्वीकृत/वितरित वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। अब तक आबंटित खाद्यान्नों तथा उनको उठा लेने संबंधी रिपोर्टें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अभी प्राप्त होनी हैं।

विवरण-I

2001-02 के दौरान एसजीआरवाई (ई.ए.एस.) के अन्तर्गत आवंटन तथा जारी की गई निधियां

(लाख रु० में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसजीआर वाई के अंतर्गत केन्द्रीय आवंटन	राज्य अंश	कुल योग (कॉलम 3+4)	जारी की गई कुल केन्द्रीय निधियां	एसजीआर वाई (ईएएस) के अंतर्गत खाद्यान्नों हेतु निधियां	खाद्यान्नों की मात्रा (आवंटित टन हजार में)	जारी किए गए खाद्यान्न* मात्रा** (टन हजार में) गेहूं	चावल	मूल्य लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	9952.70	3317.57	13270.27	7962.16	13286.01	132.86		117.58	13286.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	519.21	173.07	692.28	180.00	692.00	6.92			
3.	असम	13490.96	4496.99	17987.95	0.00	17988.00	179.88			
4.	बिहार	19930.10	6643.37	26573.47	5525.02	26605.00	266.05			
5.	छत्तीसगढ़	5616.92	1872.31	7489.23	5449.02	7498.12	74.98		33.18	7336.30
6.	गोवा	22.94	7.65	30.59	7.95	30.62	0.31			
7.	गुजरात	3746.38	1248.79	4995.17	1038.94	5001.10	50.01			
8.	हरियाणा	2204.06	734.69	2938.75	881.62	2942.24	29.42	17.72		1471.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	हिमाचल प्रदेश	928.21	309.40	1237.61	321.76	1239.09	12.39			
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1148.80	382.93	1531.73	430.36	1533.53	15.34			
11.	झारखंड	12673.80	4224.60	16698.40	3393.67	16918.46	169.18			
12.	कर्नाटक	7515.70	2505.23	10020.93	4092.36	10032.82	100.33			
13.	केरल	3372.27	1124.09	4496.36	1168.99	4501.70	45.02			
14.	मध्य प्रदेश	10909.15	3636.38	14545.53	10909.15	14562.79	145.63	116.59	43.24	14562.79
15.	महाराष्ट्र	14856.70	4952.23	19808.93	3963.69	19832.43	198.32			
16.	मणिपुर	904.42	301.47	1205.89	261.17	1206.00	12.06			
17.	मेघालय	1013.29	337.76	1351.05	120.67	1351.00	13.51			
18.	मिजोरम	234.48	78.16	312.64	81.29	313.00	3.13			
19.	नागालैंड	695.06	231.69	926.75	147.01	927.00	9.27			
20.	उड़ीसा	11383.84	3794.61	15178.45	6313.89	15196.46	151.96			
21.	पंजाब	1071.15	357.05	1428.20	428.46	1429.90	14.30	8.61		714.95
22.	राजस्थान	5706.92	1902.31	7609.23	5684.45	7618.25	76.18	91.79		7618.25
23.	सिक्किम	259.60	86.53	346.13	90.01	346.00	3.46			
24.	तमिलनाडु	8800.37	2933.46	11733.83	4400.19	11747.75	117.48		51.98	5873.88
25.	त्रिपुरा	1632.98	544.33	2177.31	566.10	2177.00	21.77			
26.	उत्तर प्रदेश	33634.47	11211.49	44845.96	16865.65	44899.18	448.99	187.17	61.19	22449.59
27.	उत्तरांचल	2246.42	748.81	2995.23	621.51	2998.78	29.99			
28.	प. बंगाल	12650.87	4216.96	16867.83	3881.39	16887.84	168.88			
29.	अ. व. नि. द्वीपसमूह	52.94	0	52.94	0.00	70.67	0.707			
30.	दा. व न. हवेली	52.94	0	52.94	0.00	70.67	0.707			
31.	दमन व दीव	1.76	0	1.76	0.00	2.36	0.024			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	लक्षद्वीप	3.53	0	3.53	0.00	4.71	0.047			
33.	पांडिच्चेरी	67.06	0	67.06	0.00	89.52	0.895			
	जोड़	187300.00	62373.92	249673.92	84786.48	250000.00	2500.00	421.88	307.16	73312.87

टिप्पणी :- *राज्यों को खाद्यान्न जारी किए गए जिन्होंने गेहूं या चावल के लिए अपनी राय दी। अन्य राज्यों से राय की प्रतीक्षा है।

**गेहूं प्रतिटन 8300 रु० की दर से तथा चावल प्रतिटन 11300 रु० की दर से।

विवरण-II

एसजीआरवाई के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 के लिए आवंटन

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसजीआरवाई आबंटन 2001-02			एसजीआरवाई के अन्तर्गत खाद्यान्नों हेतु निधियां (जेजीएसवाई)	कुल योग (5+6)	खाद्यान्नों की मात्रा	जारी किए गए खाद्यान्नों की मात्रा (लाख टन)		मूल्य (लाख रुपए में)
		केन्द्र	राज्य	कुल				गेहूं	चावल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	9921.52	3307.17	13228.70	13259.81	26488.51	1.33			
2.	अरुणाचल प्रदेश	519.38	173.13	692.51	694.14	1386.65	0.07			
3.	असम	13495.28	4498.43	17993.71	18036.04	36029.75	1.80			
4.	बिहार	18730.78	6243.59	24974.37	25033.12	50007.49	2.50			
5.	छत्तीसगढ़	4197.65	1399.22	5596.87	5610.04	11206.91	0.56		0.2482	2805.02
6.	गोवा	145.98	48.66	194.64	195.10	389.73	0.02			
7.	गुजरात	3734.65	1244.88	4979.54	4991.25	9970.79	0.50			
8.	हरियाणा	2197.16	732.39	2929.55	2936.44	5865.98	0.29	0.1769		1468.22
9.	हिमाचल प्रदेश	925.31	308.44	1233.74	1236.65	2470.39	0.12			
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1145.20	381.73	1526.93	1530.52	3057.45	0.15			
11.	झारखंड	13771.01	4590.34	18361.34	18404.53	36765.88	1.84			
12.	कर्नाटक	7492.16	2497.39	9989.55	10013.05	20002.60	1.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	केरल	3361.70	1120.57	4482.27	4492.81	8975.09	0.45			
14.	मध्य प्रदेश	12276.64	4092.21	16368.86	16407.36	32776.22	1.64	0.7052	0.2011	8203.68
15.	महाराष्ट्र	14810.16	4936.72	19746.88	19793.33	39540.21	1.98			
16.	मणिपुर	904.72	301.57	1206.30	1209.13	2415.43	0.12			
17.	मेघालय	1013.61	337.87	1351.48	1354.66	2706.14	0.14			
18.	मिजोरम	234.54	78.18	312.72	313.46	626.18	0.03			
19.	नागालैंड	695.29	231.76	927.05	929.24	1856.29	0.09			
20.	उड़ीसा	11348.19	3782.73	15130.91	15166.50	30297.42	1.52			
21.	पंजाब	1067.80	355.93	1423.73	1427.08	2850.81	0.14	0.0859		713.54
22.	राजस्थान	5689.04	1896.35	7585.39	7603.23	15188.62	0.76	0.4580		3801.62
23.	सिक्किम	259.69	86.56	346.25	347.06	693.31	0.03			
24.	तमिलनाडु	8772.80	2924.27	11697.07	11724.58	23421.65	1.17		1.1720	5862.29
25.	त्रिपुरा	1633.50	544.50	2178.00	2183.12	4361.13	0.22			
26.	उत्तर प्रदेश	2228.37	742.79	2971.17	2978.15	5949.32	0.30			
27.	उत्तरांचल	33540.13	11180.04	44720.18	44825.37	89545.55	4.48	1.9039	0.5757	22412.69
28.	पश्चिम बंगाल	12611.24	4203.75	16814.98	16854.54	33669.52	1.69			
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	96.21		96.21	128.59	224.80	0.01			
30.	दा. व न. हवेली	63.51		63.51	84.88	148.39	0.01			
31.	दमन व दीव	30.77		30.77	41.12	71.90	0.00			
32.	लक्षद्वीप	48.23		48.23	64.46	112.69	0.01			
33.	पांडिचेरी	97.76		97.76	130.65	228.41	0.01			
	जोड़	187060.00	62241.17	249301.17	250000.00	499301.17	25.00	3.3299	2.1970	45267.06

[अनुवाद]

"स्टेम सैल" अनुसंधान हेतु अमरीका द्वारा वित्तपोषण

*132. **श्री ए० नरेन्द्र :**

श्री जी०एस० बसवराज :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार के "स्टेम सैल" अनुसंधान हेतु वित्तपोषण के लिए विश्व के कुछ संस्थानों को पात्र घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में "स्टेम सैल" अनुसंधान के लिए अमरीकी वित्तपोषित संस्थानों की सूची में कौन-कौन से भारतीय संस्थान हैं;

(ग) क्या भारतीय वैज्ञानिक इस पर काम करने के इच्छुक हैं और इससे और अधिक अनुसंधान को कितना बढ़ावा मिलेगा;

(घ) क्या इन भारतीय संस्थानों को "स्टेम सैल्स एण्ड लाइन्स" पर आगे अनुसंधान करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन संस्थानों ने कोई अनुमति मांगी है;

(च) क्या भारतीय फर्मों की "सैल लाइन्स" ने "स्टेम सैल्स" के रूप में उनकी पहचान और उपयोगिता बताने की लम्बी प्रक्रिया शुरू कर दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। अमरीकी सरकार ने स्टेम कोशिका अनुसंधान हेतु विश्व के 10 संस्थानों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया है। सूची में शामिल किए गए भारतीय संस्थानों में रिलायंस लाइफ साइंसेज (रिलायंस उद्योग-समूह की एक सहायक कम्पनी), मुंबई और राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केन्द्र, बंगलौर हैं।

(ग) भारतीय वैज्ञानिक इस क्षेत्र में शोध-कार्य चलाने के इच्छुक हैं। इससे विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र में विश्व भर के अन्य वैज्ञानिकों के साथ सहयोग स्थापित करने में सहायता मिलेगी। संयुक्त प्रयासों से चिकित्सा-पद्धतियों अथवा उत्पादों के विकास में तेजी आएगी।

(घ) और (ङ) जी, हां। स्टेम कोशिका अनुसंधान में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को अपनी-अपनी सांस्थानिक जैवनीति समितियों से अनुमति प्राप्त करनी होती है। वित्तपोषण हेतु अमरीकी सूची में शामिल दो भारतीय संस्थान कोशिका आधारित चिकित्सा के लिए इन कोशिका लाइनों का विकास कर रहे हैं। इन संस्थानों को उनकी अपनी सांस्थानिक जैवनीति समितियों से अनुमति मिल गई है। वास्तविक अनुसंधान नयाचारों के आधार पर राष्ट्रीय नीतियों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनुमति प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

(च) और (छ) भारतीय फर्मों में से एक अर्थात् रिलायंस लाइफ साइंसेज ग्रुप (रिलायंस उद्योग-समूह की एक सहायक कम्पनी), मुंबई के पास सात स्टेम कोशिका लाइनें विद्यमान हैं। उनमें से चार अंतिम चरण पर हैं जबकि बाकी तीन विकासाधीन हैं। इन स्टेम कोशिका लाइनों के लक्षण-वर्णन संबंधी कार्य शुरू किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केन्द्र के पास एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिकाएं हैं जिनसे कोशिका लाइनों का विकास किया जाएगा।

वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी परिव्यय

***133. श्री एच०जी० रामुलू :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान पर होने वाले परिव्यय में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) राज्य सरकारों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य-वार कितने प्रस्ताव भेजे;

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी राशि जारी की गई; और

(ङ) सरकार को गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष पेटेन्ट हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बुनियादी सुविधाओं को सशक्त बनाने तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य आरम्भ करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए योजना आबंटन नौवीं योजना (1997-2002) के लिए बढ़ाकर 25,529 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो कि आठवीं योजना (1992-97) के लिए 17,529 करोड़ रुपए तथा सातवीं योजना (1985-90) के लिए 8,264 करोड़ रुपए था। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रायोजित अनुसन्धान एवं विकास (आर एण्ड डी) परियोजनाओं के वित्तपोषण के माध्यम से विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग कई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं। इस तरह की वित्तपोषित अनुसन्धान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या विभिन्न राज्यों में वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान क्रमशः 1795, 1780 और 2050 थीं जिनकी अनुमोदित लागत क्रमशः 186.48 करोड़ रुपए, 218.57 करोड़ रुपए तथा 349.85 करोड़ रुपए

थी। इन तीन वर्षों के दौरान आर एण्ड डी परियोजनाओं की संख्या व उनकी अनुमोदित लागत का राज्यवार ब्यौरा एक विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) पेटेंट के लिए सरकार के पास प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान क्रमशः 8954, 4824 तथा 8503 थीं।

विवरण

प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

राज्य	1996-97		1997-98		1998-99	
	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत
1	2	3	4	5	6	7
अण्डमान एवं निकोबार	1	5.70	4	42.22	5	78.16
आन्ध्र प्रदेश	182	1952.85	130	1696.13	125	2113.57
अरूणाचल प्रदेश	7	41.71	8	39.93	1	17.84
असम	22	283.34	33	286.56	87	292.21
बिहार	55	463.68	47	1132.47	56	4807.95
चण्डीगढ़	44	416.78	29	272.67	35	499.95
दिल्ली	170	2031.61	187	3119.75	183	2818.30
गोवा	7	67.57	16	210.16	16	319.68
गुजरात	38	240.27	55	492.90	47	555.57
हरियाणा	13	311.17	31	490.37	17	577.25
हिमाचल प्रदेश	17	127.95	15	126.99	18	282.76
जम्मू एवं कश्मीर	8	59.30	8	40.33	10	170.78
कर्नाटक	193	1872.54	163	1724.49	188	4065.87
केरल	71	677.28	74	919.72	56	616.78
लक्षद्वीप	0	0	2	16.97		
मध्य प्रदेश	59	571.64	47	800.99	54	514.59
महाराष्ट्र	166	2315.58	172	3710.45	266	7072.90

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	6	43.87	16	155.52	24	115.45
मेघालय	4	43.59	10	70.17	10	67.57
मिजोरम	1	4.37	0	0	2	14.66
नागालैंड	0	0	1	8.46	3	8.51
उड़ीसा	24	195.72	22	160.56	53	430.88
पाण्डिचेरी	13	88.50	8	35.02	11	90.18
पंजाब	30	147.71	34	287.52	31	1008.84
राजस्थान	50	329.45	42	503.58	45	731.16
सिक्किम	1	5.00	5	86.34	15	325.06
तमिलनाडु	184	1254.87	189	1334.02	210	2732.93
त्रिपुरा	2	13.72	6	31.99	5	17.75
उत्तर प्रदेश	231	1853.97	249	2294.19	265	2498.35
पश्चिम बंगाल	196	3228.46	177	1766.14	212	2139.04
छत्तीसगढ़ *						
झारखण्ड *						
उत्तरांचल *						
कुल	1795	18648.20	1780	21856.61	2050	34984.54

*इन राज्यों के आंकड़े क्रमश: मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में शामिल हैं।

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

*134. **श्री आर०एल० जालप्पा :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के तहत मकानों के आवंटन के लिए परिवारों के चयन हेतु क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान राज्य-वार विशेषत: उड़ीसा और गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, कितने मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्य के लिए राज्य-वार कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या उड़ीसा और गुजरात राज्यों ने केंद्र सरकार से इंदिरा आवास योजना के मकानों की पूरी लागत वहन करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार को इस योजना के तहत लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन में संसद सदस्यों को शामिल किया गया है; और

(झ) यदि नहीं, तो संसद सदस्यों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (झ) कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों में से किया जाता है। लाभ का कम से कम 60% अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों के गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को दिया जाना होता है तथा 3% निधियां गरीबी रेखा से नीचे के शारीरिक तथा मानसिक अपंग लागों के लाभ के लिए निर्धारित की गई हैं।

2. लाभार्थियों के चयन में निम्नलिखित प्राथमिकताओं को तरजीह दी जाएगी:-

(i) मुक्त बंधुआ मजदूर

(ii) अनु० जाति/अनु० जनजाति के परिवार

– अनु०जाति/अनु०जनजाति के परिवार जो अत्याचारों से पीड़ित हैं।

– अनु०जाति/अनु०जनजाति के परिवार जिनकी मुखिया विधवाएं तथा अविवाहित महिलाएं हैं।

– अनु०जाति/अनु०जनजाति के परिवार, जो बाढ़, आगजनी, भूकम्प, चक्रवात तथा इसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हैं।

– अनु०जाति/अनु०जनजाति के अन्य परिवार

(iii) युद्ध में मारे गए रक्षा सेवाओं/अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों की विधवाएं/परिवार।

(iv) गैर अनु०जाति/अनु०जनजाति के परिवार।

(v) शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

(vi) अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त तथा भूतपूर्व सैनिक।

(vii) विकासात्मक परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए व्यक्ति, खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश तथा अधिसूचित आदिवासी, शारीरिक/मानसिक विकलांग सदस्यों वाले परिवार, बशर्ते कि ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हों।

3. पात्र परिवारों की सूची में से लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।

4. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य निधियों के आबंटन के हिसाब से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। आवासों के निर्माण/सुधारने के लिए निर्धारित राज्यवार लक्ष्य और 2001-2002 के दौरान आई.ए.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए आई.ए.वाई. के अंतर्गत एक लाख अतिरिक्त आवासों को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान आई.ए.वाई. के अंतर्गत निधियों के आबंटन का पता केवल उस वर्ष के वार्षिक बजट से ही चलेगा तथा इसलिए 2002-2003 के लिए आई.ए.वाई. के अंतर्गत लक्ष्यों को अभी निर्धारित नहीं किया गया है। उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से आई.ए.वाई के आवासों (चक्रवात से प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्वीकृत) की पूर्ण लागत को वहन करने का आग्रह किया है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। वर्ष 2001-2002 के दौरान गुजरात के भूकम्प से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1 लाख अतिरिक्त ग्रामीण आवासों को मंजूरी प्रदान की गई है।

5. जब कभी भी लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं की जानकारी मिलती है, मामले को तत्काल ही उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है। आई.ए.वाई. के लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है तथा संसद सदस्य इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते हैं। संसद सदस्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी आर डी ए) के शासी निकायों और निगरानी समितियों के सदस्य होते हैं।

विवरण

2001-2002 के दौरान इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अन्तर्गत राज्यवार केन्द्रीय आबंटन, रिलीज तथा लक्षित आवासों की संख्या

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	केन्द्रीय आबंटन	अब तक की गई केन्द्रीय रिलीज	लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11794.45	5903.14	94356

1	2	3	4	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	555.06	249.83	4440
3.	असम	12489.11	0.00	99913
4.	बिहार	32038.79	12532.90	256310
5.	छत्तीसगढ़	2016.89	1008.46	16135
6.	गोवा	76.20	30.48	610
7.	गुजरात	3389.62	4274.35	27117
8.	हरियाणा	1146.14	573.07	9169
9.	हिमाचल प्रदेश	507.06	236.66	4056
10.	जम्मू एवं कश्मीर	606.54	311.13	4852
11.	झारखंड	9413.29	1850.89	75306
12.	कर्नाटक	6100.88	3050.44	48807
13.	केरल	3780.58	1001.91	30245
14.	मध्य प्रदेश	7038.38	3470.05	56307
15.	महाराष्ट्र	10824.79	5180.22	86598
16.	मणिपुर	661.80	126.95	5294
17.	मेघालय	879.29	0.00	7034
18.	मिजोरम	211.09	105.55	1689
19.	नागालैंड	567.62	283.81	4541
20.	उड़ीसा	9494.97	20395.75	75960
21.	पंजाब	759.25	379.63	6074
22.	राजस्थान	3198.28	1599.14	25586
23.	सिक्किम	152.17	76.09	1217
24.	तमिलनाडु	5922.86	2961.43	47383
25.	त्रिपुरा	1283.85	641.93	10271
26.	उत्तर प्रदेश	21595.12	10890.34	172761
27.	उत्तरांचल	2242.99	640.47	17944
28.	प. बंगाल	12729.32	5318.38	101835
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	143.47	143.47	861
30.	दा. व न. हवेली	75.29	37.65	452
31.	दमन व दीव	31.16	0.00	187
32.	लक्षद्वीप	2.44	1.22	15
33.	पांडिचेरी	71.22	7.44	427
	जोड़	161800.00	83282.78	1293753

[हिन्दी]

उर्वरक उद्योग को राजसहायता का भुगतान

***135. श्रीमती शीला गौतम :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 के अन्त तक और अक्टूबर, 2001 तक उर्वरक उद्योग को राजसहायता की कुल कितनी बकाया राशि, पृथक-पृथक, देय हो गई है;

(ख) बकाया देय राशि संचित होने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) उर्वरक उद्योग के कार्यनिष्पादन पर कुल मिलाकर इसका कितना प्रभाव पड़ा है; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) यूरिया, सांविधिक मूल्य विवरण और संचलन नियंत्रण के तहत एक मात्र उर्वरक होने के नाते प्रतिधारण मूल्य सह-सब्सिडी योजना (आर पी एस) के तहत आता है और इस योजना के तहत सब्सिडी के लिये पात्र है। उर्वरक उद्योग समन्वय समिति जो आर पी एस को प्रशासित एवं संचालित कर रही है, के पास 31-12-2000 को 934.11 करोड़ रुपये के बिल लम्बित थे। इन सभी बिलों को 60 दिन की निर्धारित अवधि में निपटा दिया गया था। 31-10-2001

को 834.61 करोड़ रुपये के सब्सिडी बिल लम्बित थे जिसमें से 683.56 करोड़ रुपये की राशि के बिलों का निपटान पहले ही किया जा चुका है। शेष बिलों का निपटान निर्धारित समयावधि में कर दिया जायेगा।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) में बताई गई स्थिति को देखते हुये लागू नही होता है।

[अनुवाद]

आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

***136. डा० वी० सरोजा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की वास्तविक पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद रोजगार प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का पूरा ब्यौरा एकत्र करने के लिए कभी कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त सर्वेक्षण कब तक कराए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण अब तक नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय इस योजना को राज्य सरकारों/जिला कलेक्टरों के माध्यम से तथा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थल निरीक्षणों से मानीटर करता है तथा लाभार्थियों से प्रतिक्रिया अनुकूल रही है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें

***137. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एक लाख चालीस हजार गांवों को सड़कों से जोड़ने वाली योजना का कार्यान्वियन तीन चरणों में किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उन तीन चरणों का ब्यौरा क्या है जिनके तहत इस योजना को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) प्रथम चरण पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है;

(घ) सभी चरणों का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ङ) इस योजना में अब तक कितने गांवों को शामिल किया गया है और आगामी कुछ वर्षों में राज्य-वार कितने गांवों को इसमें शामिल किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (ङ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी हुई बसावटों को बारहमासी सड़कों से इस तरह से जोड़ना है कि 1000 व्यक्तियों और इससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को तीन वर्षों (2000-2003) में कवर कर लिया जाए तथा सड़कों से न जुड़ी हुई 500 व्यक्तियों और इससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को दसवीं योजना अवधि (2007) के अंत तक सड़कों से जोड़ दिया जाए। पर्वतीय और मरूभूमि तथा जनजातीय (अनुसूची 5) क्षेत्रों के संबंध उद्देश्य यह रहेगा कि 250 व्यक्तियों और इससे अधिक की जनसंख्या वाली बसावटें सड़कों से जोड़ दी जाएं।

2. वर्ष 2000-2001 में मंजूर किए गए सड़क कार्य लगभग सभी राज्यों में आरंभ हो गए हैं। वर्ष 2001-2002 के लिए अब तक 20 राज्यों के परियोजना प्रस्तावों को पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से मंजूरी दी गयी है।

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली तथा अब तक कवर की गई बसावटों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सड़कों से न जुड़ी उन बसावटों की संख्या जिनके पी.एम.जी.एस. वाई. के तहत कवर कर लिये जाने की संभावना है	2000-01 तथा 2001-02 के दौरान पी.एम.जी. एस.वाई. के तहत कवर कर ली गयी बसावटों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश*	329	112
2.	अरुणाचल प्रदेश	534	108

1	2	3	4
3.	असम	6561	1172
4.	बिहार*	19153	395
5.	छत्तीसगढ़	13049	452
6.	गोवा*	0	0
7.	गुजरात	2707	457
8.	हरियाणा	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3399	511
10.	जम्मू व कश्मीर*	2962	58
11.	झारखंड	13357	829
12.	कर्नाटक*	748	61
13.	केरल	4530	181
14.	मध्य प्रदेश	9202	1587
15.	महाराष्ट्र*	1077	65
16.	मणिपुर	515	116
17.	मेघालय	922	66
18.	मिजोरम	275	38
19.	नागालैंड	174	74
20.	उड़ीसा	10642	1944
21.	पंजाब	901	249
22.	राजस्थान	9783	619
23.	सिक्किम	330	22
24.	तमिलनाडु*	2113	748
25.	त्रिपुरा	2091	298
26.	उत्तर प्रदेश**	30698	4362
27.	उत्तरांचल*	2063	130
28.	पश्चिम बंगाल**	20315	1539
	कुल	158430	16193

* वर्ष 2001-02 के लिए इन राज्यों के परियोजना प्रस्तावों को अभी मंजूरी नहीं दी गयी है।

** वर्ष 2001-02 के लिए इन राज्यों के परियोजना प्रस्तावों को आंशिक रूप से मंजूरी दी गयी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समितियों का गठन

***138. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) की क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समितियों की कार्य अवधि कितनी है;

(ग) इन समितियों के उद्देश्य और कृत्य क्या हैं; और

(घ) इन समितियों के सदस्यों का चयन/नाम-निर्देशन किस प्रकार किया जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने चार क्षेत्रीय समितियों अर्थात् पूर्वी क्षेत्रीय समिति, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, उत्तरी क्षेत्रीय समिति तथा दक्षिणी क्षेत्रीय समिति का गठन किया है जो क्रमशः भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर और बंगलौर में स्थित हैं।

मनोनीत व्यक्तियों का कार्यकाल उनके मनोनयन की तारीख से 2 वर्ष या नई नियुक्ति होने तक, जो भी बाद में हो, होता है।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 14, 15, 17 तथा 20 (6) के अनुसार क्षेत्रीय समितियों के निम्नलिखित कार्य हैं: (i) शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली या प्रदान करने का इरादा रखने वाली संस्था को मान्यता देना,

(ii) नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को अनुमति प्रदान करना, (iii) यदि कोई संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, नियमावली, विनियम, आदेश आदि के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसकी मान्यता को वापस ले लेना और (iv) सामान्य परिषद द्वारा सौंपा गया या विनियमों द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य कार्य।

(घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (क्षेत्रीय समिति में मनोनीत किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनका कार्यकाल तथा संदेय भत्ता) विनियम, 1995 के साथ पठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 20 (3) के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण

***139. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वप्रथम हाथी समिति ने काफी समय पहले राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण बनाए जाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आज तक इस प्राधिकरण का गठन नहीं हो पाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) क्या विभिन्न संगठनों/विनिर्माताओं/विशेषज्ञों ने प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना की तत्काल आवश्यकता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण और उनके औचित्यपूर्ण उपयोग पर बेहतर निगरानी हेतु राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(छ) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) औषध और भेषज उद्योग से संबंधित (हाथी) समिति ने अप्रैल, 1975 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ एक राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण - एक स्वायत्तशासी निकाय जोकि औषध उद्योग के भावी विस्तार, लाइसेंसिंग, आयात, निर्यात, प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित मामलों को देखे, स्थापित करने की सिफारिश की थी। सरकार ने उक्त सिफारिशों पर अपने निर्णयों का एक विवरण (जो बाद में औषध नीति 1978 के नाम से जाना गया) 29.3.1978 को लोकसभा पटल पर प्रस्तुत किया जिसमें यह निष्कर्ष दिया गया था कि समिति के सुझाव के अनुसार एक पूर्णत: स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित कर पाना संभव नहीं होगा। तथापि, रसायन और उर्वरक विभाग में एक विकास आयुक्त (औषध उद्योग) के अधीन फील्ड संगठन स्थापित किए जाने का अनुमोदन किया गया।

(घ) से (ज) सरकार ने औषध नीति 1978 की समीक्षा की और 1986 में इसमें ढांचागत परिवर्तन करते हुए ''युक्तिकरण के उपाय, गुणवत्ता नियंत्रण और भारत में औषध और भेषज उद्योग का विकास'' की घोषणा की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दवाओं के युक्तिसंगत इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय औषध और भेषज प्राधिकरण नामक एक मशीनरी गठित करने की परिकल्पना की गई थी। सितंबर, 1994 में घोषित ''औषध नीति 1986 में संशोधन'' में गुणवत्ता नियंत्रण और औषधों के युक्तिसंगत इस्तेमाल के महत्व को दोहराया गया तथा उसमें यह परिकल्पना की गई कि एक राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना की जाए जो नए उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी डी एस सी ओ) द्वारा किए जा रहे विनियामक कार्यों को भी करेगा। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान विनियामक प्रणाली में प्रमुख ढांचागत परिवर्तनों की आवश्यकता थी जहां कि विनिर्माताओं की लाइसेंसिंग तथा औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन बने नियमों का प्रवर्तन प्राथमिक रूप से राज्य प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी डी एस सी ओ) की विद्यमान क्षमता को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं जो कि नए उत्तरदायित्वों को हाथ में लेने से पहले आवश्यक हैं। अत: राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

शहरी सुशासन संबंधी सम्मेलन

***140. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नई दिल्ली में हाल ही में ''यूनाएटेड नेशन्स सेन्टा फार ह्यूमन सैटलमेन्टस'' के साथ मिलकर शहरी सुशासन (गुड अरबन गवर्नेंस) विषय पर एक तीन-दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सम्मेलन में हुई चर्चा पर क्या सहमति बनी;

(ग) क्या सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में सुधार के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है और इसके लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र मानव बसाव केन्द्र के सहयोग से 4-6 सितम्बर, 2001 को नई दिल्ली में ''शहरी सुशासन के लिए राष्ट्रीय अभियान'' का आयोजन किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी हितबद्ध पक्षों यथा नगर निगमों/नगर पालिकाओं, गैर सरकारी संगठनों, अर्ध शासन एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं और प्रचार माध्यमों को एक साथ लाकर शहरी शासन की अच्छी पद्धति के उदाहरण सामने लाना और उन्हें प्रसारित करना तथा अन्य शहरों के उदाहरणों को अपनाने के लिए सभी शहरों को प्रोत्साहित करना तथा शहरी शासन पद्धतियों में सुधार के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना था। अभियान के साथ ही एक कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें विकेन्द्रीकरण, म्युनिसिपल वित्त, शहरी पर्यावरण, नगर प्रबंधन, क्षमता सृजन आदि पर अनेक सिफारिशें की गई।

(ग) और (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची-II की प्रविष्टि-5 के अनुसार नगर निगम, नगर सुधार न्यासों आदि सहित स्थानीय शासन राज्य का विषय है। इसके आलोक में शहरी स्थानीय निकायों में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करना राज्य सरकार का दायित्व है। इस प्रयोजन के लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई राशि निर्धारित नहीं की गई। तथापि, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय स्थानीय स्तर पर जरूरी शहरी क्षेत्र सुधारों को लाने के लिए अनेक उपाय कर रहा है जिसमें राज्य सरकारों को जारी निम्नलिखित दिशानिर्देश शामिल हैं :-

1. संपत्ति कर सुधारों के दिशानिर्देश।
2. ''शहरी विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन'' शीर्षक से दिशानिर्देश जिसमें वित्तीय संसाधन जुटाने के अभिनव तरीके शामिल हैं।
3. कर मुक्त म्युनिसिपल बांड के विनियमन के लिए दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त के अलावा, स्थानीय शहरी निकायों को कर मुक्त म्युनिसिपल बांड जारी करने की अनुमति देने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन के द्वारा वर्ष 2000-2001 के केन्द्रीय बजट में वित्तीय प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही आवास निर्माण, वाणिज्यक परिसरों, होटलों, सैरगाहों (रिसोर्टस), और सड़कों तथा पुलों, द्रुत परिवहन प्रणाली जैसी नगर व क्षेत्र स्तर की शहरी अवस्थापना सुविधाओं व भवन सामग्रियों के निर्माण सहित संलग्न नगर बस्तियों के विकास के लिए 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति दी गई है।

मंत्रालय के विषय के रूप में मुद्रण और लेखन सामग्री

1381. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रण और लेखन सामग्री उनके मंत्रालय का विषय है;

(ख) यदि हां, तो उक्त के संबंध में 14.7.1981 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। दिनांक 6.9.2001 तक तथा संशोधित भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार, सरकारी प्रकाशनों सहित भारत सरकार के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण, इस कार्यालय को आबंटित विषय हैं।

(ख) और (ग) जनता को आवश्यक वस्तुएं और सेवायें अत्यंत किफायती और प्रतियोगी कीमतों पर उपलब्ध कराना सहकारी आंदोलन का एक उद्देश्य है। तत्कालीन सहकारिता विभाग ने 1968 के दिशानिर्देश जारी किए थे कि सरकारी कार्यालयों को अपनी जरूरत की सामग्री की खरीददारी सहकारी उपभोक्ता भंडारों से करनी चाहिए। बाद में सहकारिता विभाग ने 1972 में एक और परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि उपभोक्ता सहकारितायें विशेषत: विभागीय भंडार, जिन्हें सरकार से बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता मिलती है और सहकारी भंडार पंजीकार और राज्य सरकारों के कानूनी प्रावधानों और नियंत्रणों के अधीन होते हैं, उपभोक्ता सामान की उचित कीमतों पर आपूर्ति के लिए अत्यंत उपयुक्त एजेंसी है। इन परिपत्र के अनुसरण में ही कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 14 जुलाई 1981 का कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। ऐसा वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) और तत्कालीन निर्माण और आवास मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग के परामर्श से किया गया था।

सीमा पर निगरानी

1382. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी सीमाओं से घुसपैठ केवल तार-बाड़ से नहीं रोकी जा सकती;

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था को और कारगर बनाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक निगरानी प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) मंत्रियों के ग्रुप ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार' पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हालांकि, सीमा पर बाड़ के निर्माण से सीमा पार से घुसपैठ को रोकने में मदद मिली है, फिर भी यह सीमा के सफल और कारगर प्रबंधन में बाधा डालने वाली सभी समस्याओं के लिए रामबाण नहीं है। उन्होंने सिफारिश की है कि बेहतर सीमा प्रबंधन हेतु रणनीति तैयार करते समय, उच्च प्रौद्योगिकी प्रणालियों और उपकरणों जैसे कि इलैक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के व्यापक इस्तेमाल सहित विभिन्न प्रकार के उपायों को शामिल करके एक समग्र दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर संबंधी सर्वेक्षण

1383. श्री बीर सिंह महतो :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण गरीबी परिवारों की संख्या और उनके जीवन स्तर का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाने का है;

(घ) क्या सरकार को गामीण गरीबी परिवारों की समस्याओं के संबंध में कोई रिपोर्ट मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) पांच वर्षों में एक बार, देश में उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण कराता है। योजना आयोग द्वारा इन सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़े/जानकारी का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। उड़ीसा और प० बंगाल सहित, 1999-2000 (नवीनतम उपलब्ध) के आकलन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के ब्यौरे, विवरण में दिए गए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का पता लगाने के लिए बी.पी.एल. जनगणना भी कराता है। नवीनतम बी.पी.एल. जनगणना 1997-98 में कराई गई थी। अगली बी.पी.एल. जनगणना वर्ष 2002 के दौरान कराई जानी है।

(घ) से (च) कुछ राज्य सरकारों ने उन बी.पी.एल. परिवारों को शामिल करने का अनुरोध किया है जिन्हें बी.पी.एल. जनगणना 1997 के दौरान शामिल नहीं किया गया था। मंत्रालय ने वर्ष 2002 में कराए जाने वाले अगले बी.पी.एल. जनगणना में बी.पी.एल. परिवारों का पता लगाने के लिए मानदंड की सिफारिश करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह गठित करने का निर्णय किया है।

विवरण

राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या 1999-2000

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण जनसंख्या 1999-2000	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	58.13	11.05

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.80	40.04
3.	असम	92.17	40.04
4.	बिहार	376.51	44.30
5.	गोवा	0.11	1.35
6.	गुजरात	39.80	13.17
7.	हरियाणा	11.94	8.27
8.	हिमाचल प्रदेश	4.84	7.94
9.	जम्मू और कश्मीर	2.97	3.97
10.	कर्नाटक	59.91	17.38
11.	केरल	20.97	9.38
12.	मध्य प्रदेश	217.32	37.06
13.	महाराष्ट्र	125.12	23.72
14.	मणिपुर	6.53	40.04
15.	मेघालय	7.89	40.04
16.	मिजोरम	1.40	40.04
17.	नागालैंड	5.21	40.04
18.	उड़ीसा	143.69	48.01
19.	पंजाब	10.20	6.35
20.	राजस्थान	55.06	13.74
21.	सिक्किम	2.00	40.04
22.	तमिलनाडु	80.51	20.55
23.	त्रिपुरा	12.53	40.04
24.	उत्तर प्रदेश	412.01	31.22
25.	पश्चिम बंगाल	180.11	31.85
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.58	20.55
27.	चण्डीगढ़	0.06	5.75
28.	दादर व नगर हवेली	0.30	17.57
29.	दमन व दीव	0.01	1.35
30.	दिल्ली	0.07	0.40
31.	लक्षद्वीप	0.03	9.38
32.	पांडिचेरी	0.64	20.55
	कुल	1932.43	27.09

टिप्पणी :

1. असम का गरीबी अनुपात सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड व त्रिपुरा के लिए प्रयुक्त होता है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा गोवा का व्यय वितरण गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
3. हिमाच प्रदेश की गरीबी रेखा और जम्मू व कश्मीर का व्यय वितरण जम्मू-कश्मीर के गरीबी अनुपात को अनुमानित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
4. तमिलनाडु का गरीबी अनुपात पांडिचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप के लिए उपयोग किया जाता है।
5. पंजाब का शहरी गरीब अनुपात चंडीगढ़ के ग्रामीण व शहरी दोनों गरीबी के लिए उपयोग किया जाता है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा व नगर हवेली का व्यय वितरण का उपयोग दादरा व नगर हवेली के अनुपात के निर्धारण के लिए किया जाता है।
7. गोवा की गरीबी अनुपात का उपयोग दमन व दीव के लिए किया जाता है।
8. केरल की गरीबी अनुपात का उपयोग लक्षद्वीप के लिए किया जाता है।

[अनुवाद]

फार्म हाउसों में अनधिकृत निर्माण

1384. **श्री रामजी मांझी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 7.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2335 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी फार्म हाउसों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक गांव-वार कितने फार्म हाउसों का सर्वेक्षण किया जायेगा; और

(घ) ऐसे फार्म हाउसों की संख्या कितनी है जिनमें सर्वेक्षणकर्ताओं ने अनधिकृत निर्माण का पता लगाया है ओर सरकार द्वारा जिले-वार/गांव-वार उन्हें गिराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि 2284 स्वीकृत किये गये फार्म हाउसों का सर्वेक्षण किया गया है। इनमें से 600 प्लाटों पर कोई निर्माण नहीं किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि विकास क्षेत्र में 407 स्वीकृत फार्महाउसों का सर्वेक्षण किया गया है और इनमें से 115 प्लॉट खाली हैं।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने 1505 मामलों में स्वीकृत योजना के उल्लंघन के बारे में सूचित किया है जहां चौड़ा करने के लिए भूमि नहीं छोड़ी गयी है या निर्माण अनुमत्य सीमा से अधिक किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षित फार्महाउसों में से 250 मामलों में स्वीकृत योजना का उल्लंघन हुआ है।

दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियमों और नियमों के तहत गैर कानूनी निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। दिल्ली नगर निगम ने 175 मामलों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 250 मामलों में पहले ही नोटिस जारी किया है।

आई०डी०एस०एम०टी० योजना के अन्तर्गत शहरों/कस्बों की पहचान

1385. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई०डी०एस०एम०टी० योजना के अन्तर्गत दसवीं योजना के दौरान शहरों/कस्बों के समेकित विकास हेतु पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरों के विकास हेतु राज्य-वार कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। दसवीं योजना के दस्तावेज को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

1386. **श्री निखिलानन्द सर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की योग्यता के उन्नयन, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण, अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त निगम के लिए जी.आई.ए., अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना, बुक बैंक योजना, बालक छात्रावासों, बालिका छात्रावासों और आश्रम पाठशालाओं जैसी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्यों को आवंटित निधियों का मानदंड क्या है और उसमें केन्द्रीय अंश कितना है;

(ग) क्या इन निधियों को राज्यों को शतप्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है या योजना सहायता के लिए प्राय: 70/30 (ऋण/अनुदान) सूत्र का इसमें भी अनुकरण किया जाता है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों, जारी निधियों और उनके उपयोग का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें, राज्यों को प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवंटित किए जाने के लिए मानदंड तथा तदनुरूप केन्द्रीय अंश तथा निधियों के स्वरूप को इस मंत्रालय की 2000-01 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जाएगी।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'नाबार्ड' द्वारा ऋणों को वितरण

1387. **श्री बहादुर सिंह : क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 'नाबार्ड' द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वीकृत और वितरित ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान म्युचुअल फंड और वित्तीय संस्थानों द्वारा राज्यों को प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उक्त संस्थानों ने ऋण/सहायता प्रदान की है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) नाबार्ड वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को ऋण लेने वालों को आगे ऋण देने के लिए पुनः वित्त सहायता प्रदान करता है। नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (आर.आई.डी.एफ.) से राज्यों को ऋण प्रदान करता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को प्रदान की गई पुनः वित्तीय सहायता और ऋणों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जिन परियोजनाओं के लिए नाबार्ड ने आर आई डी एफ से ऋण दिया वे हैं :- ग्रामीण पुल, ग्रामीण सड़क लघु पन बिजली परियोजनाएं, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, पशु पालन, जन स्वास्थ्य, रबड़ वृक्षारोपन, सहकारी भण्डार, मार्किट यार्डस/गोदाम, प्राथमिक विद्यालय, जल आपूर्ति इत्यादि।

(ख) और (ग) जहां तक वित्तीय संस्थानों और म्यूचल फंडों द्वारा दी गई सहायता का संबंध है, सूचना विभिन्न स्रोतों से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान सितम्बर, 2001-02 तक आर.आर.बी और सहकारी बैंकों को अल्पावधि ऋण के अंतर्गत दी गई पुनः वित सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(रुपये करोड़ों में)

क्र. सं.	राज्य	राज्यों द्वारा निकाली गई राशि
1	2	3
1.	असम	3.20
2.	मेघालय	9.41
3.	त्रिपुरा	20.20
4.	सिक्किम	1.76
5.	मणिपुर	18.37
6.	नागालैंड	8.34
	कुल	61.28

गत तीन वर्षों के लिए निवेश ऋण के अंतर्गत सभी एजेंसियों को पुनः वित्त संवितरण का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ों में)

क्र. सं.	राज्य	संवितरण
1.	अरुणाचल प्रदेश	16.68
2.	असम	245.82
3.	मेघालय	29.00
4.	त्रिपुरा	62.65
5.	मणिपुर	7.15
6.	नागालैंड	6.44
7.	मिजोरम	14.96
	कुल	382.70

वर्ष 1998-99 से 2001-2002 के दौरान (30.9.2001 की स्थिति के अनुसार) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एसएचजी को बांटा गया बैंक ऋण और नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई पुनः वित्त सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ों में)

क्र. सं.	राज्य	बैंक ऋण	दी गई पुनः वित्त सहायता
1	2	3	4
1.	असम	0.499	0.231
2.	मेघालय	0.274	0.090

1	2	3	4
3.	त्रिपुरा	0.019	0.005
4.	सिक्किम	0.040	0.040
5.	मणिपुर	0.081	0.040
	कुल	0.913	0.406

वर्ष 1998-99 अवधि के लिए 16.11.2001 तक राज्य-वार स्वीकृतियां और संवितरण

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृति	संवितरण
1.	अरुणाचल प्रदेश	113.60	33.56
2.	असम	310.43	169.67
3.	मेघालय	74.92	25.29
4.	त्रिपुरा	102.11	12.21
5.	सिक्किम	34.56	18.84
6.	मणिपुर	8.33	0.00
7.	नागालैंड	78.73	14.87
8.	मिजोरम	57.93	20.57
	कुल	780.61	295.01

[अनुवाद]

शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अवशेष धनराशि

1388. **श्री महबूब जहेदी :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों के शेयर के अन्तर्गत जारी 2039.89 करोड़ की निधियों में से 31 मार्च, 2000 की तिथि के अनुसार 645.98 करोड़ रुपये की राशि का व्यय नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राज्यों में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 910 योजनाओं पर 6.02 करोड़ रुपये का व्यय करके उन्हें अधर में छोड़ दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन दोनों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय शहरी बेरोजगारों तथा अल्परोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सभी पूर्ववर्ती शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों (यूपीए) को मिलाकर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएस आरवाई) नामक एक एकीकृत केन्द्र प्रायोजित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम दिनांक 1.12.97 से कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का वित्तपोषण केन्द्र और राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जाता है। दिनांक 1 दिसम्बर, 1997 से 31, मार्च, 2000 तक एस जे एस आर वाई के तहत राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को 375.87 करोड़ रुपए की केन्द्रीय धनराशि जारी की गई थी। राज्यों ने इसी अवधि के लिए 69.47 करोड़ रुपए के अपने अंश को जारी किये जाने के बारे में बताया है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा पूर्ववर्ती शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में से 543.42 करोड़ रुपये (अनंतिम) की अप्रयुक्त राशि होने के बारे में भी बताया है। इस प्रकार 988.76 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध धनराशि में से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने 31 मार्च, 2000 तक अपने पास 582.43 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने के बारे में बताया था।

(ख) और (ग) जी, नहीं। एस जे एस आर वाई एक चालू स्कीम है।

(घ) इस स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। सरकार (1) तिमाही प्रगति रिपोर्टों, (2) फील्ड दौरों तथा (3) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ मंत्री/सचिव स्तर की समीक्षा बैठकों के द्वारा स्कीम की मानीटरिंग कर रही है।

मेगा शहरों के अवसंरचनात्मक विकास हेतु निधियां

1389. **श्री सुबोध राय :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने शीर्षस्थ एजेन्सियों को मेगा शहरों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए निधियां स्वीकृत और जारी की थीं लेकिन इन एजेन्सियों ने इस प्रयोजन हेतु परिगामी निधियों

की स्थापना नहीं की और निर्धारित तरीके से कार्य संचालन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 1999-2000 के अंत तक शीर्षस्थ एजेन्सियों के पास उक्त योजना के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में धन अधिशेष पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) यह सच है कि इस मंत्रालय ने मेगा सिटी स्कीम के तहत नोडल एजेंसियों के लिए धनराशि स्वीकृत और जारी की थी। आवर्ती कोष की स्थापना कर दी गई है। सभी नोडल एजेंसियां सामान्यत: दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ही इस स्कीम के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति दे रही है।

(ख) और (ग) यह सही है कि कुछ धनराशि कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई धनराशि के कारण अव्ययित रही है जो परियोजनाओं की प्रगति पर निर्भर करता है। राज्य सरकारों/नोडल एजेंसियों से कार्यान्वयन एजेंसियों को ठीक करने तथा मौजूदा मॉनीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है।

जल संसाधनों के विकास हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

1390. श्री मोहन रावले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जल संसाधनों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार, गैर-सरकारी संगठन-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन संगठनों द्वारा निधियों का उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार/झारखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं

1391. श्री राजो सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में बिहार और झारखण्ड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 'कपार्ट' द्वारा प्राप्त और स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को आबंटित और जारी राशि का राज्य-वार और स्वैच्छिक संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है;

(घ) प्रत्येक राज्य में इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकारियों की सांठगांठ के कारण इन योजनाओं को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका है;

(च) क्या तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच करवाई गई है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित अकुशल श्रमिकों की मजदूरी/व्यय

1392. श्री अनिल बसु : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं में प्रशासनिक/अन्य संचालन व्ययों और अकुशल श्रमिकों की मजदूरी को क्रमश: 5 और 40 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्रशासनिक व्यय मानदंडों से अधिक और मजदूरी पर व्यय का प्रतिशत बहुत कम होने के कारण रोजगार सृजन में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं विशेषकर जब योजना का मूल उद्देश्य रोजगार सृजन है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कुछ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा दादर एवं नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और सिक्किम में मानदण्डों (कुल आवंटन के 5%) से अधिक प्रशासनिक व्यय किया था। सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) स्कीम के तहत बनाये गये मानदण्डों/दिशानिर्देशों का पालन कड़ाई से करें।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा

1393. डा० जसवंत सिंह यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 17 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हो पाई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) देश में स्थित 17 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्राप्त हुआ है। इन क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की राज्य-वार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) किसी संस्था को सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करना एक सांविधिक प्रक्रिया है जिसके लिए कई शर्तों को पूरा करना होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 14 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी सिफारिश भेज दी है। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपने संगम ज्ञापन और नियमों में परिवर्तन करने के बाद ही सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाएगा।

विवरण

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की राज्य-वार सूची

क्रमांक	संस्थाओं के नाम
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, वारंगल
2.	असम क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सिल्चर
3.	गुजरात सरकार वल्लभभाई क्षेत्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज, सूरत
4.	हरियाणा क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र
5.	हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, हमीरपुर
6.	जम्मू और कश्मीर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, श्रीनगर
7.	झारखंड आर०आई०टी०, जमशेदपुर
8.	कर्नाटक कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सूरतकल
9.	केरल क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कालीकट
10.	मध्य प्रदेश मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
11.	महाराष्ट्र विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, नागपुर
12.	उड़ीसा क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राऊरकेला
13.	पंजाब डॉ० बी०आर० अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जालंधर

1	2
14.	राजस्थान क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर
15.	तमिलनाडु क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, तिरुचिरापल्ली
16.	उत्तर प्रदेश मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, इलाहाबाद
17.	पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, दुर्गापुर

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अभियंताओं की संख्या

1394. डा० संजय पासवान : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सिविल और इलैक्ट्रिकल में कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता और अवर महानिदेशक, प्रथम और द्वितीय संवर्ग समीक्षा के पहले और बाद कितने हैं;

(ख) क्या तृतीय संवर्ग समीक्षा का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सिविल और इलैक्ट्रिकल (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में) दोनों में ही कितने कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता इस समय नियमित आधार पर कार्यरत हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर विचाराधीन है।

(घ) इंजीनियर।

	वर्तमान संख्या	
	सिविल	वैद्युत
कार्यपालक इंजीनियर (ई ई)	377	148
सहायक इंजीनियर (ए ई)	1768	682
कनिष्ठ इंजीनियर (जे ई)	2224	1001

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित अभियंता भी परियोजना पदों पर कार्यरत हैं :-

सहायक ईंजीनियर (सिविल)	—	137
सहायक इंजीनियर (वैद्युत)	—	66
कनिष्ठ इंजीनियर (वैद्युत)	—	21

विवरण

इंजीनियरी सेवाओं की पहली और दूसरी संवर्ग समीक्षा के पहले और बाद में के०लो०नि०वि० में इंजिनियरों की स्वीकृत संख्या (परियोजना पदों को छोड़कर)

क्र. सं.	पदनाम	पहली संवर्ग समीक्षा के पहले तथा बाद की संख्या				दूसरी संवर्ग समीक्षा के पहले तथा बाद की संख्या			
		पहले		बाद में		पहले		बाद में	
		सिविल	वैद्युत	सिविल	वैद्युत	सिविल	वैद्युत	सिविल	वैद्युत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अपर महानिदेशक	—	—	2*	—	2*	—	6*	—
2.	मुख्य इंजीनियर	23	2	26	4	26	4	40	7
3.	अधीक्षण इंजीनियर	71	18	93	24	93	24	130	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	कार्यपालक इंजीनियर	351	92	392	111	392	111	494	156
5.	सहायक इंजीनियर	1619	628	1586	610	1586	610	1768	682
6.	कनिष्ठ इंजीनियर	3215	1331	3215	1331	3215	1331	2407	1001

* ये पद सिविल और वैद्युत दोनों के लिए हैं। दूसरी संवर्ग समीक्षा के बाद अपर महानिदेशक के दो और पद सृजित किये गए हैं तथा इस ग्रेड में इंजीनियरों की वर्तमान संख्या 8 है।

राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए निधियों का उपयोग

1395. **श्री सुबोध मोहिते : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें ग्रामीण विकास के लिए प्रदान की गई निधियों के उपयोग में असफल हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र सरकार के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उन राज्यों को अगली किस्तों को रोकने का है जो कि निधियों का उपयोग करने में असफल रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा निधियों के उचित और समय पर उपयोग के लिए क्या अन्य वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) वर्ष 2000-01 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उनके पास उपलब्ध 15552.32 करोड़ रु० की तुलना में 12047.53 करोड़ रु० के उपयोग की सूचना दी जो 77.46 प्रतिशत है। अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 2000-01 के दौरान महाराष्ट्र में उनके पास उपलब्ध 1447.15 करोड़ रु० की तुलना में निधियों का उपयोग 1327.99 करोड़ रु० था जो 91.76 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार दो किस्तों में निधियां जारी करती है। कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों में से राज्य/जिला द्वारा 60 प्रतिशत का उपयोग कर लिए जाने के बाद ही दूसरी किस्त जारी की जाती है। निधियों की रिलीज के लिए प्रस्तावों पर विचार करते समय लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा उपयोग प्रमाणपत्रों पर जोर दिया जाता है। दिसम्बर के बाद दूसरी किस्त के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्यों को जारी की जाने वाली निधियों में कटौतियां की जाती हैं। अगर प्रस्ताव जनवरी में प्राप्त होते हैं तो दूसरी किस्त पर 10 प्रतिशत की कटौती की जाती है। अगर प्रस्ताव फरवरी में प्राप्त होते हैं, तो 20 प्रतिशत तथा अगर प्रस्ताव मार्च में प्राप्त होते हैं, तो 30 प्रतिशत की कटौती की जाती है। एक वर्ष से दूसरे वर्ष ले जाई जाने वाली निधियों की सीमा को 1998-99 के दौरान 25 प्रतिशत से घटाकर 1999-2000 के दौरान 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इसे 1.4.2000 से और घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर उपयोग की समीक्षा की जाती है। मंत्री (ग्रामीण विकास) स्वयं राज्यों का दौरा कर रहे हैं तथा योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति तथा निधियों के उपयोग की समीक्षा कर रहे हैं। राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी निधियों के बेहतर उपयोग तथा प्रगति को बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने चौमुखी प्रणाली अपनाई है जिसमें (1) योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करना (2) पारदर्शिता (3) जन भागीदारी और (4) उत्तरदायित्व-सामाजिक लेखा परीक्षा शामिल है।

इनके अलावा मंत्रालय ने निम्नलिखित तंत्रों के जरिए निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली भी बनाई है :-

- आवधिक प्रगति रिपोर्टें
- क्षेत्र अधिकारियों की योजना
- राज्य तथा केन्द्र सरकार के अधिकारियों, मंत्रियों आदि द्वारा क्षेत्रों का दौरा
- ग्रामीण विकास के राज्य सचिवों तथा डी.आर.डी.ए. के परियोजना निदेशकों के सम्मेलन
- राज्य स्तरीय समन्वय समितियां (एस.एल.सी.सी.), निष्पादन समीक्षा समिति आदि जैसी समितियां
- समवर्ती/तीव्र मूल्यांकन
- प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन

[हिन्दी]

ट्राइबल कॉपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए कार्य

1396. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर जम्मू और कश्मीर में ट्राइब्ल कॉपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए कार्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान फेडेरेशन द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) ट्राइफेड के कार्य-निष्पादन का राज्यवार विस्तृत ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। तथापि, ट्राइफेड ने जम्मू व कश्मीर राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान कोई विपणन कार्यकलाप आरंभ नहीं किया है।

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ट्राइफेड द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान ट्राइफेड द्वारा की गई राज्यवार अधिप्राप्ति

मात्रा मीट्रिक टन में

मूल्य रु० लाख में

राज्य	अधिप्राप्ति 1998-99		अधिप्राप्ति 1999-2000		अधिप्राप्ति 2000-01	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
गुजरात	296.24	63.95	1940.52	295.70	906.99	33.76
उड़ीसा	1500.46	80.04	3103.57	196.44	1679.30	148.17
मध्य प्रदेश	2244.71	258.97	11239.80	956.52	14724.28	1237.64
पश्चिम बंगाल	00.00	00.00	38.24	22.74	1848.37	69.20
उत्तर-पूर्वी राज्य	741.60	32.82	517.47	130.52	257.43	53.82
आंध्र प्रदेश	2520.12	354.16	10681.83	992.35	4942.07	621.87
छत्तीसगढ़ (बस्तर क्षेत्र)	6579.34	427.26	22601.18	1399.73	39551.60	2851.31
राजस्थान	3128.04	298.55	12581.04	1366.58	14156.40	1466.56
महाराष्ट्र	4513.30	397.41	3759.93	444.20	3808.01	1965.84
तमिलनाडु	228.46	17.46	335.58	133.44	66.79	6.04
झारखंड (बिहार)	8.67	2.61	512.95	32.77	1176.25	158.74
कर्नाटक	00.00	00.00	00.00	00.00	217.00	24.55
कुल योग	21760.95	1933.22	67312.11	5970.99	83335.29	8637.50

विवरण-II

वर्तमान वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान ट्राइफेड की अधिप्राप्ति योजना (राज्यवार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	लक्षित अधिप्राप्ति	
		मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (रु. लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	7863.08	1053.07
2.	बिहार	2800.00	366.00
3.	छत्तीसगढ़	22674.99	1229.06
4.	हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश	170.00	109.00
5.	गुजरात	2250.00	320.00
6.	उड़ीसा	2940.15	265.52
7.	मध्य प्रदेश	9029.16	843.86
8.	महाराष्ट्र	6310.70	800.38
9.	उत्तर-पूर्वी राज्य	842.32	292.83
10.	राजस्थान	9435.76	1107.50
11.	तमिलनाडु	170.00	175.60
12.	पश्चिम बंगाल	2063.00	251.17
	कुल	66549.15	6813.57

[अनुवाद]

लंबाड़ी जनजाति

1397. **डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के लंबाड़ी जनजाति के लोग विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य के इन लंबाड़ी जनजाति के लोगों का पुनर्वास करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में जलापूर्ति और मल-व्ययन परियोजनाएं

1398. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरों में पेयजल आपूर्ति और जल-मल व्ययन संबंधी परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने हेतु कोई ठोस उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अभिकरण ने इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) जलापूर्ति और सफाई राज्य का विषय है, अतः राज्यों के शहरों और कस्बों में जल आपूर्ति और सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों का दायित्व है।

जल आपूर्ति और कम लागत सफाई सुविधाएं उपजब्ध करने के राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने के लिए यह मंत्रालय 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों में (1991 की जनगणना के अनुसार) जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) और कम लागत सफाई योजना (एल सी एस) कार्यान्वित कर रहा है।

एयूडब्ल्यूएसपी के तहत अब तक आठ कस्बों के लिए 1407.29 लाख रुपए की अनुमानित लागत की जलापूर्ति योजनाएं

अनुमोदित की गई हैं और 455.42 लाख रु० (15.10.2001 तक) केन्द्रीय अंश के रूप में जारी किए गए हैं। एल सी एस के तहत पश्चिम बंगाल के 116 कस्बों को शामिल करते हुए 165.78 करोड़ रु० परियोजना लागत की 14 योजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिसमें 57.48 करोड़ रु० की ऋण राशि (आवास एवं नगर विकास निगम हडको द्वारा दी जाएगी) और 50.57 करोड़ रु० इमदाद (इस मंत्रालय द्वारा दी जाएगी) शामिल है। एल सी एस के तहत पश्चिम बंगाल को 38.33 करोड़ रु० इमदाद के रूप में और 22.71 करोड़ रु० ऋण के रूप में जारी किए गए हैं।

(ङ) और (च) जी, हां, कोलकाता जलापूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज परियोजना तैयार करने के लिए विश्व बैंक ने दिनांक 23.7.99 को 2.5 मिलियन अमरीकी डालर का अग्रिम दिया है। इस अग्रिम का उपयोग (i) परियोजना तैयार करने के लिए परामर्शदात्री सेवाओं और प्रशिक्षण: (ii) कम्प्यूटर और कार्यालय प्रौद्योगिकी उपकरण हासिल करने (iii) मुख्य सीवरों को साफ करने और पुन: चालू करने के प्रायोगिक कार्यों हेतु किया जा रहा है।

23.11.98 को हस्ताक्षर किए गए भारत-फ्रांस वित्तीय प्रोटोकॉल के अंतर्गत कोलकाता जलापूर्ति प्रणाली को प्रबंधन में सुधार हेतु 35,998,715 फ्रांसीसी फांकों (एफएफ) की फ्रांसीसी सहायता दी गई है। इस परियोजना के तहत पानी के मुख्य लाइनों का मानचित्रण, प्रवाह और दवाब के मानीटरिंग स्थलों को बनाने, पानी के मीटरों, जल प्रबन्धन साफ्टवेयर का कार्यान्वयन प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी अंतरण का कार्य किया जाएगा।

[अनुवाद]

ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कालोनियां

1399. **श्री अरुण कुमार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 28 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5226 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कालोनियों के पूरे मामले की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) दिल्ली में ग्राम सभा भूमि पर अवस्थित अवैध कालोनियों के नाम क्या हैं?

शहरी विकास और गरीबी उनशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

निजी आवासीय गृहों में तलों की संख्या

1400. **श्री नरेश पुगलिया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दिल्ली स्थित निजी आवासीय गृहों में बनाए जा सकने वाले तलों की संख्या की सीमा को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने और उसे कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के प्रावधान दिल्ली में सभी निर्माण/नियोजित विकास पर लागू हैं। दिल्ली में रिहायशी/प्लाटेड विकास के लिए भवन नियंत्रण मानदण्ड दिनांक 23.7.1998 और 7.6.2000 की सरकार की अधिसूचना के अनुसार होंगे।

सिक्किम विधानमंडल के लंबित विधेयक

1401. **श्री भीम दाहाल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लंबित पड़ी सिक्किम राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन विधेयकों को शीघ्र मंजूरी देने हेतु सिक्किम सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विधेयकों को कब तक मंजुरी दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) राज्य विधानमंडल द्वारा यथा पारित तथा सिक्किम के राज्यपाल के द्वारा सुरक्षित रखा गया एकमात्र विधेयक नामत: सिक्किम शिक्षा विधेयक, 2000 दिनांक 29.8.2001 को राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु इस मंत्रालय में प्राप्त हुआ था।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ) इस विधेयक की केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

1402. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय पोषण मिशन अस्तित्व में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक अस्तित्व में आने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) परामर्श प्रक्रिया द्वारा ब्यौरा तैयार किया जायेगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के संबंध में प्रधान मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए मंत्रिमण्डल हेतु नोट के प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवासों का निर्माण

1403. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्मित आवासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ इस अवधि में किए गए आवंटन को पर्याप्त समझा गया था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार आगामी बजट में आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) आवास राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार केवल सुविधाता न कि प्रदाता की भूमिका निभाती है। तथापि, इस मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, हडको समाज के कमजोर वर्ग के लिए आवास स्कीमों सहित अन्य आवास स्कीमों के लिए राज्य एजेंसियों को आवास वित्त मुहैया करता है। विगत तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हडको द्वारा स्वीकृत की गई ईडब्ल्यूएस रिहायशी इकाइयों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	स्वीकृत की गई ईडब्ल्यूएस रिहायशी इकाइयां
1998-99	33309
1999-2000	33884
2000-2001	24298

(ख) से (घ) आवास और शहरी विकास निगम लि० (हडको) मांग मूलक दृष्टिकोण पर आधारित आवास वित्त मुहैया करता है। राज्य एजेंसियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हडको से सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करना होता है।

दमन और दीव के शिक्षा विभाग में पदों का सृजन

1404. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 28 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1392 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन और दीव से अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा जारी वर्तमान मितव्ययिता सम्बन्धी अनुदेशों के मद्देनजर दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग हेतु पदों के सृजन के प्रस्ताव को फिलहाल आस्थगित कर दिया गया है।

कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति के बालकों/बालिकाओं के लिए छात्रावास

1405. श्री विनय कुमार सोराके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति के बालकों/बालिकाओं हेतु छात्रावासों की संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार के पास राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावास स्थापित करने संबंधी लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों हेतु धन का आवंटन और योजनाओं का अनुमोदन करने की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) वर्ष 1990-91 से अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 13 छात्रावास लड़कों के और 6 छात्रावास लड़कियों के कर्नाटक राज्य सरकार को मंजूर किए गए हैं।

(ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ष 2001-2002 में 9 छात्रावास लड़कों के छात्रावासों और 2 लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कारंवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। संबंधित योजनाओं में प्रावधानों के अनुसार धनराशि का आवंटन पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किया जाता है।

जम्मू-कश्मीर में ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस का संघर्ष-विराम

1406. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस का विचार जम्मू-कश्मीर में संघर्ष विराम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) सरकार को ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

फेरीवालों/सड़क पर पटरी लगाने वालों/ रिक्शा चालकों के लिए नीति

1407. **श्री पवन कुमार बंसल** :
श्रीमती रेणुका चौधरी :
डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फेरी वालों, सड़क पर पटरी लगाने वालों और रिक्शा चालकों के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी को कम करने और फेरीवालों और रिक्शा चालकों का औपचारिक अर्थव्यवस्था में समाकलन करने को सरल बनाने हेतु फेरी लगाने और रिक्शा चालन को वैध पेशे के रूप मान्यता देते हुए लाइसेंस की आवश्यकता को खत्म करने के लिए फेरीवालों और रिक्शा चालकों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली में नीति संबंधी सुधारों को लागू करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में नीति संबंधी संशोधन और इसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रिक्शा चालकों और फेरीवालों को लाइसेंसिंग प्राधिकरण, कानून के प्रवर्तकों और पुलिस के उत्पीड़न और शोषण से बचाने के लिए इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इससे स्वरोजगार के राज्यवार कितने अवसर सृजित होने की सभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने हाल ही में फेरीवालों/पटरीवालों के लिए एक नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है ताकि उनकी समस्याओं को कम किया जा सके। इस संबंध में पटरी लगाने पर विनियमन के लिए पटरीवालों और फेरीवालों पर व्यापक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में पटरीवालों पर एक कार्य दल पहले ही कार्य कर रहा है। कार्य दल की बैठक में सभी राज्यों को यह सूचित करने का निर्णय लिया गया था कि पटरी लगाने को एक वैध व्यवसाय माना जाए जिसे गरीबी को कम करने में मदद

मिलेगी और औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनका सहयोग में सुविधा मिलेगी। कार्य दल की बैठक के कार्यवृत्त सभी राज्यों को परिचालित कर दिए गए थे।

कार्य दल की सिफारिश अनुसार सभी राज्य सरकारों को आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए कहा गया था, विशेषकर के लाइसेंस और परिपालन प्राधिकरणों को पटरीवालों/फेरीवालों के लिए नीति को अंतिम रूप दिये जाने तक पटरी वालों के खिलाफ किसी भी दण्डात्मक कार्रवाई को स्थागित रखने के लिए कहा गया था।

इंजीनियरिंग कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटें

1408. श्री विष्णु पद राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों की मंत्रालय के अधिकार में उपलब्ध सीटों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रतिवर्ष उनमें से उपयोग की गई सीटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन क्षेत्रों में, जहां कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, सीटों का आबंटन करने संबंधी दिशानिर्देश और उक्त सुदूर क्षेत्रों द्वारा आबंटित सीटों को प्राप्त करने हेतु पूरी की जाने वाली औपचारिकताएं क्या हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए आबंटित सीटों का पाठ्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सचिव (शिक्षा) द्वारा यथा-प्रस्तावित, अंडमान और निकोबार प्रशासन को और सीटों का आबंटन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाठ्यक्रम-वार कितनी सीटें आबंटित की जाएंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के विनियमों के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक निःशुल्क और एक भुगतान वाली सीट ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित करने के लिए इस मंत्रालय के पास उपलब्ध है जिनके पास इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण की सुविधाओं की कमी है अथवा जिनके पास विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना की कमी है। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटें जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं। सीटों का उपयोग वर्ष दर वर्ष भिन्न-भिन्न होता है।

(घ) से (च) विगत दो वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को किया गया पाठ्यक्रम-वार सीटों का आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। और अधिक सीटों के आबंटन के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है।

विवरण

शैक्षिक सत्र 2000-01 एवं 2001-02 के लिये डिग्री स्तर पर आरक्षित सीटें

लाभग्राही : अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

पाठ्यक्रम	अन्य इंजीनियरी कॉलेजों में आबंटित कुल सीटें	क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों में आबंटित कुल सीटें
वास्तुकला (ई)	4	
सिविल (ई)	10	4
कम्प्यूटर एस/टी/ई	10	3
इलेक्ट्रीकल ई	10	3
इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स ई/टी	4	
इलेक्ट्रोनिक्स ई	8	
अप्लाईड इलेक्ट्रोनिक्स	2	
इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्युनिकेशन ई	10	6
इन्स्ट्रूमेंटेशन एवं कन्ट्रोल ई/टी	5	
मेकेनिकल ई	8	2
मेटिरियलॉजी		1
फार्मेसी	5	
टेक्सटाइल		1
खनन		1
सूचना प्रौद्योगिकी		4
कुल योग	76	25

ई : इंजीनियरिंग; एस : साईंस; टी : टैक्नोलॉजी

जनशिक्षण संस्थान

1409. श्री सवशीभाई मकवाना :
डा० ए०डी०के० जयशीलन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जनशिक्षण संस्थानों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उस प्राधिकरण का ब्यौरा क्या है जिसके अन्तर्गत ये कार्य कर रही हैं;

(घ) इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान गठित किए जाने वाले जनशिक्षण संस्थानों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक संस्वीकृत जनशिक्षण संस्थानों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार और स्थानवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जनशिक्षण संस्थान पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के रूप में कार्य करते हैं और इसके कार्य भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रबंध बोर्ड द्वारा संचालित होते हैं।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान जनशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लाभार्थियों की संख्या 1,81,766 थी।

(ङ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध स्लाटों और समानतापूर्ण न्याय के आधार पर संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2001-02 के दौरान 16 नए जनशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की संभावना है।

विवरण

जनशिक्षण संस्थानों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा स्थानवार सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जनशिक्षण संस्थानों की स्थानवार स्थिति
1	2
आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद
	2. गुंटूर
	3. विशाखापटनम
	4. विजयवाड़ा
	5. रंगारेड्डी
	6. काकीनाडा
	7. ओंगोले
	8. तिरूपति
असम	
	9. सिल्चर
बिहार	
	10. गया
	11. पटना
	12. दरभंगा
छत्तीसगढ़	
	13. रायपुर
दिल्ली	
	14. आर.के. पुरम, नई दिल्ली
	15. जहांगीरपुरी, दिल्ली
गोवा	
	16. पारवारी
गुजरात	
	17. अहमदाबाद
	18. सूरत
	19. वडोदरा
	20. भरूच
हरियाणा	
	21. फरीदाबाद
	22. सिरसा
	23. सोनीपत

1	2
जम्मू व कश्मीर	
	24. जम्मू
झारखंड	
	25. जमशेदपुर
	26. धनबाद
कर्नाटक	
	27. बंगलौर
	28. मैसूर
	29. टुमकुर
	30. कारवाड़
	31. रायचूर
	32. शिमोगा
	33. कोल्लार
केरल	
	34. तिरुवनन्तपुरम
	35. कालीकट
	36. त्रिशूर
	37. कोट्टायम
मध्य प्रदेश	
	38. इन्दौर
	39. सतना
	40. उज्जैन
	41. ग्वालियर
	42. रतलाम
	43. भोपाल
	44. गुना
	45. मुरैना

1	2
	46. भिण्ड
महाराष्ट्र	
	47. वर्ली (मुंबई)
	48. नागपुर
	49. धारावी (मुंबई)
	50. औरंगाबाद
	51. पुणे
	52. कोल्हापुर
	53. नाशिक
	54. सिंधुदुर्ग
उड़ीसा	
	55. राउरकेला
	56. कटक
	57. भुवनेश्वर
	58. क्योंझर
	59. अंगूल
पंजाब	
	60. मोहाली
राजस्थान	
	61. अजमेर
	62. कोटा
	63. जयपुर
	64. जोधपुर
	65. बीकानेर
तमिलनाडु	
	66. चेन्नई
	67. कोयम्बटूर

1	2
	68. मदुरई
	69. तिरुचिरापल्ली
	70. रामनाथपुरम
उत्तर प्रदेश	
	71. कानपुर
	72. लखनऊ
	73. गाजियाबाद
	74. फैजाबाद
	75. नारायणपुर (वाराणसी)
	76. वाराणसी
	77. उन्नाव
	78. इलाहाबाद (भारतीय विकास अध्ययन और अनुसंधान संस्थान)
	79. इलाहाबाद (डा. अम्बेडकर कल्याण सोसायटी)
	80. बस्ती
	81. अम्बेडकर नगर
	82. सुल्तानपुर
	83. जौनपुर
	84. प्रतापगढ़
	85. बाराबंकी
	86. गोंडा
	87. बांदा
पश्चिम बंगाल	
	88. कलकत्ता
	89. नरेन्द्रपुर
	90. हल्दिया
	91. जलपाईगुड़ी
संघ राज्य क्षेत्र	
चंडीगढ़	
	92. चंडीगढ़

विषाक्त जैविक कारकों का प्रयोग

1410. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक अवयव से दूसरे आनुवंशिक रूप से संशोधित अवयव में जीन को स्थापित करने में उपयोग किए जाने वाले रोगाणु वाहक बड़े ही संक्रामक और विषाक्त जैविक कारक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नूतन जीवन मंच तैयार करने में विषाक्त कारकों के प्रयोग से होने वाले खतरे का अनुमान लगाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो जैव-सुरक्षा नेटवर्क को तैयार करना संभव है क्योंकि जैव-आतंकवाद के लिए इनका प्रगोग आसान हो जाता है क्योंकि यह पूरे विश्व में व्यावसायिक रूप से फैलते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (घ) एक अवयव से दूसरे में जीनों को स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रोगाणु वाहक विषाक्त अथवा संक्रामक नहीं हैं। एक आनुवंशिक रूप से संशोधित अवयव (जी एम ओ) का सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षण अपेक्षित होता है। पर्यावरण में किसी जी एम ओ को लाने से पूर्व प्रत्येक मामले का विश्लेषण किया जाता है। भारतीय विनियामक प्रणाली जी एम ओ के संबंध में पारदर्शी है। सभी प्रयोगों को त्रिस्तरीय विनियामक प्रक्रिया से गुजरना होता है। तीन स्तरीय प्रणाली में शामिल हैं: संस्थान/कम्पनी में, जहां अनुसंधान कार्य किया जाता है अथवा पराजीनी सामग्री विकसित की जाती है, एक संस्थानात्मक जैवसुरक्षा समिति (आई बी एस सी) का सृजन: बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा आनुवंशिक परिचालन पर समीक्षा समिति (आर सी जी एम) जो एक केन्द्रीय समिति है : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में आनुवंशिक

इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जी ई ए सी) जो एक विधि निकाय है और यह आनुवंशिक रूप से संशोधित अवयवों एवं उत्पादों के सभी पहलुओं को देखती हैं।ये संरचनाएं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत स्थापित की गई हैं। स्थल पर ही मानिटरिंग करने के लिए मानिटरिंग एवं मूल्यांकन समितियां (एम ई सी) भी है। परीक्षण एवं मूल्यांकन में विभिन्न वैज्ञानिक अभिकरणों से विस्तृत अवसंरचना एवं विशेषज्ञता का प्रयोग किया जाता है।

गैर-सरकारी संगठनों को दिए जाने वाले धन के संवितरण में अनियमितताएं

1411. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उनके मंत्रालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'एन०जी०ओस० लेटर टू दी पी एम कम्प्लेंट्स ऑफ करप्शन-ट्राईबल वेल्फेयर बोगन्स विथ ए कट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें दिए गए तथ्य क्या हैं और कथित भ्रष्टाचार पर सरकार की क्या प्रतिकिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय परियोजनाओं को मंजूर करता है तथा आवेदन प्रस्तुत करने, राज्य सरकार की निरीक्षण रिपोर्ट, परीक्षित लेखे आदि जैसी अनुदान की निर्मुक्ति के लिए अपेक्षाओं के पूर्ण होने के अध्यधीन गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान निर्मुक्त करता है। श्री एम.के. प्रधान ने 1.11.99 से दिसंबर, 2000 तक मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में कार्य किया। मंत्री के साथ उनकी सेवा अवधि के दौरान मंत्रालय में किसी भ्रष्ट कार्य में उनके लिप्त होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसायटी, कोरापुट ने सवप्रेरणा से लिखकर पुष्टि की है कि उनको शामिल करने के आरोप पूर्णतः आधारहीन और असत्य हैं। किसी प्राइवेट व्यक्ति को किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, कोरापुट 'न्याय सहायक समिति' कोरापुट संगठन को निर्मुक्त की गई धनराशि के दुरुपयोग के बारे में मंत्री के ध्यान में लाए और जांच की मांग की।

शक्ति स्थल और अन्य समाधियों का रख-रखाव

1412. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान समाधि क्षेत्र के निकट असामाजिक तत्वों की गतिविधियों तथा अस्वच्छ अवस्थाओं के संबंध में 30 अक्तूबर, 2001 के "दि हिन्दू" में "सेन्टर टर्नस् ए ब्लाइंड आई टू शक्ति स्थल अपकीप" शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया;

(ख) यदि हां, तो उसमें बताये गये मामलों के तथ्य क्या हैं;

(ग) यमुना नदी के किनारे और दिल्ली में अन्य स्थानों पर "शक्ति स्थल" तथा राष्ट्रीय नेताओं की अन्य समाधियों के रख-रखाव के लिए कितनी राशि आबंटित की गई और कितनी खर्च की गई; और

(घ) शक्ति स्थल और अन्य समाधियों के उचित रख-रखाव हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि समाचार-मद तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(ग) समाधियों के रख-रखाव के लिए धन राशियों का अलग से कोई नियतन नहीं है। वर्ष 2000-2001 के दौरान दिल्ली में विभिन्न समाधियों के रखरखाव पर 3.40 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई।

(घ) विभिन्न समाधियों और आस-पास के पर्यावरण का यथोचित तरीके से रखरखाव के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान न किया जाना

1413. श्री रामानन्द सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेषकर सतना में वृद्धावस्था पेंशन का वितरण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकार को वृद्धावस्था पेंशन समय पर और नियमित रूप से वितरित करने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उस पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूचना दी गई है कि लाभार्थियों के वास्तविक सत्यापन की वजह से सतना जिले के म्यूनिसिपल क्षेत्र के अलावा मध्य प्रदेश में नियमित रूप से वृद्धावस्था पेंशन वितरित की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ एक वर्ष में कम से कम दो किस्तों में वितरित किए जाएंगे और अगर संभव हो तो राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार लाभ और अधिक किस्तों में वितरित किए जा सकते हैं।

(छ) राज्य सरकार द्वारा यह सूचना दी गई है कि वृद्धावस्था पेंशन के नियमित वितरण के लिए अनुदेश तथा सिटीजन चार्टर जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा तथा अन्य स्तरों पर योजना की निगरानी की जा रही है।

वृद्धावस्था पेंशन

1414. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वृद्ध लोगों के लिए राज्यों को आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उक्त योजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) वर्ष 2001-2002 के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त निधियों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। संसाधनों की कमी को देखते हुए योजना के अंतर्गत इन राज्यों को इस समय अतिरिक्त निधियां आबंटित करना संभव नहीं है। तथापि, उड़ीसा के मामले में बोलंगीर, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नौपाड़ा, रायगढ़ तथा सोनपुर जैसे 8 जिलों को 4.68 करोड़ रु० की अतिरिक्त निधियां देने पर सहमति हुई है।

विवरण-I

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना—आवंटित निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटित निधियां			
		1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4361.76	4361.76	4361.76	3917.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.86	57.12	181.26	181.26
3.	असम	656.14	826.98	2624.34	2624.34
4.	बिहार	6552.00	6877.24	5144.85	4620.99
5.	छत्तीसगढ़*	—	—	1243.22	1116.63
6.	गोवा	20.59	27.94	27.94	25.10
7.	गुजरात	514.80	561.60	561.60	504.42
8.	हरियाणा	352.87	535.80	535.80	481.24
9.	हिमाचल प्रदेश	108.58	236.55	236.55	212.46
10.	जम्मू व कश्मीर	248.98	317.26	317.26	284.96
11.	झारखण्ड*	—	—	1732.39	1555.99
12.	कर्नाटक	2959.63	2959.63	2959.63	2658.27

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	1252.37	1396.31	1396.31	1254.13
14.	मध्य प्रदेश	4585.46	4585.46	3342.24	3001.92
15.	महाराष्ट्र	3996.72	4158.51	4158.51	3735.07
16.	मणिपुर	97.34	103.06	327.06	327.06
17.	मेघालय	94.54	111.13	352.67	352.67
18.	मिजोरम	37.44	37.44	98.51	98.51
19.	नागालैंड	66.46	80.71	256.13	256.13
20.	उड़ीसा	3120.62	3120.62	3682.21	3307.28
21.	पंजाब	280.80	386.79	386.79	347.41
22.	राजस्थान	1404.00	1474.54	1474.54	1324.40
23.	सिक्किम	22.47	29.80	94.57	97.57
24.	तमिलनाडु	3276.00	3276.00	3276.00	2942.43
25.	त्रिपुरा	146.02	178.19	565.46	565.46
26.	उत्तर प्रदेश	7956.00	8264.83	7861.76	7061.24
27.	उत्तरांचल*	—	—	403.07	362.03
28.	प. बंगाल	3312.50	3312.50	3312.50	2975.21
29.	अ. और नि. द्वीप समूह	5.62	17.38	17.38	15.61
30.	चण्डीगढ़	12.17	13.66	13.66	12.27
31.	दा. व न. हवेली	2.81	11.80	11.80	10.60
32.	दमन व दीव	1.87	2.48	2.48	2.23
33.	दिल्ली	177.84	249.58	249.58	224.17
34.	लक्षद्वीप	0.94	1.86	1.86	1.67
35.	पांडिचेरी	14.04	49.05	49.05	44.06
	कुल	45685.24	47623.58	51260.75	46499.42

*नए राज्य

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 के लिए राज्यों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त निधियां

(लाख रुपए में)

राज्य के नाम	मांगी गई अतिरिक्त निधियां
पश्चिम बंगाल	347.49
बिहार	721.84
उत्तर प्रदेश	2064.39
मध्य प्रदेश	286.10
उड़ीसा	984.63
राजस्थान	832.40
कुल	5236.85

[अनुवाद]

काम के बदले अनाज के अंतर्गत खाद्यान्न कोटे में वृद्धि

1415. श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में काम के बदले अनाज योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए अभी तक कितनी राशि खर्च की गई हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों से योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का कोटा बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(च) यह प्रस्ताव एफ.सी.आई. के गोदामों में खाद्यान्नों की अत्यधिक मात्रा को कम करने में किस सीमा तक सहायक सिद्ध होगा?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) काम के बदले अनाज कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान नामक 11 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2000-2001 के दौरान 300 करोड़ रुपए की धनराशि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने पर खर्च की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 1100.00 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है।

(ग) से (ङ) राज्यों के लिए कोई कोटा निश्चित नहीं किया गया है। खाद्यान्न को राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर जारी किया जाता है।

(च) इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अब तक 28.63 लाख टन खाद्यान्न जारी किया गया है। इसमें से 22.46 लाख टन खाद्यान्न मजदूरों में वितरित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठा लिया गया है।

[हिन्दी]

गद्दी और गुर्जर जाति को अ०ज०जा० की सूची में शामिल करना

1416. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1966 से पूर्व गद्दी और गुर्जरों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी, तथापि 1966 में हिमाचल प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात उस क्षेत्र में रहने वाले गद्दी और गुर्जरों को हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया था और भारी विसंगति हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी केन्द्र सरकार को भेज दी है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) 'गद्दी तथा गुज्जर' समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में उन क्षेत्रों के संबंध में अधिसूचित किया, जो नवम्बर, 1966 से पूर्व हिमाचल प्रदेश के बने थे और इन समुदायों को अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में उन क्षेत्रों के संबंध में माना जाता है जिनका विलय वर्ष 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के कारण हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिफारिश की है कि इन समुदायों को राज्य भर में अनुसूचित प्रस्ताव को ऐसे दावों का निर्णय करने के लिए अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

सेलम इस्पात संयंत्र का विनिवेश

1417. **श्री पी०डी० एलानगोवन :**
श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सेलम इस्पात संयंत्र के विनिवेश हेतु अंतर्राष्ट्रीय निविदा जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सेलम इस्पात संयंत्र के विनिवेश से पूर्व उसमें कार्यरत कामगारों के कष्टों का ध्यान रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन नैमित्तिक मजदूरों के पुनर्वास हेतु क्या उपचारात्मक उपाय, यदि कोई हैं किए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. ने, भारतीय इस्पात प्राधिकरण के साथ संयुक्त उद्यम में सेलम में उपयुक्त जंगरोधी इस्पात बनाने और पट्टी ढलाई सुविधाएं स्थापित करने के लिए अनुभवी और सक्षम कंपनियों (अनुकूल साझीदारों) को आमंत्रित करते हुए एक सार्वभौमिक निविदा जारी की थी। यह इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय इस्पात प्राधिकरण की गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों का विनिवेश, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. की पुनर्संरचना का एक महत्वपूर्ण संघटक है।

(ग) और (घ) विज्ञापन में यह भी संकेत दिया गया है कि अनुकूल साझीदार सेलम इस्पात संयंत्र में इक्विटी भागीदारी के माध्यम से संयुक्त उद्यम के मामले में, सेलम इस्पात संयंत्र में इस समय कार्यरत कार्मिकों को, उनके मौजूदा क्षतिपूर्ति पैकेज और अन्य सेवा शर्तों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने के साथ समाहित करने के भारतीय इस्पात प्राधिकरण के निर्णय का अनुपालन करेगा।

भूमि सुधार

1418. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण गरीबी के उपशमन के लिए भूमि सुधार एक प्रमुख नीति प्रपत्र है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या योजना आयोग ने अपने मध्यावधि योजना मूल्यांकन में इस पहलू पर प्रगति में कमी पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (घ) भूमि सुधार के संबंध में आरंभ की गई योजनाओं/कार्यकलापों से भूमि संबंधी संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। देश में अब 92% भूमि जोतों पर पूर्णतया भू-स्वामियों का कब्जा है और उनके द्वारा स्वयं ही खेती की जाती है। 20 मिलियन कृषकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किये गये हैं और 5.54 मिलियन ग्रामीण गरीबों को अधिकतम सीमा से फालतू 5.31 मिलियन एकड़ भूमि वितरित की गई है। इसके अलावा पात्र ग्रामीण गरीबों 14.75 मिलियन एकड़ सरकारी बंजरभूमि और 2.18 मिलियन एकड़ भूदान भूमि भी वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त 15.63 मिलियन एकड़ भूमि के संबंध में 12.42 मिलियन काश्तकारों के अधिकारों का संरक्षण किया गया है और 0.43 मिलियन एकड़ अंतरित भूमि अनुसूचित जनजातियों को वापस दिलाई गई है। भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना देश के 599 जिलों में से 569 जिलों में कार्यान्वित की गई है।

योजना आयोग ने अपने मध्यावधिक योजना मूल्यांकन में यह कहा है कि भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति में कई कारणों, जैसे राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन प्राधिकरण को निधियां अंतरित करने में विलम्ब करने, विद्युत की कमी, कम्प्यूटर और अन्य उपस्कर लगाने के लिए वातानुकूलित कमरों के निर्माण में विलम्ब, राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त और विस्तृत सॉफ्टवेयर के विकास में विलम्ब, हार्डवेयर की आपूर्ति एवं उसे स्थापित करने में विलम्ब होने, कम्प्यूटरों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव होने और डाटा एंट्री कार्य करने के लिए अच्छे वेंडरों के न मिलने के कारण से बाधा आई है।

भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना की प्रगति में तेजी लाने की दृष्टि से कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां समय पर अन्तरित करने तथा डाटा एंट्री का कार्य प्राइवेट वेन्डरों के जरिए करवाने हेतु कारगर उपाय करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों पर जोर दिया गया है ताकि कार्य विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर पूरा किया जा सके। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि हार्डवेयर यथाशीघ्र प्राप्त किया जाए और स्थापित किया जाए और बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि तालुक स्तर पर राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा सके जिससे योजना को शीघ्रता से कार्यान्वित करने में सुविधा हो सके।

सेंट्रल मेकेनिकल रिसर्च इंस्टीटयूट द्वारा जलापूर्ति हेतु प्रौद्योगिकी का विकास

1419. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या ग्रामीण **विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल की आपूर्ति हेतु प्रौद्योगिकी विकसित करने लिए स्थापित सेंट्रल मेकेनिकल रिसर्च इंस्टीटयूट, दुर्गापुर भारी खर्च करने के बावजूद भी अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह परियोजना खारे पानी वाले क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए और पानी के नीचे खनन हेतु प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रायोजित परियोजनाओं के उद्देश्यों को पूरी तरह प्राप्त करने में असफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस परियोजना को अपने उद्देश्य पूरे करने योग्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों के उन चुने हुए गांवों में किफायती ढंग से खारापन दूर करने वाले 132 संयंत्र लगाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नोडल एजेंसी के रूप में सेंट्रल मेकेनिकल इंजीनिरिंग इंस्टीटयूट (सी.एम.आर.आई.) की सेवा ली थी जहां स्वच्छ पानी का स्रोत आवासीय क्षेत्रों से बहुत दूर है और वर्षा भी अपर्याप्त हुई हो। इस संस्था का कार्य राज्य सरकारों को संयंत्र हस्तांतरित करने से पहले, 5 वर्षों तक संयंत्र की खरीद और रखरखाव में भी समन्वय करना था। सी.एम.आर.आई. ने जून 1988 में खारापन दूर करने वाले संयंत्र लगाने का कार्य आरंभ किया। सी.एम.आर.आई. से प्राप्त जानकारी के अनुसार किए गए 132 खारापन दूर करने वाले संयंत्रों में से 117 संयंत्र चालू हो गए हैं और 77 संयंत्र संचालन और रखरखाव की तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद राज्य सरकारों को और तीन संयंत्र जहां है जैसा है आधार पर संबंधित राज्य सरकारों को सौंप दिए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

1420. श्री अबुल हसनत खां :
श्री सुबोध राय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर 1995 और 1999 के बीच इसे आबंटित 13.80 करोड़ रुपए के विशिष्ट उद्देश्य योजना अनुदान का उपयोग करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर द्वारा विगत में अनुदानों का उपयोग करने में निर्धारित समय से कुछ अधिक समय लगा। इसका कारण बुनियादी विकास के लिए आदेशों और कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय है। सरकार ने, संस्थान को अनुदानों का उपयोग जल्दी करने के निर्देश दिए हैं तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों का पूरा उपयोग कर लिया है।

माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु निधियां

1421. श्री के०पी० सिंह देव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 31.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1408 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को आवंटित निधियों का उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत उड़ीसा राज्य सरकार को 2104.03 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस पूरी राशि का उपयोग किया जा चुका है। वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 2001-02 के दौरान इस योजना के तहत राज्य सरकार को उपयोग के लिए 284.83 लाख रुपए की धनराशि दी गई है।

(ग) इस योजना के तहत राज्य सरकारें केवल व्यय विवरण ही भेजती हैं। उड़ीसा से यह विवरण प्राप्त हो गया है।

(घ) केन्द्र सरकार जिलावार ब्यौरा नहीं रखती।

डा०डी०ए० फ्लैटों तक पहुंच सड़क

1422. डा० (श्रीमती) अनिता आर्य : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिन्दापुर (द्वारका), दिल्ली में उचित/पहुंच सड़क की कमी के कारण विभिन्न श्रेणियों के 3000 से अधिक फ्लैट आंशिक रूप से भरे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो डी०डी०ए० की इतनी बड़ी कालोनी में पंहुच सड़क मुहैया कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) फ्लैट वासियों को अति आवसयक पहुंच सड़क मुहैया कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

डी०डी०ए० द्वारा घटिया उपकरणों की खरीद

1423. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी०डी०ए० द्वारा शहर में विभिन्न खेल परिसरों में अपनी व्यायामशालाओं के लिए खरीदे गए उपकरण घटिया पाये गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपकरणों की खरीद में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे घटिया उपकरणों की खरीद की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि डीडीए के बहु-व्यायामशालाओं के लिए हाल में खरीदे गए कुछ उपकरण विनिर्देशों से कम स्तर के हैं। इन बहु-व्यायामशालाओं में उपकरणों की खरीद की कुल राशि नीचे दी गयी है। तथापि, जहां तक घटिया स्तर की खरीद में खर्च राशि का संबंध है, इसकी जांच प्रत्येक खेल परिसर के लिए गठित समिति द्वारा की जा रही है :-

बहु-व्यायामशाला	राशि
सीरी फोर्ट खेल परिसर	1,73,650/-रु०
हौज खास मल्टीजिम	1,01,000/-रु०
कांति नगर महिला जिम	1,88,900/-रु०
जनकपुरी मल्टी जिम	1,88,950/-रु०
जसोला खेल परिसर	2,87,950/-रु०
कुल	9,40,450/-रु०

घटिया स्तर के उपकरणों में खर्च की राशि का आकलन किया जा रहा है एवं भुगतान रोक दिए गए हैं। डी.डी.ए. को एजेंसी द्वारा आगे आपूर्ति करने पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई शुरू की गयी है। नियमों/अधिनियम के अनुसार आगे कार्रवाई की जायेगी।

[हिन्दी]

संस्कृत विद्वानों को पुरस्कार

1424. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संस्कृत विद्वानों को प्रतिवर्ष नगद पुरस्कार देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विषयों और पुरस्कार प्राप्त करने वालों का चयन करने हेतु क्या मानदंड तय किये गए हैं;

(घ) क्या पुरस्कारों का चयन करने हेतु वेदिक अनुसंधान केंद्रों को भी शामिल किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी ऐसे पुरस्कार का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) प्राचीन भाषाओं के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों को राष्ट्रीय सम्मान प्रमाणपत्र प्रदान करने की योजना 1958 से चल रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष संस्कृत में पन्द्रह, पाली/प्राकृत में एक और अरबी एवं फारसी में तीन-तीन पुरस्कार दिए जाते हैं। अगले वर्ष से 30-40 वर्ष आयु वर्ग के युवा विद्वानों को महर्षि बद्रायन व्यास सम्मान दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत संस्कृत में 5, पाली/प्राकृत, अरबी और फारसी में एक-एक पुरस्कार दिए जाएंगे।

(ग) से (ङ) इन पुरस्कारों के लिए सिफारिशें प्रत्येक वर्ष केन्द्र एवं राज्य सरकारों, सभी भारतीय विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालयों के कुलपतियों, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों और आदर्श संस्कृत पाठशालाओं, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन और इस सम्मान प्रमाणपत्र के सभी पूर्व प्राप्तकर्त्ताओं से आमंत्रित की जाती हैं। इन प्राप्त सिफारिशों की संवीक्षा इस उद्देश्यार्थ गठित प्रारंभिक चयन समिति करती है तथा अनुमोदनार्थ इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत के प्रधान मंत्री और अंततः राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति सचिवालय प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं के नामों की घोषणा करता है।

(च) और (छ) साहित्य अकादमी प्रत्येक वर्ष संस्कृत सहित 22 भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को 22 पुरस्कार प्रदान करती है। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान की एक योजना के तहत मौलिक लेखन के लिए 15 भारतीय भाषाओं में से प्रत्येक में एक वार्षिक पुरस्कार दिए जाते हैं। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की छः ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत हिन्दी की उत्कृष्ट रचना के लिए प्रत्येक वर्ष 13 पुरस्कार (हिन्दी के शिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के लिए चार, तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य के विकास के लिए दो, हिन्दी के विकास में प्रतिभाशाली योगदान के लिए दो, अनुसंधान के लिए दो और हिन्दी

के विदेशी विद्वानों के लिए एक) दिए जाते हैं। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय अपनी एक योजना के तहत अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों को प्रत्येक वर्ष 19 पुरस्कार प्रदान करता है।

राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की तीन योजनाओं के तहत उत्कृष्ट सिंधी विद्वानों और साहित्यकारों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

मंत्रियों का विदेश दौरा

1425. श्री उत्तमराव पाटील : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान मंत्रियों द्वारा किन देशों का दौरा किया गया;

(ख) हस्ताक्षर किए गए समझौतों और उनसे देश को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे विदेश दौरों पर कितनी राशि खर्च की गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) :

क्र० सं०	मंत्री का नाम	उन देशों का नाम, पिछले दो वर्षों में जिनका दौरा किया गया	हस्ताक्षरित समझौते का ब्यौरा तथा उससे देश को उपार्जित लाभ	उन पर हुआ खर्च
1.	श्री अनंत कुमार, संस्कृत, युवा कार्यक्रम एपं खेल मंत्री	बर्लिन, 3-5 नवम्बर, 1999	आमंत्रित व्यक्ति के रूप में शारीरिक शिक्षा पर विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लेना	व्यय संस्कृति विभाग द्वारा वहन किया गया
2.	श्री टीएच० चाओबा सिंह, राज्य मंत्री, संस्कृति, युवा कार्यक्रम एवं खेल	आस्ट्रेलिया, 14-17 नवम्बर 1999	"खेलों में नशीली दवाएं" पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेना तथा विचार-विमर्श में भाग लिया	1,36,472/-रु०
3.	श्री टीएच० चाओबा सिंह, राज्य मंत्री, संस्कृति, युवा कार्यक्रम एवं खेल	उरूग्वे, 30 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1999	शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए जिम्मेदार मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना	2,95,513/-रु०
4.	श्री एस०एस० ढींडसा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री	ब्राजील, इंग्लैंड (निजी दौरा) 20-30 मई, 2000	एशियाई खेल, 2001 के लिए बोली लगाने हेतु प्रस्तुतिकरण	3,79,312/-रु०
5.	श्री टीएच० चाओबा सिंह युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री	सोलोमन द्वीप 22-26 मई, 2000	राष्ट्रमंडल के युवा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए	2,05,373/-रु०
6.	श्री एस०एस० ढींडसा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री	उजबेकिस्तान, 27-28 अगस्त, 2000	एशिया की ओलंपिक परिषद में कार्यकारी बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए।	37,448/-रु०
7.	श्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री	आस्ट्रेलिया, 14 सितम्बर से 2 अक्तूबर, 2000	ओलंपिक खेल, 2000 देखने के लिए ।	2,11,094/-रु०

[अनुवाद]

आई०डी०पी०एल० की रुग्ण इकाइयां

1426. श्री प्रभात सामन्तराय :
श्री के० येरननायडू :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई०डी०पी०एल० की कौन-कौन सी और कितनी इकाइयां रुग्ण हो गई हैं;

(ख) आई०डी०पी०एल० के पुनरूद्धार के संबंध में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ इकाइयों का निजीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अब तक इन संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार ने आई०डी०पी०एल० के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा की है; और

(छ) उन्हें क्या-क्या लाभ दिए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) आईडीपीएल औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित एक रूग्ण कंपनी है। इसकी तीन विनिर्माण इकाइयां ऋषिकेश, हैदराबाद और गुड़गांव में हैं। इसकी चेन्नई और मुजफ्फरपुर में दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां भी हैं।

(ख) से (ङ) सामरिक भागीदारों के समावेश के जरिए आईडीपीएल के निजीकरण को सुगम बनाने के लिए इसके तुलन पत्र के समाशोधन हेतु सरकार द्वारा रियायतों/सुविधाओं की सूचना देते हुए इस आशय का एक पत्र औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजा गया है। बीआईएफआर से आईडीपीएल की प्रत्येक इकाई (शत प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों सहित) के अलग-अलग निजीकरण की संभावना का पता लगाने के लिए नए प्रस्ताव आमंत्रित करने का अनुरोध किया गया है।

(च) और (छ) सरकार ने आईडीपीएल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश करने का भी निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

सिमी पर प्रतिबंध

1427. श्री भेरूलाल मीणा :
श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री के० येरननायडू :
डा० चरणदास महंत :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री रामेश्वर डूडी :
श्री रामशकल :
श्री बृज भूषण शरण सिंह :
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती प्रेनीत कौर :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में सिमी के कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न आसूचना एजेंसियों के पास सिमी के कार्यकरण के संबंध में रिपोर्ट है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(घ) क्या सिमी की विदेशों में भी शाखाएं हैं और सिमी के सदस्यों के अफगानिस्तान में आतंकवादी गुटों से संबंध हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात् सिमी के विभिन्न पदाधिकारियों और उसके कार्यालयों से कई हथियार तथा राष्ट्र-विरोधी दस्तावेज जब्त किए गए हैं;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(झ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक राज्य-वार कितने सिमी कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान्। केन्द्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अन्तर्गत स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेन्ट आफ इंडिया को प्रतिबंधित कर दिया है।

(ख) और (ग) प्राप्त रिपोर्टों से पता चला है कि स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेन्ट आफ इंडिया (सिमी) इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पायी गयी है जो देश की सुरक्षा के प्रतिकूल है और उसमें शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव तथा समाज के धर्म-निरपेक्ष ढांचे को बिगाड़ने का दम है। इसे ध्यान में रखते हुए 27 सितम्बर, 2001 को सिमी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत विधि विरुद्ध घोषित किया गया है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अनुसार, सरकार ने इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या सिमी को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं, एक विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण' गठित किया है। मामला निर्णय के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष पड़ा है।

(घ) से (च) अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि सिमी की शाखाएं विदेशों में हैं और इसके सदस्यों के अफगानिस्तान के आतंकवादी ग्रुपों के साथ संबंध हैं। तथापि, इखवान सम्मेलन में अपने भाषणों में सिमी के कुछ नेताओं ने पान इस्लामिक आतंकवादियों और ओसामा बिन लादेन जैसे कट्टरवादियों की प्रशंसा और गुणगान किया है।

(छ) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

असम में आई०एस०आई० की गतिविधियां

1428. श्री किरीट सोमैया :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 2001 के 'जनसत्ता' में असम के नेताओं को आई०एस०आई० की धमकी के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में आई०एस०आई० की गतिविधियों में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार के पास इस बात की रिपोर्टें हैं कि विदेशों से हथियार खरीदने और उनकी खेप पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की आई एस आई द्वारा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों/उग्रवादियों की सहायता की जा रही है। रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि पाकिस्तान की आई एस आई पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को धन के रूप में सहायता भी दे रही है। पाकिस्तानी आई एस आई गुमराह युवकों को सीमा पार प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित कर रही है।

(ग) आई एस आई एजेंटों की गतिविधियों को निष्क्रिय बनाने के लिए सरकार ने एक सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं—सीमा प्रबन्धन को मजबूत करना, आसूचना तंत्र को चुस्त-दुरूस्त बनाना, आई एस आई एजेन्टों और उनके द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों के विरुद्ध सुसमन्वित आसूचना के आधार पर कार्रवाई करना, सीमा पर सुरक्षा बलों की चौकियां स्थापित करना और आधुनिक हथियारों एवं संचार प्रणाली के द्वारा पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण व उन्नयन करना आदि। उन उपायों के परिणामस्वरूप पाक आई एस आई समर्थित विभिन्न मॉड्यूलों का पता लगा और उन्हें निष्क्रिय किया गया है। भारत विरोधी आतंकवादियों के शिविरों से संबंधित मामले भी भारत सरकार ने पड़ोसी देशों की सरकारों के समक्ष उठाये हैं। इन सरकारों ने आश्वासन दिया है कि वे अवांछनीय तत्वों को भारत के हितों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल नहीं करने देंगे।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता

1429. श्री अनन्त गुढे :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई;

(ख) अपनाये गये मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में एक समान रूप से कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित किए गए इंजीनियरिंग कॉलेजों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निर्धारित मानदण्डों तथा स्तरों के अनुसार विधिवत निर्धारित विनियमों के आधार पर तथा वित्तीय व्यवहार्यता, भवन, क्लासरूम, संकाय आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर विचार करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानदण्ड देशभर में एकसमान रूप से लागू होते हैं।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	पिछले दो वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या
आंध्र प्रदेश	73
छत्तीसगढ़	01
दिल्ली	03
हरियाणा	06
गोवा	01
गुजरात	03
मध्य प्रदेश	08
महाराष्ट्र	17
मेघालय	01
उड़ीसा	06
पंजाब	03
राजस्थान	12
तमिलनाडु	77
उत्तर प्रदेश	27
उत्तरांचल	01
पश्चिम बंगाल	12
कुल	251

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना

1430. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने लोगों को साक्षर बनाया गया;

(ख) इस योजना पर गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई और खर्च की गई;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितने अध्यापकों की तैनाती की गई;

(घ) क्या सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) वर्ष 1987-88 में शुरू की गई आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का उद्देश्य शिक्षकों, अध्ययन-अध्यापन उपस्कर और शिक्षण-कक्षों के रूप में प्राथमिक सकूलों में मानव और भौतिक संसाधनों में सुधार करना है। उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी सम्मिलित करने के लिए वर्ष 1993-94 में इस योजना का विस्तार किया गया। इस तरह यह योजना प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक और संख्यात्मक सुधार में योगदान देने का प्रयास करती है।

(ख) वर्ष 1998-99 से वर्ष 2000-2001 तक जारी तथा उपयोग की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान संस्वीकृत/नियुक्त शिक्षकों के पदों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (च) इस योजना के अन्तर्गत अध्ययन-अध्यापन उपस्कर की खरीद तथा नियुक्त शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राशि जारी की जाती है। कुछ राज्यों ने अध्ययन-अध्यापन उपस्कर की खरीद के लिए जारी की गई राशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया है। इस मुद्दे की मानीटरिंग की जाती है और इसे संबंधित राज्यों के साथ लगातार उठाया जा रहा है। राज्य सरकार के पास अप्रयुक्त पड़ी राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-III के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

आपरेशन ब्लैक बोर्ड (1998-99 से 2000-2001) के अन्तर्गत जारी की गई और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु० में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-00		2001-01		कुल		उपयोगिता का प्रतिशत
		जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	840.00	840.00	1800.00	1800.00	7751.60	5460.00	10391.60	8100.00	77.95%
2.	अरुणाचल प्रदेश	78.57	78.57	11.50	11.50	115.64	115.64	205.71	205.71	100.00%
3.	असम	0.00	0.00	1141.03	1141.03	2305.79	2305.79	3446.82	3446.82	100.00%
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	गोवा	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00%
6.	गुजरात	873.28	844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	873.28	844.80	96.74%
7.	हरियाणा	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00%
8.	हिमाचल प्रदेश	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00%
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10.	कर्नाटक	4455.31	3976.11	8850.65	8850.65	12782.65	12782.65	26088.61	25609.41	98.16%
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.	मध्य प्रदेश	1194.00	1194.00	5856.16	5856.16	9048.93	9048.93	16099.09	16099.09	100.00%
13.	महाराष्ट्र	2299.00	1957.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2299.00	1957.15	85.13%
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.	मेघालय	120.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	48.00	40.00%
16.	मिजोरम	249.18	249.18	125.00	125.00	131.56	131.56	505.74	505.74	100.00%
17.	नागालैंड	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	29.00	29.00	100.00%
18.	उड़ीसा	3834.70	0.00	1263.30	0.00	0.00	0.00	5098.00	0.00	0.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	पंजाब	0.00	0.00	830.54	830.54	1794.11	1569.64	2624.65	2400.18	91.45%
20.	राजस्थान	0.00	0.00	1612.75	1612.75	1584.80	0.00	3197.55	1612.75	50.44%
21.	सिक्किम	49.10	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	49.10	36.95	75.25%
22.	तमिलनाडु	209.40	209.40	1751.59	837.59	209.40	209.40	2170.39	1256.39	57.89%
23.	त्रिपुरा	20.74	20.74	248.85	248.85	248.85	248.85	518.44	518.44	100.00%
24.	उत्तर प्रदेश	6948.60	6948.60	6372.00	6372.00	6256.43	6256.43	19577.03	19577.03	100.00%
25.	पश्चिम बंगाल	1042.40	65.90	957.00	957.00	1430.23	1430.23	3429.63	2453.13	71.53%
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30.	दिल्ली	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	23.02	23.02	100.00%
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32.	पांडिचेरी	0.80	0.45	8.79	8.79	36.22	36.22	45.81	45.46	99.24%
	कुल	22752.10	16546.87	30858.16	28680.86	43696.21	39595.34	97306.47	84823.07	87.17%

विवरण-II

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक संस्वीकृत/नियुक्त शिक्षकों के पदों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	प्राथमिक स्कूलों में तृतीय शिक्षकों का पद		उच्च प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों का पद	
		संस्वीकृत	नियुक्त	संस्वीकृत	नियुक्त
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	306	–
2.	असम	–	–	2,690	–
3.	हरियाणा	–	–	1,204	–
4.	कर्नाटक	1,086	1,003	1,198	1,102
5.	मध्य प्रदेश	22,163	22,163	6,445	6,445
6.	मिजोरम	–	–	106	–
7.	नागालैंड	95	–	161	–
8.	उड़ीसा	–	–	10,023	*6,486

1	2	3	4	5	6
9.	पंजाब	–	–	1,334	–
10.	राजस्थान	–	–	1,000	–
11.	त्रिपुरा	–	–	395	395
12.	उत्तर प्रदेश	–	–	5,310	4,042
13.	पश्चिम बंगाल	3,750	2,992	2,353	–
	कुल	27,094	26,158	32,525	18,470

*वर्ष 2001-02 में अब तक राज्य सरकार में शिक्षाकर्मियों (स्वेच्छा-सेवी शिक्षा सहायक) द्वारा अतिरिक्त शिक्षकों के 6486 पदों को भरा गया।

विवरण-III

आपरेशन ब्लैकबोर्ड (1987-88 से 2000-2001) के अन्तर्गत जारी और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	खर्च न की गई शेष राशि	उपयोगिता का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	31149.02	25744.65	5404.37	82.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	897.78	897.78	0.00	100.00
3.	असम	15841.18	13148.19	2692.99	83.00
4.	बिहार	21300.54	16153.21	5147.33	75.83
5.	गोवा	274.51	274.51	0.00	100.00
6.	गुजरात	9682.98	9654.50	28.48	99.71
7.	हरियाणा	1316.64	835.04	481.60	63.42
8.	हिमाचल प्रदेश	4980.73	4980.73	0.00	100.00
9.	जम्मू और कश्मीर	6237.89	5865.74	372.15	94.03
10.	कर्नाटक	44551.44	43662.73	888.71	98.01
11.	केरल	1691.89	1691.89	0.00	100.00
12.	मध्य प्रदेश	26992.64	22125.82	4866.82	81.97
13.	महाराष्ट्र	33182.01	32833.95	348.06	98.95
14.	मणिपुर	457.00	276.80	180.20	60.57
15.	मेघालय	2730.32	2658.32	72.00	97.36
16.	मिजोरम	755.27	755.27	0.00	100.00
17.	नागालैंड	324.11	324.11	0.00	100.00
18.	उड़ीसा	24890.04	18934.38	5955.66	76.07
19.	पंजाब	5694.24	5469.49	224.75	96.05
20.	राजस्थान	23884.55	22293.09	1591.46	93.34
21.	सिक्किम	124.66	112.51	12.15	90.25
22.	तमिलनाडु	7051.94	5790.80	1261.14	82.12
23.	त्रिपुरा	1092.42	1092.42	0.00	100.00
24.	उत्तर प्रदेश	31910.58	31910.58	0.00	100.00
25.	पश्चिम बंगाल	7748.57	6646.79	1101.78	85.78
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30.09	27.11	2.98	90.10
27.	चंडीगढ़	1.17	1.17	0.00	100.00
28.	दादरा और नगर हवेली	36.46	17.96	18.50	49.26
29.	दमन और दीव	21.44	19.68	1.76	91.79
30.	दिल्ली	427.83	373.84	53.99	87.38
31.	लक्षद्वीप	2.48	2.46	0.02	99.19
32.	पांडिचेरी	139.95	139.60	0.35	99.75
	कुल	305422.37	274715.12	30707.25	89.95

रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए विशेष निदेश

1431. **श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के संबंध में विशेष निदेश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सभी राज्यों में कॉलेजों के क्षेत्राधिकार को पुनःनिर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों को इन नये निदेशों से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों में दाखिले संबंधी मानदण्डों में समय-समय पर संशोधन किया गया है और इस समय कम्प्यूटर अनुप्रयोग निष्णात और अवर स्नातक कार्यक्रमों की सभी सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें उस राज्य को आबंटित की जाती है जिसमें क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित होता है और शेष सीटें अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से आबंटित की जाती है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला अखिल भारतीय स्तर पर दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन

1432. **श्री बृजलाल खाबरी :**
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशों से एफ०सी०आर०ए० के अन्तर्गत अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या यह धनराशि देश हित में उपयोग में नहीं लाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल में विदेशी अंशदान प्राप्त करने हेतु पंजीकरण के लिये आवेदन करने वाले संगठनों की संख्या में कमी आई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले अंशदान की प्राप्तियों और उनके खर्चों पर निगरानी का निर्णय किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में स्वयं सेवी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	संगठनों की संख्या	प्राप्त की गई राशि (रु० करोड़ों में)
1997-98	12198	2864.51
1998-99	13775	3402.90
1999-2000	13986	3924.63

(ग) और (घ) निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक आदि कार्यक्रम रखने वाली कोई भी संस्था विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकती है। इस तरह से प्राप्त विदेशी अभिदाय का उपयोग बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाना होता है और यदि कोई संगठनों निधियों का दुरुपयोग करने सहित अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो केन्द्रीय सरकार को ऐसे संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) से (झ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कवर होने वाले संगठनों को उनके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय और उसके उपयोग के बारे में वर्षानुवर्ष आधार पर चार्टर्ड अकाउंटैंट

द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित सूचना गृह मंत्रालय को देनी होती है। विदेशी अभिदाय का प्रबोधन ऐसे संगठनों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के माध्यम से किया जाता है। इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार को ऐसे संगठनों के लेखे या अभिलेख, या लेख पुस्तिकाओं की जांच के आदेश देने का अधिकार भी प्राप्त है।

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास सेवाओं के लिये विश्व बैंक से ऋण

1433. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु विश्व बैंक से लिये गये ऋण का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यूनीसेफ से प्राप्त सहायता का भी समेकित बाल विकास सेवाओं के अलावा अन्यत्र उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि अन्यत्र उपयोग की गई और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान, आई.सी.डी.एस.-III ('उदिशा' सहित)(महिला एवं बाल विकास परियोजना) और आई.सी.डी.एस.-ए.पी.ई.आर. के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण संबंधी समझौते किए गए हैं।

विश्व बैंक राज्यों द्वारा वहन किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करके ऋण प्रदान करता है। आई.सी.डी.एस.-III तथा 'उदिशा' के अंतर्गत राज्यों द्वारा अब तक किए गए व्यय की गति धीमी रही है।

इस समय आई.सी.डी.एस.-ए.पी.ई.आर. के अंतर्गत होने वाला व्यय आई.सी.डी.एस.-II में से किया जा रहा है। लेकिन, सितम्बर, 2002 से जब आई.सी.डी.एस.-II परियोजना समाप्त हो जाएगी, आई.सी.डी.एस.-ए.पी.ई.आर. के लिए व्यय का निर्धारण अलग से शुरू किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर के लिए विकास योजनायें

1434. श्री के०एस० बराड़ : क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान किन विकास योजनाओं को शुरू किये जाने का प्रस्ताव है और उनकी अनुमानित लागत क्या होगी तथा वे कब तक पूरी की जायेंगी/शुरू की जायेंगी;

(ख) इन योजनाओं से क्षेत्र के विद्रोही और जातीय समूहों की भावनात्मक जरूरतें किस सीमा तक पूरी होंगी;

(ग) क्या क्षेत्र में स्थानीय समूहों को भी विकास योजनाओं से जोड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ङ) राज्य सरकारें, स्थानीय संसाधन आधार, लोगों की आवश्यकताओं तथा धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं तैयार करती हैं। वार्षिक योजना परिव्यय को योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच बैठकों में अंतिम रूप दिया जाता है। योजना-वार आवंटनों पर निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है और वे ऐसा, राज्य विभिन्न सैक्टरों तथा क्षेत्रों की आवश्यकता का समग्र आकलन करने के पश्चात् करती हैं। 2001-2002 के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अंतिम रूप दिए गए परिव्यय नीचे दिए गए हैं। परिव्ययों में स्वायतशासी जिला परिषदों, जिनका गठन पूर्वोत्तर राज्यों में कम विकसित क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए किया गया है, का परिव्यय शामिल है।

(करोड़ रु०)

राज्य	सहमति प्राप्त परिव्यय
1	2
अरुणाचल प्रदेश	661.00
असम	1710.00
मणिपुर	520.00
मेघालय	487.00

1	2
मिजोरम	410.00
नागालैण्ड	405.00
सिक्किम	300.00
त्रिपुरा	560.00

योजना आयोग ने राज्य सरकारों से वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है।

पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विकास योजनाएं भी चलाती हैं। वर्ष 2001-2002 के लिए सैक्टर-वार अनुमोदित परिव्यय का ब्यौरा विवरण-I में दर्शाया गया है। 2002-2003 के प्रस्ताओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इस के अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र (और सिक्किम) में विकास कार्यक्रमों को भी संसाधनों के व्यापक न होने वाले केन्द्रीय पूल से सहायता दी जाती है। चालू वित्त वर्ष (2001-2002) के दौरान 12.10.2001 तक केन्द्रीय पूल से 37 चालू/नई परियोजनाओं और स्कीमों के लिए 150.65 करोड़ रुपए की राशि रिलीज करने की सिफारिश की गई है। ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पूर्वोत्तर परिषद : वर्ष 2001-2002 के लिए सैक्टर-वार अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रु० में)

क्रमांक	सैक्टर	अनुमोदित परिव्यय
1.	कृषि एवं सहायक सैक्टर	4.21
2.	ऊर्जा, जल विकास एवं आर आर ई	158.84
3.	उद्योग एवं खनिज	4.80
4.	परिवहन एवं संचार	183.55
5.	जनशक्ति विकास	37.72
6.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	35.43
7.	सामान्य व वैज्ञानिक सेवाएं	16.95
8.	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	8.50
	कुल	450.00

विवरण-II

(12.10.2001 की स्थिति)

2000-2001 के दौरान संसाधनों के व्यपगत न होने वाले केन्द्रीय पूल से रिलीज करने के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

(रु० करोड़ों में)

राज्य	परियोजना	अनुमोदित राशि
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	1. बाढ़ नियंत्रण और क्षरण विरोधी स्कीमें (सं० 8)	6.35
	2. बाढ़ नियंत्रण और क्षरण विरोधी स्कीमें (सं० 8)	3.65
	3. रोयांग में जल आपूर्ति योजना	1.00
	4. पासीघाट में जल आपूर्ति योजना	1.00
	5. 1557 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए फर्नीचर	1.63

1	2		3
	6.	रामकृष्ण मिशन आवासीय स्कूल, नरोत्तम नगर	12.20
	7.	राम कृष्ण शारदा मिशन बालिका विद्यालय, रवौंसा	3.00
असम	8.	करबी आंग्लौंग में अमेरंग लघु सिंचाई योजना	6.00
	9.	वार्सिलिंघड़ी एलिस में एन सी हिल्स में सिंचाई योजना	2.70
	10.	प्लाज्मा भौतिकी के लिए केन्द्र, गुवाहाटी	0.93
	11.	बी ए सी क्षेत्र में सड़कों (सं० 19) का निर्माण/सुधार	18.00
मणिपुर	12.	इम्फाल शहर (फे० 1) (29.5 एम एल डी) के लिए जल आपूर्ति का संवर्द्धन	5.00
	13.	लिमाखोंग में 36 मे०वा० भारी ईंधन आधारित विद्युत परियोजना संयंत्र	4.32
मेघालय	14.	बाधामारा-महेशखोला सड़क का सुदृढ़ीकरण (35वें कि०मी० से 74वें कि०मी० 15 कि०मी०) तक की कमजोर पटरी का सुदृढ़ीकरण	0.93
	15.	मावासीरूत-नोगदाज नोंगचरम सड़क की वर्तमान पटरी को चौड़ा करने सहित 4.75 मी० की चौड़ाई की इन्टरमीडिएट लेन में सुदृढ़ीकरण (0 से 53.50 कि०मी०)	3.66
	16.	मानगप-तेरांग सड़क सैक० I (5वें 24वें कि०मी०) की हार्ड-क्रस्ट को चौड़ा और सुदृढ़ीकरण	2.26
	17.	स्मित-मार्किरू-मावलत सड़क के 9- से 9वें कि०मी० और लैटिर्लीगकोट-लैटिर्डीगसाई सड़क के 0 से 11.375वें कि०मी० में, पासिंग स्थानों की व्यवस्था सहित, सुदृढ़ीकरण	2.46
मिजोरम	18.	ऐजवाल जल आपूर्ति योजना (फेज-II)	10.00
	19.	राज्य रैफरल अस्पताल	5.00
	20.	एकीकृत सूअर पालन विकास परियोजना	5.00
	21.	जैविनुआम, जोबवक, लैंगपुई, फूरा में मत्स्य बीज फार्म की स्थापना	2.00
नागालैंड	22.	मोन जिले में टांग जंक्शन-चेनमोहो सड़क	1.50
	23.	तूसांग जिले में किफिर-पुंगरो सड़क	1.00
	24.	लिकिमरो हाइड्रो बिजली परियोजना (3×8 मे०वा०)	5.00
	25.	449 निचले और 117 उच्च प्राथमिक स्कूल भवनों के लिए भवनों का निर्माण	8.07

1	2	3
	26. स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार	1.12
	27. स्कूलों में कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर शिक्षा	0.81
	28. दीमापुर कस्बे और विस्तारित कालोनियां तक जल आपूर्ति का संवर्द्धन	2.00
	29. सोवही लघु सिंचाई परियोजना, कोहिमा	1.06
	30. स्टेट रैफरल अस्पताल, दीमापुर	3.00
	31. मोन जिले में तीन सड़क पायोजनाएं नामत: अबोई-चेन एच क्यू-चेनलाइसो-वांगती, सिंधा मोक्क-चेनमोहो आर्मी कैम्प, टेहोक-चिंगखाओ-वांगती	3.50
	32. मोन जिले में मोन-नामतोला सड़क	1.00
सिक्किम	33. झोरा/नदी प्रशिक्षण कार्य, लाचुंग	3.00
	34. भूस्खलन विरोधी और क्षरण विरोधी कार्य (37 संख्या)	7.50
	35. 198 स्कूल भवनों का निर्माण	8.00
	36. चार सम्बद्ध कालेज	2.00
त्रिपुरा	37. हालहाली-अम्बासा-डांगाबाड़ी-अमरपुर-बेगफा-बेलोनिया सड़क का सुधार और उन्नयन	8.00
	कुल जोड़	150.65

भुखमरी के कारण आदिवासियों की मौत

1435. **श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के विभिन्न हिस्सों में भुखमरी के कारण हुई आदिवासियों की मौतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितने आदिवासियों की मौतें हुई हैं;

(ग) यदि केन्द्र सरकार ने आदिवासियों की मौत के संबंध में राज्य सरकारों से रिपोर्टें मांगी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने सारे देश में आदिवासियों की मौतों को रोकने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

1436. **श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 7 सितम्बर, 2001 को नई दिल्ली में हुई व्यापार और उद्योग संबंधी परिषद् की बैठक के दौरान निर्दिष्ट सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया को जल्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपक्रमों के निजीकरण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

विनिवेश मंत्री और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) प्रधान मंत्री की वाणिज्य और उद्योग परिषद की दिनांक 7 सितम्बर, 2001 को आयोजित बैठक में कुछ सदस्यों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के क्रियान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया।

(ख) और (ग) सरकार ने इस वर्ष विनिवेश किए जाने वाले 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दृढ़तापूर्वक समय सीमा तय करते हुए पहचान की है। ये उपक्रम भारत हैवी प्लेटस एंड वैसल्स लि. (बी एच पी वी), सी एम सी लि., आई बी पी कंपनी लि., इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. (आई पी सी एल), भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी), इंस्ट्रूमैंटेशन कंट्रोल वाल्वस लि. (आई सी वी एल), जेसप एंड कंपनी लि., मारुति उद्योग लि., नेपा लि., एच टी एल लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. और विदेश संचार निगम लि. (वी एस एन एल) हैं। इनमें से एच टी एल लि. और सी एम सी लि. में विनिवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। भारत पर्यटन विकास निगम एवं होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन कतिपय होटलों के संबंध में कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण बेरोजगार युवकों के लिए योजना

1437. **श्री राम सिंह कस्वां : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ योजनायें चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं से राज्य-वार, योजना-वार कितने ग्रामीण बेरोजगार युवक लाभान्वित हुये; और

(ग) सरकार द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) बेरोजगार युवाओं सहित गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लाभ के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं ये हैं :-

(i) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण गरीबों के स्व-रोजगार हेतु योजना।

(ii) सुनिश्चित रोजगार योजना—मजदूरी रोजगार हेतु योजना।

(iii) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना—ग्राम स्तर पर ढांचागत विकास हेतु योजना।

सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का अब विलय कर दिया गया है और ग्रामीण गरीबों के मजदूरी रोजगार के लिए 25.9.2001 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई है। चालू वित्त वर्ष अर्थात 2001-2002 के दौरान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना—सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के भाग के रूप में जारी रहेंगी जिनके साथ ये योजनाएं अगले वित्तीय वर्ष (2002-2003) से आगे पूर्णत: समेकित हो जाएंगी। नई योजना की वजह से इस वर्ष, सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में अपेक्षित निधियां और पर्याप्त खाद्यान्न मुहैया कराया गया है।

(ख) योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं को मिलने वाले लाभों की अलग से निगरानी नहीं की जाती है।

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान योजनावार केन्द्रीय आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसजीएसवाई के अन्तर्गत केंद्रीय आवंटन	ई ए एस		जे जी एस वाई	
			केंद्रीय आवंटन	खाद्यान्न हेतु निधियां	केन्द्रीय आवंटन	खाद्यान्न हेतु निधियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	3668.31	9952.70	13286.01	9921.52	13259.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	164.67	519.21	692.00	519.38	694.14

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	4281.13	13490.96	17988.00	13495.28	18036.04
4.	बिहार	7300.00	19930.10	26605.00	18730.78	25033.12
5.	छत्तीसगढ़	1620.58	5616.92	7498.12	4197.65	5610.04
6.	गोवा	50.00	22.94	30.62	145.98	195.10
7.	गुजरात	1154.96	3746.38	5001.10	3734.65	4991.25
8.	हरियाणा	679.48	2204.06	2942.24	2197.16	2936.44
9.	हिमाचल प्रदेश	286.16	928.21	1239.09	925.31	1236.65
10.	जम्मू एवं कश्मीर	354.16	1148.80	1533.54	1145.20	1530.52
11.	झारखंड	2751.41	12673.80	16918.46	13771.01	18404.53
12.	कर्नाटक	2317.00	7515.70	10032.82	7492.16	10013.05
13.	केरल	1039.63	3372.27	4501.70	3361.70	4492.81
14.	मध्यप्रदेश	3474.22	10909.15	14562.79	12276.64	16407.36
15.	महाराष्ट्र	4580.15	14856.70	19832.43	14810.16	19793.33
16.	मणिपुर	287.00	904.42	1206.00	904.72	1209.13
17.	मेघालय	321.55	1013.29	1351.00	1013.61	1354.66
18.	मिजोरम	74.41	234.48	313.00	234.54	313.46
19.	नागालैंड	220.57	695.06	927.00	695.29	929.24
20.	उड़ीसा	3509.50	11383.84	15196.46	11348.19	15166.50
21.	पंजाब	330.22	1071.15	1429.90	1067.80	1427.08
22.	राजस्थान	1759.38	5706.92	7618.25	5689.04	7603.23
23.	सिक्किम	82.38	259.60	346.00	259.69	347.06
24.	तमिलनाडु	2713.06	8800.37	11747.75	8772.80	11724.58
25.	त्रिपुरा	518.20	1632.98	2177.00	1633.50	2183.12
26.	उत्तर प्रदेश	10509.37	33634.47	44899.18	2228.37	2978.15
27.	उत्तरांचल	552.30	2246.42	2998.78	33540.13	44825.37
28.	पं. बंगाल	3900.11	12650.87	16887.83	12611.26	16854.53

1	2	3	4	5	6	7
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	50.00	52.94	70.67	96.21	128.59
30.	दा. व न. हवेली	50.00	1.76	2.36	30.77	84.88
31.	दमन व दीव	50.00	52.94	70.67	63.51	41.12
32.	लक्षद्वीप	50.00	3.53	4.71	48.23	64.46
33.	पांडिचेरी	50.00	67.06	89.52	97.76	130.65
	जोड़	58150.00	187300.00	250000.00	187060.00	250000.00

[अनुवाद]

महिला और बाल कल्याण योजनाएं

1438. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री राजो सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिलाओं, बच्चों और युवाओं से संबंधित कितनी कल्याणकारी योजनायें चल रही हैं;

(ख) ये योजनायें कब से चल रही हैं;

(ग) क्या यह सच है कि महिला और बाल विकास संबंधी योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक योजना पर कितनी धनराशि व्यय हुई और प्रत्येक मामले में क्या लक्ष्य हासिल हुआ; और

(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन योजनाओं हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग देश में महिलाओं के लिए 14 स्कीमें, बच्चों के लिए 11 स्कीमें और युवकों के लिए एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। स्कीमों के नाम और उनके प्रारंभ होने के वर्ष विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। देश में महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार लाने में स्कीमों का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसा कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, मातृ व शिशु मृत्यु दरों में कमी, शिशुओं, बालकों और बालिकाओं की मृत्यु दरों के बीच अंतर में निरंतर हो रही कमी, महिला साक्षरता दर में वृद्धि, स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बालकों व बालिकाओं की संख्या में कमी, कार्य में महिलाओं की सहभागिता दर में हो रही वृद्धि, आधारभूत स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की सहभागित में हो रही वृद्धि, आदि से परिलक्षित होता है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान, इनमें से प्रत्येक स्कीम पर व्यय की गयी धनराशि और हासिल किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्रमशः विवरण-II और III में दिया गया है।

(च) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इन स्कीमों के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा देश में महिलाओं एवं बच्चों तथा युवाओं के लिए चलाई जा रही कल्याण स्कीमों की संख्या

क्र. सं.	स्कीम का नाम	स्कीम शुरु किये जाने का वर्ष
1	2	3
क.	**महिलाओं का कल्याण तथा विकास**	
1.	कामकाजी महिला हॉस्टल	1972-73

1	2	3
2.	रोजगार एवं आयोत्पादन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना (नोराड)—सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	1982-83
3.	प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)	1986-87
4.	अल्पावास गृह	1969-70
5.	महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्य	1985
6.	राष्ट्रीय महिला कोष	1992-93
7.	महिला विकास तथा सशक्तिकरण हेतु दूरस्थ शिक्षा	1998
8.	महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण	1958
9.	सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	1958
10.	सार्वजनिक सहकारिता में ग्रामीण निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता विकास परियोजनाएं	1986-87
11.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से स्वयं सेवी संगठनों को सहायता अनुदान तथा महिलाओं तथा बच्चों के क्षेत्रीय संगठनों को सुदृढ़ बनाना	1953
12.	समेकित महिला सशक्तिकरण परियोजना—स्वयंसिद्धा	1995
13.	ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना—स्वशक्ति	1998
14.	महिला समृद्धि योजना	1993

1	2	3
ख.	**बच्चों का कल्याण तथा विकास**	
1.	कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र	1975-76
2.	बाल देखभाल सेवाओं के लिए राष्ट्रीय शिशु गृह कोष	1992-93
3.	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा	1981-82
4.	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	1970-72
5.	अनुसंधान, प्रकाशन एवं प्रबोधन हेतु सहायता अनुदान (इसमें महिलाएं भी शामिल हैं)	1985-86
6.	स्वैच्छिक संगठनों को संगठनात्मक सहायता हेतु अनुरक्षण अनुदान	1987
7.	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	1984-85
8.	समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) (इसमें महिलाएं भी शामिल हैं)	1975
9.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं (इसमें महिलाएं भी शामिल हैं)	1991
10.	आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण—उदिशा (इसमें महिलाएं भी शामिल हैं)	1975-76
11.	बालिका समृद्धि योजना	1997-98
ग.	**युवाओं से संबंधित कल्याण एवं विकास स्कीमें**	
1.	किशोर बालिका स्कीम, जिसका नाम अब किशोरी शक्ति योजना है (किशोरी शक्ति योजना स्कीम समेकित वाल विकास सेवा स्कीम की मुख्य स्कीम का एक भाग है)	1991-92

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक स्कीम पर खर्च की गई राशि

(रुपये करोड़ों में)

क्र० सं०	स्कीमों के नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		ब.प्रा.	व्यय	ब.प्रा.	व्यय	ब.प्रा.	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	**महिलाओं का कल्याण तथा विकास**						
1.	कामकाजी महिला हॉस्टल	7.75	7.72	7.75	6.98	7.02	7.46
2.	रोजगार एवं आयोत्पादन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना (नोराड)—सामाजिक आर्थिक	18.00	17.48	15.00	12.20	13.00	13.95
3.	प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)	16.00	16.07	15.00	13.04	13.00	14.36
4.	अल्पावास गृह	10.00	3.00	13.52	6.75	12.00	8.00
5.	महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्य	0.30	0.30	0.30	0.01	0.20	0.20
6.	राष्ट्रीय महिला कोष	10.00	—	0.01	—	3.00	—
7.	महिला विकास तथा सशक्तिकरण हेतु दूरस्थ शिक्षा	0.01	0.90	1.02	—	1.41	1.41
8.	महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण	9.00	8.79	9.00	1.65	1.50	1.50
9.	सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	9.00	—	5.00	—	1.00	1.00
10.	सार्वजनिक सहकारिता में ग्रामीण निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता विकास परियोजनाएं	2.25	2.14	4.00	2.60	1.80	1.80

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से स्वयं सेवी संगठनों को सहायता अनुदान तथा महिलाओं तथा बच्चों के क्षेत्रीय संगठनों को सुदृढ़ बनाना	14.00	14.00	14.00	2.33	14.00	14.00
12.	समेकित महिला सशक्तिकरण परियोजना—स्वयंसिद्धा	10.00	—	10.00	—	18.00	2.10
13.	ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना—स्वशक्ति	19.30	8.00	12.81	5.00	15.00	8.00
14.	महिला समृद्धि योजना	40.00	17.45	2.04	1.96	15.00	15.96
ख.	**बच्चों का कल्याण तथा विकास**						
1.	कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र	7.50	7.50	5.00	3.85	4.50	4.50
2.	बाल देखभाल सेवाओं के लिए राष्ट्रीय शिशु गृह कोष	1.00	—	0.01	—	0.01	—
3.	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा	0.50	0.40	0.40	—	0.30	0.27
4.	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	3.00	1.44	2.00	—	0.50	0.07
5.	अनुसंधान, प्रकाशन एवं प्रबोधन हेतु सहायता अनुदान (इसमें महिलाएं भी शामिल हैं)	0.50	0.50	0.70	0.50	0.50	0.56
6.	स्वैच्छिक संगठनों को संगठनात्मक सहायता हेतु अनुरक्षण अनुदान	0.20	—	0.20	—	0.20	—
7.	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.25
8.	समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) (इसमें महिलाएं भी शामिल हैं)	603.14	795.84	855.76	880.15	935.00	1047.59

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं (इसमें महिलाएं भी शामिल हैं)	331.95	139.65	231.00	230.75	180.00	140.01
10.	आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण—उदिशा (इसमें महिलाएं भी शामिल हैं)	40.00	40.00	60.00	25.55	35.00	19.95
11.	बालिका समृद्धि योजना	60.00	42.66	40.00	39.97	27.00	21.00

विवरण-III

विगत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित तथा प्राप्त भौतिक लक्ष्य

क्र० सं०	स्कीम का नाम	एकक	1998-99		1999-2000		2000-01	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क.	**महिलाओं का कल्याण तथा विकास**							
1.	कामकाजी महिला हॉस्टल	होस्टलों की सं०	25	14	25	15	20	29
		लाभार्थियों की सं०	2500	1137	2500	1246	2500	195
2.	महिलाओं हेतु रोजगार एवं आयोत्पादन प्रशिक्षण-सह उत्पादन केन्द्रों की स्थापना (नोराड)	महिला लाभार्थियों की सं०	25000	35160	20000	20620	18000	22505
3.	प्रशिक्षण सह-रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)	महिला लाभार्थियों की सं०	16000	565220	16000	6100	30000	52550
4.	अल्पावास गृह	गृहों की सं० (नए)	30	—	30	36	30	117
5.	महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्यक्रम		गैर-परिमाणात्मक					
6.	दूरस्थ शिक्षा		गैर-परिमाणात्मक					
7.	राष्ट्रीय महिला कोष	सहायता लेने वाली महिलाओं की सं०	18000	51982	18000	56250	18000	46559

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण	पाठ्यक्रमों की सं०	1178	306	1178	591	200	1557
9.	सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	एककों की सं०	800	—	400	—	54	—
10.	जागरूकता विकास परियोजनाएं	शिविरों की सं०	2750	2235	2050	795	2110	3422
11.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से स्वयं सेवी संगठनों को सहायता अनुदान		गैर-परिमाणात्मक					
12.	समेकित महिला सशक्तिकरण परियोजना-स्वयंसिद्धा	ब्लाकों की सं०	200	200	200	238	650	650
13.	ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना-स्वशक्ति	जिलों की सं०	12	12	—	—	—	—
		स्व-सहायता दलों की सं०	—	—	740	750	2000	2000
14.	महिला समृद्धि योजना		गैर-परिमाणात्मक					
ख.	**बच्चों का कल्याण तथा विकास**							
1.	कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र	शिशु गृहों की सं०	12470	12470	12470	12470	12470	12470
		लाभार्थियों की सं० (लाखों में)	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
2.	राष्ट्रीय शिशु गृह कोष	नए शिशु गृहों की सं०	450	—	450	—	450	—
		खोले जाने वाले आंगनवाड़ी सह-शिशु गृह	150	—	150	—	—	—
3.	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा	केन्द्रों की सं०	4365	2616	2613	1200	2616	1776
4.	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	लाभार्थियों की सं० (लाखों में)	1.66	0.33	1.66	0.02	0.58	0.29
5.	अनुसंधान प्रकाशन एवं प्रबोधन हेतु सहायता अनुदान	नए अध्ययनों की सं०	25	27	20	12	20	20
6.	स्वैच्छिक संगठनों हेतु सामान्य सहायता अनुदान	स्वैच्छिक संगठनों की सं०	80	—	80	—	80	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान		गैर-परिमाणात्मक					
8.	समेकित बाल विकास सेवाएं	परियोजनाओं की सं० परिचालित	5614	5614	5614	5614	5614	5614
		परियोजनाओं की सं०	4200	4200	4200	4200	4368	4545
9.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं	परियोजनाओं की सं० (पुरानी)	1157	188	793	685	1257	1257
		परियोजनाओं की सं० (नई)	126	266	461	318	168	168
10.	आई.सी.डी.एस. कार्य-कर्ताओं का प्रशिक्षण	बा.वि.परि. अधि. की सं.	500	694	1000	528	705	712
		पर्यवेक्षकों की सं०	2100	1653	1800	1548	3428	2206
		आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सं. ('000)	42	33	41	49	87	54
11.	बालिका समृद्धि योजना	लाभार्थियों की सं. (लाखों में)	12	8.53	12	8	12	5

विवरण-IV

चालू वित्तीय वर्ष (2001-02) के दौरान इन स्कीमों पर खर्च की गई राशि

(रुपये करोड़ों में)

क्र. सं.	स्कीमों के नाम	वार्षिक योजना 2001-02	टिप्पणी
1	2	3	4
क.	**महिलाओं का कल्याण तथा विकास**		
1.	कामकाजी महिला हॉस्टल	9.00	
2.	रोजगार एवं आयोत्पादन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना (नोराड)— सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	18.00	
3.	प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)	18.00	
4.	अल्पावास गृह	10.00	
5.	महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्य	0.28	
6.	राष्ट्रीय महिला कोष	1.00	
7.	महिला विकास तथा सशक्तिकरण हेतु दूरस्थ शिक्षा	0.50	
8.	महिला के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण	2.00	
9.	सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	1.00	
10.	सार्वजनिक सहकारिता में ग्रामीण निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता विकास परियोजनाएं	4.00	
11.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से स्वयं सेवी संगठनों को सहायता अनुदान तथा महिलाओं तथा बच्चों के क्षेत्रीय संगठनों को सुदृढ़ बनाना	15.00	

1	2	3	4
12.	समेकित महिला सशक्तिकरण परियोजना—स्वयंसिद्धा	19.50	
13.	ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना—स्वशक्ति	15.00	
14.	महिला समृद्धि योजना	8.00	
ख.	**बच्चों का कल्याण तथा विकास**		
1.	कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र	7.45	
2.	बाल देखभाल सेवाओं के लिए राष्ट्रीय शिशु गृह कोष	0.97	
3.	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा	0.01	
4.	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	0.01	
5.	अनुसंधान, प्रकाशन एवं प्रबोधन हेतु सहायता अनुदान (इसमें महिलाएं भी शामिल हैं)	1.50	
6.	स्वैच्छिक संगठनों को संगठनात्मक सहायता हेतु अनुरक्षण अनुदान	0.01	
7.	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	0.25	
8.	समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) (इसमें महिलाएं भी शामिल हैं)	1198.00	
9.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं (इसमें महिलाएं भी शामिल हैं)	220.00	
10.	आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण—उदिशा (इसमें महिलाएं भी शामिल हैं)	40.00	
11.	बालिका समृद्धि योजना	25.00	

घरों के निर्माण हेतु धनराशि का आबंटन

1439. श्री प्रकाश वी० पाटील :
श्री पी०एस० गढ़वी :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम और निम्न वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए घरों के निर्माण हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात को किये गये आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य को राज्य सरकारों ने हासिल कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) आवास राज्य का विषय है। आवास और शहरी विकास निगम लि० (हडको), एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, ने गुजरात सहित विभिन्न राज्यों को उनकी विभिन्न आवास परियोजनाओं के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नानुसार धन राशि का आबंटन किया है :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	गुजरात सहित अन्य राज्यों को किया गया कुल आबंटन	गुजरात को किया गया आबंटन
1997-98	1340.01	66.54
1998-99	1525.22	54.98
1999-2000	2000.00	42.54
2000-2001	2130.00	87.71
कुल	6995.23	251.77

(ख) से (घ) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गत चार वर्षों में कुल मिलाकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। तथापि, चूंकि मांग आधारित आबंटनों को अंतिम रूप दिया जा रहा था तथा कुछ राज्यों में मांग पर्याप्त नहीं थी अत: कुछ राज्यों में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रह गयी।

स्व-सहायता समूहों के गठन का उद्देश्य

1440. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की ग्रामीण आबादी में स्व-सहायता समूहों के गठन के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) क्या इस योजना के क्रियान्वयन और कार्य संचालन की कोई आन्तरिक समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) स्व-सहायता समूहों का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता की प्रक्रिया के जरिए ग्रामीण गरीबों को संगठित करना तथा उनकी क्षमता निर्माण करना है ताकि गरीबी का उन्मूलन हो सके। इस प्रक्रिया से गरीबों को अपने संगठन अर्थात् स्व-सहायता समूह बनाने में मदद मिलती है जिनमें ये सक्रिय रूप से सीधे तौर पर भाग लेते हैं तथा अपनी आर्थिक उन्नति हेतु निर्णय लेते हैं।

(ख) और (ग) 23-24 जून, 2001 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में देश में स्व-सहायता समूह आंदोलन और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में स्व-सहायता समूह नीति की समीक्षा की गई थी। सम्मेलन में स्व-सहायता समूह को गरीबों को सामाजिक रूप से जागरूक करने तथा गरीबी उन्मूलन हेतु उनकी क्षमता का निर्माण करने का एक आवश्यक साधन माना गया। सम्मेलन में यह संकल्प भी पारित किया गया कि एस.एच.जी. को एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया जाए तथा 2004 तक देश की प्रत्येक बसावट में कम से कम एक स्व-सहायता समूह हो।

विशिष्ट अनुसंधान अध्ययनों के जरिए भी एस.एच.जी. नीति की समीक्षा की जाती है। हाल ही में किए गये ऐसे ही अध्ययन में एस. जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन में एस.एच.जी. के महत्व को दोहराया गया है। अध्ययन में एस.एच.जी. के जरिए एस.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए की गई सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल है :-

(i) सामाजिक जागरूकता वाली गतिविधियों में वृद्धि करना

(ii) बुनियादी स्तर के कार्मिकों का सामाजिक अभिमुखीकरण

(iii) सामुदायिक कार्यकर्त्ताओं (एनीमेटर) को शामिल करना

(iv) महिलाओं के समूहों और महिला कर्मियों को उत्तरदायित्व सौंपना

(v) ग्राम सभाओं और पल्ली सभाओं क भागीदारी और

(vi) संबंधित विभागों की भागीदारी बढ़ाना।

(घ) और (ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में संसद सदस्यों की नियुक्ति

1441. **श्री मंजय लाल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अध्यक्ष या सहअध्यक्ष के रूप में संसद सदस्यों की नियुक्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति कब तक किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की पंचायती राज संस्थाओं के साथ टकराहट होने की संभावना है चूंकि ये समानान्तर निकाय है और इन दोनों को एक ही धनराशि दी जाती है; और

(घ) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में राज्यों को बकाया धनराशि जारी कर दी है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(ग) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को जहां एक ओर ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में विशेषज्ञता प्राप्त और सक्षम व्यवसायिक एजेंसी माना जाता है वहीं दूसरी ओर जिले में गरीबी उपशमन के सर्वांगीण प्रयासों की प्रभावकारी एजेंसी माना जाता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पंचायती राज संस्थाओं से प्रभावकारी ढंग से समन्वय करें।

(घ) जी, हां। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निधियां पात्र राज्यों को जारी की गई हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास के लिये लंबित परियोजनायें

1442. श्री रामदास आठवले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास आदि से संबंधित कुछ परियोजनायें केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिये लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये राज्यवार और परियोजनावार कब से लंबित पडी हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और वर्षवार राज्यवार तथा योजनावार क्या उपलब्धि रही हैं; और

(घ) लंबित परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001-02 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना तथा केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय में लंबित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) स्वीकृत नहीं की गई परियोजनाओं के लिए कोई निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

(घ) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी इनकी व्यवहार्यता वाटरशेड विकास हेतु दिशा-निर्देशों के प्रति अनुरूपता तथा योजना के लिए निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तथापि, परियोजनाओं के अनुमोदन के बारे में अंतिम निर्णय वित्तीय वर्ष के अंदर ले लिया जाता है। एस.जी.एस.वाई. की परियोजनाओं की मंजूरी के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से संबंधित परियोजना प्रस्तावों के विभिन्न राज्यों को परियोजनाओं के आबंटन के मानदंड के अनुसार शीघ्र ही स्वीकृत कर लिए जाने की संभावना है। तथापि, सी.आर.एस.पी. के अंतर्गत आदर्श गांव और विशेष परियोजनाओं के परियोजना प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आबंटन आधारित कार्यक्रम को इस वित्त वर्ष के अंत तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है।

विवरण

लंबित प्रस्तावों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	संख्या		
		एसजीएसवाई	आईडब्ल्यूडीपी	सीआरएसपी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश		1	
2.	अरुणाचल प्रदेश			2
3.	असम	1	6	3
4.	बिहार	1		
5.	छत्तीसगढ़		1	
6.	गोवा			1
7.	गुजरात			
8.	हरियाणा		1	
9.	हिमाचल प्रदेश		2	
10.	जम्मू व कश्मीर		2	
11.	झारखण्ड			
12.	केरल			2
13.	कर्नाटक		8	
14.	मध्य प्रदेश	1	5	
15.	मणिपुर	1	3	
16.	मेघालय			
17.	मिजोरम			3
18.	महाराष्ट्र	1	3	
19.	नागालैण्ड		5	
20.	उड़ीसा		3	
21.	पंजाब			1

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	2	1	
23.	सिक्किम			
24.	तमिलनाडु			1
25.	त्रिपुरा			1
26.	उत्तर प्रदेश		2	
27.	उत्तरांचल	4	6	

[अनुवाद]

सी०बी०एस०ई० का नया फार्मेट

1443. श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 नवम्बर, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'डिले इन रिलिज ऑफ न्यू सी०बी०एस०ई० फार्मेट अर्कस स्कूल्स' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सी०बी०एस०ई० के नये फार्मेट को जारी करने में हो रही देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और इसके कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड ने कक्षा दस के लिए वर्ष 2002 की परीक्षाओं के लिए गणित विषय की परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कम करने और कुछेक प्रश्नों के लिए आन्तरिक विकल्प देने का निर्णय लिया है। बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों को 15 जुलाई, 2001 के परिपत्र द्वारा इन प्रस्तावित परिवर्तनों से अवगत करा दिया गया था। बोर्ड ने पिछले शैक्षिक सत्र 2000-2001 से अर्थशास्त्र और जीवविज्ञान विषयों में अग्रणी पाठ्यचर्या भी लागू की थी। बोर्ड ने पिछले शैक्षिक वर्ष में इन दोनों विषयों में पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की थी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस सम्बंध में पूरे देश में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए थे।

कक्षा 10 के लिए गणित और कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास के विषयों के प्रश्नों के परिवर्तित स्वरूप को शामिल करते हुए नमूना प्रश्न पत्र अक्तूबर, 2001 के मध्य से विद्यालयों को बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए थे। बोर्ड ने अपने सभी सम्बद्ध विद्यालयों को नमूना प्रश्न पत्रों की एक प्रति नि:शुल्क भेजने की भी व्यवस्था की है।

राष्ट्रीय खेल-प्रतिभा प्रतिस्पर्धा योजना

1444. श्री एन०टी० षणमुगम : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "राष्ट्रीय खेल-प्रतिभा प्रतिस्पर्धा योजना" के अन्तर्गत देश के सुदूरवर्ती और विलग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले 8-12 वर्ष की आयु वर्ग के उत्कृष्ट आनुवंशिकी वाले और शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को प्रोत्साहन देकर उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण के अंगीकृत विद्यालयों में पोषित करने की विपुल संभावनाएं मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में इस हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के विषय में कोई लक्ष्य तय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय खेल-प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन०एस०टी०सी०) को 8-14 वर्ष के आयु वर्ग में जन्मजात प्रतिभावान तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चों को प्रशिक्षित करने तथा उनका भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाये गये विद्यालयों में वैज्ञानिक ढंग से विकास करने के लिए तैयार किया गया है। योजना के अन्तर्गत चयन, पर्वतीय और मैदानी दोनों ही क्षेत्रों से, परीक्षण-श्रृंखला पर आधारित है जिसके द्वारा आयु सत्यापन तथा चिकित्सा आरोग्यता के अधीन रहते हुए, बेहतर प्रेरक गुणों तथा शारीरिक विकास वाले ऐसे बच्चों का पता लगाया जाता है जो भविष्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने में समर्थ हों। चयनित प्रशिक्षणार्थियों को पता लगायी गयी दस खेल-

विधाओं जैसे—एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबाल, फुटबाल, जिम्नास्टिक्स, हाकी, तैराकी, टेबल टेनिस, वालीबाल और कुश्ती में से एक खेल-विधा में वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के लिए स्कूलों/अखाड़ों और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	स्कूलों/ अखाड़ों की संख्या	जीते गए पदकों की संख्या	
			राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय
1998-99	1033	33	38	03
1999-2000	1094	33	42	09
2000-2001	905	34	29	11

(ङ) निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में यह योजना चल रही है :-

(1) आंध्र प्रदेश

(2) अरुणाचल प्रदेश

(3) असम

(4) बिहार

(5) चण्डीगढ़

(6) दिल्ली

(7) गोवा

(8) गुजरात

(9) हरियाणा

(10) झारखण्ड

(11) कर्नाटक

(12) केरल

(13) मध्य प्रदेश

(14) महाराष्ट्र

(15) मणिपुर

(16) मेघालय

(17) नागालैण्ड

(18) उड़ीसा

(19) पंजाब

(20) राजस्थान

(21) तमिलनाडु

(22) त्रिपुरा

(23) उत्तर प्रदेश

(24) पश्चिम बंगाल

राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन

1445. श्री वीरेन्द्र कुमार :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का एक राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) अब तक इस ओर क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) आयोग एक सांविधिक निकाय होगा। यह केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निपटाने जा रहे बच्चों से संबंधित मुद्दों के सभी पहलुओं, यथा कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और उनके कार्यान्वयन की जांच करेगा। आयोग बच्चों को संवैधानिक, कानूनी अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध कराए गये सुरक्षोपायों की स्थिति की मॉनीटरिंग व मूल्यांकन करेगा और इस संबंध में किए जाने वाले उपायों के बारे में समय-समय पर सरकार को सलाह देगा।

(ग) राष्ट्रीय बाल आयोग की यथाशीघ्र स्थापना करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं। व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात्, मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोट का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

राज्यों में बहुमंजिली इमारतों का निर्माण

1446. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार नगरों व महानगरों में मलिन बस्तियों को हटाने के लिए बहुमंजिले आवासीय परिसरों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को भूमि, वित्त तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ "हुडको" और "एच.डी.एफ.सी." द्वारा राज्यवार विशेषकर तमिलनाडु में, कितनी परियोजनाएं चलाई गई और इसका क्या परिणाम निकला?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) आवास के साथ भूमि नियतन भी राज्य का विषय है और स्व-स्थाने विकास अथवा पुनर्बसाव करके स्लम वासियों को हटाने के लिए उपयुक्त स्कीमें बनाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आवास और नगर विकास निगम लि० (हुडको) के मार्फत वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराती है, जो पात्र राज्य सरकारी एजेंसियों को ऋण सहायता तथा तकनीकी जानकारी मुहैया कराता है।

(ख) हुडको द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और विशेषकर तमिलनाडु को आवास स्कीमों के लिए किए गए ऋण नियतन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आवास और नगर विकास निगम लि० (हुडको) राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को केवल वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान कराता है न कि राज्यों में निर्माण परियोजनाएं चलाता है। आवास विकास निगम लि० (एचडीएफसी), जो एक निजी वित्त संस्थान है, ने सूचित किया है कि उसने देश में किसी भी परियोजना का निर्माण नहीं किया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान आवास और शहरी विकास निगम लि० (हुडको) द्वारा किए गए ऋण नियतन तथा मंजूर ऋण के ब्यौरे

(करोड़ रु० में)

वर्ष	तमिलनाडु सहित राज्यों को कुल नियतन	तमिलनाडु राज्य में	
		ऋण नियतन	ऋण मंजूरी
1998-99	1525.22	208.53	478.90
1999-2000	2000.00	236.74	405.36
2000-2001	2130.00	333.16	480.05
कुल	5655.22	778.43	1364.31

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास हेतु 'हुडको' द्वारा संस्वीकृत ऋण

1447. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री 31 जुलाई, 2001 के अतारांकित प्रश्न सं० 1342 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सूचना कब तक एकत्र कर ली जायेगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (घ) आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) को इस प्रश्न के संबंध में आवश्यक जानकारी देने के लिए कहा गया था। परंतु हुडको ने प्रश्न के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं की। हुडको से अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रश्न से उठ रहे आश्वासन को हुडको से अपेक्षित जानकारी मिलते ही पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

उत्तरांचल की राजधानी

1448. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देहरादून को उत्तरांचल राज्य की अस्थायी राजधानी बनाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस राज्य की स्थायी राजधानी बनाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। उत्तरांचल का नया राज्य बनाते समय, सरकार ने बुनियाद सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी देहरादून में बनाने का निर्णय लिया।

(ग) और (घ) उत्तरांचल की स्थायी राजधानी के संबंध में निर्णय उत्तरांचल की सरकार द्वारा लिया जाना है।

खेलों को रद्द/स्थगित करना

1449. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री अम्बरीश :
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **युवक, कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में जिन प्रमुख खेलों को रद्द/स्थगित किया गया, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन खेलों की तैयारी पर कितनी धनराशि खर्च हुई थी;

(घ) क्या जिन स्टेडियमों को भारी रकम खर्च करके सजाया-संवारा गया था, उनका उपयोग नहीं हो पायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इन स्टेडियमों का लाभप्रद तरीके से उपयोग करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका में आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि में देश में उभरते हुए सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, नई दिल्ली में 3 से 11 नवम्बर, 2001 तक एफ्रो-एशियाई खेलों तथा नवम्बर में बंगलौर में विश्व टेनिस डबल्स का आयोजन स्थगित कर दिया गया था।

(ग) एफ्रो-एशियाई खेलों की तैयारी के लिए आज की तारीख तक सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि लगभग 46.31 करोड़ रु० है। विश्व टेनिस डबल्स पर सरकार ने कोई खर्च नहीं किया था।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। स्टेडियमों का खेल संबंधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों का योग्यता के आधार पर चयन

1450. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/2/96-स्था०(आरक्षण) के व्याख्यात्मक विवरण के पैरा 11 के अंतर्गत, योग्यता के आधार पर चयनित अ.ज./अ.ज.जा. और पिछड़ा वर्ग संबंधित व्यक्तियों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में दर्शाना अपेक्षित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. और पिछड़ा वर्ग से संबंधित ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो विभिन्न सेवा-श्रेणियों में योग्यता के आधार पर चयनित भर्ती/पदोन्नत हुए और उनकी गणना उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं की गई; और

(ग) ऐसे कितने उदाहरण हैं जिनमें उक्त अवधि के दौरान, उक्त श्रेणियों से संबंधित प्रत्याशियों को चयनित तो योग्यता के आधार पर किया गया, किंतु जिनके नाम का उल्लेख समायोजन उनके समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के लिए कर दिया गया और इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

'टुवर्ड्स फ्रीडम' पुस्तक के दो खंडों का प्रकाशन

1451. **श्री दिलीप संघाणी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 14 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3035 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एच.आर) ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस के प्रकाशन से यह अनुरोध किया है कि वह 'टुवर्ड्स फ्रीडम' पुस्तक के दो खंडों का प्रकाशन रोक दें;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पुरानी परियोजना पर काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) पुस्तक के खंडों के पुनरीक्षा-कार्य में विलंब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) और (ख) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने प्रकाशक, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस से प्रो० सुमित सरकार एवं प्रो० के.एन. पणिकर द्वारा लिखित दो कृति के दो खण्डों के प्रकाशन के कार्य को अस्थायी तौर पर रोकने का अनुरोध किया है। इन खण्डों की टंकितलिपि का अवलोकन करने का अनुरोध किया गया है। परिषद् ने बताया है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूर्व खण्ड में पायी गई त्रुटियों तथा खामियों की पुनरावृत्ति न हो।

(ग) और (घ) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने सूचित किया है कि परियोजना लगभग 3 वर्षों में पूरी होने की आशा है तथा इन खण्डों की समीक्षा करने में विलंब के कारण यह हैं कि प्रकाशक (ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस) ने इन खण्डों की पाण्डुलिपियां अभी तक वापिस नहीं की हैं। यह मामला दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विवाचक के पास विचाराधीन है।

सीवर लाइनों को संयंत्रों से जोड़ना

1452. **श्री मोइनुल हसन :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उच्चतम न्यायालय को सौंपी उस रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है जो दिल्ली में जल-मल उपचार-संयंत्रों के संबंध में है और जिसमें कहा गया है कि शहर के 17 संयंत्रों से सीवर लाइनों को जोड़ा नहीं गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि सीवेज शोधन संयंत्रों में सीवेज का प्रवाह आंशिक रूप से बड़े (ट्रंक) सीवरों में ठहराव/गाद के कारण अवरुद्ध होता है जिससे सीवेज शोधन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। तथापि, 2008 मिलियन ली० प्रतिदिन की संस्थापित क्षमता की तुलना में सीवेज शोधन संयंत्र की समग्र उपयोग क्षमता 79% (1589 मिलि प्रतिदिन) है।

दिल्ली जल बोर्ड ने गाद हटाने और 91 किमी के बड़े सीवरों के पुनर्स्थापन के लिए कार्ययोजना पहले ही तैयार कर ली है। इन बड़े (ट्रंक) सीवरों का कार्य पूरा होने पर सीवेज शोधन संयंत्रों की उपयोग क्षमता में सुधार होगा।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं

1453. **श्री पी०एस० गढ़वी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार गुजरात में, एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) के कितने ब्लाक चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का अगले तीन वर्षों के दौरान इन आई.सी.डी.एस.-केन्द्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, विशेषकर गुजरात का, ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) विवरण में दिए गए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विकास खंडों में संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आई.सी.डी.एस. स्कीम को लागू करने के साथ ही आई.सी.डी.एस. विकास खंडों की संख्या बढ़ जाएगी।

विवरण

आई.सी.डी.एस. विकास खंडों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.सी.डी.एस. विकास खंडों की संख्या	
		स्वीकृत	कार्यान्वित (30 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	352	251
2.	अरुणाचल प्रदेश	56	46

1	2	3	4
3.	असम	196	107
4.	बिहार	233	171
5.	छत्तीसगढ़	152	152
6.	गोवा	11	11
7.	गुजरात	227	209
8.	हरियाणा	116	116
9.	हिमाचल प्रदेश	72	72
10.	जम्मू व कश्मीर	121	113
11.	झारखंड	152	149
12.	कर्नाटक	185	185
13.	केरल	163	140
14.	मध्य प्रदेश	336	330
15.	महाराष्ट्र	370	268
16.	मणिपुर	34	34
17.	मेघालय	32	32
18.	मिजोरम	21	21
19.	नागालैंड	54	52
20.	उड़ीसा	326	281
21.	पंजाब	142	142
22.	राजस्थान	257	257
23.	सिक्किम	5	5
24.	तमिलनाडु	431	431
25.	त्रिपुरा	42	31
26.	उत्तर प्रदेश	836	518
27.	उत्तरांचल	99	54
28.	पश्चिम बंगाल	358	322
29.	अण्डमान व निकोबार	5	5
30.	चण्डीगढ़	3	3
31.	दिल्ली	28	28
32.	दादर एवं नगर हवेली	1	1
33.	दमन एवं दीव	2	2
34	लक्षद्वीप	1	1
35.	पांडिचेरी	5	5
	कुल	5424	4545

[हिन्दी]

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों का पुनर्गठन

1454. श्री राम शकल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के पुनर्गठन के लिए कोई नीति बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने जून, 1996 में डा० आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त पुनरीक्षण समिति गठित की थी।

पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी। अधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिशों की विस्तृत जांच की तथा विचार व्यक्त किया कि क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करके शैक्षिक/प्रशासनिक स्वायत्तता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। समितियों की सिफारिशों के आधार पर विभाग ने सभी 17 क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों को नया प्रारूप संगम ज्ञापन तथा नियमावली परिचालित की है तथा उनसे अनुरोध किया है कि वे अपने शासी बोर्ड के अनुमोदन से इसे अपना लें। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों द्वारा नया संगम

ज्ञापन और नियमावली अपनाने के पश्चात् उन्हें सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

कामकाजी महिलाओं के होस्टल

1455. श्री अनन्त नायक :
श्री टी० गोविन्दन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कामकाजी महिलाओं के राज्यवार ऐसे कितने होस्टल हैं जिनमें 'डे-केयर' सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को कई गैर-सरकारी संगठनों की ओर से ऐसे और अधिक होस्टल निर्मित करने के लिए सहायता देने के आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने कामकाजी महिलाओं के इन होस्टलों के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) देश में दिवस देखभाल केन्द्रों सहित कामकाजी महिला हॉस्टलों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी, हां। कुल 102 प्रस्ताव प्राप्त हुए। 42 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है। अन्य 80 प्रस्तावों की जांच पर पता चला कि ये प्रस्ताव स्कीम के मानकों के अनुसार नहीं हैं। इसलिए, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा स्वैच्छिक संगठन को अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। कोई भी पूर्ण प्रस्ताव विचारार्थ लंबित नहीं है।

(ङ) और (च) होस्टल के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक होस्टल के लिए एक हॉस्टल प्रबंधन समिति का निर्धारण किया गया है।

विवरण

बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्रों सहित कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टलों की राज्य-वार संख्या
(31-3-2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हॉस्टलों की संख्या	कामकाजी महिलाओं की संख्या	दिवस देखभाल केंद्रों की संख्या	बच्चों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	46	2916	10	280
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	341	2	45
3.	असम	15	837	5	80
4.	बिहार	8	482	4	105
5.	गोवा	2	120	—	—
6.	गुजरात	37	1868	6	180
7.	हरियाणा	18	1453	9	255
8.	हिमाचल प्रदेश	14	564	—	—
9.	जम्मू व कश्मीर	5	352	2	40
10.	कर्नाटक	80	6678	29	801
11.	केरल	140	12407	80	2191
12.	मध्य प्रदेश	67	3481	14	391
13.	महाराष्ट्र	122	8823	45	1090
14.	मणिपुर	12	579	7	200
15	मेघालय	3	214	1	15
16.	मिजोरम	3	104	—	—
17.	नागालैण्ड	9	543	3	60
18.	उड़ीसा	28	1763	8	140
19.	पंजाब	14	1460	4	110

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	37	1709	13	300
21.	सिक्किम	2	144	1	30
22.	तमिलनाडु	90	5748	34	830
23.	त्रिपुरा	1	50	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	38	2811	11	325
25.	उत्तरांचल	2	134	2	74
26.	प. बंगाल	37	2524	15	376
	कुल (राज्य)	839	58105	305	7918
	संघ राज्य				
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	36	—	—
28.	चण्डीगढ़	6	580	2	55
29.	दिल्ली	20	2620	7	193
30.	पांडिचेरी	4	223	—	—
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	31	3459	9	248
	समस्त भारत	870	61564	314	8166

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना

1456. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कुछ और क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थलवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यालयों की स्थापना कब तक की जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कच्छ विकास बोर्ड

1457. श्री हरिभाई चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औपचारिक रूप से कच्छ विकास बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की थी जो कि लम्बे समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्तावित बोर्ड के लिए प्रक्रिया से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त बोर्ड के स्थापनार्थ राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को एक व्यापक प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस बोर्ड की स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि अहमदाबाद में 3 मई, 1998 को आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कच्छ क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए कच्छ विकास बोर्ड के गठन की आवश्यकता के बारे में बोला था।

(ख) से (च) कच्छ के लिए एक पृथक विकास बोर्ड गठित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया था, जिसके बाद इस बात पर सहमति हुई थी कि राज्य सरकार अधिकारियों के एक दल को भेजकर महाराष्ट्र में विकास बोर्डों के कार्यकरण का अध्ययन कराने के बाद इस मामले की पुनरीक्षा करेगी। राज्य सरकार ने भारत सरकार को इस मामले में अभी तक उत्तर नहीं दिया है।

शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता

1458. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो सुरक्षित पेयजल में कमी आने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए योजनागत आवंटन बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस आवंटन में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के एकीकृत जल संसाधन विभाग के राष्ट्रीय आयोग की सितम्बर 1999 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उपयोग योग्य पानी की उपलब्धता और 1997-88, 2010, 2025 और 2050 के लिए विभिन्न उपयोगों हेतु पानी की आवश्यकता और मांग का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। जहां तक शहरी आबादी को पेयजल आपूर्ति सुविधाओं का प्रश्न है तो विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों/जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्डों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.3.2000 की स्थिति अनुसार लगभग 89% शहरी आबादी को जल आपूर्ति सुविधाएं प्राप्त हैं। तथापि अधिकांश शहरी क्षेत्रों में पानी की गुणता और मात्रा मानकों के अनुरूप नहीं है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जल आपूर्ति सुविधा प्राप्त आबादी का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II दिया गया है।

(ग) और (घ) योजना आयोग की सूचना अनुसार दसवीं योजना अभी तैयार की जानी है।

विवरण-I

दिनांक 27.11.2001 के लिए लोक सभा प्रश्न 1458 के भाग (क) व (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

मात्रा क्यूबिक कि०मी० में (के एम 3)

	1997-98	2010	2020	2050
उपयोग योग्य उपलब्ध पानी	996	996	996	996
सभी उपयोगों के लिए पानी की अनुमानित आवश्यकता	629	694	784	973
(जिसमें से घरेलू उपयोग के लिए पानी आवश्यकता)	(30)	(42)	(55)	(90)

कोष्ठकों में दिखाई गई घरेलू उपयोग (पेयजल प्रयोजनों सहित) के लिए पानी की आवश्यकता शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए है। शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से आकंडे उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय शहरी जल आपूर्ति और सफाई स्थिति—भारत

31.3.2001 स्थिति अनुसार जल आपूर्ति सुविधा युक्त शहरी आबादी की राज्यवार स्थिति

(आबादी .000)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	अनुमानित आबादी 31.3.2001 के अनुसार	निम्न के जरिए जल आपूर्ति युक्त आबादी			
			घर में आपूर्ति	सार्वजनिक नल	कुल	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश पीआर-पीएचईडी	15738	6767	4008	10775	68
	आन्ध्र पीआर-एचएमडब्लूएसएसबीडी	3500	2640	500	3140	90
	आन्ध्र पीआर-कुल	19238	9407	4508	13915	72
2.	अरुणाचल प्रदेश	231	117	25	142	61

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	3100	600	200	800	26
4.	बिहार**	11892	4187	5327	9541	80
5.	दिल्ली	13300	9560	3740	13300	100
6.	गोवा	557	439	118	557	100
7.	गुजरात**	16810	13227	3307	16534	98
8.	हरियाणा	3705	2108	402	2510	68
9.	हिमाचल प्रदेश	596	509	87	596	100
10.	जम्मू और कश्मीर	1378	1240	50	1290	94
11.	कर्नाटक यूडब्लूएस और डीबडी	11000	6720	2420	8140	74
	कर्नाटक बीडब्लूएसएसबीडी	5750	3525	1175	4700	82
	कर्नाटक कुल	16750	9245	3595	12840	77
12.	केरल	7680	3260	2764	6024	78
13.	मध्य प्रदेश	25000	16200	8800	25000	100
14.	महाराष्ट्र-एमजेपी					
	महाराष्ट्र-एमएमसी					
	महाराष्ट्र कुल**	30309	23744	10176	33920	99
15.	मणिपुर	969	401	170	657	68
16.	मेघालय	457	221	201	422	92
17.	मिजोरम	258	63	30	93	36
18.	नागालैण्ड	296	232	0	232	78
19.	उड़ीसा	4877	859	2221	3080	63
20.	पंजाब	8496	5212	317	5520	65
21.	राजस्थान	12897	10318	2579	12897	100

1	2	3	4	5	6	7
22.	सिक्किम	156	137	8	145	93
23.	तमिलनाडु-टीडब्लूएडीबीडी	19515	8107	8734	16841	86
	तमिलनाडु-सीएमडब्लूएसएसबीडी	6010	5729	117	5846	97
	तमिलनाडु कुल	25525	13836	8851	22687	89
24.	त्रिपुरा	553	136	327	463	84
25.	उत्तर प्रदेश	33000	16100	16500	32600	99
26.	प० बंगाल-सीएमडीए					
	प० बंगाल पीएचईडी					
	प० बंगाल-कुल**	18495	6261	9505	15766	85
	कुल राज्य	260525	147699	83814	231513	89
	केन्द्र शासित प्रदेश					
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	109	98	9	107	98
2.	चण्डीगढ़	762	610	152	762	100
3.	दादरा और नगर हवेली	15	9	5	14	93
4.	दमन और दीव	47	6	1	7	15
5.	लक्षद्वीप	30	0	20	20	67
6.	पाण्डिचेरी	678	598	80	678	100,
	कुल केन्द्र शासित प्रदेश	1641	1321	267	1588	97
	सकल योग	262166	149020	84081	233101	89

टिप्पणियां

एचएससी—घर में आपूर्ति, पीएसपी—सार्वजनिक नल

*केवल प्राप्यता दर्शाता है जल आपूर्ति की पर्याप्तता और एक समान वितरण भारत सरकार के निर्धारित मानकों अनुसार नहीं है।

**आंकड़े 31.3.1997 के अनुसार हैं क्योंकि संबंधित राज्यों ने 31.3.2000 की स्थिति अनुसार सूचना नहीं दी है।

ग्रामीण जल-आपूर्ति योजना में जन-भागीदारी

1459. श्री चिंतामन वनगा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में 10 प्रतिशत जन-भागीदारी को अनिवार्य बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ङ) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्यों का विषय होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने हेतु योजनाएं, राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से कार्याकन्वत की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर. डब्ल्यू.एस.पी.) और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) के ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत निधियां मुहैया कराकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतंर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजना की योजना बनाने, उन्हें मंजूरी देने तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में जन-भागीदारी अनिवार्य नहीं है।

तथापि, ग्रामीण जल आपूर्ति गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने के विचार से ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में सुधार शुरु किए गए हैं ताकि ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने के लिए उपयोग किए जा रहे स्रोतों तथा प्रणालियों का स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके। इन सुधारों/परियोजनाओं को परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाता है। प्रायोगिक आधार पर इन क्षेत्र सुधार परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा 63 जिलों की पहचान की गई है। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधियों के एक भाग का उपयोग इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है, जो प्रायोगिक जिलों में सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को रिलीज की जाती हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत, समुदाय स्वयं की पसंद की ग्रामीण जल आपूर्ति योजना की योजना बनाते, उन्हें मंजूरी देते, वित्तपोषित करते, कार्यान्वित करते तथा उनका प्रबंध करते हैं। इसलिए, समुदाय को पूंजी लागत का कम से कम 10 प्रतिशत वहन करना होता है ताकि उनके मन में जल आपूर्ति योजना की अधिकारिता तथा स्वामित्व की भावना पैदा हो। उसके बाद, जनसमुदाय द्वारा इसे अपने अधिकार में ले लिया जाता है तब समुदाय के लिए इस योजना के संचालन तथा रखरखाव की पूरी जिम्मेवारी लेने की जरूरत होती है।

जागरूकता अभियानों, क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसी उपयुक्त सामुदायिक विकास गतिविधियों के जरिए योजना को कार्यान्वित करने से पहले, जिला कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए यह आवश्यक है कि वे समुदाय को क्षेत्र सुधार सिद्धांतों के बारे में स्पष्ट करें। उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे समुदाय के साथ पारस्परिक बातचीत करते हुए उनसे प्राप्त अभ्यावेदनों का निदान करें ताकि उन्हें पूंजी लागत में आंशिक भागीदारी तथा संचालन और रखरखाव का संपूर्ण खर्च वहन करने की आवश्यकता तथा महत्व के बारे में बताया जा सके।

[हिन्दी]

राजीव गांधी शिक्षा मिशन

1460. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राजीव गांधी शिक्षा मिशन का कार्य-निष्पादन क्या है;

(ख) राजीव गांधी मिशन के तत्वाधान में राज्य के कितने जिलों में जन शिक्षा संस्थान चलाए जा रहे हैं;

(ग) क्या जन शिक्षा संस्थान का राज्य के विद्यालयों के पाठ्यक्रमों पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) मध्य प्रदेश राज्य में प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता को सर्वसुलभ बनाने के लिए मध्य प्रदेश फर्म एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन एक पंजीकृत निकाय है। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई राजीव गांधी शिक्षा मिशन की उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) राजीव गांधी मिशन के तत्वाधान में राज्य में जनशिक्षण संस्थान नहीं चलाये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कवरेज

जिलों की संख्या	33
ब्लाकों की संख्या	236
कलस्टर संसाधन केन्द्रों की संख्या	4325

पहुंच

नए प्राथमिक स्कूलों की संख्या	4209
शिक्षा गारंटी स्कूलों की संख्या	23856
जी ए आर (सकल पहुंच अनुपात)	100%
जी ई आर (सकल नामांकन अनुपात)	96%

निर्माण कार्य

ब्लाक संसाधन केन्द्र भवन निर्माण	236
नए प्राथमिक स्कूल भवन निर्माण	12883
शिक्षा गारंटी योजना स्कूल भवन निर्माण	4954
अतिरिक्त कमरों का निर्माण	4555
उन स्कूलों की संख्या जिनमें पीने के पानी की सुविधा प्रदान की गई है।	3866
उन स्कूलों की संख्या जिनमें सामान्य शौचालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं।	3948
उन स्कूलों की संख्या जिनमें लड़कियों के लिए शौचालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं।	3569

शिक्षक प्रशिक्षण

शिक्षक प्रशिक्षण विकेन्द्रीकृत पैटर्न.. उन मास्टर प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिन्हें वर्ष 2001-2002 में प्रशिक्षित किया गया।	7497
वर्ष 2001-2002 में प्रशिक्षित जी की संख्या	25990
वर्ष 2001-2002 में प्रशिक्षित शिक्षाकर्मियों की संख्या	50902
वर्ष 2001-2002 में प्रशिक्षित स्कूल शिक्षकों की संख्या	78749

स्कूलों का विकेन्द्रीकरण प्रबन्धन

प्राथमिक स्कूल स्तर पर संचालित ग्राम शिक्षा समितियों की संख्या	43418
शिक्षा गारंटी योजना स्कूल स्तर पर संचालित शाला प्रबंध समितियों की संख्या	23856

प्रौढ़ साक्षरता

पढ़ना बढ़ना आंदोलन (संपूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियानों की नई कार्यनीति) को प्रौढ़ साक्षरता के लिए जन सहयोग से आरम्भ किया गया--	अक्टूबर, 1999
— पढ़ना बढ़ना समितियां गठित की गई	2,17,000
— पढ़ना बढ़ना समितियों में प्रौढ़ों को नामांकित किया गया	51,18,000
— प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया	30,85,638
— पढ़ना बढ़ना समितियों को स्वयंसेवी समूहों में अन्तरित किया गया	47,601
— एस एच जी बचत	1,27,31,193/-रु.

साक्षरता दर में उपलब्धि

	वर्ष 1999 की जनगणना	वर्ष 2001 की जनगणना	वृद्धि
पुरुष	29.35	50.28	20.93
महिला	58.54	76.80	18.26
कुल	44.67	64.11	19.44

[अनुवाद]

तमिलनाडु में ग्रामीण विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

1461. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए गैर-सरकारी

संगठनों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये गये अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी गैर-सरकारी संगठनों ने संपूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धन के दुरुपयोग से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा

1462. **श्री लक्ष्मण सेठ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालब में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली में कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम

1463. **श्री रामचन्द्र पासवान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना की कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस योजना को और प्रयोजनात्मक बनाने के लिए इसमें पायी गयी खामियों को दूर, करने हेतु कौन-कौन से उपायों पर विचार किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) सामुदायिक आरक्षी योजना (कम्युनिटी पोलिसिंग स्कीम) पिछले कई वर्षों से दिल्ली में चल रही है। तथापि, इस वर्ष फरवरी में, दिल्ली पुलिस ने सामुदायिक आरक्षी योजना को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस और जनता के बीच परस्पर बातचीत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक योजनाओं को एक में समाविष्ट करके एक संशोधित स्कीम शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, जनता के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से अपराध रोकना है।

(ग) से (ङ) दिल्ली पुलिस इस योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से पुनरीक्षा करती रही है और खामियों, यदि कोई हो, को दूर करना एक सतत प्रक्रिया है।

पेट्रोल पम्पों के अधीन अभिगृहीत भूमि का सर्वेक्षण

1464. **श्री साहिब सिंह :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पेट्रोल पम्पों द्वारा अभिगृहीत भूमि, उन्हें आवंटित की गयी भूमि पर अवैध निर्माण/उनके द्वारा अभिगृहीत अतिरिक्त भूमि का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण के परिणाम क्या हैं; और

(ग) ऐसे अतिरिक्त अवैध निर्माण को गिराने और उनके द्वारा अभिगृहीत अतिरिक्त भूमि को लेने का सरकार का क्या कार्यक्रम है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण समिति ने 276 पेट्रोल पम्पों का निरीक्षण किया था और 191 पैट्रोल पम्पों में अतिक्रमण पाया गया। स्थानीय एजेंसियों ने उन पेट्रोल पम्प मालिकों को नोटीस जारी किए हैं, जिन्होंने किए गये वास्तविक आवंटन से अधिक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। कुछ पेट्रोल पम्प मालिक अतिक्रमण के लिए उन्हें जारी किए गए नोटिस के खिलाफ न्यायालय में चले गए और इस प्रकार उनका मामला न्यायाधीन है। पेट्रोल पम्प स्थलों में अतिक्रमणों का पता लगाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) सभी अतिक्रमणों/अनधिकृत निर्माणों, पट्टा करार के निबंधन व शर्तों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करने के लिए स्थानीय निकायों/भूस्वामी एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

आरक्षित पदों को अनारक्षित किया जाना

1465. **श्री शमशेर सिंह ढूलो : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/6/99-स्था०(एससीटी) दिनांक 25 अप्रैल, 1989 के द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की आरक्षित रिक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद बड़ी संख्या में इन रिक्तियों/पदों को अनारक्षित किया जा रहा है और इन पदों पर अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मंत्रालयाधीन तथा उससे सम्बद्ध सभी कार्यालयों में उन दृष्टांतों का ब्यौरा क्या है जिनमें इन वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित किया गया है और 01-04-1989 से उनके लिए आरक्षित पदों को अन्य व्यक्तियों द्वारा भरा गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति

1466. **श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के सारे उपक्रमों/उद्यमों, सांविधिक संगठनों/निगमों, स्वायत्तशासी संगठनों, उनके मंत्रालय से सम्बद्ध तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कुल कितने पद हैं; और

(ख) डी.ओ.पी.टी. कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था०(आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अंतर्गत अनुदेशों के अनुसार इन पदों के विरुद्ध सामान्य, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों में इनकी प्रतिशतता क्रमश: कितनी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण

1467. **सरदार बूटा सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शैक्षणिक, प्रबंधकीय तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु चयनित/प्रायोजित/नामनिर्दिष्ट/प्रतिनियुक्त करती है जबकि कुछ मामलों में ऐसे प्रशिक्षण की लागत प्रायोजक देशों/एजेंसियों द्वारा द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के वर्षवार कितने व्यक्तियों को ऐसे अल्पकालिक/दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनकी प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष व्यवस्था की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग)

वर्ष	विदेश में प्रशिक्षण पर भेजे गये अधिकारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ी जाति के कार्मिक	प्रतिशतता
1998-99	44	5	11.36%
1999-2000	53	3	5.66%
2000-2001	29	5	17.24%

(घ) से (च) जी, नहीं। तथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति को शामिल करने के लिए प्रयास किये जाते हैं बशर्ते इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उनकी उपलब्धता और उपयुक्तता हो।

संपर्क अधिकारियों का नामांकन

1468. श्री रमेश सी० जीगाजीनागी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० एच० ए० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/17/67-स्था (ग) दिनांक 10.04.1968 (डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/5/76 दिनांक 27.5.1976) के अन्तर्गत जैसा कि अपेक्षित है, उनके अधीन कुछ विभाग/अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय/सरकारी क्षेत्र और स्वायत्तशासी संगठन निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के मामले में सरकार के निर्देशों के उचित पालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के संपर्क अधिकारियों को नामित नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे अधिकारियों/संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उनके अधीन प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करने वाले संगठनों/अधिकारियों की कुल संख्या क्या है जो स्थापना और कर्मचारी वर्ग के मामलों को देखते हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार उक्त निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए कितनें संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत बचदा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सम्पर्क अधिकारियों का नामांकन

1469. श्री रामजीलाल सुमन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०एच०ए० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/17/67-स्था (ग) दिनांक 10.4.1968 (डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/5/76 दिनांक 27.5.1976) के अंतर्गत जैसाकि अपेक्षित है उनके अधीन कुछ विभाग/अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय/सरकारी क्षेत्र और स्वायत्तशासी संगठन निगम अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के मामले में सरकार के निर्देशों के उचित पालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के संपर्क अधिकारियों को नामित नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे अधिकारियों/संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उनके अधीन 'प्रशासनिक इकाइयों' के रूप में कार्य करने वाले संगठनों/अधिकारियों की कुल संख्या क्या है जो स्थापना और कर्मचारी वर्ग के मामलों को देखते हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार उक्त निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए कितने संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (भारत सरकार का उपक्रम)।

(2) भारतीय जनजातीय विपणन विकास संघ लिमिटेड (बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत शीर्ष स्तरीय सहकारी सोसायटी)।

(घ) जी, दो।

विदेशों में प्रशिक्षित अधिकारी

1470. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शैक्षणिक प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु चयनित/प्रायोजित/नामनिर्दिष्ट/प्रतिनियुक्त करती हैं जबकि कुछ मामलों में ऐसे प्रशिक्षण की लागत प्रायोजक देशों/एजेन्सियों द्वारा द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के वर्षवार कितने व्यक्तियों को ऐसे अल्पकालिक/दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनकी प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियों, अनसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष व्यवस्था की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (च) संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए यह मंत्रालय अधिकारियों को नामित करता है। अधिकारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा जाता है जो उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करते हैं। पिछले तीन वर्षों में भारत से बाहर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए भेजे गए अधिकारियों की संख्या निम्नप्रकार है :-

वर्ष	सामान्य	अ.जा./अ.ज.जा./ अन्य पिछड़े वर्गों	कुल	%अ.जा./अ.ज.जा./ अन्य पिछड़े वर्गों
1998	6	2	8	25
1999	2	1	3	33.3
2000	—	0	1	100

भारतीय पुलिस सेवा के निलंबित अधिकारी

1471. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय पुलिस सेवा के राज्यवार कितने अधिकारी निलंबित/बर्खास्त किये गये;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) (i) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राज्य संवर्गों के भारतीय पुलीस सेवा के 25 अधिकारियों को सरकारी पद के दुरुपयोग, कर्तव्य की अवहेलना और भ्रष्टाचार तथा आपराधिक आरोपों के कारण निलंबित किया गया :- जम्मू और कश्मीर-1, केरल-2, महाराष्ट्र-2, मध्य प्रदेश-1, मणिपुर/त्रिपुरा-1, हरियाणा-2, तमिलनाडु-1, संघ शासित क्षेत्र-1, उत्तर प्रदेश-8, उड़ीसा-1, असम व मेघालय-1, गुजरात-4 । इनमें से दो अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं।

(ii) कर्नाटक, केरल, गुजरात तथा महाराष्ट्र संवर्गों के, भारतीय पुलिस सेवा के चार अधिकारियों, प्रत्येक के एक-एक, को कर्तव्य की अवहेलना, भ्रष्टाचार तथा आय से अधिक संपत्ति रखने, जाति का नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त की हत्या के आरोपों के कारण बर्खास्त किया गया। इनमें से एक अनुसूचित जाति समुदाय का है।

नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या

1472. श्री राजैया मल्याला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में नि:शक्त व्यक्तियों की राज्यवार और श्रेणीवार वर्तमान संख्या क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : 2001 की जनगणना के अनुसार देश में राज्य-वार और श्रेणी-वार नि:शक्त व्यक्तियों की जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

विदेशों में अधिकारियों को प्रशिक्षण

1473. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शैक्षणिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु चयनित, प्रायोजित/नामनिर्दिष्ट/प्रतिनियुक्त करती है जबकि कुछ मामलों में ऐसे प्रशिक्षण की लागत प्रायोजक देशों/एजेंसियों द्वारा द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के वर्षवार कितने व्यक्तियों को ऐसे अल्पकालिक, दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनकी प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष व्यवस्था की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों में प्रशिक्षण अधीन अधिकारियों की संख्या व अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिशत की जानकारी नीचे दी गई है।

वर्ष	अधिकारियों की संख्या	अनु०जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ों वर्गों की प्रतिशत सहित संख्या
1998 99	3	शून्य
1999-2000	11	5 (45.45 प्रतिशत)
2000-2001	5	1 (20 प्रतिशत)

(घ) से (च) यह मंत्रालय अनेक नोडल विभागों, अंतर्राष्ट्रीय और अन्तर्शासकीय संगठनों से प्राप्त परिपत्रों के प्रत्युत्तर में नामांकन की सिफारिश करता है। नामांकन की सिफारिश करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को उचित वेटेज दिया जाता है।

दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण

1474. श्री रघुनाथ झा :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के बारे में 14.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3512 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिनांक 31.7.2001 के उच्चतम न्यायालय के सी०डब्लू० संख्या 725/1994 में आदेश की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उक्त निर्णय पर क्या कार्रवाई की गयी है / किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना मुख्य दिल्ली में अवैध रूप से अतिक्रमण किये गये क्षेत्रों और अवैध निर्माणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवैध अतिक्रमण किये गये क्षेत्रों और अवैध निर्माणों को कब तक हटाये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31.7.2001 के अपने आदेश में दिल्ली में अनधिकृत अतिक्रमण और अवैध निर्माण की बढ़ती हुई समस्या के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। माननीय न्यायालय ने रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को इस संबंध में अलग से शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

माननीय न्यायालय के निदेशों के अनुसार मुख्य सचिव और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

(ग) मुख्य सचिव, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई सूचना के अनुसार 30.9.2001 तक सरकारी/गांव सभा भूमि पर अतिक्रमण किए गए क्षेत्रों के ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने भी शपथपत्र दाखिल किया जिसमें दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने सभी 12 जोनों में शिनाख्त की गई संपत्तियों के संबंध में 1996 से अब तक 5 वर्षों के आंकड़े दिए गए। 12 खंडों में प्रस्तुत इन आंकड़ों में प्रत्येक जोन में दर्ज 10% संपत्तियों के रैंडम सर्वेक्षण के आधार पर संपत्तियों की मौजूदा स्थिति बताई गई है।

(घ) अनधिकृत रूप से अतिक्रमण किए गए क्षेत्रों और अवैध निर्माणों का पता लगाना और उनके विरुद्ध उचित नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अत: इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण

30.9.2001 तक सरकारी/गांव सभा भूमि पर अतिक्रमण

क्र.सं.	विभाग का नाम	कुल क्षेत्र वर्ग मीटर में	अतिक्रमण किया गया कुल क्षेत्र वर्ग मीटर में	स्थगनाधीन क्षेत्र वर्ग मीटर में	वापस लिया गया क्षेत्र वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5	6
1.	लोक निर्माण विभाग	18746465.00	289895.00	10868.00	36017
2.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	7071800.00	125000	3899.00	—

1	2	3	4	5	6
3.	स्वास्थ्य विभाग	2314756.28	113663.00	37838.14	4000.00
4.	दिल्ली जल बोर्ड	14352000.00	214280	—	1700.00
5.	विकास विभाग	122672369.00	2397954.00	107024.00	1147517.00
6.	सिंचाई विभाग	21755915.00	420499.07	25593.29	—
7.	गृह विभाग	1018702.00	—	14.50	—
8.	शिक्षा विभाग	6729139.00	56880.00	16100.00	2926.00
9.	तकनीकी शिक्षा विभाग	2066605.00	25549.00	1431.00	—
10.	उद्योग	1439906.00	32519.63	1422.90	627.65
11.	दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम	5333963.00	31370	3350.11	231.51
12.	सामाजिक कल्याण	525799.00	41083.00	—	—
	कुल	203980419	3748707.20	207526.44	1193019.16

स्वयंसिद्धा योजना

1475. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वयंसिद्धा योजना से लाभान्वित होने वाले ब्लाकों और ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या क्या है;

(ख) सरकार ने इस योजना के लिए कितनी धनराशि जारी की है;

(ग) क्या ग्रामीण महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) स्वयंसिद्धा को 650 विकास खंडों में लागू किया जाना है। अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 35 विकास खंड—विशिष्ट परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है और 284 विकास खंड—विशिष्ट परियोजनाएं स्वीकृत करने की शक्ति राज्यों को प्रत्यायोजित की गयी है।

(ख) 495.04 लाख रुपए।

(ग) और (घ) चूंकि इस स्कीम को मार्च, 2001 में ही शुरू किया गया है और यह अभी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए इस बात का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है कि इस स्कीम का लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा है या नहीं।

तथापि, इसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

दीर्घकालिक उद्देश्य :

सभी चल रहे क्षेत्रक कार्यक्रमों के संघटन व संकेन्द्रण की सतत् प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं को संसाधनों की प्रत्यक्ष सुलभता तथा उन पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित करके विशेषकर सामाजिक व आर्थिक रूप से महिलाओं का सर्वांगीण सशक्तिकरण।

तात्कालिक उद्देश्य :

(i) महिलाओं के आत्मनिर्भर स्व-सहायता समूहों की स्थापना।

(ii) महिलाओं की स्थिति, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सफाई व स्वच्छता, कानूनी अधिकारों, आर्थिक उत्थान और उनसे

संबंधित अन्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक मुद्दों के संबंध में स्व-सहायता समूहों के सदस्यों में जागरुकता व विश्वास पैदा करना।

(iii) ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालना तथा आर्थिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण को सुदृढ़ व संस्थागत बनाना।

(iv) महिलाओं को लघु ऋण सुलभ कराने की स्थिति में सुधार लाना।

(v) स्थानीय स्तर की आयोजना में महिलाओं की सहभागिता।

(vi) महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य विभागों की सेवाओं का संकेन्द्रण।

9,29,250 महिलाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मार्च, 2006 में समाप्त होने वाली 6-वर्षीय परियोजनावधि के लिए महिलाओं के 53,100 आत्म-निर्भर स्वं-सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों की निगरानी के लिए राज्यों में समिति का गठन

1476. **श्री जी०जे० जावीया :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को ग्रामीण-क्षेत्रों के विकास कार्यों की निगरानी के लिए निगरानी समिति गठित करने का निर्देश दिया है;

(ख) क्या सभी राज्यों ने ऐसी समितियां गठित कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब गठित किया गया;

(घ) यदि नहीं, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने अब तक ऐसी समितियां गठित नहीं की हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां। राज्यों को निदेश देते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वियन का पर्यवेक्षण करने, सतर्कता बरतने तथा निगरानी करने के लिए सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित करें।

(ख) और (ग) प्राय: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी समितियां गठित की है, जिनकी तारीखें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) वर्तमान छत्तीसगढ़ के सभी जिलों सहित, मध्य प्रदेश के अविभाजित राज्य में सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई थी, तथापि छत्तीसगढ़ से राज्य स्तरीय समिति के गठन के संबंध में जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू-कश्मीर में जिला विकास बोर्ड की प्रणाली है, जो ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करती है। राज्य सरकार का विचार है कि दूसरी जिला स्तरीय समिति के गठन से दुहरापन आयेगा।

विवरण

सतर्कता एवं निगरानी समितियों के गठन की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	गठन की तारीख
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	17.3.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.10.97
3.	असम	6.3.99
4.	बिहार	उपलब्ध नहीं
5.	छत्तीसगढ़	उपलब्ध नहीं
6.	गोवा	उपलब्ध नहीं
7.	गुजरात	5.2.97
8.	हरियाणा	19.6.97
9.	हिमाचल प्रदेश	2.1.97
10.	जम्मू एवं कश्मीर	6.3.96
11.	झारखंड	12.9.2001
12.	कर्नाटक	14.2.97
13.	केरल	4.12.95
14.	मध्य प्रदेश	21.1.99
15.	महाराष्ट्र	2.7.97

1	2	3
16.	मणिपुर	16.9.97
17.	मेघालय	19.2.96
18.	मिजोरम	23.11.95
19.	नागालैंड	25.10.97
20.	उड़ीसा	29.6.96
21.	पंजाब	4.6.99
22.	राजस्थान	2.3.96
23.	सिक्किम	6.3.99
24.	तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं
25.	त्रिपुरा	29.5.99
26.	उत्तर प्रदेश	13.5.97
27.	उत्तरांचल	उपलब्ध नही
28.	प. बंगाल	फरवरी, 99
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	18.9.98
30.	दा. व न. हवेली	7.1.96
31.	दमन व दीव	25.1.96
32.	लक्षद्वीप	मार्च, 96
33.	पांडिचेरी	6.2.96

इन्दिरा आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना

1477. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण आवास योजना इन्दिरा आवास योजना से अलग है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण आवास विस्तृत रूप से इंदिरा आवास योजना प्रणाली पर आधारित है। हालांकि यह योजना इंदिरा आवास योजना से थोड़ी सी अलग है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण आवास के तहत निधियों का आबंटन योजना आयोग द्वारा तय किया जाता है तथा वित मंत्रालय/गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां सीधे तौर पर जारी की जाती हैं जबकि इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जिलावार निधियां आबंटित/जारी की जाती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण आवास के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिलावार लक्ष्य तय किये जाते हैं जबकि इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जिलावार लक्ष्य तय किये जाते हैं।

तिहाड़ जेल मे महिला कैदी

1478. प्रो० आई०जी० सनदी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिहाड़ जेल, दिल्ली के महिला प्रकोष्ठ की क्षमता कितनी है और इस समय इसमें कितनी महिला कैदी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जेलों में सड़ रही अधिकांश विचाराधीन कैदी अपने अपराध से अधिक सजा काट चुकी हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कितनी महिला कैदी हैं;

(घ) विचाराधीन महिला कैदियों के मामले को शीघ्र निपटाए जाने के लिए गत तीम वर्षों के दौरान तिहाड़ जेल में कितनी विशेष अदालतों का गठन किया गया है; और

(ङ) इनमें कितनी महिला कैदियों को रिहा किया जा चुका है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) 20 नवम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार महिला जेल यानि केन्द्रीय कारागार संख्या 6ए, तिहाड़ में, इसकी 400 कैदियों की क्षमता के मुकाबले इसमें 497 महिला कैदी रखे गए हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि, अधिकांश महिला कैदी विचाराधीन हैं, इनमें से किसी ने भी दोषी सिद्ध होने पर मिलने वाली सजा से अधिक सजा नहीं काटी है।

(घ) महिला कैदियों सहित कैदियों के लिए 16 विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं, इस प्रकार का पहला विशेष न्यायालय परिसर में गठित किया गया था।

(ङ) विशेष न्यायालयों द्वारा अभी तक 10 महिला कैदियों को रिहा किया गया है।

आई०डी०पी०एल० का पुनरुद्धार

1479. **श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों इंडियन ड्रग्स और फार्मास्युटिकल लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए हाल ही में 1400 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्तसंबधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, नही। तथापि, आई.डी.पी.एल. के तुलन-पत्र के परिमार्जन के लिए रियायतों और सुविधाओं का जिक्र करते हुए औद्योगिक और वितीय पुनर्निर्माण बोर्ड को पत्र भेजा गया है कि सामरिक पार्टनर को शमिल करके सरकार इसके निजीकरण को सुकर बनाना चाहती है।

अफगान नागरिकों को वीजा

1480. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन :**
श्री सिमरनजीत सिंह मान :
श्री रामदास आठवले :
श्री जे०एस० बराड़ :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अफगान शरणार्थियों को देश मे शरण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कई अफगान नागरिकों ने 11 सितम्बर, 2001 की घटना के बाद भारत आने के लिए वीजा हेतु आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो कितने लोगों ने वीजा के लिए आवेदन किया है और इनमें से कितने को वीजा दिया गया;

(ङ) आज की तारीख में देश मे कितने शरणार्थी आ चुके हैं; और

(च) इनको वीजा देने के लिए क्या मापदण्ड अपनाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) 1980 से अफगानिस्तान में लम्बे समय तक चले युद्ध और जातीय संघर्ष के कारण, बड़ी संख्या में अफगान राष्ट्रिक भारत आए। चूंकि अफगानिस्तान में स्थिति जो विक्षुब्ध रहती है, में कोई स्पष्ट परिर्वतन नहीं हुआ है, इसलिए अफगान राष्ट्रिकों को मानवीय आधार पर भारत में रहने की अनुमति दी जा रही है। तथापि, इन व्यक्तियों पर अपने घरों को वापस जाने के लिए कुछ दबाव बनाने के लिए वीजा की अवधि वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाई जाती है।

(ग) और (घ) बताया जाता है कि अमरीका द्वारा युद्ध घोषित करने के बाद, भारत मूल के अनेक अफगानी पाकिस्तान आ गए हैं। जब कभी उनके आवेदन पत्र भारतीय उच्च आयोग इस्लामाबाद के माध्यम से आते हैं तो नेमी जांच के बाद वीजा प्रदान किया जाता है। भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय लगभग 275 अफगानी सिख/हिन्दू परिवार भारत आने के इरादे से पाकिस्तान में हैं। अभी तक भारत सरकार ने उनके आवेदन पत्र इस्लामाबाद स्थित भारत के उच्च आयोग के माध्यम से प्राप्त होने पर 110 मामलों में वीजा जारी किए हैं।

(ङ) 30.6.2001 को 19,254 अफगान राष्ट्रिक पंजीकृत थे जो भारत में रह रहे हैं।

(च) जब कभी विदेश स्थित भारतीय मिशनों से वीजा के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, तो भारत सरकार द्वारा नेमी जांच के बाद वीजा प्रदान किए जाते हैं। भारत में पंजीकृत और रह रहे व्यक्तियों के वीजा की अवधि वार्षिक आधार बढ़ाई जाती है।

स्व-शक्ति परियोजना

1481. **श्री कोलूर बसवनागौड : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्व-शक्ति परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक के कितने जिले आते हैं;

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत वीमीन्स सेल्फ ग्रुप बनाने में कितने गैर-सरकारी संगठन लगे हुए हैं; और

(ग) उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2001-2002 के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) सात अर्थात् चित्रदुर्ग, बेल्लारी, तुमकुर, कोलार, रायचूर, कोप्पल तथा गुलबर्गा।

(ख) 26 (छब्बीस) गैर-सरकारी संगठन कर्नाटक में स्व-सहायता दलों का निर्माण तथा पोषण कर रहे हैं।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 5.00 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है, जिसमें से कर्नाटक में उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अभी तक 1.00 करोड़ रुपए निर्मुक्त किये गये हैं।

कृषि भूमि से अनधिकृत/अवैध निर्माणों को हटाया जाना

1482. श्री रामजी मांझी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री 7 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2408 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्र की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) जी, हां। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सिविल रिट याचिका संख्या 6734/2000 राजीव मल्होत्रा बनाम भारत संघ और अन्य में उसने सैनिक फार्म में की जाने वाली कारवाई की रिपोर्ट पेश की है। तथापि, माननीय न्यायालय ने इस संदर्भ में कोई निर्देश नहीं दिये हैं और मामला इस समय न्यायाधीन है।

केन्द्र सरकार स्थानीय निकायों को, भवन उप-नियमों, मास्टर प्लान, भू-उपयोग आदि का उल्लंघन करके किए गए अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ वर्तमान अधिनियमों/नियमों के अनुसार कारवाई करने का परामर्श देती रहती है।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों की गतिविधियों का विस्तार

1483. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में जनजातीय उपयोजना की गतिविधियों का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनका चालू वित वर्ष में, विशेषकर कर्नाटक राज्य में, विस्तार किए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल द्वारा नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत अपने अंशदान की राशि जारी करना

1484. श्री बीर सिंह महतो : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान नेहरू रोजगार योजना के लिए अपने अंशदान के चालीस प्रतिशत की निर्धारित राशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत धन प्राप्त करने वाले कितने लोगों ने इस धन का दुरुपयोग किया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) पूर्ववर्ती शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के तहत चल रही नेहरू रोजगार योजना स्कीम को दिनांक 1.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) में शामिल कर लिया गया है। एसजेएसआरवाई का वित्तपोषण केन्द्र तथा राज्य द्वारा 75:25 में किया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा बताया गया है कि गत तीन वर्षों में उसने निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार उसके लिए निर्धारित अंशदान को जारी कर दिया है :-

वर्ष	अपेक्षित राज्य अंश	जारी राज्य संख्या
1998-99	274.00	275.44
1999-2000	95.17	95.27
2000-2001	275.51	275.52

(घ) ऐसा कोई उदाहरण इस कार्यालय के ध्यान में नहीं आया है।

[अनुवाद]

द्वारका में आधारभूत सुविधाएं

1485. डा० एस० जगतरक्षकन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान द्वारका में आधारभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता के संबंध में दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'द्वारका वान्ट्स डीडीए टु एक्सपेडाइट जस्टिस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) समयबद्ध तरीके से सड़क, संचार, सार्वजनिक परिवहन, सड़कों और गलियों में रोशनी के प्रबंध, मल-जल निकास व्यवस्था, पेयजल, बिजली जैसी सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया करा कर उपनगर द्वारका के समग्र समेकित विकास हेतु क्या ठोस कार्य योजना बनाए जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए किस तरह से निगरानी की जा रही है;

(घ) क्या फेडरेशन आफ कोआपरेटिव सोसाइटीज, द्वारका का डीडीए के साथ समय-समय पर कोई विचार-विमर्श होता रहता है और अब तक हुए कार्यों की कोई समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के 22 अक्टूबर, 2001 के अंक में प्रकाशित समाचार 'द्वारका में बुनियादी सुविधाओं की कमी' के बारे मे था। इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि द्वारका जैसे उपनगर के विकास में विभिन्न एजेंसियां भौतिक और सामाजिक अवसंरचना संबंधी सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण आंतरिक और परिधीय सेवाएं जैसे सड़कों, नालों, सीवरेज, जल आपूर्ति आदि मुहैया कराने के लिए उतरदायी है और ये कार्य स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदित सर्विस प्लानों के अनुसार पूरे हो गये हैं। इस क्षेत्र में निवासियों के आवागमन और वाहनों के आने जाने के लिये डीडीए ने दो लेन वाले मार्ग बनाए हैं। अब यह निर्णय किया गया है कि नक्शा विनिर्देश के अनुसार पथ प्रकाश सहित सड़कों की व्यवस्था दि.वि.प्रा. द्वारा की जाएगी। पथ प्रकाश सहित सड़कें बनाने का काम चल रहा है और आशा है कि उसके लगभग डेढ़ वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।

इसके अलावा एक औषधालय (डिस्पेंसरी) तीन पुलिस थानों और एक बस टर्मिनल के लिए भी भूमि संबंधित प्राधिकरणों को सौंप दी गई है। द्वारका सेक्टर-8 और मंगलापुरी में दो पुलिस चौकियां और सेक्टर-15, द्वारका में एक डाकखाना पहले से चल रहे हैं। द्वारका के लगभग सभी सेक्टरों के लिये बस सेवाएं भी मौजूद हैं।

डीडीए ने यह भी बताया है कि विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे भौतिक और सामाजिक अवसंरचना संबंधी कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए परियोजना कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें की जाती हैं ताकि कार्य शीघ्र निपटाया जाए।

(घ) और (ङ) जी, हां। सहकारी समूह आवास समितियों के सदस्यों को मास्टर प्लान सड़कों, पथ-प्रकाश प्रबंध, माउड रोड (द्वारका को कैंट के रास्ते ओल्ड राष्ट्रीय राजमाग-8 से जोड़ने वाली सड़क) जैसी मुख्य जमीनी और सामाजिक अवस्थापनाओं की प्रगति की समय-समय पर जानकारी दी जाती है। उन्हे विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए जाने वाले सामाजिक अवस्थापना कार्यों जैसे अस्पताल, अंतर्राज्य बस अड्डा, बस टर्मिनल, टैलीफोन एक्सचेंज, अग्निशमन केन्द्र, पुलिस थाना, डाकखानों, मिल्क बूथ आदि तय लक्ष्यों की भी जानकारी दी गई है।

[हिन्दी]

मंत्री द्वारा विदेश दौरा

1486. श्री उत्तमराव पाटील : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्री द्वारा कितने देशों का दौरा किया गया;

(ख) उक्त विदेश दौरे पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) उक्त दौरे से क्या उपलब्धि हासिल की गई?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) संघ सरकार के मंत्री के रूप में मैंने अप्रैल 2000 से आज तक की अवधि के दौरान विभिन्न मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का दो बार और आस्ट्रेलिया तथा जर्मनी का एक-एक बार दौरा किया।

(ख) सभी चार दौरों पर 8,72,315 रुपए का कुल व्यय हुआ।

(ग) चूंकि ये दौरे विभिन्न मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किए गए थे। अत: विशिष्ट संदर्भ में उपलब्धियों को प्रमात्रा में परिभाषित नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा

1487. श्री ए० नरेन्द्र : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन (एक) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों, (दो) सभी सांविधिक संगठनों/निगमों, (तीन) स्वायत संगठनों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और समतुल्य संवर्ग के कितने पद हैं; और

(ख) इन पदों पर (एक) सामान्य श्रेणी, (दो) अनुसूचित जाति, (तीन) अनुसूचित जनजाति और (चार) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने लोग कार्यरत हैं और दिनांक 2 जुलाई, 1997 के डी ओ पीटी-ओएम नं. 36012/2/96-इएसटीटी (आरइएस) के पैरा 5 में बताए गए निर्देशों के अनुसार ऐसे कुल पदों में इनकी अलग-अलग प्रतिशतता कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उर्वरक राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

दमन और दीव में प्राथमिक पाठशालाओं का उन्नयन

1488. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 20 फरवरी, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्रित की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संघ शासित प्रदेश दमन और दीव द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लोक सभा प्रश्न सं० 62 के उत्तर में दिया गया आश्वासन पूरा हो चुका है। चूंकि दमन और दीव में प्राथमिक स्कूलों और हाई स्कूलों का अनुपात इस संबंध में राष्ट्रीय औसत से बेहतर है इस प्रकार किसी प्राथमिक स्कूल को स्तरोन्नत करने की आवश्यकता नहीं है।

वीरप्पन को पकड़ने के लिए ऑपरेशन

1489. श्री विनय कुमार सोराके : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र वीरप्पन को पकड़ने के ऑपरेशन की गंभीरता से निगरानी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि स्थानीय पुलिस और केन्द्र की ओर से तैनात कमाण्डो के बीच समन्वय का अभाव है; और

(ग) यदि हां, तो वनवासी चंदन तस्कर वीरप्पन को पकड़ने के लिए बी०एस०एफ० के तैनात कमाण्डों बल को वापस बुलाए जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं और इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की हैं। विरप्पन के खिलाफ आपरेशन चलाने के मामले में तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य सरकारों ने अपराधी को पकड़ने के उद्देश्य से एक संयुक्त रणनीति तैयार की है और एस. टी. एफ. आपरेशनों को पुनः सक्रिय बनाया है। दोनों राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से विरप्पन और उसके गिरोह के खिलाफ आपरेशन चलाने में उनके संसाधनों को सुधारने और पूरा करने के लिए सहायता देने का अनुरोध किया था। उनके अनुरोध के अनुसार, केन्द्र सरकार ने, हथियारों, उपकरणों की सप्लाई करके और सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों की तैनाती इत्यादि करके आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई है। समन्वय से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर हल किए गए हैं। तथापि, अन्य स्थानों के लिए वचनबद्धता के बढ़ते दबाव के कारण सीमा सुरक्षा बल को सितम्बर, 2001 में हटा लिया गया था।

राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना

1490. डा० ए०डी०के० जयशीलन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान साक्षरता मिशन के अन्तर्गत राज्य संसाधन स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) चालू योजनावधि के दौरान राज्य संसाधन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय कार्यक्रमों को पर्याप्त और उत्तम कोटि का तकनीकी संसाधन सहयोग प्रदान करने के लिए 'प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को सहयोग देने की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन योजना' के अन्तर्गत राज्य संसाधन केन्द्र स्थापित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की परियोजना अनुमोदन समिति राज्य संसाधन केन्द्रों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर निम्नलिखित कारकों के आधार पर विचार करती है :-

– राज्य में प्रौढ़ शिक्षा/साक्षरता कार्यक्रमों का आकार।

– परियोजना की संख्या जो प्रगति पर हैं।

– जनसंख्या का घनत्व।

अयोध्या प्रकोष्ठ की स्थापना

1491. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अयोध्या प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इसके गठन/संरचना से संबंधित ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित मामलों को निपटाने हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय में अयोध्या प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा

1492. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में अब तक क्या सफलता हासिल हुई है; और

(च) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा कार्य योजना, 1992 के अनुसरण में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम आरंभ किया था। इनमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल है—ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, महिला समाख्या, जिला प्राथमिक शिक्षा योजना तथा आम तौर पर मध्याह्न भोजन के नाम से जाना जाने वाला प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम।

इन प्रयासों के चलते हमने प्रारंभिक शिक्षा में शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षकों और छात्रों की संख्या की दृष्टि से काफी प्रगति की है। देश में स्कूलों की संख्या 1950-51 में 2.23 लाख थी जो बढ़कर 1999-2000 में 8.39 हो गई। इस प्रकार इसमें चार गुणा वृद्धि हुई है। उक्त अवधि के दौरान प्राथमिक स्कूलों में नामांकन 1.92 करोड़ से बढ़कर 11.36 करोड़ तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 0.3 करोड़ से बढ़कर 4.2 करोड़ हो गया। इस प्रकार, इसमें प्राथमिक स्तर पर लगभग 6 गुना तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 14 गुना वृद्धि हुई है। 1951-52 और 1999-2000 के बीच सकल नामांकन अनुपात प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमश: 42.6 प्रतिशत और 12.7 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत तथा 59 प्रतिशत हो गया है। स्कूलों की उपलब्धता अब समस्या नहीं रह गई है। पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, 1986 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर देश की 94 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लिए एक कि.मी. के भीतर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 84 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लिए 3 कि.मी. के भीतर स्कूली सुविधाएं उपलब्ध थीं।

सरकार ने हाल ही में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का राष्ट्रीय कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया है जिसके अंतर्गत वर्ष 2010 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों को आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान का ध्येय स्कूल के मामलों में समुदाय की सक्रिय भागीदारी से सभी सामाजिक और लैंगिक भेद-भाव को समाप्त कर 2010 तक सबके लिए संतोषप्रद स्तर की उपयोगी और संगत प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्नवत हैं :-

– 2003 तक सभी बच्चे स्कूल, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, स्कूल वापसी शिविर में हों;

– सभी बच्चे 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें;

– सभी बच्चे 2010 तक आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करें;

- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद स्तर की प्रारंभिक शिक्षा पर बल;

- प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर 2010 तक स्त्री-पुरुष तथा सामाजिक वर्गों से संबंधित सभी भेद-भाव को समाप्त करना; और

- वर्ष 2010 तक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना कि एक भी बच्चा पढ़ाई बीच में ना छोड़े।

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(रु० लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1997-98 से 2001-02 शिक्षक शिक्षा	1997-98 से 2001-02 अनौपचारिक शिक्षा	1997-98 से 2001-02 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	1997-98 से 2001-02 आपरेशन ब्लैकबोर्ड	1997-98 से 2001-02 सर्व शिक्षा अभियान	1997-98 से 2001-02 महिला समाख्या	1997-98 से 2001-02 कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2596.93	8336.50	42918.00	16995.61	1125.50	503.99	72476.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	648.19	0.60	0	375.00	163.89	0	1187.68
3.	असम	3310.99	2531.94	14844.00	6964.46	295.13	0	27946.52
4.	बिहार	0	8065.01	13196.00	1547.20	560.26	0	23368.47
5.	छत्तीसगढ़	0	4.50	1500.00	0	94.56	0	1599.06
6.	गोवा	227.18	0	0	9.00	0	0	236.18
7.	गुजरात	3276.76	424.71	7906.00	4437.80	229.36	543.00	16817.63
8.	हरियाणा	469.75	37.77	12567.00	489.39	130.64	0	13694.55
9.	हिमाचल प्रदेश	2406.17	1.87	7250.00	1055.35	134.56	0	10847.95
10.	जम्मू और कश्मीर	571.25	310.85	0	1952.00	48.08	0	2882.18
11.	झारखंड	0	0	1200.00	0	38.43	0	1238.43
12.	कर्नाटक	4534.78	8.98	30778.00	42734.59	279.75	719.00	79055.1
13.	केरल	1998.46	0	10913.00	310.84	153.49	791.00	14166.79
14.	मध्य प्रदेश	7630.19	8925.76	54324.00	25660.65	368.67	0	96909.27
15.	महाराष्ट्र	2366.59	44.54	17982.00	4746.79	363.62	0	25503.54
16.	मणिपुर	275.62	858.67	0	180.20	137.09	0	1451.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	मेघालय	233.50	56.45	0	295.92	130.35	0	716.22
18.	मिजोरम	178.33	44.05	0	651.08	114.81	0	988.27
19.	नागालैंड	639.96	0	0	32.61	110.92	0	783.49
20.	उड़ीसा	1875.64	3479.56	10265.00	6451.03	246.07	0	22317.3
21.	पंजाब	2104.46	17.16	0	4483.20	1463.04	0	8067.86
22.	राजस्थान	6620.54	5440.90	9600.00	3597.55	0	0	25258.99
23.	सिक्किम	334.15	0	0	49.10	50.55	0	433.8
24.	तमिलनाडु	5150.66	589.40	24086.00	2895.39	344.78	0	33066.23
25.	त्रिपुरा	206.10	7.84	0	1106.49	62.69	0	1383.12
26.	उत्तर प्रदेश	5088.44	11831.13	59949.00	30760.52	1014.24	750.00	109393.33
27.	उत्तरांचल	0	0	1100.00	0	134.50	0	1234.5
28.	पश्चिम बंगाल	1115.09	57.48	11665.00	3941.95	132.00	0	16911.52
29.	अंडमान और नि. द्वी. समूह	2.50	0	0	18.00	12.68	0	33.18
30.	चंडीगढ़	0	7.49	0	0	0	0	7.49
31.	दादरा और नगर हवेली	0	16.74	0	18.50	12.68	0	43.24
32.	दमन और दीव	0	0	0	20.25	0	0	20.25
33.	दिल्ली	2014.51	4.26	0	233.02	0	0	2251.79
34.	लक्षद्वीप	54.31	0	0	2.00	0	0	56.31
35.	पांडिचेरी	89.69	0	0	55.81	32.09	0	177.59
	कुल	56020.74	51104.16	332043.00	162071.30	7979.75	3306.99	612525.94

काम के बदले अनाज योजना का कार्यान्वयन

1493. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 13 अवज्ञाकारी राज्य सरकारों के लिए कोई अंतिम तारीख तय की है और भूखमरी के शिकार लोगों को अनाज प्रदान करने को कहा है जैसा कि दिनांक 18 सितम्बर,

2001 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में इस आशय का समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में राज्यों द्वारा कौन से कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस योजना के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) जी हां, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को जनवरी, 2001 में गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा नामक सूखा प्रभावित आठ पहचान किए गए राज्यों में मजदूरी के एक भाग के रूप में खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। उत्तरांचल को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा खाद्यान्न उठा लिया गया है। इसके पश्चात् मंत्रियों के सिफारिशों के बदले अनाज कार्यक्रम को बाढ़, भूकम्प आदि अन्य आपदाओं को कवर करने के लिए व्यापक बनाया गया है। तदानुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल को प्रभावित राज्यों की सूची में जोड़ लिया गया है। ऐसे 11 राज्यों, जिन्हें इस कार्यक्रम से लाभ मिला है, को आबंटित किए गए खाद्यान्न की कुल मात्रा 28.63 लाख टन है। इसमें से 22.45 लाख टन अनाज ग्रामीण गरीबों को मजदूरी के एक भाग के रूप में वितरित करने के लिए भा.खा. निगम के गोदामों से उठा लिया गया है। उठाए गए खाद्यान्न का प्रतिशत 78.44 तथा खाद्यान्न के वितरण का प्रतिशत 60.28 है।

इसके अतिरिक्त, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को भी 25.9.2001 से शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 5000 करोड़ रुपए मूल्य का 50 लाख टन अनाज हर वर्ष मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुच्छेद 371 में संशोधन के लिए कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव

1494 श्री आर०एल० जालप्पा :
श्री कोलूर बसवनगौड :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने उत्तरी कर्नाटक के सात जिलों में विकास कार्य शुरू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन करके उसके अंतर्गत कर्नाटक राज्य को लाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कर्नाटक के संबंध में विशेष प्रावधानों के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार से इस प्रस्ताव पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

आंगनवाड़ी केन्द्र

1495. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए राज्यवार कितनी निधियां आवंटित की गईं;

(ग) क्या सरकार देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) इस संबंध में सूचना विवरण-I में दी गयी है।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान आई.सी.डी.एस. स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियों की निर्मुक्ति के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-II, III और IV में दी गई है। विकास खंडों और आंगनवाड़ी केन्द्रों को निधियां संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं।

(ग) और (घ) संलग्न विवरण-I में दिए गए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जब कार्यात्मक बनाया जाएगा, तो कार्यात्मक आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी।

विवरण-I

स्वीकृत और रिपोर्टें भेजने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
		भारत सरकार द्वारा स्वीकृत	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के द्वारा सूचना के अनुसार कार्यात्मक आंगनवाड़ी केन्द्र
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	37297	36140
2.	अरुणाचल प्रदेश	2621	1397
3.	असम	13149	13149
4.	बिहार	15579	13902
5.	छत्तीसगढ़	20288	19752
6.	गोवा	1216	1017
7.	गुजरात	37830	30460
8.	हरियाणा	13546	13545
9.	हिमाचल प्रदेश	7123	7120
10.	जम्मू व कश्मीर	7153	6261
11.	झारखंड	16689	14633
12.	कर्नाटक	40170	40108
13.	केरल	22582	20389
14.	मध्य प्रदेश	46367	44608
15.	महाराष्ट्र	46058	44702
16.	मणिपुर	4412	4348
17.	मेघालय	2218	2159
18.	मिजोरम	1341	1252
19.	नागालैंड	2586	2561
20.	उड़ीसा	31855	28689
21.	पंजाब	15829	13200
22.	राजस्थान	35710	33952
23.	सिक्किम	497	485
24.	तमिलनाडु	44649	31594
25.	त्रिपुरा	3537	3505
26.	उत्तर प्रदेश	64278	53672
27.	उत्तरांचल	4243	3778
28.	पश्चिम बंगाल	49234	41408
29.	अन्डमान व निकोबार	527	425
30.	चण्डीगढ़	300	300
31.	दिल्ली	3842	3842
32.	दादरा एवं नगर हवेली	125	125
33.	दमन एवं दीव	87	77
34.	लक्षद्वीप	74	74
35.	पांडिचेरी	74	74
	कुल	593689	. 533306

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के अन्तर्गत राज्यों को आबंटित राशि

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3185.12	5402.87	6229.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	660.57	817.00	681.00

1	2	3	4	5
3.	असम	1911.71	2211.00	5070.97
4.	बिहार	3691.13	4918.64	3756.00
5.	गोवा	326.48	284.13	284.13
6.	गुजरात	4788.12	5370.21	3726.01
7.	हरियाणा	2633.07	2754.12	3593.61
8.	हिमाचल प्रदेश	1045.40	1640.09	1764.28
9.	जम्मू व कश्मीर	1431.72	1963.00	2266.00
10.	कर्नाटक	5709.83	5111.35	7466.18
11.	केरल	3120.80	2641.82	3101.90
12.	मध्य प्रदेश	5131.48	4368.00	5590.00
13.	महाराष्ट्र	6792.45	6584.73	6688.62
14.	मणिपुर	846.78	840.48	1254.75
15.	मेघालय	350.60	535.00	664.97
16.	मिजोरम	542.12	535.66	868.85
17.	नागालैंड	1321.19	1245.00	1941.60
18.	उड़ीसा	6641.30	4042.97	6133.71
19.	पंजाब	2382.58	2413.14	3759.46
20.	राजस्थान	3512.19	4197.55	5954.43
21.	सिक्किम	241.96	129.75	156.01
22.	तमिलनाडु	7297.05	10704.77	10286.90
23.	त्रिपुरा	463.68	646.06	630.98
24.	उत्तर प्रदेश	7265.52	11349.00	11519.28
25.	पश्चिम बंगाल	6456.11	6088.00	8047.13
26.	छत्तीसगढ़			625.61
27.	झारखंड			865.57
28.	उत्तरांचल			462.78
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	दिल्ली	1248.18	818.42	808.47
2.	पांडिचेरी	151.82	181.58	154.85
3.	अण्डमान व निकोबार	112.26	130.44	107.88
4.	चण्डीगढ़	77.71	78.29	88.04
5.	दादरा एवं नगर हवेली	28.60	26.83	26.83
6.	दमन एवं दीव	28.17	42.00	52.56
7.	लक्षद्वीप	25.20	25.69	25.43
	कुल	79421.08	88097.59	104653.79

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. ब्लॉकों हेतु राज्यों को आबंटित राशि

(रुपए करोड़ों में)

क्र. सं.	परियोजना/राज्य	1998-1999	1999-2000	2000-2001	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आई.सी.डी.एस.-II				
	क. बिहार	51.31	39.36	—	90.67
	ख. मध्य प्रदेश	49.41	34.87	47.12	131.40
	ग. आन्ध्र प्रदेश	15.50	98.24	20.00	133.74
	कुल (I)	116.22	172.47	67.12	355.81
2.	आई.सी.डी.एस.-III				
	क. केरल	3.20	7.11	10.00	20.31
	ख. महाराष्ट्र	7.40	17.08	7.00	31.48
	ग. राजस्थान	4.00	8.99	15.00	27.99

1	2	3	4	5	6
	घ. तमिलनाडु	3.58	13.03	10.00	26.61
	ङ. उत्तर प्रदेश	5.00	11.51	30.00	46.51
	कुल (II)	23.18	57.72	72.00	152.90
	कुल जोड (I+II)	139.40	230.19	139.12	508.71

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान उदिशा कार्यक्रम (आई.सी.डी.एस.) के कार्यान्वयन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित राशि

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	383.10	200.00	200.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	44.77	50.00	—
3.	असम	43.13	75.00	125.00
4.	बिहार	100.00	150.00	—
5.	गोवा	कुछ नहीं	5.00	6.00
6.	गुजरात	246.75	150.00	100.00
7.	हरियाणा	102.28	40.00	30.00
8.	हिमाचल प्रदेश	41.90	35.00	—
9.	जम्मू व कश्मीर	50.51	50.00	5.00
10.	कर्नाटक	360.44	115.00	150.00
11.	केरल	313.14	100.00	—
12.	मध्य प्रदेश	100.00	300.00	400.00
13.	महाराष्ट्र	254.54	200.00	50.00
14.	मणिपुर	44.69	20.00	33.00
15.	मेघालय	47.53	5.00	40.00
16.	मिजोरम	45.80	5.00	20.00
17.	नागालैंड	44.50	15.00	50.00
18.	उड़ीसा	123.39	115.00	50.00
19.	पंजाब	104.65	60.00	—
20.	राजस्थान	219.02	100.00	—
21.	सिक्किम	44.00	5.00	—
22.	तमिलनाडु	313.41	100.00	—
23.	त्रिपुरा	45.80	20.00	5.00
24.	उत्तर प्रदेश	130.00	400.00	300.00
25.	पश्चिम बंगाल	166.21	150.00	175.00
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.18	3.00	—
27.	चण्डीगढ़	कुछ नहीं	1.00	—
28.	दादरा एवं नगर हवेली	कुछ नहीं	0.50	—
29.	दमन एवं दीव	कुछ नहीं	0.50	—
30.	दिल्ली	कुछ नहीं	15.00	50.00
31.	लक्षद्वीप	कुछ नहीं	0.50	0.51
32.	पांडिचेरी	कुछ नहीं	2.00	—
33.	छत्तीसगढ़	—	—	40.00
34.	उत्तरांचल	—	—	20.00
	कुल	2606.54	2487.50	1849.51

केबीके (उड़ीसा) में डीपीईपी के कार्यान्वयन में अनियमितताएं

1496. श्री के०पी० सिंह देव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के केबीके जिलों विशेषकर राज्य के मलकानगिरी जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में व्यापक स्तर पर अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) से (ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम इस समय उड़ीसा के राज्य के बारगढ़, बोलनगीर, धेनकनाल, गजपति, कालाहाण्डी, क्योंझर, रायगढ़ तथा सम्बलपुर इन आठ जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उड़ीसा के 8 और जिलों में विस्तार किया जा रहा है जिनमें से 5 जिले मलकानगिरि, नवरंगपुर, कोरापुट, सोनपुर तथा नौपाड़ा केबीके जिले हैं।

राज्य द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1999-2000 तक पूरा हुए लेखा परीक्षा में मौजूदा जिलों में किसी गम्भीर अनियमितता को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि इस कार्यक्रम को 8 विस्तारित जिलों जिनमें मलकानगिरि शामिल है, में कार्यान्वित किया जाना है, अतएव इन जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किसी भी अनियमितता का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नए भवनों में जल संचयन योजना के बारे में जानकारी

1497. श्री रामपाल सिंह :
डा० अशोक पटेल :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजधानी में जल-स्तर को कम होने से बचाने के लिए 100 वर्ग मी. के भूखंडों पर सभी नए भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली से संबंधित जानकारी देने के लिए व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 28 जुलाई, 2001 की अधिसूचना द्वारा दिल्ली एकीकृत भवन उपनियम, 1983 में प्रावधान करके 100 वर्ग मीटर और उससे अधिक के सभी नए भवनों में जल संचयन अनिवार्य कर दिया है। यह भूमिगत जल तल की प्रतिपूर्ति के लिए बरसाती पानी सहित बाहर बहने वाले जल के भण्डारण के जरिए जल संचयन के लिए है। उक्त अधिसूचना की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत का राजपत्र : असाधारण

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक : 28 जुलाई, 2001

का.आ.730(अ)— यत: यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली में बनाए जा रहे भवनों में बरसाती पानी का अपवाह रोककर पानी एकत्र करने का प्रावधान हो ताकि भूमिगत जलाशय फिर से भरते रहें, भवन निर्माण नियामवली 1983 में समुचित प्रावधान करने के मुद्दे पर सरकार द्वारा विचार किया गया है।

यत: इस संबंध में निम्नांकित उपान्तरण/परिवर्द्धन, जिन्हे केन्द्र सरकार भवन निर्माण उप नियमावली, 1983 में करने का प्रस्ताव करती है, दिनांक 20 जून, 2001 की सार्वजनिक सूचना द्वारा जनता की सूचना के लिए प्रकाशित किए गए थे और जिनके लिए दिनांक 30.6.2001 को प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन दिए गए थे। कुल मिलाकर पांच आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनकी नगर एवं ग्राम संगठन के मुख्य नियोजक की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा जांच की गई;

यत: केन्द्र सरकार की रिपोर्ट पर ठीक से विचार करने के बाद भवन निर्माण उपनियमावली 1983 में निम्नलिखित उपान्तरण/परिवर्द्धन करने का निर्णय किया है ;

यत: अब केन्द्र सरकार दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भवन निर्माण उप-नियमावली, 1983 में एततद्वारा निम्नलिखित उपान्तरण/परिवर्द्धन करती है:-

उपांतरण:-

1. भवन निर्माण उप-नियमावली 1983 का खंड 22.4 भाग-III (संरचनात्मक सुरक्षा तथा सेवाएं)
2. 22.4.1—100 वर्ग मीटर और उससे अधिक के प्लाटों पर बने सभी नए भवनों में बरसाती पानी सहित बरसाती पानी

के अपवाह को एकत्र करके पानी इकट्ठा करना अनिवार्य होगा। स्थानीय निकायों को प्रस्तुत नक्शों में बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था के साथ भूमि जलाशयों अथवा रिचार्ज कुओं में बरसाती पानी इकट्ठा करने के स्थान भी दिखाए जाएं। ये प्रावधान केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी सार्वजनिक सूचना (सूचनाओं) के अनुसार लागू होंगे।

3. 22.4.2 वे सभी भवन जिनमें प्रतिदिन न्यूनतम 10,000 लीटर अथवा इससे अधिक पानी की निकासी होती है, गंदे पानी के पुनः प्रयोग की प्रणाली लगाएंगे। संसाधित पानी का प्रयोग बागवानी प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

टिप्पणी : ये संसोधन/परिर्वतन अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

सं. एन-11011/9/98-डीडी VI (पार्ट)/डीडी1 बी
देवेन्द्र कुमार गोयल अवर सचिव

अनुलग्नक-क

प्रमाणपत्र : नक्शे प्रस्तुत करते समय भवनों के नक्शों के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाए:-

प्रमाणित किया जाता है कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत भवन निर्माण नक्शे जल संग्रह आवश्यकताओं और धारा 22.4.1, 22.4.2 के अंतर्गत यथा उल्लिखित गंदे पानी की न्यूनतम अनुमानित निकासी की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और उसमें दी गई सूचना मेरी जानकारी तथा विवेक के अनुसार वास्तव में सही है।

मालिक के हस्ताक्षर	वास्तुकार के हस्ताक्षर
और तारीख	और तारीख
नाम स्पष्ट अक्षरों में	नाम स्पष्ट अक्षरों में
पता:	पता:

[अनुवाद]

कर्नाटक में आईडीएसएमटी के अंतर्गत कस्बों का विकास

1498. श्री एच०जी० रामुलू : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में लघु और मध्यम स्तर के कस्बों की समेकित विकास योजना के अंतर्गत अभी तक विकास के लिए चयनित लघु और मध्यम कस्बों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान विकास हेतु जिन लघु और मध्यम स्तर के कस्बों के चयन हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा सिफारिश की गई है उनके नाम क्या हैं; और

(ग) राज्य के प्रत्येक शहर के लिए उक्त योजना के अंतर्गत 2001-2002 के दौरान कितनी राशि जारी की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) छोटे एवं मझोले कस्बों का एकीकृत विकास स्कीम के अन्तर्गत कर्नाटक में अब तक 91 छोटे एवं मझोले कस्बे शामिल किए गए हैं।

(ख) राज्य सरकार ने आईडीएसएमटी के अन्तर्गत 43 कस्बों को शामिल किए जाने की सिफारिश की जिसमें से 31 मार्च, 2001 तक 25 कस्बे पहले ही शामिल कर लिए गए हैं। छमराजनगर, मंडरागी, केरूर और हानागल नामक चार कस्बों को 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर, 2001 की अवधि के दौरान शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा संस्तुत शेष 14 कस्बों, जिन्हें शामिल किया जाना है, की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान 31 अक्टूबर, 2001 तक 4 नये कस्बों के लिए 110.20 लाख रुपए तथा एक चालू स्कीम वाले कस्बे के लिए 11.86 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता राशि जारी की गयी है। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(लाख रुपये)

क्र. सं.	कस्बों का नाम	केन्द्रीय सहायता		कुल
		नई	चालू	
1.	चामराज नगर	30.00	—	30.00
2.	मुंदरागी	12.30	—	12.30
3.	कंरूर	22.90	—	22.90
4.	हनांगल	45.00	—	45.00
5.	मुदेबिहाल	—	11.86	11.86
	कुल	110.20	11.86	112.06

विवरण

2001-2002 के दौरान छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास स्कीम के अन्तर्गत लिए जाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कस्बों की सूची

1. अनेकल
2. इंदि
3. कनापुर
4. यादगिरि
5. चन्नारायापटना
6. श्रीनिवासपुरा
7. भल्कि
8. संकेश्वर
9. कोन्नूर
10. चितगुप्पा
11. होन्नावारा
12. अरकलगुद
13. महालिंगपुर
14. मुलगुंद

[हिन्दी]

एंथ्रेक्स कानून

1499. श्रीमती शीला गौतम :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एंथ्रेक्स से उत्पन्न समस्या से निबटने के लिए अलग से कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जैविक हथियारों को प्रयोग करने वाले आतंकवादियों से निपटने के लिए आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 में उपबंध शामिल किए गए हैं।

[अनुवाद]

भोपाल गैस त्रासदी के फर्जी पीड़ितों द्वारा दावे

1500. डा० वी० सरोजा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भोपाल गैस त्रासदी के फर्जी पीड़ितों द्वारा दावों के भुगतान के मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फर्जी दावा करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) कल्याण आयुक्त कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ग-01 (वैयक्तिक क्षति) के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त करने के लिए दावेदारों द्वारा लगभग 432 फर्जी दावे दायर किए गए हैं। सभी फर्जी दावों के लिए विभिन्न स्टेशनों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इन मामलों को पंजीकृत कर लिया है।

अतिक्रमण की निगरानी के लिए जोनल प्रणाली

1501. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी०एस० बसवराज :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी भी तरह के अतिक्रमण और भवन निर्माण संबंधी कानूनों के उल्लंघन की निगरानी के लिए जोनल प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार के संदर्भ में जिम्मेदार ठहराया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां प्रारंभिक स्तर पर इस प्रणाली की योजना बनाई जा रही है;

(ङ) क्या इस योजना को सभी राज्यों में लागू किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों के साथ इस प्रणाली के कार्यान्वियन पर विचार-विमर्श किए जाने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ज) जी, नहीं। केन्द्र सरकार के पास जोनल प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संविधान की 12वीं अनुसूची की प्रविष्टि 1 के साथ पठित अनुच्छेद 243-ब के अनुसार नगर योजना सहित शहरी योजना राज्य का विषय है। अत: जोनल प्रणाली को लागू करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

डीसीटीई के लिए पुनरीक्षा समिति

1502. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक परिषद (एन सी टी ई) से संबद्ध अध्यापक शिक्षा की जिला परिषदें उचित तरीके से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त परिषद के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के लिए पुनरीक्षा समिति गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) से (ङ) जिला शिक्षक शिक्षा परिषद नामक ऐसा कोई संगठन नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से संबद्ध है या इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समग्र आवास योजना

1503. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित समग्र आवास योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) यह इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) से किस तरह अलग है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर उड़ीसा में शुरु की गई अन्य केन्द्र प्रायोजित आवास योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार क्या उपलब्धियां रहीं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) समग्र आवास योजना वर्ष 1999-2000 में आरंभ की गई थी जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र पर्यावास विकास करना है। योजना का विशेष उद्देश्य आवास, स्वच्छता तथा पेयजल योजनाओं को एक साथ करना है तथा सूचना, शिक्षा और संचार और अभिनव विचारों के उपयुक्त और सतत् समावेश द्वारा इनका प्रभावी कार्यान्वियन सुनिश्चित करना है। प्रारंभ में योजना को खंड स्तर पर 24 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के 25 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। लोगों के 10 प्रतिशत के अंशदान सहित पर्यावास विकास तथा सूचना शिक्षा और संचार कार्य शुरु करने के लिए प्रत्येक विकास खंड को 25 लाख रु. की विशेष सहायता मुहैया करवाई जा रही है। यह योजना परियोजना आधारित है। इंदिरा आवास योजना देशभर में कार्यान्वित की जा रही है। जिसका प्राथमिक उद्देश्य अनु० जाति/ अनु० जनजाति के लोगों को अनुदान सहायता मुहैया कराकर उन्हें आवास उपलब्ध करवाया है।

(ग) इंदिरा आवास योजना के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा शुरु की गई केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण आवास योजना ऋण तथा सब्सिडी योजना है। इस योजना के तहत वे परिवार शामिल किए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय 32000 रु० तक है। इसमें सब्सिडी (10,000 रु० प्रति इकाई

तक) तथा ऋण (40,000 रु० प्रति इकाई तक) दोनों शामिल हैं। ऋण को व्यवसायिक बैंकों, आवास वित्त संस्थाओं आदि द्वारा वितरित किया जाना है।

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना तथा ऋण सब्सिडी योजना की राज्यवार प्रगति/उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान ऋण तथा सबसिडी योजना और इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों की राज्यवार संख्या

कार्यक्रम		ऋण और सबसिडी योजना*			इंदिरा आवास योजना			
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002**	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	7628	एन आर	एन आर	61430	89823	83912	14711
2.	अरुणाचल प्रदेश	एन आर	एन आर	एन आर	470	3210	4515	1156
3.	असम	एन आर	16	3	20937	20412	65089	1609
4.	बिहार	एन आर	188	35	125082	165892	161199	45530
5.	छत्तीसगढ़		182	एन आर			17777	8211
6.	गोवा	एन आर	एन आर	एन आर	482	333	368	219
7.	गुजरात	एन आर	एन आर	एन आर	21820	26351	28192	8371
8.	हरियाणा	एन आर	312	59	10043	9843	13309	3564
9.	हिमाचल प्रदेश	एन आर	300	53	3874	3711	3716	712
10.	जम्मू एवं कश्मीर	एन आर	एन आर	एन आर	5400	5830	4082	2974
11.	झारखंड		9	एन आर			56233	16192
12.	कर्नाटक	40	581	एन आर	37369	39398	42675	18944
13.	केरल	एन आर	एन आर	71	9452	20716	19092	8426
14.	मध्य प्रदेश	526	1857	240	102901	77886	61773	20606
15.	महाराष्ट्र	एन आर	194	एन आर	54532	71958	81111	21187
16.	मणिपुर	एन आर	एन आर	एन आर	1125	199	552	एन आर
17.	मेघालय	एन आर	एन आर	एन आर	734	356	4368	523

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	मिजोरम	एन आर	एन आर	एन आर	519	1795	2290	429
19.	नागालैंड	एन आर	एन आर	एन आर	2290	7706	4906	3862
20.	उड़ीसा	14981	13601	876	50671	53328	139561	56086
21.	पंजाब	54	73	4	3831	4154	6606	2265
22.	राजस्थान	एन आर	250	275	32955	37440	41766	9444
23.	सिक्किम	एन आर	एन आर	एन आर	543	752	1539	887
24.	तमिलनाडु	एन आर	1350	1499	68207	54935	49914	2703
25.	त्रिपुरा	एन आर	एन आर	एन आर	3235	11229	11640	एन आर
26.	उत्तर प्रदेश	एन आर	एन आर	एन आर	181274	155248	159680	50049
27.	उत्तरांचल		211	104			13775	2248
28.	प. बंगाल	एन आर	एन आर	एन आर	36246	62653	90783	19713
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	एन आर	एन आर	एन आर	12	6	52	39
30.	दा. व न. हवेली	एन आर	एन आर	एन आर	6	52	एन आर	एन आर
31.	दमन व दीव	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	3	एन आर	एन आर
32.	लक्षद्वीप	एन आर	एन आर	एन आर	40	34	22	5
33.	पांडिचेरी	एन आर	एन आर	एन आर	290	426	428	59
	जोड़	23229	19124	3219	835770	925679	1170925	320724

*ऋण तथा सबसिडी योजना 1.4.1999 से शुरू की गई।

**22.11.2001 की स्थिति के अनुसार।

एन आर : असूचित/कार्यान्वित नहीं किया गया।

आई पी सी एल का आई ओ सी में विलय

1504. श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा० जसवंत सिंह यादव :

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश विभाग का विचार इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का इंडियन आयल कारपोरेशन में विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव पर कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार ने प्रबन्धन नियंत्रण के हस्तांतरण और कम से कम 25 प्रतिशत इक्विटी का आगे विनिवेश करने की प्रतिबद्धता के साथ किसी अनुकूल साझीदार को कुल मिलाकर आई पी सी एल में इक्विटी धारिता के 26 प्रतिशत की बिक्री करने का निर्णय लिया है। इक्विटी के आगे की बिक्री के लिए भी खाका तैयार कर लिया जाएगा। यह प्रक्रिया आरंभ हो गई है।

विदेशी संस्थानों का प्रसार

1505. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री चन्द्रभान सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन विदेशी संस्थानों के प्रसार की ओर आकर्षित किया गया है, जिन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बिना भारतीय प्राधिकारियों की मान्यता के अपने संस्थान स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन संस्थानों की इतनी बढ़ती हुई संख्या को विनियमित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों के प्रवेश और संचालन के लिए विनियमों का प्रारूप तैयार किया है। इन विनियमों का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

सुभाष चन्द्र बोस मामला

1506. **श्री किरीट सोमैया :**
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'जनसत्ता' में दिनांक 5.11.2001 को "नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु का रहस्य" के बारे में प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने नेताजी की मृत्यु के संबंध में कोई आयोग गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो आयोग द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उसमें सूचित कुछ मामले आंशिक रूप से डा० (श्रीमती) पूरबी राय और अरधेन्दु सरकार द्वारा आयोग के समक्ष दिए गए संगत बयानों से मेल खाते हैं। आयोग ने, विदेश मंत्रालय से मामले को रूस संघ की सरकार के साथ-साथ भूतपूर्व यू एस एस आर के अवशिष्ट क्षेत्रों की सम्बंधित सरकार के साथ भी उठाने का अनुरोध किया था ताकि आयोग नेताजी सुभाष चन्द्र बोस/आजाद हिन्द फौज के संबंध में वर्गीकृत और अवर्गीकृत दस्तावेजों, जो उनके अभिलेखागारों में पड़े हैं, का अध्ययन कर सके। जैसी कि आयोग ने इच्छा व्यक्त की है, विदेश मंत्रालय ने अनेक दस्तावेजों, जो अधिकतर रूसी भाषा में है, की प्रतियां जांच हेतु आयोग को उपलब्ध कराई हैं।

(ग) से (च) सरकार ने, 1945 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने से सम्बंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों और इससे संबंधित बाद की सभी गतिविधियों की जांच करने के लिए, 14.5.1999 को भारत के उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.के. मुखर्जी को लेकर एक जांच आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग का वर्तमान कार्यकाल 14.5.2002 तक बढ़ाया गया है।

आतंकवाद से निपटने के लिए पोटो नामक अध्यादेश का प्रख्यापन

1507. **श्री जी०एस० बसवराज :**
श्री ब्रह्मानंद मंडल :

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री टी० गोविन्दन :
श्री अमर रायप्रधान :
श्री रामदास आठवले :
श्री बहादुर सिंह :
श्री एन०एन० कृष्णदास :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री दिलीपकुमार मनमुखलाल गांधी :
श्री महबूब जहेदी :
श्री रामशकल :
श्री पी०आर० खूंटे :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री प्रबोध पण्डा :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए पोटो नामक अध्यादेश का प्रख्यापन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पोटो लागू करने के लिए राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किए थे, और राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, गैर-सरकारी संगठनों, धार्मिक संगठनों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को विश्वास में लिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उनके विचार क्या हैं;

(च) क्या इस अध्यादेश ने सरकार/जांच प्राधिकारियों को अत्यधिक शक्तियों दे दी हैं;

(छ) यदि हां, तो टाडा के मुकाबले पोटो में दी गई अतिरिक्त शक्तियां का ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में विधेयक को कब तक संसद में लाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 (2001 की सं. 9) 24.10.2001 को प्रख्यापित किया गया है। इस अध्यादेश की मुख्य-मुख्य बातें हैं:-

(i) अध्यादेश की धारा 3 में "आतंकवादी कृत्यों" की व्यापक परिभाषा की गई है।

(ii) इस अध्यादेश के दायरे में आतंकवाद का वित्तपोषण और नरसंहार के खतरनाक विस्फोटकों तथा हथियारों को अनधिकृत रूप से रखने संबंधी अपराध भी आते हैं।

(iii) इसमें, निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत, आतंकवाद में संलिप्त संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में घोषित करने के लिए सामर्थ्यकारी उपबंध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो कि ऐसे आतंकवादी संगठनों का सदस्य है या आतंकवादी संगठनों के लिए धनराशि उगाह कर या बैठकों के आयोजन का प्रबंध करके या उसमें भाग लेकर उनकी सहायता करता है, तो वह इस अध्यादेश के अंतर्गत अपराध करता है।

(iv) सुरक्षापायों के साथ, जांच-पड़ताल करने वाली एजेंसियों द्वारा तार और इलैक्टॉनिक संचार को रोकने के संबंध में प्रावधान।

(v) इस अध्यादेश के अंतर्गत किसी अपराध की जाच-पड़ताल करने वाला अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए।

(vi) कोई भी न्यायालय इस अध्यादेश के अंतर्गत अपराध को तब तक संज्ञान में नहीं ले सकता जब तक कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार, जैसा भी मामला हो, की मंजूरी नहीं ली जाती।

(vii) इस अध्यादेश में, किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष जुर्म की स्वीकारोक्ति को स्वीकार करने संबंधी प्रावधान के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षापायों का प्रावधान है।

(viii) अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना गिरफ्तारी के पश्चात् तुरंत परिवार के सदस्य को दी जानी चाहिए और इस तथ्य को पुलिस अधिकारी द्वारा रिकार्ड किया जाना चाहिए। जांच-पड़ताल के दौरान अभियुक्त की तरफ से वकील को उससे मिलने की इजाजत देनी होगी।

(ix) ऐसे मामलों में प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवजे के

प्रावधान के साथ इस अध्यादेश के अंतर्गत दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिए पुलिस का अभियोजन।

(x) अपराधों पर विचारण के लिए विशेष न्यायालय नामोद्दिष्ट की जाएंगी।

(xi) टाडा की तुलना में जमानती प्रावधान कम कड़े किए गए हैं।

इस अध्यादेश के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। जबकि कुछ राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि वे अध्यादेश को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कारवाई शुरु करने की प्रक्रिया में है, अन्य राज्य सरकारों से अभी उत्तर की प्रतिक्षा है।

सभी संबंधित प्राधिकरणों, संगठनों और व्यक्तियों से उनके विचार जानने के लिए एक आधार पत्र (वर्किंग पेपर) परिचालित करने के पश्चात्, इस विषय विधेयक का मसौदा विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। विधेयक के मसौदे पर 17.7.2000 को आयोजित गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में और 5.8.2000 को आंतरिक सुरक्षा पर आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी चर्चा की गई थी। इस पर सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के विचार जानने के लिए उनमें परिचालित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) ने अपने विचार देते हुए कहा कि ऐसे कानून को अधिनियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्होंने चिंता के कुछ विषयों की ओर ध्यान दिलाया।

विभिन्न श्रोतों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के पश्चात् इस अध्यादेश को अंतिम रूप दिया गया।

(च) और (छ) आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए कानून के कारगर ढांचे की व्यवस्था है। इस अध्यादेश में विभिन्न प्रावधान निहित हैं जो कि यथा संभव सुरक्षा अनिवार्यताओं के साथ नागरिक स्वतंत्रताओं हेतु सुरक्षापायों के साथ मेल खाते हैं। इस अध्यादेश के अंतर्गत कुछ नये प्रावधान, आतंकवादी संगठनों द्वारा किए गए अपराध, आतंकवाद का वित्तपोषण और नरसंहार के हथियारों को रखने से संबंधित है। इसी के साथ पुराने टाडा के कुछ प्रावधान, जिनके कारण तथा-कथित रूप से मुसीबतें होती थीं या उसका दुरुपयोग होता था, या तो समाप्त कर दिए गए या उनमें उचित रूप से संशोधन कर दिया गया है।

(ज) इस विधेयक को 2001 के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रधान कार्यालयों में खाली जगह

1508. श्री प्रबोध पण्डा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 सितम्बर, 2001 के "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में "सेन्ट्रल गवर्नमेंट कीप्स प्राइम आफिस स्पेस आईडिल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कुछ विभागों को बंद करने या अन्यत्र ले जाने आदि के कारण केन्द्रीय मंत्रालयों के विभिन्न भवनों में कार्यालय स्थल का पर्याप्त क्षेत्र खाली हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे खाली स्थानों के समुचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। उल्लिखित तीन भवनों अर्थात् संचार भवन, सुरक्षा भवन और स्कोप बिल्डिंग शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है। जहां तक लोक नायक भवन का संबंध है 11 तल शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा भाड़े पर लिये गये हैं और सूचना के अनुसार इन तलों में कोई कार्यालय स्थान खाली नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, आसूचना ब्यूरो ने आर.के. पुरम में लगभग 33,000 वर्ग फीट स्थान खाली किया है जिसका आबंटन किया जाना है।

सर्व शिक्षा अभियान

1509. श्री अरुण कुमार :
श्री मंजय लाल :
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उक्त वित्त वर्षों के दौरान राज्य-वार जिलों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या इन योजाओं पर खर्च की गई धनराशि बजट में आवंटित की गई धनराशि से कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक निधि अथवा अंशदान के माध्यम से राज्यों के अंशदान की अनुमति दिये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के लिए बजट क्रमशः 350 करोड़ रु. और 500 करोड़ रु. था।

(ख) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान अभी तक जिलों को जारी की गई राशि का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना पर वास्तविक व्यय आबंटित राशि से कम था क्योंकि उस वर्ष अनुदान केवल परियोजना-पूर्व कार्यकलापों के लिए जारी किए गए थे।

(ङ) जी, नहीं। तथापि सर्व शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों में राज्य और केन्द्र अंशदान के अलावा संसद स्थानीय क्षेत्र विकास और विधायक निधि से राशि को अतिरिक्त अंशदान के रूप में उपयोग करने की व्यवस्था है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परियोजना पूर्व क्रियाकलापों हेतु शामिल जिले			वर्ष 2001-2002 के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा योजनाओं हेतु संस्वीकृत निधियां	
			2000-2001	जिलों की संख्या	2001-2002	जिलों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4	63.30	0	0	4	1955.00
2.	असम	4	74.00	10	221.13	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	32.00	10	129.57	0	0
4.	बिहार	14	230.59	3	34.54	0	0
5.	गुजरात	3	50.00	11	409.95	0	0
6.	हरियाणा	0	0	11	130.64	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	4	69.50	4	65.06	0	
8.	जम्मू व कश्मीर	2	48.08	0	0	0	0
9.	कर्नाटक	12	241.51	0	0	0	0
10.	केरल	8	121.99	0	0	0	0
11.	मध्य प्रदेश	6	91.10	6	90.40	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मणिपुर	2	24.66	7	109.93	0	0
13.	मेघालय	4	64.50	3	62.32	0	0
14.	मिजोरम	8	111.03	0	0	0	0
15.	नागालैंड	2	27.87	6	76.55	0	0
16.	उड़ीसा	14	246.07	0	0	0	0
17.	पंजाब	6	88.00	11	192.25	5	1068.87
18.	सिक्किम	1	14.00	3	36.55	0	0
19.	तमिलनाडु	22	318.00	0	0	0	0
20.	त्रिपुरा	1	16.50	3	46.19	0	0
21.	उत्तर प्रदेश	17	342.50	0	0	16	6917.41
22.	पश्चिम बंगाल	7	132.00	0	0	0	0
23.	अंडमान व नि. द्वी. समूह	0	0	2	12.68	0	0
24.	दादरा व न. हवेली	1	8.00	0	0	0	0
25.	पांडिचेरी	0	0	4	32.09	0	0
26.	झारखंड	3	38.43	0	0	0	0
27.	उत्तरांचल	0	0	7	134.50	0	0
	कुल	148	2453.63	101	1784.35	25	7986.28

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का विनिवेश

1510. **श्री मंजय लाल :** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की किन-किन कम्पनियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विनिवेश प्रक्रिया के तहत लाया गया है;

(ख) शेयर मूल्य (रुपयों में) में विनिवेश की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और यह वर्ष-वार और कम्पनी-वार चुकता शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत है; और

(ग) कर्मचारियों को रुपये मूल्य में बेचे गये शेयरों का ब्यौरा क्या है और यह वर्ष-वार और कम्पनी-वार चुकता शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक के दौरान विनिवेश किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं :-

1998-99 (i) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल)

(ii) विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी एस एन एल)

(iii) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (कॉनकोर)

(iv) भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई ओ सी)

(v) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ एन जी सी)

1999-2000 (i) विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी एस एन एल)

(ii) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल)

(iii) मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (इंडिया) लिमिटेड (एम एफ आई एल)

(iv) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) - वित्तीय पुनर्संरचना

2000-2001 (i) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को)

(ii) बोंगाई गांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि० (बी आर पी एल)

(iii) चेन्नई रिफाइनरीज लिमिटेड (सी आर एल)

(iv) कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड (के आर एल)

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मंत्री-समूह का गठन

1511. **श्री शिवाजी माने :**
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी आवास से संबंधित मुद्दों पर विचार के लिए मंत्रि-समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रि-समूह के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रि-समूह ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) उक्त मंत्रि-समूह द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यों को क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) इस प्रयोजन के लिए सरकार ने किसी औपचारिक मंत्री दल का गठन नहीं किया है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

टी आई एफ ए सी के तहत वर्षा जल का संग्रहण

1512. **श्री एन०टी० षणमुगम :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद के तहत कोई ऐसी योजना शुरु की गई थी जिसका लक्ष्य पहाड़ी वर्षा वाले क्षेत्रों में संभावित सिंचाई के लिए वर्षा जल संग्रहण करना है;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक इस योजना को अब तक लागू किया गया है;

(ग) राज्यों को इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की जा रही है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो यह योजना किस हद तक सफल रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्थान प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टाइफैक) द्वारा नयागढ़ जिला, उड़ीसा के कोमाण्ड पंचायत में पर्यावरण एवं कृषि विकास केन्द्र (सी ई ए डी), नई दिल्ली के माध्यम से "उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता का प्रदर्शन" नामक एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) अब तक तीन गांवों में चार जल संसाधनों का निर्माण किया जा चुका है।

(ग) निधियां केवल विशिष्ट परियोजना को आबंटित की जाती हैं और राज्य सरकारों को कोई निधि आबंटित नहीं की जा रही। परियोजना प्रत्यक्ष रूप से प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद सहित पर्यावरण एवं कृषि केन्द्र द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) जी, हां। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद परियोजना के कार्यान्वयन का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण कर रहा है।

(ङ) निर्मित जल संसाधनों ने पहले ही सफलतापूर्वक पानी इकट्ठा कर लिया है।

मैट्रो-शहरों में झुग्गी झोपड़ी निवासी

1513. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विशेषकर झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधाएं और बड़े नगरों जैसे चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, सलेम, त्रिचुरापल्ली और त्रिनेलवेली में विकास परियोजनाएं चलाने के लिए और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां, योजना आयोग को स्लमों का सुधार करने के लिए नालियों के निर्माण, सीवरेज, फुटपाथों को चौड़ा करने और शौचालयों के प्रावधान इत्यादि जैसी अवस्थापना और मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए अतिरिक्त निधियों हेतु अनुरोध/मांग प्राप्त हुई है। तमिलनाडु सरकार से प्राप्त वर्षवार मांग का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	अतिरिक्त निधियों के लिए प्राप्त प्रस्ताव
1997-1998	5.00 करोड़
1999-2000	5.00 करोड़
2000-2001	15.00 करोड़

योजना आयोग ने अनुरोध पर विधिपूर्वक विचार किया किन्तु राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) के दिशानिर्देशों और वित्तीय दबाव को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) ने चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, स्लेम, त्रिचुरापल्ली और त्रिनेलवेली शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज, नालियों, सड़क, पुलों, क्षेत्र विकास, वाणिज्यिक सामाजिक अवसंरचना इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए 24 योजनाओं को मंजूरी दी है। हडको ने सालेम शहर में 68.99 लाख रु० की सब्सिडी सहायता से 6663 इकाइयों के बदलने के लिए एक समेकित कम लागत की सफाई योजना को भी मंजूरी दी है।

उपर्युक्त के अलावा, जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि चेन्नई, मदुरै और कोयम्बटूर तीन प्रमुख नगरों में स्लम सुधार कार्यों के लिए 11वें वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को 49 करोड़ रु० का अनुदान दिया है। यह अनुदान तेजी से बढ़ रहे शहरों के लिए विशेष समस्या अनुदान के रूप में है जिनमे स्लम वासियों के पुनर्स्थापन के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये कार्य पहले ही शुरु कर दिया गया है और 31.03.2005 तक पूरा कर लिया जायेगा।

ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी भागीदारी

1514. डा० जसवंतसिंह यादव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रोत्साहन देने के गैर-सरकारी भागीदारी को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो योजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निगमित क्षेत्र से ग्रामों को गोद लेने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निगमित क्षेत्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु निगमित क्षेत्र से सरकार के साथ सक्रिय भागीदारी स्थापित करने का आह्वाहन किया है। उद्योगों को ग्रामीण विकास हेतु गतिविधियों और क्षेत्रों का चुनाव करने की छूट दी गई है।

(ग) और (घ) 16 अक्टूबर, 2001 को ए.एस.एस.ओ.सी.एच. ए.एम. (एसोचैम) द्वारा ग्रामीण विकास पर सार्वजनिक/निजी भागीदारी के संबंध में राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में बोलते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रत्येक औद्योगिक घराने से आग्रह किया कि वह एक गांव अथवा गांवों के समूहों को गोद लें और ऐसे गांव/गांवों के चहुँमुखी सामाजिक और आर्थिक विकास की पूरी जिम्मेदारी लें।

(ङ) शिखर सम्मेलन में ग्रामीण क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु संभावित साझीदारी के क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए सरकार और उद्योग के बीच निरंतर बातचीत चलते रहने की आवश्यकता महसूस की गई।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन और साक्षरता योजनाएं

1515. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्याह्न भोजन और साक्षरता योजनाएं विफल रही हैं;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के तहत राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा योजना-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या इन योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि/खाद्यान्न का अल्प उपयोग हुआ है अथवा उसका कोई लेने वाला नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) और (ख) जनगणना, 2001 (अनंतिम रिपोर्ट) के अनुसार साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; यह वृद्धि वर्ष 2001 में 65.38 प्रतिशत हो गई है। निरक्षरों की कुल संख्या में पहली बार कमी आई है। यह संख्या वर्ष 1991 में 32.8 करोड़ थी जो घटकर वर्ष 2001 में 29.6 करोड़ हो गई है।

जहां तक मध्याह्न भोजन योजना का संबंध है, इस कार्यक्रम का यूनिसेफ के सहयोग से एक बाह्य एजेंसी 'आपरेशन रिसर्च ग्रुप' द्वारा मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि अध्ययन के उद्देश्य से शामिल किए गए 10 राज्यों में से असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में नामांकन में काफी वृद्धि हुई है जबकि अन्य छह राज्यों यथा गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा तथा राजस्थान में उपस्थिति तथा स्कूल में बच्चों को बनाए रखने के मामले में कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(ग) से (ङ) इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निधि आबंटित नहीं की जाती। साक्षरता कार्यक्रमों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि हेतु जिला साक्षरता समितियों और गैर-सरकारी संगठनों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां प्रदान की जाती हैं। 'मध्याह्न भोजन योजना' के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त नामांकन आंकड़ों के आधार पर खाद्यान्न आवंटित किये जाते हैं और भारतीय खाद्य निगम कार्यान्वयन एजेंसियों को इसकी आपूर्ति करता है जिसके लागत की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की दर पर की जाती है। इसी प्रकार, लगाए गए वास्तविक प्रभार के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को अधिकतम 50/-रु. प्रति क्विंटल तक के यातायात प्रभार की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

वर्ष 2000-01 के दौरान किए गए 2480692 मिट्रिक टन खाद्यान्नों के आबंटन में से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 1517816 मिट्रिक टन खाद्यान्न उठाये गये, जो किये गये आबंटन का लगभग 61.18 प्रतिशत है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मेघालय तथा पंजाब खाद्यान्न उठाये जाने में पीछे हैं। इस स्थिति में सुधार लाने तथा योजना में सुचारू कार्यान्वयन का सुनिश्चय करने के लिए केन्द्र सरकार ने इन राज्यों के समक्ष यह मामला उठाया है।

महाराष्ट्र में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण

1516. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु कौन-कौन सी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक उक्त परियोजनाओं के तहत कितने शहर लाभान्वित हुए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इस परियोजना के तहत राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान इस योजना के तहत महाराष्ट्र के कौन-कौन से शहरों के लाभान्वित होने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आवास और नगर विकास निगम (हडको) ने शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ वासियों के लिए रैन-बसेरा और सफाई सुविधाओं की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत 42 स्कीमें स्वीकृत की हैं जिसमें 2397.92 लाख रु. की ऋण राशि तथा 2712.98 लाख रु.

को केन्द्रीय सब्सिडी शामिल है जो 19495 शौचालयों, 52 स्नानघरों तथा 449 मूत्रालयों के निर्माण के लिए है। हडको ने 402.27 लाख रु. की केन्द्रीय सब्सिडी जारी की है। हडको ने सूचित किया है कि केन्द्र प्रवर्तित कम लागत सफाई स्कीम (एलसीएस) के तहत उसने 2809 सामुदायिक शौचालय स्वीकृत किए हैं। हडको ने यह भी सूचित किया है कि बुनियादी सफाई स्कीम के तहत महाराष्ट्र में 958 सामुदायिक शौचालयों को बदलने के लिए 2.25 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) कम लागत सफाई स्कीम (एलसीएस) के साथ-साथ ''शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ वासियों के लिए रैन-बसेरा तथा सफाई सुविधाएं'' स्कीमें हैं और इसलिए इन स्कीमों की स्वीकृति राज्यों से नई स्कीमों के प्राप्त होने पर निर्भर होती है। कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम संख्या	परियोजना का नाम	शहर
1	2	3	4
1.	10363	सुलभ काम्प. का निर्माण (भुगतान/उपयोग शौचालय)	गोंडिया
2.	10727	सुलभ काम्प. का निर्माण (भुगतान/उपयोग शौचालय)	गोंडिया
3.	10728	सुलभ काम्प. का निर्माण (भुगतान/उपयोग शौचालय)	छोपडा
4.	10919	सुलभ काम्प. का निर्माण (भुगतान/उपयोग शौचालय)	शिरपुर
5.	11615	सुलभ काम्प. का निर्माण (भुगतान/उपयोग शौचालय)	बम्बई
6.	12106	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय का निर्माण	श्रीरामपुर
7.	12128	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय का निर्माण	पुणे
8.	12361	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	शिरपुर
9.	12369	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	परभनी
10.	13225	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय का निर्माण	जलगांव
11.	13458	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	नागपुर
12.	15783	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	नागपुर
13.	16508	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	राहुड़ी
14.	16509	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	देवलाली
15.	16510	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	इचलकरंजी
16.	16511	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	जलगांव
17.	16512	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	पछोड़ा
18.	16513	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	कामठी

1	2	3	4
19.	16514	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	मालवा
20.	16515	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	मनमाड
21.	16516	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	नागपुर
22.	16517	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	इरंडोल
23.	16518	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	नालदुर्ग
24.	16519	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	वेंगुरला
25.	16520	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	खुल्ताबाद
26.	16521	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	सावंतवाडी
27.	16522	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	भोखरभान
28.	16523	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	पनवेल
29.	16524	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	ठाणे
30.	16590	रैन-बसेरा स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	धरन गांव
31.	16653	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय का निर्माण	अमरावती
32.	16684	आई. एल. सी. एस. स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय का निर्माण	चन्द्रपुर
33.	16685	आई. एल. सी. एस. स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय का निर्माण	परोला
34.	16716	आई. एल. सी. एस. स्कीम के तहत भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय का निर्माण	मुम्बई शहर
35.	17014	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय का निर्माण	जलगांव
36	17015	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय का निर्माण	जलगांव
37.	17016	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय का निर्माण	धुले
38.	17120	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	अहंमदपुर लातूर डीटी
39.	17206	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	लातूर
40.	17207	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	फैजपुर जलगांव डीटी
41.	17208	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	पौनी, भादा डीटी
42.	17209	भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालय	तिरोड़ा, गोंडिया डीटी

पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

1517. **श्री रामानन्द सिंह : क्या विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिलांग में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान कौन-कौन सी मांगें की गई और सरकार द्वारा कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की गईं;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा निम्नलिखित मांगें उठायी गयी हैं:-

(i) पूर्वोत्तर परिषद की पुनर्संरचना के एक भाग के रूप में योजना आयोग के उपाध्यक्ष को परिषद का पदेन अध्यक्ष बनाना।

(ii) औद्योगिक इकाइयों के लिए आबकारी प्रोत्साहनों का एक समान रूप से पूरे क्षेत्र में विस्तार किया जाना चाहिए और इसे केवल अधिसूचित क्षेत्रों तक सीमित न रखा जाए।

(iii) इमारती लकड़ी विनियमों के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार स्कीमें बनाने में राज्य सरकारों की सहायता करना।

(iv) 11वें वित आयोग की सिफारिशों की पुनरीक्षा करना और अधिक संसाधन आबंटित करना।

(v) भारी मात्रा में उधार लेने से उत्पन्न वितीय स्थिति को सुधारने में राज्य सरकारों की मदद करना।

पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 1998 राज्य सभा द्वारा 9 अगस्त, 2001 को जांच और रिपोर्ट के लिए गृह कार्यों से संबंधित संसदीय समिति को भेजा गया है। समिति ने अनेक बैठकें की और गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद, योजना आयोग के अधिकारियों और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिवों से पूछ-ताछ की है। समिति ने पूर्वोत्तर संसद सदस्य फोरम के कुछ सदस्यों से भी पूछ-ताछ की है।

यह दोहराया गया कि नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए आबकारी प्रोत्साहनों को केवल अधिसूचना क्षेत्रों पर ही लागू किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों को सूचित किया गया है कि यह निर्णय लकड़ी आधारित उद्योगों को कार्य करने से नहीं रोकता है। उन्हें अनुमोदित औद्योगिक एस्टेटों में अवस्थित करना होगा और अनुमोदित कार्यकारी योजना के अन्तर्गत गिरायी गयी वैध इमारती लकड़ी का प्रयोग करना होगा। राज्य सरकारों से कार्यकारी योजनाएं/स्कीमें तैयार करने और उन्हें अनुमोदन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजने का अनुरोध किया गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से कार्यकारी योजनाएं और स्कीमें तैयार करने के लिए 5 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं।

11वें वित आयोग के पंचाटों की समीक्षा करने में अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उन्हें पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।

उनकी उधार पूंजी की पुनर्संरचना में राज्य सरकारों की मदद करने के लिए, ऋण भार को कम करने हेतु उच्च ब्याज दर पर दिए गए ऋण को वर्तमान कम ब्याज दर के ऋण में बदला जा सकता है। राज्य सरकारों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/राज्यों द्वारा गारन्टीशुदा ऋण के एन पी ए खातों के मामलें में, यदि ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है तो शेष राशि का भुगतान कार्यक्रम पुन: बनाया जा सकता है। इस प्रकार से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ऋण लेने के पात्र हो जाएंगे। यह सभी निर्णय लिया गया है कि पूर्वोत्तर में बचत जमा अनुपात को बढ़ाकर अगले तीन सालों में राष्ट्रीय औसत के बराबर लाया जाएगा।

(ग) प्रधानमंत्री ने सन् 2000 में, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक कार्यक्रम घोषित किया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न और स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं/स्कीमें, बिजली, सड़क हवाई अड्डे, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन की अन्य स्कीमों इत्यादि के क्षेत्र में मूल संरचना विकास से संबंधित है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों के पूरा होने पर, पूर्वोत्तर राज्यों में बेहतर मूल संरचना, अधिक सम्पर्क साधन और रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी होगी जिससे राज्यों को देश की मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी।

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 22 जनवरी, 2000 के शिलांग में घोषित प्रधानमंत्री कार्यक्रम के कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन की स्थिति वेबसाईट पी. एम. इंडिया-निक-इन पर भी देखी जा सकती है।

गरीबी उपशमन कार्यक्रम के तहत धन के दुरुपयोग संबंधी विश्व बैंक की रिपोर्ट

1518. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री बीर सिंह महतो :

राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने गरीबी उपशमन कार्यक्रम के तहत आबंटित धनराशि के दुरुपयोग के बारे में टिप्पणियां की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने इस संबंध में कोई नए निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

आरक्षित पदों को अनारक्षित करना

1519. **श्री भानसिंह भौरा :** क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.4.1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/6/88-स्था.(एस सी टी) के तहत इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित किया जा रहा है और उन्हें अन्य जातियों द्वारा भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे उदाहरणों का ब्यौरा क्या है जहां इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियां पदों को अनारक्षित किया गया है और, उन जातियों को छोड़कर जिनके लिए वे पद मंत्रालय के अधीन दिनांक 1.4.1989 से आरक्षित थे, अन्य जातियों द्वारा भरे गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुच्छेद 243-ग में संसोधन

1520. **श्री दिलीप संघाणी :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न चरणों की पंचायतों के कार्यकरण के बारे में निर्णय लेने के लिए राज्यों को स्वायत्तता देने के लिए संसोधन करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 243-ग में संसोधन करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) जी, नहीं। संविधान के अनुच्छेद 243-(छ) में राज्य विधान मंडलों को पंचायतों को स्व-शासन की संस्था की तरह कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाने की शक्तियां दी गई हैं। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान भी है कि ऐसे कानून में पंचायतों को उचित स्तर पर शक्तियां एवं दायित्व सौंपने से संबंधित प्रावधान हों।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने दिसम्बर, 99 में राज्य सभा में 87वां संविधान संशोधन विधेयक 1999 पेश किया। विधेयक पर सभी राजनीतिक दलों व राज्य सरकारों से विस्तृत विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, इस संदर्भ में सभी मुख्यमंत्रियों से टिप्पणी मांगी गई थी। 87वां संविधान संशोधन विधेयक, 1999 पर दृष्टिकोण/टिप्पणी जानने के लिए 19 मई, 2001 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संसद के सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। चूंकि बैठक में आम सहमति नहीं हो पाई इसलिए इस विधेयक को आस्थगित करने का फैसला किया गया।

जनजातीय भाषाओं/संस्कृति का संरक्षण और प्रोत्साहन

1521. **श्री अनन्त नायक :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार का विचार देश में जनजातीय भाषाओं और संस्कृति का संरक्षण करने और इसे प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न जनजातीय बहुल जिलों के अनुसूचित

क्षेत्रों में विशेषकर झारखंड में, जनजातीय भाषाओं और संस्कृति का संरक्षण करने और जनजातियों का स्वावलंबी बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन-सी योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्रों में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों का जिलावार, राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना जनजातीय संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करती है और 50:50 के आधार पर वित्तीय सहायता की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त, कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसरों की योजना 100% वितीय सहायता का प्रावधान करती है और जनजातीय भाषाओं एवं संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए केवल स्थानीय जनजातीय बोलियों में पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक की जनजातीय छात्राओं को कोचिंग देने के लिए अनुदानग्राही संस्थाओं को आदेश देती है।

(ग) जनजातियों के विकास के लिए स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा दोनों के क्षेत्र में अनेक योजनाएं मंजूर की गई हैं। गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई योजनाओं के जिलेवार ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राज्यवार मंजूर की गई योजनाओं/परियोजनाओं के जिलेवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

राज्य तथा जिलों के नाम	परियोजनाओं की संख्या			परियोजनाओं की कुल यूनिट	निर्मुक्त राशि		
	शैक्षिक	स्वास्थ्य देखभाल	रोजगार		1998-99	99-2000	2000-01
1	2	3	4	5	6	7	8
(1) आंध्र प्रदेश							
अनन्तपुर	3	1	—	4	1054182	2804554	189000
चितुर	2	—	2	4	1365492	2505217	2320920
कुडाप्पा	3	—	—	3	325000	—	759510
गुंटुर	3	4	—	7	1463746	1185856	1290728
हैदराबाद	7	—	—	7	313434	774270	304971
कृष्णा	6	3	—	9	1075230	3448971	3418510
राजमुंदरी	—	2	—	2	538290	111181	428670
रंगा रेड्डा	8	2	1	11	143008	2537904	2680912
विशाखापटनम	6	2	—	8	522090	991220	3659476
वेस्ट गोदावरी	1	—	1	2	15605	595643	—
आदिलाबाद	5	1	—	6	—	—	3417508

1	2	3	4	5	6	7	8
करीमनगर	9	—	—	9	—	56500	1844000
कुरनूल	5	1	3	9	—	—	3148500
महबूबनगर	8	—	—	8	1004000	176500	1590250
मेढक	5	2	—	7	944818	507500	3480736
निजामाबाद	4	—	—	4	769847	—	1770000
नलगोंडा	6	—	—	6	160000	522500	2805000
खमाम	5	—	—	5	—	414000	2168000
श्रीकाकुलम	2	—	—	2	—	—	1091500
नेल्लोर	1	—	—	1	—	—	430000
विजयनगरम	1	—	—	1	—	—	660000
(2) अरूणाचल प्रदेश							
ईटानगर	—	1	—	1	1308765	4369410	4333410
खोंसा	1	—	—	1	322110	—	—
लोहित	1	1	—	2	284355	1009620	1152594
पापुम पारे	7	2	—	9	2248295	7606934	6969241
तवांग	1	—	—	1	466155	1054575	1173825
तिराप	2	1	2	5	1174325	4162049	334665
वेस्ट कामेंग	1	—	—	1	897862	700380	1907190
ईस्ट कामेंग	1	—	—	1	957297	355000	—
वेस्ट सियांग	2	2	—	4	5174050	6146800	6729095
(3) बिहार							
गोड्डा	—	1	—	1	—	393316	—
पूर्णिया	1	—	—	1	—	190926	—
पटना	1	—	—	1	86712	—	—
वेस्ट चम्पारन	3	—	—	3	372900	463500	—

1	2	3	4	5	6	7	8
(4) झारखंड							
सिंहभूम ईस्ट वेस्ट	15	6	—	21	1699144	3719112	9368374
जमशेदपुर	1	—	2	3	1055941	508118	747596
रांची	72	2	—	74	2905757	11896461	9089637
साहिबगंज	2	—	—	2	—	—	—
(5) दादरा व नगर हवेली							
खानवेल	2	—	—	2	750636	—	—
(6) गुजरात							
भरुच	1	1	—	2	176706	—	1106595
धाडेला	1	—	—	1	—	242730	274023
नर्मदा	1	1	1	3	121806	823621	—
सूरत	2	—	—	2	261819	—	1078605
नवसारी	—	2	—	2	—	—	2377644
बनासकंठा	3	—	—	3	1047914	1065532	450000
कच्छ	2	—	—	2	694504	531992	675000
(7) हिमाचल प्रदेश							
कांगड़ा	1	—	—	1	177960	654000	1493364
कुल्लु	1	—	—	1	—	113301	1657539
लाहोल एंड स्पिति	3	—	—	3	—	126178	868949
(8) जम्मू व कश्मीर							
फुलवामा	—	—	3	3	700000	200000	259740
बुडगाम	—	—	3	3	700000	200000	259740
श्रीनगर	—	—	1	1	100000	75000	—
कुपवाडा	—	—	2	2	542640	293960	—

1	2	3	4	5	6	7	8
जम्मू	1	1	2	4	167040	–	–
कारगिल	6	–	–	6	2483585	1499985	1923075
लद्दाख	2	–	–	2	560789	–	–
(9) केरल							
एर्नाकुलम	1	–	–	1	402651	919980	897480
कयामकुलम	1	–	–	1	123401	521435	583625
वयानाड	1	2	–	3	208440	1516470	2846467
कोलाम	1	–	1	2	168595	1714560	773460
तिरूवनंतपुरम	1	1	2	4	1923026	2562533	–
(10) मध्य प्रदेश							
सिहोर	6	–	2	8	550000	1863202	810500
दामोह	1	–	–	1	404235	–	–
जबलपुर	2	–	2	4	555012	360500	963000
शाहडोल	7	1	1	9	1432000	2304211	636000
मंडला	2	–	1	3	219106	643170	–
मोरेना	2	–	1	3	–	751763	399915
नरसिंहपुर	–	–	1	1	138600	–	–
सागर	5	–	–	5	–	672812	400815
उज्जैन	1	–	–	1	466245	301230	586710
ग्वालियर	3	–	–	3	–	56500	798330
रायसेन	4	–	–	4	–	1120000	408005
झाबुआ	3	–	–	3	601181	1019720	225000
सतना	3	–	–	3	823450	1505500	430496
सिद्धि	1	–	–	1	1044174	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
खरगोन	1	–	–	1	138553	79636	–
धार	1	–	–	1	138400	79636	–
गुना	1	–	–	1	–	–	242700
टीकमगढ़	1	–	–	1	162500	–	–
शियोपुर कलां	3	–	–	3	325000	842500	–
शिवपुरी	1	–	–	1	–	842500	–
(11) मेघालय							
ईस्ट खासी हिल्स	52	2	–	54	10208255	13688699	17729576
(12) असम							
दुबरी	2	–	1	3	–	895918	–
गुवाहटी	1	1	2	4	708309	792358	1106974
कामरूप	–	2	–	2	–	876135	–
लखीमपुर	1	1	–	2	1239381	–	242972
चच्चर (सिलचर)	1	–	–	1	325648	760495	380350
कारबी अंगलोंग	1	1	–	2	–	–	1119396
नौगांव	–	–	1	1	–	–	719369
(13) कर्नाटक							
दवानगिरी	2	–	–	2	–	–	1475746
कोलार	2	1	–	3	85139	390870	1363275
टुमकुर	1	2	–	3	–	956577	1254278
बीदर	1	–	–	1	149310	427410	–
चामराजनगर	2	2	–	4	1221132	1387431	2549346
मैसूर	2	2	–	4	1354639	2899234	4442253
रायचुर	1	–	–	1	–	–	78000

1	2	3	4	5	6	7	8
(14) महाराष्ट्र							
अमरावती	2	2	1	5	218220	57500	1818134
धुले	–	1	1	2	145954	–	–
पुणे	7	1	1	9	2169424	259009	–
उदगीर	1	–	–	1	278795	–	–
वर्धा	2	–	–	2	171765	–	476273
रायगढ़	3	–	–	3	190424	177000	–
नासिक	1	–	–	1	459000	–	456000
थाने	2	–	–	2	144000	498500	–
अकोला	1	–	–	1	–	140000	–
बुलधाना	1	–	–	1	–	–	963000
15) मणिपुर							
चांदेल	2	–	2	4	235836	513417	769845
चुराचंदरपुर	4	2	–	6	3048735	1476568	4169997
इम्फाल	6	1	5	12	2807542	1768680	4048830
लमलोंग (इम्फाल)	–	–	1	1	104022	–	1263100
लामफेलपुठ (इम्फाल)	2	–	2	4	1263100	394960	1108890
तमेंगलोंग	3	–	–	3	200284	961340	574830
थोउबाल	2	2	2	6	967599	213480	3306012
वांगिंग	–	–	1	1	203490	–	–
(16) मिजोरम							
आइजोल	3	5	–	8	2405385	1270989	2563709
छिम्मतुइपुई	1	–	–	1	–	–	545903

1	2	3	4	5	6	7	8
(17) नागालैंड							
दीमापुर	7	–	1	8	1290777	1105325	1065825
कोहिमा	1	–	5	6	–	602910	2204505
मोकोचुंग	–	–	10	10	–	1185086	1287450
फेक	2	–	–	2	–	–	870210
तुअनसांग	1	1	1	3	–	33495	2007750
मोन	–	–	1	1	–	–	172830
(18) तमिलनाडु							
तिरुवल्लूर	1	–	1	2	197015	125234	–
दी नीलगिरी	–	6	–	6	1033425	–	–
तिरूवन्नामलाई	1	–	–	1	316845	–	–
वेल्लोर	1	–	–	1	237960	–	–
(19) त्रिपुरा							
त्रिपुरा (वेस्ट)	1	1	1	3	549876	99913	747969
कंचनपुर	2	–	–	2	–	140000	–
अमारपुर	1	–	–	1	–	–	–
(20) उत्तर प्रदेश							
आजमगढ़	1	1	–	2	301410	1021023	480008
चित्रकूट	1	–	–	1	–	604875	–
फैजाबाद	–	1	–	1	259984	610020	–
बलरामपुर	5	1	–	6	1277425	1753920	1398228
लखनऊ	1	1	–	2	226320	–	846346
लखीमपुरखीरी	3	–	–	3	918000	–	1216845
बहराइच	2	–	–	2	459000	–	189000

1	2	3	4	5	6	7	8
सिद्धार्थनगर	2	–	–	2	–	523000	–
ओरिया	1	–	–	1	–	162500	–
गोंडा	1	–	–	1	–	–	–
(21) उत्तरांचल							
देहरादून	1	–	–	1	931833	1904220	–
चमौली	1	–	–	1	–	–	857145
(22) छत्तीसगढ़							
बस्तर	1	–	–	1	368926	279990	1026000
(23) उड़ीसा							
बालासोर	1	1	–	2	209701	–	–
कोरापुट	–	–	9	9	3445920	1582982	4176832
भुवनेश्वर	2	–	2	4	1311062	2754557	675783
खुर्दा	1	1	1	3	691170	1636634	189910
जाजपुर	4	–	1	5	1074570	1170990	–
बदराख	1	–	–	1	151965	390870	390870
मलकानगिरी	3	1	–	4	1049166	672220	200835
कटक	1	–	1	2	518000	897210	–
केंद्रपारा	1	–	–	1	307690	1039320	581032
क्योंझर	3	–	–	3	–	79000	362500
धेनकनाल	4	–	–	4	927749	1192023	592110
कालाहांडी	2	1	–	3	438480	1195690	936570
खांडामल	1	–	–	1	214272	734760	399060
मयूरभंज	3	1	–	4	869246	883620	2328148
नयागढ़	1	1	–	2	588148	1375830	–

1	2	3	4	5	6	7	8
पुरी	2	1	1	4	639486	1301820	1394942
सुंदरगढ़	3	–	–	3	947232	1051560	450450
रायगढ़	7	–	–	7	2289395	2557490	2357602
नवरंगपुर	2	–	–	2	909907	390000	699048
मलकानगिरी	3	–	–	3	962811	195000	–
अंगुल	1	–	–	1	–	56500	318000
(24) राजस्थान							
उदयपुर	5	–	–	5	527050	279000	21500
झादोल	1	–	–	1	–	875352	–
बांसवाड़ा	2	–	–	2	971367	267000	225000
बूंदी	2	–	–	2	455650	–	–
टोंक	3	–	–	3	2360370	2727700	2401430
सवाईमाधोपुर	3	–	–	3	–	–	673680
भीलवाड़ा	1	–	–	1	44100	70470	–
(25) पश्चिम बंगाल							
24-परगना (साउथ)	2	–	–	2	612297	1403878	1906766
बीरभूमि	1	–	–	1	168714	276570	394380
मिदनापुर	6	2	5	13	4661130	7561103	3621000
जलपाईगुड़ी	2	–	–	2	599580	907740	1374705
मुर्शिदाबाद	3	2	–	5	447390	931680	3567885
24-परगना (नार्थ)	1	–	–	1	351990	448380	933805
दक्षिम दिनाजपुर	2	–	–	2	447705	713160	1668510
हुगली	2	–	1	3	–	–	1444750
नाडिया	1	1	–	2	–	–	837900

शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य

1522. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्रीमती रेनु कुमारी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों/जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में राज्यों/जिलों के विकास हेतु विशेषकर दसवी पंचवर्षीय योजना के लिए अब तक कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) इस प्रयोजनार्थ कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि साक्षरता दरों के आधार पर ऐसे 10 राज्यों को हमारे प्रकाशनों में कोई विशेष दर्जा दिये बगैर 'शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्य' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जहां साक्षरता दरें सबसे कम हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार ये 10 राज्य निम्नवत हैं:-

1. आंध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. जम्मू और कश्मीर
6. मध्य प्रदेश
7. उड़ीसा
8. राजस्थान
9. उत्तर प्रदेश
10. पश्चिम बंगाल

इसके अलावा, 146 जिलों को (1991 की जनगणना के आधार पर) निम्नलिखित आधार पर निम्न महिला साक्षरता जिलों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है :-

(i) ऐसे जिले जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों ही के मामले में महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है;

(ii) ऐसे जिले जहां या तो अनुसूचित जाति के मामले में या फिर अनुसूचित जनजाति के मामले में महिला सरक्षरता दर 5 प्रतिशत से कम है;

(iii) ऐसे जिले जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से किसी एक के मामले में महिला साक्षरता दर 5 प्रतिशत से अधिक लेकिन 10 प्रतिशत से कम है; और

(iv) ऐसे जिले जहां कुल महिला साक्षरता दर 20 प्रतिशत से कम है।

(ख) इन 146 जिलों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है :-

राज्य का नाम	जिलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	11
अरुणाचल प्रदेश	2
बिहार	28
छत्तीसगढ़	2
गुजरात	2
झारखंड	7
कर्नाटक	2
मध्य प्रदेश	25
उड़ीसा	6
राजस्थान	25
उत्तर प्रदेश	32
पश्चिम बंगाल	3

(ग) और (घ) इन जिलों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सम्मिलित करने के अलावा अन्य उपाय भी करने हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(i) साक्षरता और शिक्षा के लाभों के बारे में लोगों को बताने तथा शिक्षित करने के लिए जन संचार माध्यमों से इनका

प्रचार दूरदर्शन, आकाशवाणी, पी.आई.बी., सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक एवं फिल्म प्रभागों तथा नेहरू युवक केन्द्रों का प्रयोग किया जा सकता है;

(ii) महिलाओं को जागरुक बनाने पर विशेष ध्यान देते हुए इन जिलों के ग्रामीणों की सामाजिक गतिशीलता। महिला और बाल विकास विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), राष्ट्रीय महिला आयोग तथा महिलाओं की तरक्की से जुड़ी अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं की सेवाएं ली जा सकती हैं;

(iii) महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के लिए तथा अपने बच्चों को स्कूल भेजने हेतु उन्हें प्रेरित करने के लिए इन जिलों में महिला समाख्या की तर्ज पर कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं;

(iv) प्रजनन और स्वास्थ्य से संबंधित स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तृणमूल स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सक्रिय बनाना; और

(v) प्राथमिक स्कूलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के दाखिले के लिए समुदाय की सहायता से ''प्रवेशोत्सव'' जैसे अभियान चलाना।

नशीली दवाओं का आतंकवाद

1523. **श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अगस्त, 2001 के 'द स्टेट्समैन' में ''नार्को टैरोरिज्म अलार्म्स इंटेलीजेंस एजेंसीज'' शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आसूचना एजेंसियों ने देश में आतंकवादी संगठनों की बढ़ती हुई नशीली दवाओं की आतंकवादी गतिविधियों पर अपनी चिंता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में उक्त नशीली दवाओं की आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) आतंकवादियों की सांठ-गांठ से सक्रिय तस्करों द्वारा बड़ी मात्रा में हथियार विस्फोटक, नशीली दवाओं तथा भारतीय मुद्रा के जाली नोटों की तस्करी की घटनाएं ध्यान में आई हैं। बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं भारत पाक सीमा से भारत में लाई जा रही है यह भी बताया गया है कि पाकिस्तानी एजेन्सियां नशीली दवाओं का इस्तेमाल मुख्यत: सीमा पार से आतंकवाद का वित्त पोषण करने के लिए करती हैं। भारत सरकार पाकिस्तान को इससे अवगत करा चुकी है।

सरकार ने उन तस्करों तथा आतंकवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुसमन्वित तथा बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिनमें सीमा पार से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना तथा केन्द्र व राज्य की एजेन्सियों के बीच गहन संबंध स्थापित करना, समन्वित कार्रवाई के द्वारा राष्ट्र विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करना, उन्नत अधुनातम हथियारों तथा संचार प्रणाली आदि के साथ पुलिस तथा सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन आदि करना शामिल है। केन्द्रीय एजेंसियां, नशीली दवाओं की तस्करी तथा जाली भारतीय नोटों के प्रचालन के बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों सहित विभिन्न एजेन्सियों के साथ सूचना का आदान-प्रदान नियमित रूप से कर रही हैं। सभी प्रवर्तन एजेन्सियों से कहा गया है कि वे पाकिस्तान से लगी सीमा पर अधिकतम सतर्कता बरतें तथा स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम में दिए गए कड़े प्रावधानों के तहत प्रवर्तन प्रयासों को बढ़ाएं।

पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करना

1524. **श्री लक्ष्मण सेठ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अभी तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

प्रतिनियुक्ति पर आई०पी०एस० और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के अधिकारी

1525. **श्री सवशीभाई मकवाना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में आई०पी०एस० और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कितने अधिकारी दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर या अस्थायी स्थानान्तरण के आधार पर तैनात हैं;

(ख) ऐसे कितने अधिकारी हैं जो अपनी सामान्य प्रतिनियुक्ति अवधि के समाप्त होने के बाद बढ़े हुए कार्यकाल के आधार पर कार्यरत हैं;

(ग) इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि में किस आधार पर विस्तार किया गया;

(घ) क्या बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी दिल्ली में पिछले 8-10 वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) दिल्ली में उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि/सेवा विस्तार की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उन अधिकारियों को उनके मूल संवर्ग में वापस भेजने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) भारत सरकार कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में भारतीय पुलिस सेवा के 202 अधिकारी दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। केन्द्रीय पुलिस संगठनों के अधिकारियों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) भारतीय पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि लोक हित में/कार्य की अनिवार्यता को देखते हुए प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि बढ़ाई गयी है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का कार्यकाल भा०पु०से० कार्यकाल नीति के अनुसार विनियमित किया जाता है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता है। उनकी प्रतिनियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि के पूरा हो जाने पर उन्हें उनके संवर्ग में वापस भेज दिया जाएगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

1526. **श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के समस्त उपक्रमों/उद्यमों, सांविधिक संगठनों/निगमों, स्वायत्तशासी संगठनों तथा सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी तथा उसकी समकक्ष श्रेणियों में कुल कितने पद हैं; और

(ख) डी०ओ०पी०टी० कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-सभा०(आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अंतर्गत अनुदेशों के अनुसार इन पदों के विरुद्ध सामान्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों में इनकी प्रतिशतता क्रमशः कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अफ्रीकी-एशियाई खेल

1527. **श्री भील दाझल : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मार्च-अप्रैल, 2002 के दौरान अफ्रीकी-एशियाई खेलों का आयोजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन खेलों के लिए तिथियां निर्धारित कर ली गई हैं; और

(ग) स्टेडियमों का पुनरुद्धार करने और आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन करने पर कितना व्यय होने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) सरकार ने अवस्थापना के उन्नयन, इलैक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड की स्थापना तथा खेल उपस्करों की प्राप्ति पर लगभग 40,31,50,000/- रुपये की रकम पहले ही खर्च कर दी है।

ग्रामीण संयोजन कार्यक्रम हेतु धनराशि का उपयोग

1528. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सभी भागों में ग्रामीण संयोजन को बढ़ाने वाले कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण संयोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने

वाली धनराशि के लिए पात्रता प्राप्त करने हेतु गांव द्वारा पूरी की जाने वाली विशिष्ट शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी धनराशि का समुचित उपयोग करने हेतु शर्तें काफी कड़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना की वर्तमान शर्तों में परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (ङ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य दसवीं योजना अवधि के अंत तक 500 से अधिक लोगों की आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी सभी बसावटों के बारहमासी सड़कों के जरिए सड़क संपर्क प्रदान करना है। सड़कों से न जुड़ी बसावट बारहमासी सड़क अथवा सड़कों से जुड़े गांव/बसावट से कम से कम 500 मीटर अथवा अधिक की दूरी पर स्थित होनी चाहिए।

उपर्युक्त मानदण्डों की वजह से निधियों के समुचित इस्तेमाल में किसी भी कठिनाई की राज्य सरकारों से सूचना नहीं मिली है।

कब्जा संबंधी लंबित वारंट

1529. **श्रीमती रेनु कुमारी :**
श्री राजो सिंह :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 14.3.2000 और 14.8.2001 के क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 2874 और 3395 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) कब्जा वारंट जारी करने हेतु आर०ए० (हौज खास) के पास लंबित कार्यपालन याचिका का ब्यौरा क्या है और उसे जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) कब्जा वारंट कब तक लागू किया जा सकता है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली सरकार ने सूचना दी है कि ''कब्जा अधिपत्र'' निष्पादन की प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) 1908 के आदेश (XXI) के नियम 35 में विहित है। वसन्त विहार और नजफगढ़ के तहसीलदार कब्जा अधिपत्र जारी करने के लिए इसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। वसन्त विहार और नजफगढ़ के तहसीलदारों के पास क्रमश: 48 और 225 कब्जा अधिपत्र निष्पादन के लिये शेष हैं। इन शेष कब्जा अधिपत्रों के निष्पादन के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, इसमें अधिकृत ढांचों को तोड़ने की कार्रवाई भी निहित है जिसमें लम्बे अरसे तक चलने वाली प्रक्रिया के साथ-साथ, पुलिस बल की उपलब्धता सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच उच्च कोटि के तालमेल की आवश्यकता है।

(घ) और (ङ) कब्जा अधिपत्र जारी करने के लिए राजस्व प्राधिकारी (हौज खास) के पास 9.11.2001 से 13 निष्पादन याचिकायें शेष हैं और इस प्रकार यह कोई विलम्ब नहीं है। इनमें कब्जा अधिपत्र जारी करने के लिए लगभग 3 वर्ष लग सकते हैं।

वांछित अपराधी

1530. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की आतंकवाद और आतंकवादियों/अपराधियों को समाप्त करने संबंधी क्या नीति है;

(ख) भारत के सर्वाधिक वांछित अपराधियों के नाम क्या हैं और वर्तमान में वे कहां-कहां हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन अपराधियों का प्रत्यार्पण और उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरु करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) हाल में उनके और अमरीकी राजदूत श्री राबर्ट ब्लैकविल के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागार राव) : (क) भारत के संविधान के अनुसार ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं। अत: अपराध को दर्ज करना, जांच पड़ताल करना, पता लगाना तथा अपराध और आतंकवाद की रोथाम करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। राज्यों में अपराध और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विभिन्न तरीके निकालना और ठोस उपाय करना राज्य सरकारों का कार्य है। सरकार ने अपराधियों और उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए समन्वित और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें सीमा पार से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेन्सियों के बीच गहन बातचीत, समन्वित

कार्रवाई के द्वारा उग्रवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करना, विकसित अत्याधुनिक हथियारों और संचार प्रणाली इत्यादि के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना। समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप, अनेक आतंकवादी मोड्यूलों को निष्क्रिय किया गया है।

आतंकवादी/उग्रवादी/अतिवादी गतिविधियों को रोकने पर राज्यों द्वारा किए गए व्यय को, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत राज्यों को प्रतिपूर्ति भी की जाती हैं।

आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 प्राख्यापित किया गया है, जिसके तहत 23 संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

(ख) और (ग) उन अपराधियों की एक सूची, जिनके बारे में बताया गया है कि वे भागकर विदेशों में चले गए हैं और जिनके खिलाफ इन्टरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी किए गए हैं। विवरण संलग्न है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो का इन्टर पोल विंग विभिन्न भारतीय जांच पड़ताल पुलिस एजेन्सियों से प्राप्त अनुरोधों को वांछित अपराधियों के खिलाफ रेड-कार्नर नोटिस जारी करने के लिए लियोन, फ्रांस में इनटरपोल मुख्यालय को भेजता है।

(घ) और (ङ) अमेरिकी राजदूत, श्री रोबर्ट ब्लेकविल, भारत-अमेरिकी संबंधों और न्यूयार्क और वाशिंगटन में 11 सितम्बर के हमले के बाद विश्व स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए समय-समय पर गृह मंत्री से मिले हैं। वांछित अपराधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श नहीं हुआ।

विवरण

इंटरपोल के अनुरोध पर जारी किए गए रेड कार्नर नोटिसों की सूची

क्र० सं०	प्रथम नाम अंतिम नाम	राष्ट्रीयता	देश का नाम जहां तलाशा जा सकता है
1	2	3	4
1.	फजल-उर-रहमान	भारतीय	नेपाल, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात
2.	मो. खालिद	पाकिस्तान	पाक, अफगान
3.	मो. इरफान खान	पाकिस्तान	पाक, अफगान
4.	डोमीनिक सेबायर	फ्रांसीसी	फ्रांस, नेपाल
5.	रामकृष्ण गजावेल्ले	भारतीय	संयुक्त राज्य अमेरिका
6.	मनोज कुमार गजावेल्ले	भारतीय	यू एस, यूके, यू ए ई
7.	कार्ल मार्टिन अर्डबो	स्वीडिश	—
8.	कीरती बेन एम पटेल	भारतीय	संयुक्त राज्य अमेरिका
9.	प्रभागार किचनाराइजो	भारतीय/फ्रांसीसी	यू के, फ्रांस
10.	राशिद मालाबारी	भारतीय	यू ए ई, पाकिस्तान
11.	राजेश कुमार	भारतीय	यूएस, कनाडा
12.	अशोक देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
13.	नकुल देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश

1	2	3	4
14.	विश्वजीत देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
15.	राजकुमार देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
16.	सुमन देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
17.	चित्त देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
18.	प्रिया देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
19.	बिकाश देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
20.	मंगल देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
21.	ब्रजेन्द्र देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
22.	विमल देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
23.	सरजीत देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
24.	अभिराम देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
25.	निर्मल देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
26.	भानु देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
27.	सतीश देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
28.	बिनय देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
29.	अशित देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
30.	जगदीश देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
31.	बिकाश देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
32.	फूल कुमार देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
33.	ऐतक राय रियांग	भारतीय	बंगलादेश
34.	रतन देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
35.	कृष्ण देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
36.	सुदुक राय देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
37.	नारायण राय मुथपाराय	भारतीय	यू ए ई, यू के
38.	अतहर इब्राहम	पाकिस्तानी	पाक, नेपाल

1	2	3	4
39.	जहूर इब्राहीम मिस्त्री	पाकिस्तानी	पाक, नेपाल
40.	मो. शकीर	पाकिस्तानी	पाक, नेपाल
41.	सुनी अहमद काजी	पाकिस्तानी	पाक, नेपाल
42.	राजीव मेहता	भारतीय	यू.एस.
43.	युसुफ अजहर	पाकिस्तानी	पाक, बंगलादेश
44.	शाहिद अख्तर सैय्यूद	पाकिस्तानी	पाक, बंगलादेश
45.	मनजीत सिंह गुरा	भारतीय	रूस, यू.एस.,
46.	देविन्द सिंह माकन	भारतीय	यू.एस.
47.	अन्जली माकन	भारतीय	यू.एस.
48.	अब्दुल रऊफ	पाकिस्तानी	पाक, नेपाल
49.	प्रयांक परशुराम दबे	भारतीय	यू.एस.
50.	अन्थुवन बनार्ड	भारतीय/फ्रांसीसी	फ्रांस
51.	नरेन्द्र कुमार गुडगुड	भारतीय	यू.एस.
52.	रंजीत देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
53.	बिश्वमोहन देबबर्मा	भारतीय	बंगलादेश
54.	समीर जुमानी	भारतीय	यू.एस, पाक
55.	संजय मनोहरलाल पटेल	अमेरिका नागरिक	
56.	क्लेटस गोमा	नाइजीरियाई	
57.	परमेश्वर नानू	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात
58.	रूपचंद परदेशी	भारतीय	—
59.	मार्क इमेसन	मेरिसियन	केन्या
60.	रमेश वेंकटापेरूमल	भारतीय	—
61.	चन्द्रशेखर रेड्डी	भारतीय	—
62.	अशोक गोयंका	भारतीय	यू.के., संयुक्त अरब अमीरात
63.	रमेंड एड्रंयू वारले	भारतीय	यू.के.

1	2	3	4
64.	इबोपीसक सिंह सनासम	भारतीय	बांग्लादेश
65.	पविन मनोहरमायुम	भारतीय	बांग्लादेश
66.	मेघन राजकुमार	भारतीय	स्विटजरलैंड
67.	जंगबहादुर सिंह बख्शी	भारतीय	यू.के., संयुक्त अरब अमीरात
68.	हितेश कलिता	भारतीय	नेपाल
69.	मनमोहन जीत सिंह	भारतीय	—
70.	परमजीत सिंह मल्ली	भारतीय	—
71.	मोहम्मद युसुफ शाह	भारतीय	पाकिस्तान
72.	हरजिन्द्र सिंह	भारतीय	जर्मनी/बेल्जियम
73.	दलजीत सिंह	भारतीय	बेल्जियम
74.	प्रीतम सिंह	भारतीय	अमेरिका/कनाडा
75.	जगतार सिंह	भारतीय	अमेरिका/कनाडा
76.	सुखविन्द्र सिंह	भारतीय	अमेरिका/कनाडा
77.	अली अहमद मनु मिया	भारतीय	सऊदी अरब
78.	मोहम्मद नजीम नेक मोहम्मद खान	भारतीय	सऊदी अरब
79.	सईद कुरैशी	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
80.	अहमद लाम्बू	भारतीय	मिडल ईस्ट/बंगलादेश
81.	अबू बेकर	भारतीय	बंगलादेश
82.	मोहम्मद शोयब कुरैशी	भारतीय	बंगलादेश
83.	युसुफ भटका	भारतीय	बंगलादेश
84.	रियाज खत्री	भारतीय	बंगलादेश
85.	मेहल सिंह	भारतीय	पाकिस्तान
86.	गुरूनाथ नरहरि सातम	भारतीय	हांगकांग
87.	भूपिन्दर सिंह	भारतीय	अमेरिका
88.	कश्मीर सिंह पाला	भारतीय	अमेरिका

1	2	3	4
89.	जगजीत सिंह बिल्ला	भारतीय	अमेरिका
90.	गुरवंत सिंह	भारतीय	अमेरिका
91.	राजिब राजकोवंर	भारतीय	थाई/स्विटजरलैंड/बंग
92.	परेश बरुआ	भारतीय	थाई/स्विटजरलैंड/बंग
93.	गोलप बरुआ	भारतीय	बांग्लादेश
94.	रंजन डोइमारी	भारतीय	थाईलैंड/बांग्लादेश
95.	सशाधर चोधुरी	भारतीय	थाईलैंड/बांग्लादेश
96.	पारिहार लालचन्द	भारतीय	थाईलैंड/बांग्लादेश
97.	लखबीर सिंह	भारतीय	अमेरिका
98.	ओटावियो कवात्रोची	इटालियन	अमेरिका
99.	गंरदेव सिंह छोटू	भारतीय	अमेरिका
100.	नेलसन नील्स क्रिश्चियंस @ किम पालग्रेव डेवी	डेनिस	अमेरिका
101.	डबरी एल विलियम्स	स्वाजी	अमेरिका
102.	एम वरथाजालू	भारतीय	सिंगा., यू.एस.ए., यू.के.
103.	मुस्तफा अहमद उमर दोसा	भारतीय	सं. अरब अमीरात
104.	शबीर सईद कादरी	भारतीय	सं. अरब अमीरात
105.	इजरुल हक अब्दुल हमीम जफर शेख	भारतीय	पाकिस्तान/सं. अरब अमीरात
106.	गुलाम हैदर दाऊद मंधीया	भारतीय	सं.अ.अ./अफ्रिका
107.	मनिकान दीप	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात
108.	अब्दुल करीम सईद	भारतीय	बांग्लादेश
109.	मोहम्मद अमीरदीन हबीब	भारतीय	सं. अरब अमीरात
110.	हाजी अहमद इब्राहिम इसूरेल	भारतीय	सं. अरब अमीरात
111.	भाई वासन सिंह	भारतीय	पाकिस्तान
112.	नसीर अहमद अनवर शेख	भारतीय	पाकिस्तान
113.	शकील अहमद शेख	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान

1	2	3	4
114.	अनिल रामचन्द्र परब	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात
115.	इब्राहिम शेख	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात
116.	राजेन्द्र सदाशिव निकलजे	भारतीय	संयुक्त राज्य अमीरात/मलेशिया
117.	जियाद कास्मी	भारतीय	—
118.	अहमद नज्जल	जोर्डनी	—
119.	अमेल सुलेमान	फिलिस्तिनी	—
120.	रामजी नोफेल	जोर्डनी	—
121.	गुरूदेव सिंह	भारतीय	—
122.	गुरबक्श सिंह	भारतीय	—
123.	अब्दुल रजाक करुवात्तिल कुन्नास्सरी	भारतीय	—
124.	सलीम किर मोहम्मद शेख	भारतीय	—
125.	फारुक यासिन मंसूर	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात
126.	आरिफ सईद	भारतीय	पाकिस्तान
127.	मूसा हलारी मुने अब्दुल माजिद	भारतीय	हांगकांग/संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
128.	करीमुल्लाह शेख	भारतीय	पाकिस्तान/संयुक्त अरब अमीरात
129.	शकील शेख	भारतीय	पाकिस्तान/संयुक्त अरब अमीरात
130.	पम्मा परमजीत	भारतीय	पाकिस्तान
131.	अल बशीर मोहम्मद अमीन	बहरीनी	—
132.	घस्सन घीस	फिलिस्तिनी	—
133.	मच्छ्रेर वालिद	सीरियाई	—
134.	सलीम अब्दुल गनी गाजी	भारतीय	पाकिस्तान/संयुक्त अरब अमीरात
135.	अबू सलीम अंसारी	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
136.	इकबाल मोहम्मद मेमन	भारतीय	यू.के.
137.	फिरोज अब्दुल खान	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
138.	अब्दुल रशीद खान	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
139.	ताहीर मर्चेंट	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान

1	2	3	4
140.	विलुपिल्लई प्रभाकरण	श्रीलंकाई	श्रीलंका
141.	ओम्मान पोतु	श्रीलंकाई	श्रीलंका
142.	मोहम्मद जलपुरिया	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
143.	मोहम्मद हुसैन शमसूद्दीन	—	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
144.	कुमार भाई	—	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
145.	मोहम्मद तेनूर फंसोप्कर	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
146.	मोहम्मद लतीफ	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
147.	गुरमीत सिंह	भारतीय	—
148.	सलीम खान	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
149.	कुलबीर सिंह सहोता	भारतीय	—
150.	चंद्र कांत रामजी भाई शाह	भारतीय	—
151.	याकूब खान पठान रसूल खान	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
152.	इजाज पठान	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
153.	मोहम्मद अहमद दोसा	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
154.	जावेद पटेल	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
155.	अनीस इब्राहिम कसकर शेख	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
156.	बशीर अहमद खान	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
157.	इरफान चोगुले	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
158.	याकूब खान पठान वली मोहम्मद	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
159.	अनवर दिबा	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
160.	रेश्मा मेमन	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
161.	अयूब मेमन अब्दुल रजाक	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
162.	शबाना मेमन	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
163.	मोहम्मद शफी मेमन	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
164.	दाऊद हसन शेख	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान

1	2	3	4
165.	इब्राहिम मेमन	भारतीय	संयुक्त अरब अमीरात/पाकिस्तान
166.	अमानुल्ला खान	भारतीय	पाकिस्तान
167.	देविन्द्र सिंह	भारतीय	–
168.	तेजमल बेद दलाम चंद	भारतीय	–
169.	अमरजीर सिंह	भारतीय	–
170.	सेवा सिंह	भारतीय	–
171.	गुरनाम सिंह	भारतीय	–
172.	अमरजीत सिंह	भारतीय	–
173.	वधवा सिंह	भारतीय	–
174.	तरसेम सिंह	भारतीय	–
175.	तलविन्दर सिंह	भारतीय	–
176.	हमीर उल-उद्दीन	भारतीय	सऊदी अरब

कनार्टक में महाविद्यालयों को यू०जी०सी० अनुदान बंद करना

1531. **श्री कोलूर बसवनागौड : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कनार्टक में महाविद्यालयों को अनुदान देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कनार्टक सरकार ने केन्द्र सरकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान और पांच वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस आयोग ने कर्नाटक स्थित कालेजों को अनुदान देना बंद नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भवन निर्माण योजना के उल्लंघन पर नजर रखने हेतु समिति का गठन

1532. **श्री रामजी मांझी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशामन मंत्री** 24.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 236 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०डी०ए० और एम०सी०डी० ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु समिति का गठन किया है जिन्होंने उल्लिखित याचिका संख्या 1833/94 में वर्णित सम्पत्तियों के संबंध में भवन निर्माण योजना, जोनल विकास योजना और मास्टर प्लान का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और अभी तक इस समिति ने इन अवैध/अनधिकृत निर्माण कार्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) रिट-याचिका संख्या 1833/94-न्यू फ्रेन्ड्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी बनाम डी०डी०ए० और अन्य में उल्लिखित सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके मालिकों के नाम क्या हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशानुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के निम्नलिखित अधिकारियों की समन्वय समिति गठित की गई है:-

(i) उपायुक्त, केन्द्रीय जोन, एमसीडी—अध्यक्ष

(ii) अधीक्षक इंजीनियर (भवन), केन्द्रीय जोन, एमसीडी—संयोजक

(iii) संयुक्त निदेशक (भवन), डीडीए—सदस्य

(iv) संयुक्त निदेशक (प्रवर्तन), डीडीए—सदस्य

(v) संयुक्त निदेशक [रिहायशी पट्टा (लीज)], डीडीए—सदस्य

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि शिकमी पट्टे की शर्तों के तहत शिकमी पट्टे के 17 मामलों में निर्णय पट्टाकर्त्ता द्वारा किया गया है। आगे दिल्ली विकास अधिनियम के तहत 114 मामलों में उसने मुकदमा दायर किया है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उक्त रिट याचिका सं० 1833/94 में उल्लिखित 81 परिसंपत्तियों के मामले में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। 15 परिसंपत्तियों के संबंध में हटाने/सील करने की (आंशिक) कार्रवाई की गई है। शेष परिसंपत्तियों के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार एमसीडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

1533. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो नए उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने हेतु चयनित स्थलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उससे संबंधित/संबंधित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार उर्वरक क्षेत्र के लिये दसवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे रही है और इसलिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जाने वाले नए उर्वरक संयंत्रों के बारे में ब्यौरे देना सम्भव नहीं है।

रूस के साथ शिक्षा संबंधी समझौता

1534. **डा० एस० जगतरक्षकन** :
श्री सी० कुप्पुसामी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री की हाल, की मास्को यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच शिक्षा संबंधी किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारतीय छात्रों और संस्थाओं को उच्च और विशेषीकृत अध्ययनों के क्षेत्र में कितना लाभ होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) विदेश मंत्रालय और मास्को में स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार शिक्षा के संबंध में भारत और रूस के बीच कोई समझौता ज्ञापन सम्पन्न नहीं हुआ था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जे०एन०यू० मे विज्ञान और अनुसंधान संकाय

1535. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और अनुसंधान के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में नया संकाय खोलने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर होने वाले व्यय की पूर्ति करने के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में निकट भविष्य में खोले जाने वाले अन्य विभागों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) से (घ) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा IXवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान और अनुसंधान के विकास के लिए निम्नलिखित नए केन्द्र/स्कूल की स्थापना को संस्वीकृत किया गया है:-

1. सेंटर फॉर मोलेक्यूलर मेडिसन; और

2. सूचना प्रौद्योगिकी स्कूल

मोलेक्यूलर मेडिसिन केन्द्र के लिए 75.00 लाख रु. की राशि संस्वीकृत की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी स्कूल के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी विशिष्ट निधि का आवंटन नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय अपनी निधियों से ही इस व्यय की पूर्ति करेगा।

कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ इन्टेरेस्ट्स ऑफ डिपोजिटर्स इन फाइनेंशियल इस्टैबलिशमेन्ट्स बिल, 2000

1536. **श्री एच०जी० रामुलू :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य विधायिका के दोनों सदनों द्वारा पारित कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ इन्टेरेस्टस ऑफ डिपोजिटर्स इन फाइनेन्शियल इस्टैबलिशमेन्ट्स बिल, 2000 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सरकार के पास भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्र सरकार ने मार्च 2001 में राज्य सरकार से कानून के बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगे हैं। अनेक अनुस्मारक भेजने के बावजूद अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की चरमपंथियों के साथ वार्ता

1537. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री शिवराजसिंह चौहान :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के चरमपंथियों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत संबंधी कार्यक्रम का समय से पहले पता चल गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उसमें शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०एच० विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

आई०डी०पी०एल० का पुनरुद्धार

1538. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी०एस० बसवराज :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार आई.डी.पी.एल. का पुनरुद्धार करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो पुनरुद्धार योजना के मुख्य बिंदु कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई सहायता भी उपलब्ध कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) आई डी पी एल औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को संदर्भित एक रूग्ण कम्पनी है। सामरिक भागीदारों के समावेश के जरिए आई डी पी एल के निजीकरण को सुगम बनाने के लिए इसके तुलन-पत्र के समाशोधन हेतु सरकार ने निम्नलिखित रियायतों/सुविधाओं की सूचना देते हुए बी आई एफ आर को एक पत्र भेजा है :-

(i) सरकारी ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना।

(ii) भारत सरकार द्वारा ब्याज/दण्ड ब्याज तथा गारंटी शुल्क की माफी।

(iii) बकाया सांविधिक देयताओं का भुगतान तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का वित्तपोषण।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का प्रावधान

1539. श्री प्रभात सामंतराय : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नौवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के प्रावधान हेतु कितना निवेश किया गया है; और

(ख) चालू योजनावधि के दौरान गांवों में पेयजल का प्रावधान करने में राज्य-वार क्या उपलब्धि हासिल की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा किया गया निवेश निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	मद	राशि (करोड़ रु० में)*
1.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किया गया खर्च, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को की गई रिलीजें	7649.11
2.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के पेयजल आपूर्ति घटक के तहत भारत सरकार द्वारा की गई रिलीजें	280.21
3.	राज्यों के संसाधानों से किया गया खर्च	9092.92
	कुल	17522.24

*16.11.2001 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान ग्रामीण बसावटों की पेयजल आपूर्ति सुविधाओं के संबंध में प्राप्त राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कवर की गई ग्रामीण बसावटों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर की गई बसावटों की संख्या*
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13506
2.	अरुणाचल प्रदेश	846
3.	असम	10993
4.	बिहार	20774
5.	छत्तीसगढ़	9161
6.	गोवा	72
7.	गुजरात	6024
8.	हरियाणा	2812
9.	हिमाचल प्रदेश	7557
10.	जम्मू व कश्मीर	2147
11.	झारखंड	99
12.	कर्नाटक	30134
13.	केरल	1720
14.	मध्य प्रदेश	56367
15.	महाराष्ट्र	27826
16.	मणिपुर	775
17.	मेघालय	1733
18.	मिजोरम	788

1	2	3
19.	नागालैंड	264
20.	उड़ीसा	21537
21.	पंजाब	913
22.	राजस्थान	31570
23.	सिक्किम	525
24.	तमिलनाडु	27405
25.	त्रिपुरा	3037
26.	उत्तर प्रदेश	84479
27.	उत्तरांचल	503
28.	प. बंगाल	25636
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	61
30.	दादरा व नगर हवेली	246
31.	दमन व दीव	3
32.	दिल्ली	62
33.	लक्षद्वीप	14
34.	पांडिचेरी	38
	कुल	389627

*16.11.2001 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार।

किसानों को एयर गन और पिस्तौल हेतु लाइसेंस

1540. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर गन और पिस्तौल के लिए शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस लेने संबंधी छूट को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार जानवरों और पक्षियों से किसानों की फसलों की रक्षा करने हेतु उनको कुछ वैकल्पिक हथियार प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम

1541. श्री किरीट सोमैया :
डा० जसवंतसिंह यादव :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मानसिंह पटेल :
श्री रामटहल चौधरी :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों ने इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) दसवीं योजना के अंत तक रोजगार सृजन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(च) सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई/उपयोग की गई और कितनी राशि व्यय नहीं की गई;

(ज) योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने परिवार लाभान्वित हुए;

(झ) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को लागू करने की स्वीकृति दे दी है;

(ञ) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ट) इस कार्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (च) और (झ) से (ट) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी मुहैया कराने के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) नामक दो प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं। चंडीगढ़ तथा दिल्ली को छोड़कर देशभर में ये योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 25.9.2001 से इन दोनों योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के साथ मिला दिया गया है। इसे चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रति वर्ष 5000 करोड़ (किफायती दर पर) का 50 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। मजदूरी तथा सामग्री लागत के नकदी घटकों को पूरा करने के लिए शेष निधियों (5000 करोड़ रु.) का उपयोग किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को खाद्यान्नों का भुगतान सीधे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ष लगभग 100 करोड़ श्रम दिवस रोजगार मुहैया कराना है। एस.जी.आर.वाई. को दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। पहला चरण जिला स्तर पर तथा मध्यस्तरीय पंचायत स्तरों पर कार्यान्वित किया जाएगा तथा दूसरा चरण ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किया जाएगा। एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत उपलब्ध कुल निधियों के 50 प्रतिशत का उपयोग मजदूरी के भाग के रूप में प्रति श्रम दिवस 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए किया जाएगा। मजदूरी के शेष भाग का भुगतान नकद किया जाएगा ताकि मजदूरों को अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी मिल सके। अगले वितीय वर्ष से एस.जी.आर.वाई. को पूर्ण रूप से संचालित किया जाएगा। चूंकि इस योजना को चालू वर्ष के मध्य में शुरु किया गया है इसलिए ई.ए.एस. तथा जे.जी.एस.वाई. की चालू योजनाएं, जिन्हे नई योजना के साथ पूरी तरह से मिला दिया जाएगा, एस.जी.आर.वाई. के भाग के रूप में चालू वर्ष में जारी रहेंगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत निधियों तथा खाद्यान्नों के राज्यवार आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

(छ) और (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की वितीय तथा वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण III से X में दिए गए हैं।

विवरण-I

2001-2002 के दौरान एस जी आर वाई (ई ए एस) के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां और आबंटन

(लाख रु० में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस जी आर वाई के अंतर्गत केंद्रीय आबंटन	राज्य अंश	कुल योग (3+4)	रिलीज की गई कुल केंद्रीय निधियां	एसजीआरवाई के अंतर्गत खाद्यान्नों के लिए निधियां (जे ए एस)	खाद्यान्नों की मात्रा (आवंटित)	रिलीज किया गया खाद्यान्न*		
								मात्रा**		मूल्य लागत
								गेहूं	चावल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	9952.70	3317.57	13270.27	7962.16	13286.01	132.86		117.58	13286.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	519.21	173.07	692.28	180.00	692.00	6.92			
3.	असम	13490.96	4496.99	17987.95	0.00	17988.00	179.88			
4.	बिहार	19930.10	6643.37	26573.47	5525.02	26605.00	266.05			
5.	छत्तीसगढ़	5616.92	1872.31	7489.23	5449.02	7498.12	74.98		33.18	7336.30
6.	गोवा	22.94	7.65	30.59	7.95	30.62	0.31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	गुजरात	3746.38	1248.79	4995.17	1038.94	5001.10	50.01			
8.	हरियाणा	2204.06	734.69	2938.75	881.62	2942.24	29.42	17.72		1471.12
9.	हिमाचल प्रदेश	928.21	309.40	1237.61	321.76	1239.09	12.39			
10.	जम्मू व कश्मीर	1148.80	382.93	1531.73	430.76	1533.54	15.34			
11.	झारखंड	12673.80	4224.60	16898.40	3393.69	16918.46	169.18			
12.	कर्नाटक	7515.70	2505.23	10020.93	4092.36	10032.82	100.33			
13.	केरल	3372.27	1124.09	4496.36	1168.99	4501.70	45.02			
14.	मध्य प्रदेश	10909.15	3636.38	14545.53	10909.15	14562.79	145.63	116.59	43.24	14562.79
15.	महाराष्ट्र	14856.70	4952.23	19808.93	3963.69	19832.43	198.32			
16.	मणिपुर	904.42	301.47	1205.89	261.17	1206.00	12.06			
17.	मेघालय	1013.29	337.76	1351.05	120.67	1351.00	13.51			
18.	मिजोरम	234.48	78.16	312.64	81.29	313.00	3.13			
19.	नागालैंड	695.06	231.69	926.75	147.01	927.00	9.27			
20.	उड़ीसा	11383.84	3794.61	15178.45	6313.89	15196.46	151.96			
21.	पंजाब	1071.15	357.05	1428.20	428.46	1429.90	14.30	8.61		714.95
22.	राजस्थान	5706.92	1902.31	7609.23	5684.45	7618.25	76.18	91.79		7618.25
23.	सिक्किम	259.60	86.53	346.13	90.01	346.00	3.46			
24.	तमिलनाडु	8800.37	2933.46	11733.83	4400.19	11747.75	117.48		51.98	5873.88
25.	त्रिपुरा	1632.98	544.33	2177.31	566.10	2177.00	21.77			
26.	उत्तर प्रदेश	33634.47	11211.49	44845.96	16865.65	44899.18	448.99	187.17	61.19	22449.59
27.	उत्तरांचल	2246.42	748.81	2995.23	621.51	2998.78	29.99			
28.	प. बंगाल	12650.87	4216.96	16867.83	3881.39	16887.84	168.88			
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	52.94	0	52.94	0.00	70.67	0.707			
30.	दा. व न. हवेली	52.94	0	52.94	0.00	70.67	0.007			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	दमन व दीव	1.76	0	1.76	0.00	2.36	0.024			
32.	लक्षद्वीप	3.53	0	3.53	0.00	4.71	0.047			
33.	पांडिचेरी	67.06	0	67.06	0.00	89.52	0.895			
	कुल	187300.00	62373.92	249673.92	84786.48	250000.00	2500.00	421.88	307.16	73312.87

नोट-*खाद्यान्न इन राज्यों को रिलीज किया गया है जिन्होंने गेहूं या चावल के लिए अपने विकल्प दिए हैं।

**गेहूं 8380/- प्रति टन और चावल 11300/- प्रति टन।

विवरण-II

एस जी आर वाई (जे जी एस वाई) के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के लिए आबंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन एसजीआरवाई 2001-02			एसजीआरवाई के अंतर्गत खाद्यान्नों के लिए निधियां (लाख रु.)	कुल योग	खाद्यान्नों की मात्रा	रिलीज खाद्यान्नों की मात्रा (लाख टन)		मूल्य (लाख रु. में)
		केन्द्र	राज्य	कुल				गेहूं	चावल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	9921.52	3307.17	13228.70	13259.81	26488.51	1.33			
2.	अरुणाचल प्रदेश	519.38	173.13	692.51	694.14	1386.65	0.07			
3.	असम	13495.28	4498.43	17993.71	18036.04	36029.75	1.80			
4.	बिहार	18730.78	6243.59	24974.37	25033.12	50007.49	2.50			
5.	छत्तीसगढ़	4197.65	1399.22	5596.87	5610.04	11206.91	0.56		0.2842	2805.02
6.	गोवा	145.98	48.66	194.64	195.10	389.73	0.02			
7.	गुजरात	3734.65	1244.88	4979.54	4991.25	9970.79	0.50			
8.	हरियाणा	2197.16	732.39	2929.55	2936.44	5865.98	0.29	0.1769		1468.22
9.	हिमाचल प्रदेश	925.31	308.44	1233.74	1235.65	2470.39	0.12			
10.	जम्मू व कश्मीर	1145.20	381.73	1526.93	1530.52	3057.45	0.15			
11.	झारखंड	13771.01	4590.34	18361.34	18404.53	36765.88	1.84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	कर्नाटक	7492.16	2497.39	9989.55	10013.05	20002.60	1.00			
13.	केरल	3361.70	1120.57	4482.27	4492.81	8975.09	0.45			
14.	मध्य प्रदेश	12276.64	4092.21	16368.86	16407.36	32776.22	1.64	0.7052	0.2011	8203.68
15.	महाराष्ट्र	14810.16	4936.72	19746.88	19793.33	39540.21	1.98			
16.	मणिपुर	904.72	301.57	1206.30	1209.13	2415.43	0.12			
17.	मेघालय	1013.61	337.87	1351.48	1354.66	2706.14	0.14			
18.	मिजोरम	234.54	78.18	312.72	313.46	626.18	0.03			
19.	नागालैंड	695.29	231.76	927.05	929.24	1856.29	0.09			
20.	उड़ीसा	11348.19	3782.73	15130.91	15166.50	30297.42	1.52			
21.	पंजाब	1067.80	355.93	1423.73	1427.08	2850.81	0.14	0.0859		713.54
22.	राजस्थान	5689.04	1896.35	7585.39	7603.23	15188.62	0.76	0.4580		3801.62
23.	सिक्किम	259.69	86.56	346.25	347.06	693.31	0.03			
24.	तमिलनाडु	8772.80	2924.27	11697.07	11724.58	23421.65	1.17		1.1720	5862.29
25.	त्रिपुरा	1633.50	544.50	2178.00	2183.12	4361.13	0.22			
26.	उत्तर प्रदेश	2228.37	742.79	2971.17	2978.15	5949.32	0.30			
27.	उत्तरांचल	33540.13	11180.04	44720.18	44825.37	89545.55	4.48	1.9039	0.5757	22412.69
28.	प. बंगाल	12611.24	4203.75	16814.98	16854.54	33669.52	1.69			
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	96.21		96.21	128.59	224.80	0.01			
30.	दा. व न. हवेली	63.51		63.51	84.88	148.39	0.01			
31.	दमन व दीव	30.77		30.77	41.12	71.90	0.00			
32.	लक्षद्वीप	48.23		48.23	64.46	112.69	0.01			
33.	पांडिचेरी	97.76		97.76	130.65	228.41	0.01			
	कुल	187060.00	62241.17	249301.17	250000.00	499301.17	25.00	3.3299	2.1970	45267.06

विवरण-III

1998-99 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक तथा वित्तीय निष्पादन

(लाख रु० में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.98 को अधशेष	31.3.99 को केन्द्र रिलीज	राज्य मैचिंग अंश	कुल केंद्र+ राज्य	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	कुल उपलब्ध निधियों की तुलना में % खर्च	सृजित श्रम दिन (लाख श्रम दिन)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	3	6027.61	16740.00	4185.00	20925.61	26952.61	25245.32	93.67	370.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	823.27	2140.00	535.00	2675.00	3498.27	2327.96	66.55	38.29
3.	असम	3	4730.08	11018.00	2754.00	13772.50	18502.58	14522.95	78.49	259.86
4.	बिहार	3	13527.41	18596.00	4649.00	23245.00	36772.41	28469.20	77.42	400.89
5.	गोवा	3	36.48	180.00	45.00	225.00	261.48	261.48	100.00	2.65
6.	गुजरात	3	3727.70	4410.00	1102.50	5512.50	9240.20	6613.24	71.57	63.07
7.	हरियाणा	3	2771.69	1660.00	415.00	2075.00	4846.69	2704.38	55.80	18.02
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1778.27	2050.00	512.50	2562.50	4340.77	3048.81	70.24	35.45
9.	जम्मू व कश्मीर	3	592.50	4760.00	1190.00	5950.00	6542.50	5163.92	78.93	69.37
10.	कर्नाटक	3	2514.24	10350.00	2587.50	12937.50	15451.74	13482.60	87.26	292.41
11.	केरल	3	2310.47	3861.00	965.25	4826.25	7136.72	5425.26	76.02	55.75
12.	मध्य प्रदेश	3	7171.06	22033.00	5508.25	27541.25	34712.31	32960.40	94.95	429.43
13.	महाराष्ट्र	3	4146.45	8167.17	2041.79	10208.96	14355.41	10979.33	76.48	205.62
14.	मणिपुर	3	554.29	890.00	222.50	1112.50	1666.79	1340.12	80.40	16.97
15.	मेघालय	3	356.38	610.00	152.50	762.50	1093.58	583.33	53.34	10.69
16.	मिजोरम	3	107.66	800.00	200.00	1000.00	1107.66	1161.29	104.84	19.56
17.	नागालैंड	1	8.75	2100.00	525.00	2625.00	2633.75	2123.65	80.63	51.59
18.	उड़ीसा	3	3294.81	12752.00	3188.00	15940.00	19234.81	17341.91	90.16	340.14
19.	पंजाब	3	2234.89	2720.00	680.00	3400.00	5634.89	2969.16	52.69	19.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	राजस्थान	3	4992.85	8935.00	2233.75	11168.75	16161.60	15277.04	94.53	209.61
21.	सिक्किम	3	29.64	320.00	80.00	400.00	429.64	580.43	135.10	8.20
22.	तमिलनाडु	3	755.58	18720.00	4680.00	23400.00	24155.58	24449.66	101.22	457.09
23.	त्रिपुरा	3	201.08	1440.00	360.00	1800.00	2001.08	2181.08	109.00	40.86
24.	उत्तर प्रदेश	3	17089.02	35153.65	8788.41	43942.06	61031.04	58816.72	96.37	754.31
25.	प. बंगाल	3	7184.13	8270.00	2067.50	10337.50	17521.63	10031.17	57.25	106.37
26.	अं. व नि. द्वीपसमूह	3	75.87	40..00	0.00	40.00	75.87	35.04	46.18	0.49
27.	दा. व न. हवेली	11	9.73	30.00	0.00	30.00	39.73	9.47	23.84	0.13
28.	दमन व दीव	2	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79	1.14	63.69	0.03
29.	लक्षद्वीप	3	100.15	100.00	0.00	100.00	200.15	88.29	44.11	1.72
30.	पांडिचेरी	3	112.29	0.00	0.00	0.00	112.29	24.14	21.50	0.38
	अखिल भारत		87266.14	198845.82	49668.96	248514.78	335780.92	288218.49	85.84	427936

* खर्च न की गई शेष राशि जैसा राज्य सरकारों/सं. रा. क्षे. द्वारा सूचित किया गया।

विवरण-IV

1999-2000 के दौरान सु०रो०यो० के अंतर्गत वास्तविक तथा वित्तीय निष्पादन

(लाख रु० में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.99 को अधशेष	निधियों का केंद्रीय आबंटन	जारी की गई केंद्रीय निधियां	जारी की गई राज्य अंश	कुल (केंद्र+राज्य)	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च	कुल उपलब्ध निधियों की तुलना में % खर्च	सृजित श्रम दिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3	3240.56	10288.76	10288.76	3429.244	13718	16598.56	14595.07	86.06	175.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1225.72	226.21	719.27	239.7327	959.0027	2184.723	1360.57	62.28	26.25
3.	असम	3	3600.72	5877.72	4701.11	2000	6701.11	10301.83	9369.96	90.95	148.52
4.	बिहार	3	10894.88	33704.77	25388.02	8461.827	33849.85	44744.73	32467.49	72.56	384.623
5.	गोवा	3	22.95	23.72	55	18.3315	73.3315	96.2815	102.07	106.01	1.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	गुजरात	3	2395.67	3872.86	4301.49	1433.687	5735.177	8130.847	4652.86	57.22	48.49
7.	हरियाणा	3	2126.24	2278.48	1981.53	660.4439	2641.974	4768.214	3974.75	83.36	22.65
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1314.08	959.56	945.06	314.9885	1260.048	2574.128	2163.69	84.06	25.65
9.	जम्मू व कश्मीर	3	63.78	1187.58	2755	918.2415	3673.242	3737.022	2203.56	58.97	26.265
10.	कर्नाटक	3	2004.40	7769.46	6670.05	2223.128	8893.178	10897.58	10090.82	92.60	185.95
11.	केरल	3	1870.77	3486.13	3486.12	1236.37	4722.49	6593.26	4688.09	71.10	42.94
12.	मध्य प्रदेश	3	3588.09	17084.06	17464.11	5820.788	23284.9	26872.99	24019	89.38	288.9
13.	महाराष्ट्र	3	4068.86	15358.33	11002.98	3667.293	14670.27	18739.13	13258.2	70.75	234.67
14.	मणिपुर	3	426.95	394.04	307.87	102.6131	410.4831	837.4331	766.438	91.52	9.699
15.	मेघालय	12	460.57	441.47	220.74	73.57264	294.3126	754.8826	465.47	61.66	7.67
16.	मिजोरम	3	24.35	102.16	402.16	234.7	636.86	661.21	354.896	53.67	4.95
17.	नागालैंड	3	330.96	302.82	276.09	156.53	432.62	763.58	748.31	98.00	22.92
18.	उड़ीसा	3	2299.23	11768.22	17621.12	5873.119	23494.24	25793.47	14028.6	54.39	215.42
19.	पंजाब	3	2342.49	1107.32	813.98	672.47	1486.45	3828.94	2289.88	59.80	16.81
20.	राजस्थान	3	2266.54	5899.6	6888.13	2295.814	9183.944	11450.48	7300.22	63.75	91.89
21.	सिक्किम	3	15.02	113.1	313.1	244	557.1	572.12	361.33	63.16	5.34
22.	तमिलनाडु	3	249.12	9097.5	10597.49	3532.143	14129.63	14378.75	14164.47	98.51	166.789
23.	त्रिपुरा	3	0.00	711.47	711.46	490	1201.46	1201.46	1201.46	100.00	17.91
24.	उत्तर प्रदेश	3	5581.50	37092.4	36155.49	12050.62	48206.11	53787.61	40846.19	75.94	485.73
25.	प. बंगाल	3	7510.02	13078.02	9483.71	3160.921	12644.63	20154.65	12626.39	62.65	127.7
26.	अं. व नि. द्वीपसमूह	3	35.78	54.73	27.36	0	27.36	63.136	37.84	59.93	0.386
27.	दा. व न. हवेली	3	7.45	54.73	27.36	0	27.36	34.81	24.19	69.49	0.21
28.	दमन व दीव	3	0.61	1.82	0.91	0	0.91	1.52	0.91	59.87	0
29.	लक्षद्वीप	3	104.99	3.65	1.82	0	1.82	106.81	49.84	46.66	0.87
30.	पांडिचेरी	3	42.10	69.32	34.66	0	34.66	76.76	47.89	62.39	0.286
	अखिल भारत		58114.40	182410	173642	59310.58	232952.5	291066.9	218260.454	74.99	7286.168

विवरण-V

वर्ष 2000-2001 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिपोर्ट का माह कोड	अधशेष (1.4.2000 को)	निधियों का केंद्रीय आबंटन	जारी केंद्रीय निधियां	वास्तव में जारी किया गया राज्य का अंश	कुल (केन्द्र+ राज्य)	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध निधियां	प्रयुक्त निधियां	कुल निधियों में से व्यय का प्रतिशत	सृजित श्रम दिन (लाख श्रम दिन)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3	2150.46	6586.59	6483.22	1188.84	7672.06	90.43	9912.95	8138.13	82.40	111.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	201.63	406.8	812.95	259.54	1072.49	29.77	1303.89	1064.19	81.62	20.1
3.	असम	3	1771.29	10546.62	5273.31	1042	6315.31		8086.6	5880.31	72.72	78.04
4.	बिहार	3	9681.23	13184.87	9714.15	3407.02	13121.17		22802.4	18443.72	80.88	211.65
5.	छत्तीसगढ़	3	2398.86	3725.4	3725.4	1243.27	4968.67	365.27	7732.8	7242.62	93.66	83.32
6.	गोवा	3	0.02	15.18	15.18	45	60.18		60.2	56.12	93.22	0.86
7.	गुजरात	3	2786.45	2479.32	3779.32	1298.16	5077.48		7863.93	6398.65	81.37	80
8.	हरियाणा	3	558.19	1458.62	2007.25	663.94	2671.19	158.81	3388.19	3256.93	96.13	20.19
9.	हिमाचल प्रदेश	3	786.9	614.28	429.28	160.13	589.41		1376.31	1117.42	81.19	11.51
10.	जम्मू व कश्मीर	3	89.78	760.26	2251.46	305.38	2556.84	17.84	2664.46	2240.22	84.08	25.75
11.	झारखंड	3	3952.62	8385.06	6870.6	1457.23	8327.83	3.25	12283.7	8804.19	71.67	100.31
12.	कर्नाटक	3	1089.96	4973.8	5577.1	1827.33	7404.43		8494.39	7282.76	85.74	103.56
13.	केरल	3	1266.81	2231.73	2200.9	733.63	2934.53		4201.34	3458.67	82.32	30.49
14.	मध्य प्रदेश	3	2984.73	7217.24	7711.15	2403.69	10114.84	422.52	13522.09	12748.41	94.28	159.37
15.	महाराष्ट्र	3	6244.05	9832	7285.68	2064.38	9350.06	1157.39	16751.5	13662.39	81.56	216.82
16.	मणिपुर	12	111.69	707.18	478.58	107.49	586.07	0	697.76	308.27	44.18	3.97
17.	मेघालय	3	223.3	792.68	500.88	12.45	513.33	6.86	743.49	420.9	56.61	5.87
18.	मिजोरम	3	307.81	183.36	183.36	61.12	244.48	1.48	553.77	517	93.36	5.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	नागालैंड	3	4.42	543.3	403.52	633	1036.52	5.2	1046.14	1025.17	98.00	26.43
20.	उड़ीसा	3	3035.08	7533.7	10866.23	3288.85	14155.08		17190.16	13931.81	81.05	195.2
21.	पंजाब	3	1409.98	708.88	615.6	268.92	884.52		2294.5	2150.64	93.73	15.72
22.	राजस्थान	3	4411.15	3776.78	3509.96	1441.38	4951.34		9362.49	8512.45	90.92	76.38
23.	सिक्किम	3	11.66	203.84	403.84	210	613.84	2.57	628.07	625.09	99.53	9.15
24.	तमिलनाडु	3	304.449	5824	7324	2441.34	9765.34	241.94	10311.73	9931.65	96.31	110.38
25.	त्रिपुरा	3	0	1276.22	1276.22	340.08	1616.3		1616.3	1401.74	86.73	19.53
26.	उत्तर प्रदेश	3	14720.9	22258.95	18544.23	6616.43	25160.66	903.96	40785.52	33312.44	81.68	333.02
27.	उत्तरांचल	3	830.93	1483.15	1135.06	588.71	1723.77	8.59	2563.29	1890.83	73.77	11.07
28.	प. बंगाल	3	7360.11	8372.22	6631.13	2086.42	8717.55	350.37	16428.03	12096.67	73.63	116.27
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	3	62.87	35.04	0		0	0.23	63.1	37.84	59.97	0.39
30.	दादरा व नगर हवेली	3	0	35.04	17.52		17.52	0	17.52	27.56	157.31	0.18
31.	दमन व दीव	3	1.62	1.17	0		0		1.62		0.00	0
32.	लक्षद्वीप	10	26.47	2.34	0		0		26.47	23.62	89.23	0.34
33.	पांडिचेरी	3	89	44.38	0		0		89	72.12	81.03	0.76
	अखिल भारत		68874.419	126200	116027.1	36195.73	152222.8	3766.48	224863.7	186110.5	82.77	2183.92

नोट— * अरुणाचल प्रदेश द्वारा दी गई सूचनानुसार वर्ष 1999-2000 में अतिरिक्त निधियों के रूप में 500 लाख रुपये जारी किए गए किन्तु संबंधित जिलों द्वारा इन्हें 2000-2001 में प्राप्त किया गया।

** हरियाणा राज्य द्वारा दी गई सूचनानुसार वर्ष 1999-2000 में अतिरिक्त निधियों के रूप में 597.84 लाख रुपये जारी किए गए किन्तु संबंधित जिलों द्वारा इन्हें 2000-2001 में प्राप्त किया गया।

*** जम्मू व कश्मीर द्वारा दी गई सूचनानुसार वर्ष 1999-2000 में अतिरिक्त निधियों के रूप में 1500 लाख रुपये जारी किए गए किन्तु संबंधित जिलों द्वारा इन्हें 2000-2001 में प्राप्त किया गया।

**** सिक्किम राज्य द्वारा दी गई सूचनानुसार वर्ष 1999-2000 में अतिरिक्त निधियों के रूप में 200 लाख रुपये जारी किए गए किन्तु संबंधित जिलों द्वारा इन्हें 2000-2001 में प्राप्त किया गया।

***** तमिलनाडु राज्य द्वारा दी गई सूचनानुसार वर्ष 1999-2000 में अतिरिक्त निधियों के रूप में 1500 लाख रुपये जारी किए गए किन्तु संबंधित जिलों द्वारा इन्हें 2000-2001 में प्राप्त किया गया।

विवरण-VI

2001-02 (सितम्बर तक) के दौरान सु०रो०यो० के अंतर्गत वास्तविक तथा वित्तीय निष्पादन

(लाख रु. में)

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.2001 को अधशेष	निधियों का केंद्रीय आबंटन	रिलीज की गई केंद्रीय निधियां	रिलीज की गई वास्तविक राज्य अंश	कुल (केंद्र+ राज्य)	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध निधियां	उपोग की गई निधियां	कुल निधियों की तुलना में % खर्च	सृजित श्रम दिन (लाख श्रम दिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	9	897.39	9952.698	5520.14	2182.8	7702.94	218.23	8818.56	3416.67	38.74	53.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	239.7	519.21	180	0	180	4.97	424.67	164.95	38.84	2.75
3.	असम	5	2079.15	13490.96	0	0	0	0	2079.15	357.77	17.21	3.95
4.	बिहार	8	4269.14	19930.1	5525.02	0	5525.02	0	9794.16	5058.54	51.65	57.35
5.	छत्तीसगढ़	9	549.09	5616.922	5449.02	563.96	6012.98	235.93	6798	2568.65	37.79	73.79
6.	गोवा	9	0.01	22.94062	7.95	0	7.95	0	7.96	7.9	99.25	0.08
7.	गुजरात	10	1178.44	3746.379	1038.94	0	1038.94	0	2217.38	1511.75	68.18	19.54
8.	हरियाणा	9	131.26	2204.064	881.62	203.74	1085.36	13.25	1229.87	778.56	63.30	4.5
9.	हिमाचल प्रदेश	9	68.4	928.2126	321.76	148.15	469.91	12.2	550.51	394.29	71.62	4.4
10.	जम्मू व कश्मीर	9	306.44	1148.795	430.36	621.75	1052.11	2.05	1360.6	365.66	26.87	3.8
11.	झारखंड	8	4857.47	12673.81	3393.67	1030.92	4424.59	0	9282.06	3463.19	37.31	31.82
12.	कर्नाटक	9	2428.12	7515.699	4092.36	726.43	4818.79	0	7246.91	3766.15	51.97	50.83
13.	केरल	10	933.63	3372.271	1168.99	389.66	1558.65	0	2492.28	1187.54	47.65	9.8
14.	मध्य प्रदेश	9	253.5	10909.15	7560.81	2520.27	10081.08	102.25	10436.83	5090.84	48.78	69.47
15.	महाराष्ट्र	9	3089.13	14856.7	3963.69	1000	4963.69	143.87	8196.69	3194.72	38.98	47.1
16.	मणिपुर	एनआर		904.42	261.17	0	261.17	0	261.17	0		0
17.	मेघालय	8	197.84	1013.29	120.67	12.54	133.21	0	331.05	36.8	11.12	0.48
18.	मिजोरम	9	36.77	234.48	81.29	138.77	220.06	5.21	262.04	152.09	58.04	1.94
19.	नागालैंड	8	26.48	695.06	147.01	0	147.01	0	173.49	122.49	70.60	3.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	उड़ीसा	9	2176.41	11383.84	6313.886	1701.04	8014.926	8.86	10200.2	4176	40.94	60.46
21.	पंजाब	9	237.7	1071.15	428.46	157.68	586.14	4.18	828.02	486.1	58.71	3.75
22.	राजस्थान	9	1908.31	5706.919	3934.11	654.88	4588.99	3.04	6500.34	2660.75	40.93	24.59
23.	सिक्किम	9	2.98	259.6	90.01	100	190.01	0.59	193.58	170	87.82	2.01
24.	तमिलनाडु	9	378.95	8800.373	3050.63	1016.88	4067.51	40.42	4486.88	2892.91	64.47	32.77
25.	त्रिपुरा	9	214.55	1632.98	566.1	274.03	840.13	0	1054.68	372.44	35.31	5.34
26.	उत्तर प्रदेश	8	6082.16	33634.47	11659.31	3886.44	15545.754	0	21627.91	6467.67	29.90	60.6
27.	उत्तरांचल	9	677	2246.416	565.15	197.88	763.03	14.27	1454.3	724.3	49.80	7.1
28.	प. बंगाल	9	4427.04	12650.87	3881.39	1417.69	5299.08	21.58	9747.7	3877.63	39.78	33.93
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	7	75.27	52.93988	0		0	0	75.27	4.97	6.60	0.05
30.	दा. व न. हवेली	7	0.47	52.93988	0		0	0	0.47	0	0.00	0
31.	दमन व दीव	8	1.58	1.764663	0		0	0	1.58	0	0.00	0
32.	लक्षद्वीप	एनआर		3.529326	0		0	0	0	0		0
33.	पांडिचेरी	9	19.44	67.05719	0		0	0	19.44	5.65	29.06	0.06
	जोड़		37743.82	187300	70633.52	18945.51	89579.03	830.9	128153.8	53476.98	41.73	668.67

एनआर—असूचित।

विवरण-VII

1998-99 के दौरान जे. आर. वाई. के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय प्रगति

(लाख रु० में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.98 अधशेष	आबंटन केन्द्र	रिलीज			कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग की गई निधियां	% उपयोग	सृजित श्रम दिन (लाख श्रम दिन)
					केन्द्र (मार्च)	राज्य	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3	2746.56	11703.94	11702.49	2925.623	14628.11	17374.67	14710.4	84.67	224.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	86.68	257.32	475.26	118.815	594.08	680.755	326.12	47.91	3.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	3	1070.03	6686.18	15112.28	3778.07	18890.35	19960.38	10967.57	54.95	199.57
4.	बिहार	3	14422.08	38340.77	29733.82	7433.455	37167.28	51589.36	41851.12	81.12	584.91
5.	गोवा	3	22.68	172.2	103.32	25.83	129.15	154.83	166.8	107.73	1.70
6.	गुजरात	3	1061.63	4405.58	4449.43	1112.358	5561.79	6623.418	5958.62	89.96	59.18
7.	हरियाणा	3	227.54	2591.88	2591.88	647.97	3239.85	3467.39	2908.76	83.89	23.84
8.	हिमाचल प्रदेश	3	189.25	1091.54	1022.15	255.5375	1277.69	1466.938	1083.72	73.88	15.39
9.	जम्मू व कश्मीर	3	370.63	1350.93	1094.62	273.655	1368.28	1738.905	1489.06	85.63	20.59
10.	कर्नाटक	3	2892.74	8838.13	10838.13	2709.533	13547.66	16440.4	11288.71	68.66	222.16
11.	केरल	3	935.6	3965.64	3965.65	991.4125	4957.06	5892.663	4089.65	69.40	39.39
12.	मध्य प्रदेश	3	3802.47	19433.93	18314.14	2915.09	21229.23	25031.7	22760.65	90.93	319.34
13.	महाराष्ट्र	3	2156.99	17470.82	17180.81	4295.203	21476.01	23633	20780.48	87.93	403.81
14.	मणिपुर	3	39.92	448.24	501.64	125.41	627.05	666.97	430.78	64.59	5.59
15.	मेघालय	3	134.52	502.19	951.75	237.9375	1189.69	1324.208	348.96	26.35	5.91
16.	मिजोरम	3	4.82	116.21	296.89	74.2225	371.11	375.9325	318.37	84.69	4.36
17.	नागालैंड	3	7.09	344.48	775.99	193.9975	969.99	977.0775	956.77	97.92	23.73
18.	उड़ीसा	3	2870.78	13386.9	13443.31	3360.828	16804.14	19674.92	15218.63	77.35	296.84
19.	पंजाब	3	200.06	1259.63	1559.63	389.9075	1949.54	2149.598	1381.15	64.25	13.89
20.	राजस्थान	3	427.52	6711.09	6008.5	1502.125	7510.63	7938.145	9780.6	123.21	148.30
21.	सिक्किम	3	21.76	128.66	288	72	360.00	381.76	411.41	107.77	6.13
22.	तमिलनाडु	3	1045.98	10348.85	10348.85	2587.213	12936.06	13982.04	14974.42	107.10	280.97
23.	त्रिपुरा	3	9.95	809.31	1824.38	456.095	2280.48	2290.425	2296.83	100.28	34.72
24.	उत्तर प्रदेश	3	8494.04	42194.35	42235.9	10558.98	52794.88	61288.92	55507.2	90.57	691.39
25.	प. बंगाल	3	5734.87	14876.87	10061.21	2515.303	12576.51	18311.38	12372.19	67.57	134.45
26.	अं. व नि.	3	61.26	117.89	39.7	0	39.70	100.96	37.07	36.72	0.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	दा. व न. हवेली	1	5.39	77.81	48.94	0	48.94	54.33	36.75	67.64	0.67
28.	दमन व दीव	3	5.11	37.7	10.06	0	10.06	15.17	6.04	39.82	0.11
29.	लक्षद्वीप	1	14.1	59.1	35.46	0	35.46	49.56	29.29	59.10	0.42
30.	पांडिचेरी	3	7.72	115.42	82.14	0	82.14	89.86	72.83	81.05	0.03
	कुल		49072.77	207843.6	205096.3	49556.56	254652.89	303725.7	252561	83.15	3766.41

विवरण-VIII

मार्च माह के लिए 1999-2000 के दौरान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.99 को शेष	आबंटन केन्द्र	रिलीजें			कुल उपलब्ध निधियां	कुल खर्च	प्रतिशत	सृजित श्रम दिवस (लाख श्रम दिन)
					केन्द्र (मार्च)	राज्य	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3	1954.74	9319.52	9617.32	3205.45	12822.77	14777.51	9954.72	67.36	133.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	381.09	204.90	142.71	47.57	190.28	571.37	461.48	80.77	5.92
3.	असम	3	4466.9	5324.02	3787.01	1262.21	5049.22	9516.12	7800.48	81.97	132.86
4.	बिहार	3	11666.61	30529.68	28484.06	9493.74	37977.80	49644.41	35324.14	71.15	424.9
5.	गोवा	3	3.16	137.12	124.11	41.37	165.48	168.64	114.34	67.80	1.26
6.	गुजरात	3	794.44	3508.04	3508.03	1169.23	4677.26	5471.70	4774.39	87.26	44.75
7.	हरियाणा	3	425.85	2063.84	2063.87	343.94	2407.81	2833.66	2666.87	94.11	18.84
8.	हिमाचल प्रदेश	3	237.44	869.16	1752.41	584.08	2336.49	2573.93	1163.94	45.22	14.43
9.	जम्मू व कश्मीर	3	159.84	1075.71	897.74	299.22	1196.96	1356.80	805.55	59.37	9.74
10.	कर्नाटक	3	3919.71	7037.56	7037.56	2345.62	9383.18	13302.89	10191.73	76.61	175.49
11.	केरल	3	1129.91	3157.73	3157.72	1052.47	4210.19	5340.10	3652.85	68.40	37.17
12.	मध्य प्रदेश	3	4119.9	15474.69	16926.38	5641.56	22567.94	26687.84	20841.39	78.09	265.27
13.	महाराष्ट्र	3	3049.74	13911.52	13911.47	4636.69	18548.16	21597.90	18748.46	86.81	341.55
14.	मणिपुर	2	66.24	356.92	115.54	38.51	154.05	220.29	93.87	42.61	1.105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	मेघालय	8	280.64	399.88	132.18	44.06	176.24	456.88	180.98	39.61	2.76
16.	मिजोरम	3	14.379	92.53	92.37	30.79	123.16	137.54	187.19	136.10	2.23
17.	नागालैंड	3	86.09	274.30	223.90	74.63	298.53	384.62	291.76	75.86	6.96
18.	उड़ीसा	3	2286.64	10659.61	15974.14	5324.18	21298.32	23584.96	13751.03	58.30	211.51
19.	पंजाब	3	214.15	1003.01	975.08	324.99	1300.07	1514.22	1014.24	66.98	6.62
20.	राजस्थान	3	7037.7	5343.85	5343.85	1781.11	7124.96	14162.66	8149.69	57.54	105.06
21.	सिक्किम	3	20.24	102.45	102.45	34.15	136.60	156.84	206.97	131.97	2.89
22.	तमिलनाडु	3	263.93	8240.50	9163.14	3054.07	12217.21	12481.14	13391.37	107.29	170.27
23.	त्रिपुरा	3	322.22	644.43	487.95	162.32	650.58	972.80	812.95	83.57	14.49
24.	उत्तर प्रदेश	3	5471.85	33598.18	33593.14	11196.59	44789.73	50261.58	35804.80	71.24	438.89
25.	प. बंगाल	3	6840.43	11846.03	10800.26	3599.73	14399.99	21240.42	13074.47	61.55	113.86
26.	अं. व नि. द्वीपसमूह	2	48.49	93.87	13.00	0.00	13.00	61.49	14.29	23.24	0.21
27.	दा. व न. हवेली	7	0	61.96	30.98	0.00	30.98	30.98	0.85	2.74	0.01
28.	दमन व दीव	7	0.61	30.02	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0
29.	लक्षद्वीप	12	8.26	47.06	25.53	0.00	25.53	31.79	10.43	32.81	0.11
30.	पांडिचेरी	3	0	91.91	45.96	0.00	45.96	45.96	41.90	91.17	0.03
	कुल		55271.2	105500.00	168527.86	55788.57	224316.43	279587.63	203527.13	72.80	2683.075

विवरण-IX

2000-01 के दौरान जे जी एस वाई के अंतर्गत वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति

(लाख रु० में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.2000 को अथशेष	आबंटन केन्द्र	रिलीजें			कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग की गई कुल निधियां	कुल प्रतिशत	सृजित श्रम दिन (लाख श्रम दिन)
					कैंद्र	राज्य	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3	1854.75	8727.55	8224.23	2741.14	10965.37	12820.12	9860.51	76.91	156.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	121.82	456.91	367.68	122.55	490.23	612.05	428.11	69.95	6.59
3.	असम	3	2487.00	11872.04	0.00	0.00	0.00	2487.00	1426.61	57.36	132.86
4.	बिहार	3	9146.86	16476.68	13707.02	4568.55	18275.57	27422.43	22990.85	83.84	249.85
5.	छत्तीसगढ़	3	1023.60	5094.75	3604.68	1201.44	4806.12	5829.72	5447.73	93.45	68.96
6.	गोवा	3	18.54	128.41	128.41	42.80	171.21	189.75	233.16	122.88	2.61
7.	गुजरात	3	467.18	3285.21	3273.12	1090.93	4364.05	4831.23	4934.81	102.14	46.72
8.	हरियाणा	3	308.86	1932.75	1863.61	621.14	2484.75	2793.61	3380.95	121.02	18.64
9.	हिमाचल प्रदेश	3	303.71	813.95	661.34	220.42	881.76	1185.47	1247.08	105.20	13.89
10.	जम्मू व कश्मीर	3	32.85	1007.38	720.25	240.06	960.31	993.16	663.22	66.78	16.24
11.	झारखंड	3	3379.50	12113.79	9644.14	3214.39	12858.53	16238.03	15000.54	92.38	172.51
12.	कर्नाटक	3	3055.19	6590.54	5165.38	1721.62	6887.00	9942.19	9422.31	94.77	129.95
13.	केरल	3	1184.79	2957.15	2725.50	908.41	3633.91	4818.70	3404.06	70.64	27.93
14.	मध्य प्रदेश	3	5151.47	9397.00	10574.87	3524.60	14099.47	19250.94	17211.19	89.40	208.44
15.	महाराष्ट्र	3	3616.57	13027.87	9673.91	3224.31	12898.22	16514.79	17860.22	108.15	316.43
16.	मणिपुर	1	54.68	795.90	530.58	176.84	707.42	762.10	108.36	14.22	1.86
17.	मेघालय	3	226.80	891.67	763.61	254.51	1018.12	1244.92	811.86	65.21	11.21
18.	मिजोरम	3	5.20	206.33	206.33	68.77	275.10	280.30	330.54	117.92	3.95
19.	नागालैंड	3	19.02	611.66	454.48	151.48	605.96	624.98	807.16	129.15	19.37
20.	उड़ीसा	3	3979.97	9982.52	8971.67	2990.26	11961.93	15941.90	16876.74	105.86	248.51
21.	पंजाब	3	128.64	939.30	901.02	300.31	1201.33	1329.97	1769.91	133.08	12.31
22.	राजस्थान	3	3738.88	5004.41	4781.45	1593.66	6375.11	10113.99	9945.71	98.34	96.71
23.	सिक्किम	3	0.08	228.45	228.45	76.14	304.59	304.67	248.45	81.55	3.80
24.	तमिलनाडु	3	406.35	7717.07	7716.72	2571.98	10288.70	10695.05	11076.20	103.56	137.02
25.	त्रिपुरा	3	0.00	1437.02	1437.02	478.96	1915.98	1915.98	1908.67	99.62	24.84
26.	उत्तर प्रदेश	3	796.15	1960.17	1513.13	504.33	2017.46	2813.61	3371.60	119.83	10.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	उत्तरांचल	3	12981.88	29503.89	25274.21	8423.89	33698.10	46679.98	43238.39	92.63	412.59
28.	प. बंगाल	3	4700.64	11093.58	9469.13	3156.06	12625.19	17325.83	17628.42	101.75	136.65
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	3	32.23	84.64	54.04	0.00	54.04	86.27	45.03	52.20	0.49
30.	दा. व न. हवेली	3	3.03	55.87	54.23	0.00	54.23	57.26		0.00	
31.	दमन व दीव	3	3.03	27.07	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	2	30.21	42.43	0.00	0.00	0.00	30.21	26.85	88.88	0.33
33.	पांडिचेरी	3	6.33	86.00	66.56	0.00	66.56	72.89	64.13	87.98	0.16
	जोड़		59265.81	164550.00	132756.77	44189.56	176946.33	236212.14	221769.37	93.89	2688.37

नोट: रिक्त कॉलम/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाने को दर्शाता है।

विवरण-X

2001-02 (सितंबर तक) जे जी एस वाई के अंतर्गत वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति

(लाख रु० में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.2001 को शेष	आबंटन केन्द्र	रिलीजें			कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का कुल उपयोग	कुल प्रतिशत	सृजित श्रम दिन (लाख श्रम दिन)
					केंद्र (आज तक)	राज्य	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	8	829.26	8728.61	3089.61	1029.87	4119.48	4948.74	1527.59	30.87	60.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	195.78	456.91	228.46	76.15	304.61	500.39	62.37	12.46	0.86
3.	असम	7	1351.32	11872.04	0.00	0.00	0.00	1351.32	5.34	0.40	0.11
4.	बिहार	7	6457.14	16477.80	8238.90	2746.30	10985.20	17442.34	3104.61	17.80	36.07
5.	छत्तीसगढ़	6	347.99	3692.75	2098.83	699.61	2798.44	3146.43	431.66	13.72	26.85
6.	गोवा	9	0.03	128.42	64.21	21.40	85.61	85.64	61.44	71.74	0.68
7.	गुजरात	7	103.47	3285.44	1596.02	532.01	2128.03	2024.56	145.24	7.17	1.15
8.	हरियाणा	9	58.76	1932.88	1466.76	488.92	1955.68	2014.44	1209.54	60.04	7.35
9.	हिमाचल प्रदेश	8	90.33	814.01	525.52	175.17	700.69	791.02	319.40	40.38	3.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	जम्मू व कश्मीर	9	114.26	1007.45	519.36	173.12	692.48	806.74	270.73	33.56	2.31
11.	झारखंड	7	6251.03	12114.60	5804.26	1934.75	7739.01	13990.04	2849.81	20.37	28.35
12.	कर्नाटक	9	1001.19	6590.99	6539.45	2179.82	8719.27	9720.46	3663.82	37.69	50.96
13.	केरल	9	1793.87	2957.35	1478.67	492.89	1971.56	3765.43	1107.74	29.42	7.03
14.	मध्य प्रदेश	9	2200.12	10799.98	12276.62	4092.21	16368.83	18568.95	7458.13	40.16	106.41
15.	महाराष्ट्र	9	893.90	13028.76	6143.61	2047.21	8191.21	9085.11	4503.54	49.57	69.33
16.	मणिपुर			795.90	276.54	92.28	368.72	368.72		0.00	
17.	मेघालय	7	391.07	891.69	445.86	148.62	594.48	985.55	91.23	9.26	1.05
18.	मिजोरम	9	4.83	206.33	103.17	34.39	137.56	142.39	111.64	78.40	1.10
19.	नागालैंड	6	47.91	611.66	466.03	155.34	621.37	669.28	10.88	1.63	0.78
20.	उड़ीसा	9	2054.84	9983.20	5382.31	1794.10	7176.41	9231.25	5192.46	58.25	73.34
21.	पंजाब	9	73.74	939.36	643.04	214.35	857.39	931.13	612.70	65.80	4.11
22.	राजस्थान	9	1160.77	5004.75	5869.05	1896.35	7585.40	8746.17	2885.75	32.99	24.67
23.	सिक्किम	9	2.10	228.45	114.23	38.08	152.31	154.41	114.22	73.97	1.43
24.	तमिलनाडु	8	214.84	7717.59	4386.39	1462.13	5848.52	6063.36	3282.24	54.13	35.44
25.	त्रिपुरा	9	10.42	1437.02	718.15	239.50	958.01	968.43	274.93	28.39	3.70
26.	उत्तर प्रदेश	6	596.69	1960.34	980.17	326.72	1306.89	1903.58	158.92	8.35	11.46
27.	उत्तरांचल	8	5266.62	29505.85	17167.73	5722.58	22890.31	28156.93	12674.94	45.02	107.61
28.	प. बंगाल	9	3177.97	11094.33	5850.13	1950.04	7800.17	10978.14	4166.87	37.96	31.67
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	8	41.45	84.64	42.32	0.00	42.32	83.77	9.30	11.10	0.01
30.	दा. व न. हवेली			55.87	27.94	0.00	27.94	27.94		0.00	
31.	दमन व दीव	9	1.58	27.07	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप			42.43	21.22	0.00	21.22	21.22		0.00	
33.	पांडिचेरी	7	10.49	86.00	43.00	0.00	43.00	53.49	3.82	7.14	0.01
	जोड़		34536.83	164560.00	92427.72	30764.41	123192.13	157728.96	54783.27	34.37	697.97

नोट: रिक्त कॉलम/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाने को दर्शाता है।

एन्थ्रेक्स रोधी टीका

1542. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में एक एन्थ्रेक्स रोधी टीका विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त टीका बाजार में बिक्री हेतु कब तक आ जाने की संभावना है;

(घ) क्या यह सही है कि सरकार ने यह दावा किया है कि वह अगले छः से नौ महीने में वर्तमान समय में विश्व में उपलब्ध टीकों की तुलना में रिकाम्बीनेंट एन्थ्रेक्स टीका, जो कम विषैला और अत्यंत कम लागत वाला होगा, के उत्पादन के लिए तैयार है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(च) क्या यह भी सही है कि सरकार ने एन्थ्रेक्स टीका जैसे सभी जीवन-रक्षक उत्पादों के लिए एक फास्ट ट्रैक स्वीकृति तंत्र स्थापित किया था; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और जैवरासयानिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, दिल्ली के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से बायोटेक्नोलॉजी विभाग की आर्थिक सहायता से एक कैंडिडेट एंथ्रेक्स टीके का विकास किया है।

(ग) उपयोग के लिए उपलब्ध कराने से पूर्व कैंडिडेट टीके का विभिन्न अभिकरणों से उपयुक्त स्वीकृति मिलने के बाद पूर्व-चिकित्सीय विषालुता जांच एवं स्वैच्छिक परीक्षण किए जाएंगे।

(घ) और (ङ) बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने एंथ्रेक्स के लिए पुनर्योगज कैंडिडेट टीके को विकसित करने हेतु कार्यक्रम को सहायता दी है। यह टीका ई. कोलाई में सुरक्षात्मक जीन के निष्पीडन पर आधारित है। इसलिए यह कम विषैला है। इसकी कीमत भी कम होने की आशा है। एक उद्योग ने इस प्रौद्योगिकी को और अधिक परिष्करण, मापन एवं व्यवसायीकरण के लिए लिया है। यह प्रत्याशा है कि न्यूनतम संभावित समय में टीके को उपलब्ध कराने के लिए विनियामक प्रक्रियाओं के साथ विकास प्रक्रिया तेज की जाएगी।

(च) और (छ) पुनर्योगज टीकों एवं जैविकों के अनुमोदन/स्वीकृति पर शीघ्रता से विचार करने के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक के कार्यालय में एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया है। समिति फास्ट ट्रैक तंत्र पर उन टीकों एवं जैविकों की स्वीकृतियों का मूल्यांकन एवं विचार करेगी जो जीवन रक्षक औषधियां मानी जाती हैं।

खिलाड़ियों को दैनिक भत्ता

1543. श्री एन०टी० षणमुगम : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में अंतर-मंत्रालयी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भुगतान किया जाने वाला दैनिक भत्ता बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में खिलाड़ियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उनका दैनिक भत्ता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण सड़क सम्पर्क योजना

1544. श्री पी०डी० एलानगोवन :
श्री सुबोध मोहिते :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सड़क सम्पर्क से हुई प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो अंतिम समीक्षा किस तिथि को की गई थी;

(ग) आज की तारीख के अनुसार इस संबंध में राज्यवार कितनी प्रगति हुई;

(घ) अब तक आबंटित/वितरित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन का उचित रूप से प्रयोग किया जाता है;

(च) यदि हां, तो प्रथम चरण के दौरान राज्य-वार निर्मित सड़कों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा कितनी राशि मांगी गई और उससे निर्मित की जाने वाली सड़कों की लंबाई क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू): (क) से (छ) मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा नियमित रूप से कर रहा है तथा 8.9.2001 को समीक्षा की पिछली बैठक हुई थी।

2. वर्ष 2000-01 में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य का कार्यान्वयन लगभग सभी राज्यों में शुरू हो चुका है, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक 364.34 करोड़ रु० विवरण-I में उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार व्यय किए गए हैं।

3. वर्ष 2001 02 के लिए 20 राज्यों से संबंधित परियोजना प्रस्ताव पूर्ण/अंशत: स्वीकृत कर लिए गए हैं तथा शेष राज्यों के प्रस्तावों के संदर्भ में प्रक्रिया जारी है। वर्ष 2001-02 के दौरान राज्यों के संदर्भ में प्राप्त/स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों की राशि को दर्शाने वाले एवं निर्माण की जाने वाली सड़कों की लंबाई का ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.30
3.	हरियाणा	4.98
4.	कर्नाटक	4.12
5.	महाराष्ट्र	11.92
6.	मेघालय	34.95
7.	मिजोरम	8.03
8.	नागालैंड	0.37
9.	पंजाब	1.50
10.	राजस्थान	32.14
11.	सिक्किम	13.16
12.	त्रिपुरा	18.00
13.	उत्तर प्रदेश	199.09
14.	दमन व दीव	0.35
	कुल	364.34

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य	2001-02 के दौरान प्राप्त/स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव की राशि (करोड़ रुपये में)	2001-02 के दौरान निर्मित किये जाने वाली सड़क की लम्बाई (कि.मी. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश*	388.61	3221.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	74.00	718.49
3.	असम	154.92	731.81
4.	बिहार	300.50	1507.94
5.	छत्तीसगढ़	184.45	1266.76
6.	गोवा	10.17	109.71
7.	गुजरात	106.15	815.15

1	2	3	4
8.	हरियाणा	50.15	992.79
9.	हिमाचल प्रदेश	120.00	773.09
10.	जम्मू व कश्मीर*	64.88	249.44
11.	झारखंड	220.08	1186.95
12.	कर्नाटक*	190.00	2604.80
13.	केरल	47.65	295.36
14.	मध्य प्रदेश	498.68	1781.29
15.	महाराष्ट्र*	263.89	1885.85
16.	मणिपुर	80.71	696.51
17.	मेघालय	76.72	55.50
18.	मिजोरम	46.53	421.28
19.	नागालैंड	45.53	321.50
20.	उड़ीसा	331.72	2080.29
21.	पंजाब	74.29	152.01
22.	राजस्थान	263.05	2076.47
23.	सिक्किम	37.81	249.75
24.	तमिलनाडु*	115.81	853.26
25.	त्रिपुरा	51.85	206.27
26.	उत्तर प्रदेश**	635.00	3127.57
27.	उत्तरांचल*	126.31	487.75
28.	पश्चिम बंगाल**	277.00	1118.47
	कुल	4836.46	29987.59

*इन राज्यों के लिए परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने शेष हैं।

**इन राज्यों के परियोजना प्रस्ताव आंशिक रूप से स्वीकृत किये गये हैं।

काली सूची मे डाले गए कॉलेज

1545. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश में किसी कॉलेज को काली सूची में डाला है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कॉलेजों के नाम तथा स्थान क्या हैं; और

(ग) इन कॉलेजों को काली सूची में डालने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियां

1546. श्री राम दास आठवले : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4)ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डी ओ पी टी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था.(आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 में यथासुनिश्चित समूह 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणियों की सेवाओं में निर्धारित बकाया/अग्रेनित आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसे अग्रेनित कितने रिक्त पद भरे गये और कितने पद रिक्त पड़े रहे;

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए कितनी नई रिक्तियां/पद उत्पन्न हुए?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

1547. **डा० वी० सरोजा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों के साथ व्यय में हिस्सेदारी के बजाय योजना के शत प्रतिशत व्यय को वहन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य सरकारों को संबंधित राज्य सरकारों की प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त 100% सहायता प्रदान किया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों को निर्मुक्त सहायता अनुदान संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) से (ङ) योजना की पुनरीक्षा पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998-99	1999-00	2000-01
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	143.92	963.023	1577.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	130	0
3.	असम	72.335	2005.599	1000
4.	बिहार	602.216	1206.896	0
5.	गोवा	0	0	0
6.	गुजरात	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	4.6	18	18.27
9.	जम्मू व कश्मीर	27.31	12	0
10.	कर्नाटक	0	243	301.98
11.	केरल	0	185	83.52
12.	मध्य प्रदेश	0	0	0
13.	महाराष्ट्र	174.22	0	249.08
14.	मणिपुर	475.89	672.42	665.56
15.	मेघालय	744.371	605.542	666.0962
16.	मिजोरम	521.008	334.75	281.65
17.	नागालैंड	1084.26	673.11	1231.94
18.	उड़ीसा	0	323.16	113.83
19.	पंजाब	0	0	0
20.	राजस्थान	227.73	218.31	0
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	0	0	5.201
23.	त्रिपुरा	54.14	53.19	51.074
24.	उत्तर प्रदेश	0	4	0
25.	पश्चिम बंगाल	0	33	64.0584
26.	अंडमान व निकोबार	0	0	0
27.	दमन व दीव	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0

1	2	3	4	5
29.	दिल्ली	0	0	0
30.	गुवाहाटी परियोजना	0	0	0
31.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल	4132	7681	6310

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार

1548. श्री रामजी मांझी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के मार्ग निर्देशों में 30 प्रतिशत रोजगार के अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित करने की परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिया गया रोजगार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विनिर्धारित अनुपात की तुलना में कम था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत कितनी महिलाओं को रोजगार प्रदान किया गया और राज्य-वार एवं वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं योजना के अंतर्गत कितनी उपलब्धि हासिल की गई; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि निर्धारित प्रतिशत के अनुसार ही महिलाओं को रोजगार मिले?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई) 1 अप्रैल, 1999 को शुरु की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सामुदायिक ग्रामीण ढांचे का सृजन करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीबों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन करना इसका गौण उद्देश्य है। योजना के दिशा निर्देशों में महिलाओं के लिए 30% रोजगार के अवसरों का ध्यान रखा गया है। इस योजना को ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। 25 सितम्बर, 2001 से जे.जी.एस.वाई. तथा सुनिश्चित रोजगार योजना को मिलाकर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एक नई योजना शुरु की गई है।

(ग) और (घ) सामाजिक-आर्थिक कारणों की वजह से कुछ राज्यों में निर्धारित अनुपात प्राप्त नहीं किया जा सका था।

(ङ) और (च) जे.जी.एस.वाई. एक ढांचागत विकास कार्यक्रम होने के कारण इसमें रोजगार सृजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि, योजना की शुरुआत अर्थात् 1999-2000 से लेकर अब तक महिलाओं के लिए रोजगार सृजन और सृजित कुल श्रमदिवसों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं। मंत्रालय द्वारा आवधिक रिपोर्टों तथा क्षेत्र अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के दौरों के जरिए कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी भी की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार सृजन (लाख श्रम दिवस)					
		1999-2000		2000-01		2001-02 (सितम्बर तक)	
		कुल	महिलायें	कुल	महिलायें	कुल	महिलायें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	133.89	50.14	156.37	54.31	60.33	20.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.92	1.78	6.59	2.23	0.86	0.33
3.	असम	132.86	16.09	132.86	2.19	0.11	
4.	बिहार	424.90	111.94	249.85	62.36	36.07	7.36

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	68.96	25.75	26.85	10.02
6.	गोवा	1.26	0.55	2.61	2.61	0.68	0.2
7.	गुजरात	44.75	12.95	46.72	11.36	1.15	0.23
8.	हरियाणा	18.84	3.82	18.84	5.39	7.35	1.52
9.	हिमाचल प्रदेश	14.43	0.82	13.89	0.91	3.81	0.14
10.	जम्मू व कश्मीर	9.74		16.24		2.31	
11.	झारखंड	0.00	0.00	172.51	54.20	28.35	8.81
12.	कर्नाटक	175.49	50.78	129.95	39.97	50.96	16.29
13.	केरल	37.17	11.13	27.93	9.35	7.03	2.56
14.	मध्य प्रदेश	265.27	89.18	208.44	75.74	106.41	20.86
15.	महाराष्ट्र	341.55	117.14	316.43	103.66	69.33	22.31
16.	मणिपुर	1.11	0.28	1.86			
17.	मेघालय	2.76	0.87	11.21	3.84	1.05	0.31
18.	मिजोरम	2.23	0.80	3.95	1.37	1.095	0.23
19.	नागालैंड	6.96	2.65	19.37	5.83	0.78	0.141
20.	उड़ीसा	211.51	60.93	248.51	73.31	73.34	20.83
21.	पंजाब	6.62	0.25	12.31	0.27	4.11	0.15
22.	राजस्थान	105.06	37.40	96.71	33.53	24.67	8.36
23.	सिक्किम	2.89	0.86	3.80	1.02	1.43	0.49
24.	तमिलनाडु	170.27	59.92	137.02	46.34	35.44	11.86
25.	त्रिपुरा	14.49	4.15	24.84	5.11	3.70	0.99
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	10.39	9.81	11.46	
27.	उत्तरांचल	438.89	99.26	412.59	73.13	107.61	53.04
28.	प. बंगाल	113.86	21.24	136.65	20.52	31.67	5.16
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	0.21	0.03	0.49	0.01	0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दा. व न. हवेली	0.01					
31.	दमन व दीव						
32.	लक्षद्वीप	0.11	0.00	0.33			
33.	पांडिचेरी	0.03	0.00	0.16	0.01	0.007	0.01
	जोड़	2683.08	754.96	2688.37	724.13	697.97	212.69

छत्तीसगढ, झारखंड और उत्तरांचल वर्ष 2000-01 में बनाए गए थे।

रिक्त कालम संबंधित राज्यों द्वारा जानकारी नहीं भेजे जाने को दर्शाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास इकाइयां

1549. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री के० येरननायडू :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रत्येक राज्य के लिए एक व्यापक योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या हडको ने ग्रामीण क्षेत्रों में 23.76 लाख आवास इकाइयों के निर्माण हेतु सहायता स्वरूप 3,970 करोड़ रुपए मंजूर किया है;

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य शुरु होने और पूरा हो जाने की संभावना है; और

(च) इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार कितनी आवास इकाइयों का निर्माण किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय आवास तथा पर्यावास नीति की घोषणा की है जिसका उद्देश्य गरीब तथा असहाय लोगों तक लाभ पहुंचाने पर बल देकर "सभी के लिए आवास" मुहैया कराना तथा सालभर में 20 लाख अतिरिक्त आवासी इकाइयों के निर्माण को आसान बनाना है। तदनुसार ग्रामीण आवास के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है जिसका उद्देश्य दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी को आवास मुहैया कराना है।

(घ) से (च) आवास तथा शहरी विकास निगम (हडको) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हडको ने ग्रामीण क्षेत्रों में 23.76 लाख आवासीय इकाइयां मुहैया कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 1080.72 करोड़ रु० के ऋण मंजूर किए हैं। परियोजनाओं के पूरा होने की अवधि प्राय: एक वर्ष से डेढ़ साल तक भिन्न-भिन्न है।

हडको द्वारा स्वीकृत 23.76 लाख आवासीय इकाइयों के अनुसार राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

राज्य	आवासी इकाइयां
आंध्र प्रदेश	295635
असम	250
गुजरात	247
केरल	41307
कर्नाटक	200235
उड़ीसा	50000
तमिलनाडु	32863
पश्चिम बंगाल	1755280

खेल स्टेडियम का निर्माण/उन्नयन

1550. श्री एच०जी० रामुलू : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान केन्द्रीय सहायता से राज्य-वार निर्माण/उन्नयन किए जाने वाले स्टेडियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके लिए राज्य-वार अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) "खेल" राज्य का विषय है। अपने-अपने संबंधित राज्यों में खेल स्टेडियमों का निर्माण/उन्नयन मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तथापि, इस दिशा में उनके प्रयासों को पूरा करने के लिए सरकार "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर, स्टेडियमों सहित विभिन्न खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों आदि को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2001-2002 के दौरान (22.11.2001 तक) स्टेडियमों के निर्माण के लिए स्वीकृत केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुमोदित स्टेडियमों की संख्या	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता की राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	18.317
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	206.715
3.	असम	1	18.63
4.	चण्डीगढ़	1	8.52
5.	हिमाचल प्रदेश	4	219.576
6.	हरियाणा	1	44.08
7.	कर्नाटक	5	161.53
8.	मध्य प्रदेश	7	209.885
9.	महाराष्ट्र	2	30.284
10.	नागालैण्ड	4	232.35
11.	तमिलनाडु	2	110.429
12.	उत्तर प्रदेश	2	71.82
13.	पश्चिम बंगाल	1	45.00

खेलों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना

1551. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी०एस० बसवराज :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खेल-कूद पर अपने सांविधिक नियंत्रण का प्रयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खेलों को समवर्ती सूची में लाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, हां।

(ङ) कोई भी समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का विकेन्द्रीकरण

1552. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को विकेन्द्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना के विकेन्द्रीकरण का लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय होने की वजह से ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपने निजी संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के पेयजल घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। राज्य सरकारों को अपनी-अपनी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं बनाने, उन्हें स्वीकृत करने और उन्हें कार्यान्वित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई है।

भारत सरकार ने ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में सुधार शुरू किए हैं जिनमें जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तीन सिद्धांतों को समाहित करते हुए सामुदायिक ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली को संस्थागत बनाने की परिकल्पना है।

- ग्रामीणों के संशक्तिकरण पर आधारित मांग आधारित प्रभावी और अनुकूलनीय दृष्टिकोण अपनाना ताकि योजना की डिजाइन के चुनाव, वित्त नियंत्रण तथा प्रबंधन व्यवस्था में उनको निर्णायक भूमिका देकर परियोजना में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो।
- सरधे सेवा सुपुर्दगी के स्थान पर सुविधाप्रदाता की सरकार की बदली हुई भूमिका।
- उपभोक्ता द्वारा नकद अथवा सामान अथवा दोनों रूपों में आंशिक लागत भागीदारी और प्रचालन एवं रख रखाव की शत प्रतिशत भागीदारी।

सारे देश में प्रायोगिक आधार पर 63 प्रायोगिक जिलों में सुधार कार्यान्वित करने का निश्चय किया गया है जिनमें से 62 प्ररियोजनाओं को कार्यान्वयन हेतु पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। वहां परियोजनाएं विकेंद्रीकृत तरीके से कार्यान्वित की जाती हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा में वर्ष 2004 तक देश की सभी ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति सुविधाओं के प्रावधान की संकल्पना है। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई विस्तृत कार्य योजना के अनुसार इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई

1553. **श्री किरीट सोमैया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई हेतु उनके मंत्रालय और जापान के प्रतिनिधियों के बीच बैठक आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०एच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्, भूतपूर्व जापानी प्रधानमंत्री श्री योशिरो मोरी, जो प्रधान मंत्री श्री जे० कोईजूमी के विशेष दूत के रूप में भारत की यात्रा पर थे तो वे 29.10.2001 को केन्द्रीय गृह मंत्री से मिले थे। विचार-विमर्श के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि भारत को आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता और आंतकवाद के खिलाफ संयुक्त वर्किंग ग्रुप की स्थापना पर समझौते सहित आंतकवाद के खिलाफ लड़ाई में जापान के साथ सहयोग करने में खुशी होगी।

टीकों की उत्पादन सुविधाएं

1554. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव-रसायन विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान की दृष्टि से मजबूत है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत टाइफाइड, मस्तिष्क ज्वर और चेचक आदि के लिए अधिकांश टीकों का आयात कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऑल इंडिया बायो टेक एसोसिएशन ने सरकार से विदेशी मुद्रा को बचाने हेतु टीकों एंटीबायोटिक्स और डायग्नोस्टिक के लिए मूल उत्पाद सुविधाएं स्थापित करने हेतु अवसर सृजित करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) स्वास्थ्य विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दोनों के अधीन नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी, नई दिल्ली, इंटरनेशनल सेंटर

ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी, दिल्ली, भारत इम्युनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड और सेंटर फॉर सेलुलर एण्ड मालिकुलर बायोलॉजी, हैदराबाद आदि जैसे अनेक संस्थान हैं जो इन विषयों में चिकित्सीय/गैर-चिकित्सीय अनुसंधान में लगे हैं।

(ख) और (ग) इस समय देश में पोलियो, डिफ्थेरिया, टेट्नस, पर्टुसिस, क्षय रोग, रैबीज, जापानी मस्तिष्क शोथ, पीत ज्वर, सर्पदंश रोधी परम्परागत मियादी बुखार और हैजा आदि जैसी विभिन्न संक्रमणीय बीमारियों के लिए टीकों का उत्पादन किया जा रहा है। तथापि, मियादी बुखार, तस्तिष्क ज्वर और चिकन पॉक्स के टीकों का भारत में आयात किया जा रहा है। तथापि, मियादी बुखार, मस्तिष्क ज्वर और चिकन पॉक्स के टीकों का भारत में आयात किया जा रहा है, क्योंकि इस समय यहां पर इनके उत्पादन की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ मात्रा में जे. ई. और पीत ज्वर के टीकों का आयात किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित टीका उत्पादन बोर्ड नए टीकों को शुरू करने की संभावना हेतु सिफारिश करने के लिए प्रमुख महत्व के विभिन्न टीकों की जरूरतों की समय-समय पर समीक्षा तथा जायजा लेता रहता है।

तमिलनाडु में 'डाइट' में अतिरिक्त छात्रों का दाखिला

1555. **श्री पी०डी० एलानगोवन :**
श्री वी० वेत्रिसेलवन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने अपने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त छात्रों के दाखिले हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से सम्पर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में निजी सहायता प्राप्त अथवा निजी गैर सहायता प्राप्त/अल्पसंख्यक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित विद्यमान अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायीकरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने तमिलनाडु सरकार को सूचित किया है कि संबंधित संस्थाएं मानदंडों और मानकों के अनुसार दाखिला क्षमता फिर से निर्धारित करने के लिए 31 दिसम्बर, 2001 तक परिषद की दक्षिण क्षेत्रीय समिति को आबंटन कर सकती हैं।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दर से संस्थाएं शिक्षण तथा अन्य शुल्क लेती हैं। तथापि, मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षण तथा अन्य शुल्कों के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए परिषद ने कार्रवाई शुरू की है।

विवरण

क्र.सं.	संस्थान का नाम
1	2
1.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग, कराईकुडी-630003, तमिलनाडु, (बी.एड)
	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ फिजीकल एजूकेशन, कराईकुडी, जिला सिवागंगई-630004, तमिलनाडु .(एम.पी. एड)
2.	अन्नामल कॉलेज ऑफ एजूकेशन फॉर वुमैन, तिरूचेन्दुर रोड, तुतीकोरीन, जिला वीओसी - 628003, तमिलनाडु (बी.एड)
3.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, जिला कुड्डालोर, अन्नामलाईनगर-608002, तमिलनाडु (बी.एड)
	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाईनगर, जिला चिदाम्बरम-608 002, तमिलनाडु (एम.एड.)
4.	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साईंस कॉलेज ऑफ एजूकेशन एंड हायर एजूकेशन फॉर वुमैन, (डीमड विश्वविद्यालय) कोयम्बटूर-641043, तमिलनाडु
5.	अव्वाई होम टीटीआई फॉर वुमैन, नं. 41, बीसेंट एवेन्यु, एडयार, मद्रास-600220, तमिलनाडु
6.	बीट्टी मेमोरियल टीटीआई फॉर वुमैन, वैल्लोर डिओसेस, रानीपेट-632025, तमिलनाडु
7.	बेथलेहेम टीटीआई फॉर वुमैन, सेंट मैरीज हिल्स, नाजारेथ कॉन्वेंट, ऊटकमुंड, जिला नीलगिरीज, ऊटी, तमिलनाडु

1	2
8.	भारतीदशन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली-620023, तमिलनाडु (एम.एड.,-ई.टी.)
9.	बिशॉप सर्जेंट टीटीआई, पलायमकोट्टी, जिला तिरुनेवेली-627002, तमिलनाडु
10.	चरिस्टाराजा टीटीआई, तिरूनेवेली, जिला कोट्टाबोम्मन, पलायमकोट्टई-627002, तमिलनाडु
11.	चर्च पार्क एंग्लो इंडियन टीटी स्कूल, नं. 212, थाउजेंड लाईट्स, अन्नासलाई, चेन्नई-600006, तमिलनाडु
12.	कॉकोर्डिया टीटीआई, पी.जी. नं. 53, मिशन कम्पाउंड, जिला नॉर्थ अरकोट, अम्बुर-635802, तमिलनाडु
13.	सीएसआई टीटीआई फॉर बॉयज, बाथलागुंडु, जिला डिंडीगुल-624202, तमिलनाडु
14.	सीएसआई टीटीआई फॉर वुमैन, हस्तामपट्टी, जिला सेलम-636007, तमिलनाडु
15.	डीबीएचपीएस सभाज बी.एड., शिक्षा स्नातक प्रचारक कॉलेज, तेन्नुर, तिरुचिरापल्ली-620017, तमिलनाडु
16.	डीबीएचपीएस बी.एड एंड हिन्दी प्रचारक ट्रेनिंग कॉलेज, पी. जी. कॉम्प्लेक्स, डीबीएचपीएस सभा, टी.नगर-600017, चेन्नई, तमिलनाडु
17.	डीबीएचपीएस सभाज शिक्षक स्नातक कॉलेज, कून्नुर रोड, ऊटी-643001, दी नीलगिरीज, तमिलनाडु
18.	डाइट, अदुथुरई, जिला तंजोर-612101, तमिलनाडु
19.	डाइट, चेन्नई-600005, तमिलनाडु
20.	डाइट, जी. अनियुर-605751, जिला विल्लुपुरम, तमिलनाडु
21.	डाइट, पसुमपाम, जिला तिरुमेंगरनर, कालायारकोईल-630551, तमिलनाडु
22.	डाइट, करुकट्टी-611105, जिला नागापट्टीनम, तमिलनाडु
23.	डाइट, कलियामपूंडी-603402, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु
24.	डाइट, जिला तिरुवन्नामलाई, किलपेनाथुर-604601, तमिलनाडु

1	2
25.	डाइट, जिला नीलगिरीज, कोटागिरि-643217, तमिलनाडु
26.	डाइट, कृष्णागिरि, जिला धर्मापुरी-635001, तमिलनाडु
27.	डाइट, लालगुडी-620001, जिला त्रिची, तमिलनाडु
28.	डाइट, मंजुर, जिला रामानाथापुरम-623707, तमिलनाडु
29.	डाइट, मन्नारगुडी-614001, जिला तिरुवेरुर, तमिलनाडु
30.	डाइट, जिला त्रिची, मयानुर-639108, तमिलनाडु
31.	डाइट, जिला मुनानजीपट्टी, तिरुनेवेली, जिला कोट्टाबोम्मन-627355, तमिलनाडु
32.	डाइट, नमक्कल-637001, तमिलनाडु
33.	डाइट, ओडानचटरम, जिला डिंडीगुल अन्ना-24619, तमिलनाडु
34.	डाइट, पलायमपट्टी, जिला विरुधुनगर-626112, तमिलनाडु
35.	डाइट, पेरुनदराई, जिला इरोड-638052, तमिलनाडु
36.	डाइट, पुडुकोट्टई, मचुवाडी-622004, तमिलनाडु
37.	डाइट, रानीपेट, जिला नार्थ अरकोट-632401, तमिलनाडु
38.	डाइट, टी. कालुपट्टी, जिला मदुरई-626702, तमिलनाडु
39.	डाइट, थेरूर, कुलाशेकरानपुथुर, जिला कन्याकुमारी-629303, तमिलनाडु
40.	डाइट, तिरुर, जिला चेंगई एमजीआर-602025, तमिलनाडु
41.	डाइट, तिरमुरथईनगर, जिला कोयम्बटूर-642112, तमिलनाडु
42.	डाइट, उथामशोलापुरम-636001, जिला सलेम, तमिलनाडु
43.	डाइट, उत्तमपलायम-626533, जिला थेनी, तमिलनाडु
44.	डाइट, वडालुर, जिला कुड्डालूर-607303, तमिलनाडु
45.	डाइट, वमारिक जिला वी ओ सी-628921, तमिलनाडु
46.	डाइट, वारामासी जिला-पेराम्बलूर-621210, तमिलनाडु
47.	डी एम एंड आर टीटीआई, तिरुमंगलम, जिला-मदुरै, 626706, तमिलनाडु

1	2
48.	डॉ. सिवंथी आदिमनार कॉलेज ऑफ फिजीकल एजूकेशन, तिरुचेन्दुर-629215, तमिलनाडु (एमपीएड)
49.	डीवीडी टीटीआई, कोट्टार, जिला-कन्याकुमारी, नागरकोइल-629002, तमिलनाडु
50.	गननोदय टीटीआई नं. 1/60, पोलेवैल्स रोड, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई-600016, तमिलनाडु
51.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजूकेशन, ओरथानाडु-614625, जिला-तंजौर, तमिलनाडु
52.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजूकेशन, पुडुकोट्टई-622002, तमिलनाडु
53.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजूकेशन, जिला-सलेम, कोमारापलायम-683183, तमिलनाडु
54.	गवर्नमेंट टीटीआई फॉर वूमेन, ईस्ट मेन स्ट्रीट, तंजौर-613001, तमिलनाडु
55.	गवर्नमेंट टीटी फार वूमैन, रानीपेट, जिला-एन.एन.ए.-632401, तमिलनाडु
56.	गवर्नमेंट टी.टी.आई. समूरंगापुरम, तिरुनेलवेली, जिला-627112, तमिलनाडु
57.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजूकेशन फॉर वूमैन, राजा स्ट्रीट, कोयम्बटूर-641001, तमिलनाडु
58.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजूकेशन, वेल्लोर, जिला-रानीपेट-632401, तमिलनाडु
59.	गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कूल फॉर मुस्लिम (बॉयस) नं. 71, थाहेरसाहेब स्ट्रीट, माउंट रोड, चेन्नई-600002, तमिलनाडु
60.	गवर्नमेंट टीटीआई फॉर बॉयस, जोहिलपट्टी, कमरजार, जिला-626104, तमिलनाडु
61.	गवर्नमेंट टीटीआई फॉर गर्ल्स, राजा स्ट्रीट, कोयम्बटूर,-641001, तमिलनाडु
62.	गवर्नमेंट टीटीआई फॉर मैन, जिला-सलेम, गंगावैली-636105, तमिलनाडु
63.	गवर्नमेंट टीटीआई फॉर वूमैन, रायापेठ, चेन्नई-600014, तमिलनाडु
64.	गवर्नमेंट टीटीआई फॉर वूमैन, छिन्नाथारापुरम्, जिला-त्रिची-639202, तमिलनाडु
65.	आईएएसई, सैदापेट, चेन्नई-600015, तमिलनाडु (बी.एड)
66.	इन्फैंट जीसस टीटीआई फॉर वूमैन, मुरंगामुडु, कन्याकुमारी, जिला-629167, तमिलनाडु
67.	लेडी विलंगडन कॉलेज ऑफ एजूकेशन, त्रिपलीकेन, चेन्नई-600005, तमिलनाडु (बी.एड)
68.	लक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजूकेशन, जिला-डिंडीगुल, गांधीग्राम-624002, तमिलनाडु (बी.एड)
69.	मैरी इमेकुलेट टीटीआई, जिला-वेल्लोर, तिरुपथुर-635601, तमिलनाडु
70.	मेस्टन कॉलेज ऑफ एजूकेशन, रायापेठ, चेन्नई-600014, तमिलनाडु (बी.एड)
	मेस्टन कॉलेज ऑफ एजूकेशन, रायापेठ, चेन्नई-600014, तमिलनाडु (एम.एड)
71.	एन.के.टी. कॉलेज ऑफ एजूकेशन फॉर वूमैन, 21, डॉ. बेसेन्ट रोड, त्रिपलीकेन-600005, चेन्नई, तमिलनाडु (बी.एड)
	एन.के.टी. कॉलेज ऑफ एजूकेशन फॉर वूमैन, 21, डॉ. बेसेन्ट रोड, त्रिपलीकेन-600005, चेन्नई, तमिलनाडु (एम.एड)
72.	एन.आर. दास टीटीआई, सेनगमलांवरपुरम, वाया थिरुथंगल, वडामलपुरम, जिला-विरुधनगर, तमिलनाडु
73.	नागम्मई टीटीआई, पेरियार नगर, त्रिचुरापल्ली-620021, तमिलनाडु
74.	एन.वी.के.एस.डी. कॉलेज ऑफ एजूकेशन, अट्टूर, जिला-कन्याकुमारी-629191, तमिलनाडु (बी.एड)
	एन.वी.के.एस.डी. कॉलेज ऑफ एजूकेशन, अट्टूर, जिला-कन्याकुमारी-629191, तमिलनाडु (एम.एड)
75.	उलियास्तनाम टीटीआई, पलयामपट्टी, गांधीनगर, जिला-तिरुनेलवेली-627008, तमिलनाडु
76.	ऑवर लेडी डॉलर्स टीटीआई, जिला-डिंडीगल-624001, तमिलनाडु

1	2
77.	पेरियार टीटीआई, पुथुर, त्रिची-620017, तमिलनाडु
78.	आर.सी. टीटीआई, जिला-विलापुरम् तिंदीवनम-604001, तमिलनाडु
79.	आर.सी. टीटीआई, पी.बी. नं. 28, कैंटोनमेंट, भरथियार सलाई, त्रिचुरापल्ली-620001, तमिलनाडु
80.	रासमाल टीटीआई फॉर वूमैन, तूतीकोरन-628001, तमिलनाडु
81.	सैक्रेड हर्ट टीटीआई, कुदल्लोर-607001 तमिलनाडु
82.	सैंकटा फातिमा टीटीआई, अदाईकल्ला अन्नाई नगर, नल्लामन्नीयकपटी, जिला-डिंडीगल-624003, तमिलनाडु
83.	साराह टक्कर टीटीआई, जिला-तिरुनेवेली, पालायामकोट्टई-627002, तमिलनाडु
84.	सेवामंदिर टीटीआई फॉर वूमैन, चिदंबरम् ताल्लुक, जिला-कुदलब्बोर, पारंगीपेट्टई-628502, तमिलनाडु
85.	श्री शारदा कॉलेज ऑफ फिजीकल एजूकेशन फॉर वूमैन, फेरलैंड्स, जिला-सलेम-636016 (बी.पी.एड)
	श्री शारदा कॉलेज ऑफ फिजीकल एजूकेशन फॉर वूमैन, फेरलैंड्स, जिला-सलेम-636016 (बी.एड)
86.	श्री राम कृष्ण मिशन विद्यालय, कॉलेज ऑफ एजूकेशन, कोयम्बटूर-641020, तमिलनाडु (बी.एड)
	श्री राम कृष्ण मिशन विद्यालय, कॉलेज ऑफ एजूकेशन, कोयम्बटूर-641020, तमिलनाडु (एम.एड)
	श्री राम कृष्ण मिशन विद्यालय, गांधी टीटीआई, पेरियंकपलायम कोयम्बटूर-641020, तमिलनाडु
	श्री राम कृष्ण मिशन विद्यालय, मारुथी कॉलेज ऑफ फिजीकल एजूकेशन, कोयम्बटूर-641020, तमिलनाडु (बी.पी.एड)
	श्री राम कृष्ण मिशन विद्यालय, मारुथी कालेज ऑफ फिजीकल एजूकेशन, कोयम्बटूर-641020, तमिलनाडु (एच.पी.एड)
87.	सेंट एंजेलास टीटीआई, कोट्टापट्टू, पोनमलाईपट्टी, त्रिचुरापल्ली-620004, तमिलनाडु
88.	सेंट एनस टीटीआई, अदाइकलापुरम, जिला-तूतीकोरन, अदाइकलापुरम-6282127, तमिलनाडु
89.	सेंट एनस टीटीआई, पोन्नइयामनमेडु, माधवरम्, चेन्नई-600110, तमिलनाडु
90.	सेंट क्रिस्टोफर कॉलेज ऑफ एजूकेशन नं. 63, ई.वी.के. सामपेठ रोड, वेपेरी, चेन्नई-600007, तमिलनाडु (बी.एड)
	सेंट क्रिस्टोफर कॉलेज ऑफ एजृकेशन नं. 63, ई.वी.के. सामपेठ रोड, वेपेरी, चेन्नई-600007, तमिलनाडु (एम.एड)
	सेंट क्रिस्टोफर कॉलेज ऑफ एजूकेशन नं. 63, ई.वी.के. सामपेठ रोड, वेपेरी, चेन्नई-600007
91.	सेंट इग्नेशियस कॉलेज ऑफ एजूकेशन, पलायमकोट्टई-627002, तिरुनेवेली, जिला कोट्टाबोम, तमिलनाडु (बी.एड)
	सेंट इग्नेशियस कॉलेज ऑफ एजूकेशन, पलायमकोट्टई-627002, तिरुनेवेली, जिला-कोट्टाबोम, तमिलनाडु (एम.एड)
92.	सेंट जॉन टीटीआई फॉर गर्ल्स, जिला-थुथुकुडी, नजेरेठ, वीओसी, जिला-628717, तमिलनाडु
93.	सेंट जोसफ टीटीआई, रुकमनीपलायम, मन्नारगुडी, तिरुवरूर-614001, तमिलनाडु
94.	सेंट जोसफ टीटीआई फॉर वूमैन, सुरमंगलम, पगाईपट्टी, जिला-सलेम-636005, तमिलनाडु
95.	सेंट जस्टिन कॉलेज ऑफ एजूकेशन फॉर वूमैन, 161-ए, कामराजा सलाई, मदुरै-625009, तमिलनाडु (बी.एड)
96.	सेंट मेरी टीटीआई फॉर बॉयस, करुमथामपट्टी, कोयम्बटूर-641659, तमिलनाडु
97.	सेंट मेरी टीटीआई, अन्नामदुरै, जिला-तिरुवन्नमलाई-604504, तमिलनाडु
98.	सेंट माइकेल टीटीआई, जिला-डिंडीगुल, पलानी-624601

1	2
99.	सैंट स्टेनीस्ला टीटीआई, पोस्ट बॉक्स नं. 42, जिला-विरुधनगर, सातुर-626203, तमिलनाडु
100.	सैंट स्टीफन टीटीआई वेलायुधा नगर, कोल्लेमकोड, पी. ओ., जिला-कन्याकुमारी-629160, तमिलनाडु
101.	सैंट थेरेसा टीटीआई फॉर वूमैन, नं. 161, कमरजार सलाई, मदुरै-625009, तमिलनाडु
102.	सैंट थेरेसा टीटीआई, थारागमबाडी, जिला-नगाई क्वेड मिल्लाठ-609313
103.	सेट जेवियर्स, कॉलेज ऑफ एजूकेशन, तिरुनेलवेली, जिला-कोट्टाबम, पलायमकोट्टई-627002 तमिलनाडु (बी.एड)
	सैंट जेवियर्स, कॉलेज ऑफ एजूकेशन, तिरुनेलवेली, जिला-कोट्टाबम, पलायमकोट्टई-627002 तमिलनाडु (एम.एड)
104.	स्टैला मटुटिना कॉलेज ऑफ एजूकेशन, अशोक नगर, कामराज सलाई, चेन्नई-600083 तमिलनाडु (बी.एड)
	स्टैला मटुटिना कॉलेज ऑफ एजूकेशन, अशोक नगर, कामराज सलाई, चेन्नई-600083 तमिलनाडु (एम.एड)
105.	टीएलईसी, टीटीई फॉर मैन, थारंगमबादी, जिला-नागापट्टीनम-609313, तमिलनाडु
106.	टीएलईसी टीटीआई फॉर वूमैन, पेरियार रोड, जिला-मदुरै, उसलिमपट्टी 625532, तमिलनाडु
107.	थियागरजर कॉलेज ऑफ प्रीसैप्टर्स, टेप्पाकुलम वैस्ट, मुनिचलाई, मदुरै-625009, तमिलनाडु (बी.एड)
108.	यूनियन टीटीआई, विरथामपेट, जिला-नॉर्थ आरकोट, वेल्लोर-632006, तमिलनाडु
109.	वलियाम्मार हिंदु टीटीआई फॉर वूमेन, कुलशेखरपटनम, जिला-तृतीकोरन-628206, तमिलनाडु
110.	वीओसी कॉलेज ऑफ एजूकेशन, पलायमकोट्टई, रोड, तृतीकोरन, जिला-चिदंबरनर-628008, तमिलनडु (बी.एड)
111.	वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजीकल एजूकेशन, नंदनाम, चेन्नई (बी.पी.एड)
	वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजीकल एजूकेशन, नंदनाम, चेन्नई (एम.पी.एड)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियां

1556. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को बढ़ाने के संबंध में न्यायमूर्ति ए०एम० अहमदी समिति की सिफारिशों के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश देश में समान्तर मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करने की थी;

(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें स्वीकार न करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) समिति द्वारा कुल कितनी सिफरिशें की गई हैं;

(ङ) सरकार द्वारा उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं; और

(च) इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (च) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें उन्होंने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की विभिन्न धाराओं में 35 संशोधन करने का सुझाव दिया है। प्रस्ताव तैयार करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यायमूर्ति अहमदी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा है। एन.एच.आर.सी. द्वारा सुझाए गए संशोधनों में से एक देश में समानांतर मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करने के संबंध में है। संशोधनों के समूचे प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

कीटनाशक दवा उद्योग संबंधी अन्तर-मंत्रालीय समिति का गठन

1557. श्री किरीट सोमैया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कीटनाशक दवा उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक अंतर-मंत्रालीय समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के गठन संबंधी ब्यौरा और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) कृषि रसायन कीटनाशक दवा उद्योग से संबंधित विभिन्न मसलों पर विचार करने के लिए सचिव, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालीय अधिकारी समूह का गठन किया जा रहा है। इस समूह में कृषि, वाणिज्य तथा राजस्व विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चुनिंदा राज्य सरकारों और उद्योग के प्रतिनिधि भी इससे संबद्ध होंगे।

[अनुवाद]

कावेरी जल आपूर्ति योजना

1558. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर के लिए कावेरी जल आपूर्ति योजना आरम्भ की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कितने चरणों में क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या उक्त योजना को आरम्भ करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) की ऋण सहायता से बंगलौर शहर के लिए 1072 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली कावेरी जल आपूर्ति आवर्द्धन और सीवरेज स्कीम का स्टेज-IV, चरण-I मार्च, 1996 में शुरू की गई।

(ख) कर्नाटक सरकार ने 2336.90 करोड़ रु० के अनुमानित लागत पर बंगलौर शहर के लिए कावेरी जल आपूर्ति आवर्द्धन और सीवरेज स्कीम के लिए स्टेज-IV, चरण-II को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार ने स्कीम के किसी भी और चरण को कार्यान्वित करने की संभावना नहीं बताई है।

(ग) स्टेज-IV, चरण-II के संबंध में जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी आवास सोसाइटी संबंधी आदर्श अधिनियम

1559. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी आवास समितियों की तेरहवीं राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ द्वारा तैयार किए गए सहकारी आवास समितियों संबंधी आदर्श अधिनियम को क्रियान्वित करने हेतु केन्द्र और राज्यों से सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा सहकारी आवास समितियों संबंधी उक्त आदर्श अधिनियम के कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकारों को क्या निदेश जारी किए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) भातीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ द्वारा सहकारी आवास समितियों पर ड्राफ्ट मॉडल कानून को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

1560. श्री रामजी मांझी :
डा० जसवंतसिंह यादव :
श्री रामशकल :
श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री अनंत गुढे :
श्री चन्द्र विजय सिंह :
श्री सईदुज्जमा :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी उपक्रमों, विशेषकर 'भेल', 'पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड', 'मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड', 'मारुति उद्योग लिमिटेड' और 'हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड' के संबंध में विनिवेश की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) विनिवेश के लिए पहचान किए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गयी हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय संस्थाओं को इन कम्पनियों के इक्विटी-शेयर को खरीदने की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन कम्पनियों के मूल्य का आकलन किया है;

(च) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार इन कम्पनियों का कम्पनी-वार मूल्य क्या है;

(छ) क्या सरकार ने लाभार्जन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के संदर्भ में कोई नीति तैयार की है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) लाभार्जन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किए जाने के कारण क्या हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) भेल में विनिवेश पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। हाल ही में चालू वर्ष के दौरान विनिवेश किए जाने वाले 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दृढ़तापूर्वक समय सीमा तय करते हुए पहचान की गई है। ये 13 उपक्रम, भारत हैवी प्लेटस एंड वेसल्स लि. (बी एच पी वी), सी एम सी लि., आई बी पी कंपनी लि., इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. (आई पी सी एल), भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी), इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाल्वस लि. (आई सी वी एल), जेसप एंड कंपनी लि., मारुति उद्योग लि., नेपा लि., एच टी एल लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., होटल कार्पोरेशन आंफ इंडिया लि. और विदेश संचार निगम लि. (वी एस एन एल) हैं। एच टी एल लि. और सी एम सी लि. में विनिवेश सौदा पहले ही पूरा कर लिया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम एवं होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन कतिपय होटलों के संबंध में कार्रवाई को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ख) कर्मचारियों का हित संरक्षण, विनिवेश नीति का एक अभिन्न संघटक है। शेयर धारक करार में उपयुक्त उपबन्ध करके इसे सुनिश्चित किया जाता है। बाल्कों के संबंध में इस बारे में किए गए उपबन्ध संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विनिवेश के तौर तरीके और विनिवेश की जाने वाली प्रस्ताविक कंपनी पर निर्भर करते हुए बोली प्रक्रिया में कौन भागीदारी कर सकता है इस बारे में स्पष्ट मानदण्ड तय किए जाते हैं। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जो कोई भी पात्र होता है वह इक्विटी की खरीददारी के लिए बोली लगा सकता है।

(ङ) और (च) विनिवेश के समय, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का मूल्य निर्धारण विभिन्न प्रणाली विज्ञान के माध्यम से किया जाता है ताकि आरक्षित/तुलनीय मूल्य तक पहुंचा जा सके।

(छ) से (झ) सरकार की विनिवेश नीति यह है कि सरकार साधारण मामलों में, गैर-सामरिक क्षेत्रों में संचालित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक अथवा उससे निचले स्तर तक कम करेगी। विनिवेश प्रारंभ करने का निर्णय सरकार की इस नीति पर आधारित होता है न कि संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लाभ/हानि पर।

विवरण

बाल्को में विनिवेश के लिए हस्ताक्षरित शेयरधारक करार में कर्मचारियों के हितों से संबंधित उपबन्ध विधिक अंश का विवरण

(ज) खण्ड 7.2 के अध्यधीन, पार्टियां इस बात को दृष्टिगत रखती हैं कि कंपनी के सभी कर्मचारी, इस तारीख के बाद कंपनी के रोजगार में बने रहेंगे।

(झ) अनुकूल साझीदार इस बात को मान्यता देता है कि सरकार अपनी रोजगार नीतियों के संबंध में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों के हितों के लिए कतिपय सिद्धान्तों का अनुकरण करती है और यह कि अनुकूल साझीदार ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए कंपनी को प्रेरित करने में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों उपयोग करेगा कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की छंटनी अन्त में हो।

अनुच्छेद-5.3

(ङ) इस अनुच्छेद 5 में प्रतिकूल किसी भी बात के रहते हुए, सरकार अपने ही विवेक पर कंपनी के कर्मचारियों को इस करार की तारीख को मौजूद इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अनधिक को दर्शाते हुए अपने शेयरों को बेचने का विकल्प अपने पास रखेगी। सरकार द्वारा अपने शेयरों के किसी अंश को कर्मचारियों को बेचने के विकल्प का प्रयोग करने की दशा में, कर्मचारियों को हस्तान्तरित शेयरों के लिए, कर्मचारियों को खण्ड 5.2(ङ) में प्रदान किए गए आख्यान को पृष्ठांकित किए बिना, नए शेयर सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि हस्तान्तरण पूरा हो जाने पर इस

उप-खण्ड (ङ) के अनुसरण में कर्मचारियों को हस्तान्तरित शेयर इस करार में किन्हीं प्रतिबंधों के अध्यधीन नहीं होंगे चाहे मत-व्यवस्था के द्वारा हो अथवा प्रथम नामंजूर के अधिकार से।

अनुच्छेद - 7.2

(ङ) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए वह अन्तिम तारीख से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए किसी प्रकार की पदच्युति अथवा लागू कर्मचारी विनियमन तथा कंपनी के स्थायी आदेशों अथवा लागू कानून के अनुसरण में अपने रोजगार से कर्मचारियों की सेवा-समाप्ति को छोड़कर, कंपनी के कार्य-बल के किसी भाग की छंटनी नहीं करेगा।

(च) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए, परंतु उपरोक्त उप-खण्ड (ङ) के अध्यधीन कंपनी के श्रम बल की किसी भी प्रकार की पुनर्संरचना, बोर्ड द्वारा की गई संस्तुति के तरीके तथा सभी लागू कानूनों के अनुसरण में क्रियान्वित की जाएगी।

(छ) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए परन्तु उपरोक्त उप-खण्ड (ङ) के अध्यधीन कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में किसी प्रकार की कटौती करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को उन शर्तों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प की पेशकश करे जो किसी भी तरह से कंपनी द्वारा पेशकश की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जिसका उल्लेख शेयर खरीद करार की अनुसूचित 7.4 में किया गया है, से कम अनुकूल न हो।

रुग्ण संस्थाओं का विनिवेश

1561. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उन रुग्ण संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जो कोई उत्पादन नहीं कर रही हैं और उन रुग्ण/अनुत्पादक उद्योगों के रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई या कितना व्यय हुआ?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मंत्री द्वारा विदेश-यात्रा

1562. **श्री उत्तमराव पाटील :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा की गई विदेश-यात्राओं का ब्यौरा क्या है तथा उन देशों के साथ जिन-जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विदेश-यात्राओं पर कितना खर्च हुआ; और

(ग) इन यात्राओं की क्या उपलब्धियां रही?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) वर्ष 1998-99 और 2000 के दौरान मंत्री (रसायन और उर्वरक) के दौरों पर मंत्रालय द्वारा 6,88,878 रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

विवरण

वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान मंत्री (रसायन और उर्वरक) द्वारा किए गए विदेश दौरों से संबंधित ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	मंत्री (रसायन उर्वरक) का नाम	देश, जिसका दौरा किया गया	दौरे का प्रयोजन/उपलब्धि	हस्ताक्षर किए गए समझौते के ब्यौरे
1	2	3	4	5
1.*	श्री एस०एस० बरनाला	मस्कट (ओमान) (यात्रा समय को छोड़कर 29.8.98 से 1.9.98 तक)	प्रधानमंत्री के प्रतिनिधिमंडल के भाग के रूप में और महामहिम मकबुल सुल्तान, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री, ओमान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए भी प्रधान मंत्री के साथ	किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

1	2	3	4	5
2.	श्री एस०एस० बरनाला	डकार (सेनेगल) और पेरिस (फ्रांस) (यात्रा समय सहित 10.11.98 से 15.11.98 तक)	इफको के संयुक्त उद्यम इंडस्ट्रीज चिमकस डू सेनेगल की विस्तार परियोजना के शिलान्यास हेतु।	किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।
3.	श्री सुरेश पी० प्रभु	मस्कट (ओमान) (यात्रा समय को छोड़कर 22.11.99 से 24.11.99 तक)	इंडो-ओमान फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट तथा सल्तनत आफ ओमान के साथ पारस्परिक हित के अन्य मामलों से संबंधित बकाया मामलों के निपटान पर विचार-विमर्श करने के लिए।	वही
4.	श्री सुरेश पी० प्रभु भूतपूर्व मंत्री (रसायन और उर्वरक)	वियना (आस्ट्रिया) 29.3.2000 से 1.4.2000 तक	रसायन और उर्वरक क्षेत्र में यूनिडो सहयोग पर चर्चा करने तथा भारत की औद्योगिक विकास परियोजना में भारत तथा यूनिडो के बीच सहयोग के और अधिक क्षेत्रों का पता लगाने के लिए यूनिडो द्वारा की जा रही सुधार प्रक्रिया और रसायन तथा उर्वरक क्षेत्रों में पर्यावरणात्मक रूप से सुस्थिर और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए उनकी क्षमता का स्पष्ट करने के लिए।	वही
5.	श्री सुरेश पी० प्रभु भूतपूर्व मंत्री (रसायन और उर्वरक	स्वीटजरलैण्ड, यूके और यूएसए 23.5.2000 से 10.6.2000 तक	अनुसंधान तथा विकास, निवेश, ई-कामर्स और बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए इंडिया-केम-2000 एक लाभप्रद मंच था। इस सम्मेलन के 18 सत्र थे जिन्हें भारत तथा विदेशों से 69 वक्ताओं द्वारा सम्बोधित किया गया था। भाग लेने वाले कार्यकारी अधिकारियों की सचिव स्तर पर शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ नीति गोलमेज चर्चा हुई थी जिससे प्रमुख नीति विषयक मामलों और नीति विषयक पहल पर विचार-विमर्श सम्भव हुआ। इसके अलावा भारतीय समुदाय के अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक सदस्यों तथा उद्यमियों, शिक्षाविदों और अनुसंधान वैज्ञानिकों और भारतीय ऐसोसिएशन से लाभदायक बातचीत की गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से अनुसंधान, रसायन और पेट्रो रसायन के क्षेत्रों में आधार भूत संरचना तथा नव विकास से सम्बद्ध परियोजनाओं में उनके सहयोग के मसले पर भी विचार-विमर्श किया गया था।	वही

[अनुवाद]

शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी की दरें

1563. **श्री अनिल बसु : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अकुशल श्रमिकों तथा महिला और पुरुष कामगारों की न्यूनतम मजदूरी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथा निर्धारित मजदूरी की दरें शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी की दरों के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में पुरुष और महिला मजदूरों को अलग-अलग दरों पर मजदूरी दी गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि केवल कुछ ही नगर पालिका परिषदों में, मुख्यत: ऐसे मामलों में, जहां महिला श्रमिकों को हल्का कार्य सौंपा गया था, पुरुष और महिला को अलग-अलग दरों पर मजदूरी का भुगतान किया गया। तथापि, संबंधित नगर पालिका प्राधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं कि पुरुष और महिला श्रमिकों को समान मजदूरी का भुगतान किया जाए। जहां तक तमिलनाडु सरकार का संबध है, ऐसी कोई असमानता होने की सूचना नहीं है।

विनिवेश का लक्ष्य

1564. **श्री जयप्रकाश :**

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2001-2002 के दौरान विनिवेश हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इस हेतु क्या लक्ष्य रखा गया था और इसे कहां तक हासिल किया गया;

(ग) लक्ष्य और उपलब्धि के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) संघ सरकार की विनिवेश नीति पर अमल करने के मामले में गतिशीलता न आने पर विभाग की क्या टिप्पणी है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का कौन से निवारक उपाय/कार्यवाही करने का सुझाव है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) वर्ष 2001-2002 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 12,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में विनिवेश से प्राप्त धनराशि नीचे दी गई है :-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	विनिवेश से प्राप्त धनराशि
1998-99	5,000	5,371
1999-2000	10,000	1829
2000-2001	10,000	1869

(ग) विनिवेश, बाजार परिस्थितियों, विचाराधीन कंपनियों के वित्तीय कार्य निष्पादन, बिक्री के लिए निबंधन और शर्तों, बोलीदाताओं की अभिरुचि, कंपनियों की लोकप्रियता और उनकी भावी संभावनाओं जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) विनिवेश प्रक्रिया में तेजी आई है। सरकार ने 30 कंपनियों में विनिवेश का अनुमोदन किया है जो इस क्रियान्वयन के अधीन हैं। इनमें से सरकार ने चालू वर्ष के दौरान विनिवेश किए जाने वाले 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दृढ़तापूर्वक समय सीमा तय करते हुए पहचान की है। ये 13 उपक्रम, भारत हैवी प्लेटस एंड वैसल्स लि. (बी एच पी वी), सी एम सी लि., आई बी पी कंपनी लि., इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. (आई पी सी एल), भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी), इंस्ट्रूमैंटेशन कंट्रौल वाल्वस लि. (आई सी वी एल), जेसप एंड कंपनी लि., मारुति उद्योग लि, नेपा लि., एच टी एल लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. और बिदेश संचार निगम लि. (वी एस एन एल) हैं। दो कंपनियों अर्थात् एच टी एल लि. और सी एम सी लि. में विनिवेश पहले ही पूरा कर लिया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम एवं होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन कतिपय होटलों के संबंध में कार्रवाई को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

मुम्बई में अम्लीय भूमि का विकास

1565. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैबिनेट ने मुम्बई में अम्लीय भूमि के विकास के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था;

(ग) क्या इसके लिए मंत्रियों के समूह की नियुक्ति की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब तक मंत्रियों के समूह की कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं;

(च) क्या यह सच है कि विभाग की उदासीनता के परिणाम स्वरूप कैबिनेट के निर्णय के कार्यान्वयन में बिलम्ब हुआ है;

(छ) यदि हां, तो विभाग द्वारा कैबिनेट के निर्णय के कार्यान्वियन और मुम्बई में अम्लीय भूमि के दोहन के संबंध में निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है;

(ज) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कार्यान्वयन में विलम्ब के संबंध में कई बार अनुरोध किया है और अनुस्मारक भी भेजे हैं;

(झ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ञ) अम्लीय भूमि तथा प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। मुम्बई में अतिरिक्त साल्ट लैण्ड औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को अंतरित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने दिनांक 9 मई, 2001 को अनुमोदन दिया था मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया कि अतिरिक्त साल्ट लैण्ड के उपयोग संबंधी मुद्दों की जांच एक मंत्रियों के दल द्वारा की जाए और मंत्री दल तत्पश्चात् अपनी सिफारिशें मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करे।

(ग) और (घ) मंत्री दल का गठन किया गया है और इसमें योजना आयोग के उपाध्यक्ष, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री, जहाजरानी मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्री, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री, संसदीय कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, रेल और श्रम मंत्री शामिल हैं।

(ङ) मंत्री दल की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है।

(च) से (ञ) जी, नहीं। साल्ट लैण्ड के विवरण, पट्टा समाप्ति की तारीख, कोस्टल जोनिंग विनियमों के संदर्भ में सही अवस्थिति का पता लगाने और उपलब्ध अतिरिक्त अम्लीय भूमि के प्रयोग हेतु रूपात्मकताएं तैयार करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, उप-आयुक्त (साल्ट) तथा आवास एवं नगर विकास निगम के साथ कई बैठकें की गई हैं। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से मुंबई में उनकी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में सूचना एकत्र की गई है। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, आवास एवं नगर विकास निगम के अधिकारियों के एक दल ने मुंबई का दौरा किया और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अम्लीय भूमि का निरीक्षण किया तथा भूमि उपयोग के विभिन्न विकल्प निर्धारित करने के लिए विचार-विमर्श किया। राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों के परामर्श से एक कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ताकि इसे मंत्री दल के समक्ष विचारार्थ रखा जा सके।

होटलों का विनिवेश

1566. **श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार चल रहे सरकारी क्षेत्र के होटलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें औसतन कितने कमरे भरे रहते हैं और इनका वार्षिक नुकसान कितना है;

(ग) मंत्रालय/सरकार द्वारा घाटे में चल रहे इन होटलों का विनिवेश कब तक कर दिया जाएगा जिससे कि और अधिक घाटे से बचा जा सके; और

(घ) ऐसे होटलों के भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी के अधीन भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) (एक दीर्घकालिक प्रबंधन पट्टे सहित 26 अपने ही और 7 संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ संयुक्त उद्यमों के रूप में) कुल मिलाकर 33 होटल संचालित कर रहा है; और (एयर इंडिया की सहायक कंपनी) होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया (एच सी आई) 5 होटल संचालित कर रहा है। इन होटलों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

राज्य	भारत पर्यटन विकास निगम के होटल (संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ संयुक्त उद्यमों सहित)	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के होटल
असम	ब्रह्मपुत्र अशोक (संयुक्त उद्यम के रूप में)	–
अरुणाचल प्रदेश	दोनयी पोलो अशोक, ईटानगर (संयुक्त उद्यम के रूप में)	–
बिहार	बोधगया अशोक, पाटलीपुत्र अशोक और रांची अशोक (संयुक्त उद्यम के रूप में)	इण्डो हॉक, राजगीर
दिल्ली	अशोक, सम्राट, कुतुब, कनिष्का, इंद्रप्रस्थ (अशोक यात्री निवास), जनपथ, रणजीत और लोदी	संतूर एयरपसेर्ट दिल्ली
हिमाचल प्रदेश	मनाली अशोक	–
जम्मू और कश्मीर	जम्मू अशोक	संतूर लेक व्यूह श्रीनगर
कनार्टक	अशोक, बैंगलोर ललिता महल पैलेस, मैसूर और हसन अशोक	–
केरल	कोवलम अशोक बीच रिसोड	–
मध्य प्रदेश	खजुराहो अशोक और लेक व्यूह अशोक, भोपाल (संयुक्त उद्यम के रूप में)	–
महाराष्ट्र	औरंगाबाद अशोक	संतूर एयरपोर्ट मुम्बई और संतूर जूहू बीच मुम्बई
पांडिचेरी	पांडिचेरी अशोक (संयुक्त उद्यम के रूप में)	–
पंजाब	अशोक चण्डीगढ़ होटल प्रोजेक्ट (संयुक्त उद्यम के रूप में) (निर्माणाधीन)	–
राजस्थान	लक्ष्मी विलास पैलेस उदयपुर और जयपुर अशोक	–
तमिलनाडु	टी ए बी आर मामल्लापुरम और मदुरै अशोक	–
उत्तर प्रदेश	आगरा अशोक, वाराणसी अशोक	–
पश्चिम बंगाल	एयरपोर्ट अशोक कोलकाता	–

(ख) औसत दखलकारी दर और प्रति वर्ष हानियां (2000-2001) इस प्रकार है।

भारत पर्यटन विकास निगमके होटल :

होटल का नाम	औसत दखलकारी दर (%)	2000-2001 के दौरान हानियां (करोड़ रुपए में)
1	2	3
अशोक दिल्ली	42	9.03
अशोक बंगलौर	36	1.30
कोवलम अशोक बीच रिसोट	32	2.37
सम्राट दिल्ली	60	1.64
ललिता महल पैलेस मैसूर (कर्नाटक सरकारी निगम से दीर्घकालिक पट्टे पर)	33	+0.86 (लाभ)

1	2	3
एयरपोर्ट अशोक कोलकाता	35	3.89
अशोक आगरा	36	1.52
इन्द्रपस्थ दिल्ली	31	4.89
अशोक औरंगाबाद	17	1.19
अशोक बोधगया	30	0.32
अशोक हसन	17	0.65
अशोक जयपुर	24	2.31
अशोक जम्मू	17	0.83
जनपथ दिल्ली	56	2.02
कलिंग अशोक भुवनेश्वर	24	1.45
कनिष्का दिल्ली	28	9.89
खजुराहो अशोक	22	0.89
लक्ष्मी विलास पैलेस उदयपुर	26	0.99
लोदी दिल्ली	36	2.08
अशोक मदुरै	26	0.92
अशोक मनाली	26	0.31
पाटलीपुत्र अशोक पटना	64	0.36
कुतुब दिल्ली	64	0.29
रणजीत दिल्ली	30	3.31
टी ए बी आर मामल्लापुरम	37	0.55
अशोक वाराणसी	29	1.93
भारत पर्यटन विकास निगम संयुक्त उद्यम		
ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी	56	0.20
नीलांचल अशोक, पुरी	19	0.98
पांडिचेरी अशोक	32	0.07
रांची अशोक	47	0.03
लेक व्यूह अशोक, भोपाल	39	0.57
दोनई पोलो अशोक, ईटानगर	39	+0.04 (लाभ)
पंजाब अशोक होटल, चण्डीगढ़	निर्माणाधीन होटल परियोजना	
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के होटल		
संतूर एयरपोर्ट दिल्ली	19	10.73
संतूर एयरपोर्ट मुम्बई	54	3.24
संतूर जुहू बीच मुम्बई	43	1.56
संतूर लेक व्यूह श्रीनगर	40	3.01
इण्डो हॉक राजगीर	27	+0.32 (लाभ)

(ग) और (घ) **भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी)**

विनिवेश आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के सभी 26 होटलों का विनिवेश निम्न तरीके से करने का निर्णय लिया है:

1. चार होटलों नामत: अशोक होटल नई दिल्ली, होटल सम्राट नई दिल्ली, बंगलौर अशोक और होटल ललिता महल पैलेस मैसूर का पट्टा-सह-प्रबंधन आधार पर; और

2. अन्य 22 होटलों का बिक्री आधार पर

3. संयुक्त उद्यमों के बारे में विनिवेश आयोग ने केवल रांची अशोक विहार होटल कॉर्पोरेशन और उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन के लिए यह कहते हुए सिफारिश की थी कि इन दोनों कंपनियों में भारत पर्यटन विकास निगम किसी निजी उद्यमी के पक्ष में अपनी संपूर्ण शेयर धारिता का विनिवेश कर सकता है। सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इन संयुक्त उद्यमों में एकल आधार पर विनिवेश का अनुमोदन कर दिया है। इन दोनों और अन्य होटल संपत्तियों (संयुक्त उद्यम में) के संबंध में भी संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पहली खेप में, भारत पर्यटन विकास निगम के 8 होटल (2 पट्टा-सह-प्रबंधन के लिए और 6 बिक्री के लिए) विनिवेश के लिए विज्ञापित किए गए थे और इनमें से 6 होटलों (एक पट्टा-सह-प्रबंधन पर और 5 बिक्री के लिए) के संबंध में बोलियां सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। दूसरी खेप में 9 होटल विज्ञापित किए गए थे और अहर्ताप्राप्त इच्छुक पार्टियों ने विधिवत अध्यवसाय कर लिया है किन्तु बोलियां अभी आमंत्रित की जानी हैं। शेष होटलों (संयुक्त उद्यम सहित) के संबंध में सम्यक समय पर कार्रवाई की जाएगी।

होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया (एच सी आई)

विनिवेश आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के बाद नागर विमानन मंत्रालय/एयर इंडिया बोर्ड ने होटल कॉर्पोरेशन की संपत्तियों का इस प्रकार विनिवेश करने का अनुमोदन किया है :-

1. मुम्बई और दिल्ली के होटलों को पृथक इकाइयों के रूप में, उपयुक्त मूल्य निर्धारण आरंभ करने के बाद पारदर्शी और प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से बेचा जाना है।

2. श्री नगर के सैंतूर होटल के मामले में, एयर इंडिया को होटल के स्वामित्व से बाहर निकलने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ बातचीत शुरू करनी है।

उपरोक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एक उपसमिति का गठन किया गया था और इस प्रयोजना के लिए एयर इंडिया द्वारा एक सार्वभौमिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बाद में सरकार ने होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया विनिवेश मंत्रालय द्वारा पूरा किए जाने का निर्णय लिया। होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की संपत्तियों (श्रीनगर के सैंतूर लेक व्यूह को छोड़कर) के लिए बोलीदाताओं से वित्तीय बोलीयां आमंत्रित की गई थी और आवश्यक छानबीन और विचार करने के बाद सरकार ने दो होटलों के संबंध में बोलियां स्वीकार कर ली हैं। अन्य संपत्तियों (श्रीनगर को छोड़कर) जिनके लिए या तो बोलियां आरक्षित मूल्य से कम थी अथवा कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई थी, के बारे में बोलियां फिर से आमंत्रित करने की आगे की कार्रवाई सम्यक समय पर की जाएगी। श्रीनगर के सैंतूर लेक व्यूह होटल के बारे में जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ मामला अभी सुलझाया जाना है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की जलापूर्ति परियोजनाएं

1567. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र की जलापूर्ति संबंधी कितनी परियोजनाएं प्राप्त हुई/स्वीकृत की गई; और

(ख) राज्य की लम्बित परियोजनाएं कब तक मंजूर होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण पेयजल सुविधा प्रदान करने वाली योजनाओं का कार्यान्वियन राज्यों के द्वारा अपने संसाधनों से किया जाता है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के पेयजल आपूर्ति घटक और त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों की कोशिश में सहायता देता है।

अपने-अपने राज्यों के लिए ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजनाओं को बनाने, स्वीकृत करने व कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। अत: ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने हेतु क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजना को छोड़कर अपने-अपने राज्यों के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के कार्यान्वियन हेतु राज्य सरकारों को भारत सरकार से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा चिन्हित किए गए निम्न प्रायोगिक जिलों में क्षेत्र सुधार परियोजना के संदर्भ में राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं:-

(लाख रु० में)

क्र. सं.	प्रायोगिक जिले का नाम	स्वीकृत/ रिलीज का वर्ष	स्वीकृत परियोजना लागत	भारत सरकार का हिस्सा	पहली किस्त
1.	अमरावती	1999-2000	2126.000	1973.500	592.050
2.	धूले	1999-2000	3952.780	3692.958	1107.887
3.	नांदेड	1999-2000	4000.000	3740.000	1122.000
4.	रायगढ़	1999-2000	3793.000	3473.800	1042.140

इसके साथ ही विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु अगस्त, 2001 में राज्य के 16 जिलों को सम्मिलित करने वाली 1656 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना शीर्षक वाला परियोजना प्रस्ताव संभव सहायता हेतु विश्व बैंक के सामने प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग को संप्रेषित किया गया है।

जहां तक शहरी पेय जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत विगत तीन वर्षों में महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित परियोजनाएं शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई है:-

क्र. सं.	शहर का नाम	जिला	स्वीकृत लागत (लाख रु० में)	अनुमोदन की तिथि
1.	राहटापिम्पलास	अहमदनगर	467.14	अगस्त, 1998
2.	सोनीपत	परभानी	183.15	दिसम्बर, 1998
3.	हड़गांव	नांदेड	356.37	दिसम्बर, 1998
4.	परन्था	उस्मानाबाद	258.33	जुलाई, 1999
5.	नलदुर्गा	उस्मानाबाद	207.25	मार्च, 2000
6.	कंधार	नांदेड	471.39	जनवरी, 2001
7.	भूम	उस्मानाबाद	334.64	जनवरी, 2001
8.	मडखेड	नांदेड	312.33	जनवरी, 2001
9.	उमरी	नांदेड	403.69	जनवरी, 2001
10.	कलाम	उस्मानाबाद	541.13	फरवरी, 2001

चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक कोई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है, अत: महाराष्ट्र के संदर्भ में त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत वर्ष 2001-2002 के दौरान कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

मंत्रियों द्वारा विदेशी दौरे

1568. श्री उत्तमराव पाटील : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए विदेश दौरों और उन देशों में हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त विदेश दौरों पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) उपर्युक्त दौरों की क्या उपलब्धि रहीं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ग) मंत्रालय/विभाग का नाम : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

क्र. सं.	केन्द्रीय मंत्री का नाम	पिछले 3 वर्षों 01.07.1998 से 30.06.2001 के दौरान दौरा किए गए देश का नाम	प्रत्येक देश के लिए अलग से तिथि जिसके दौरान ऐसा दौरा किया गया	ऐसे प्रत्येक दौरे के दौरान पूरे प्रतिनिधिमंडल पर किया गया व्यय	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ब्यौरा, दौरे का परिणाम
1	2	3	4	5	6
1.	प्रो. मुरली मनोहर जोशी, माननीय मानव संसाधन विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास मंत्री सहित प्रतिनिधिमण्डल	बुडापेस्ट, हंगरी	26.06.99 से 01.07.99	10,33,274/-रु.	(i) यूनेस्को तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद द्वारा विज्ञान पर आयोजित विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए। (ii) डब्ल्यू सी एस द्वारा अपनाई गई कार्रवाई हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐजेन्डा पर घोषणा की सूची में भारत की स्थिति को शामिल किया गया।
2.	प्रो. मुरली मनोहर जोशी, माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सहित प्रतिनिधिमण्डल	हवाना, क्यूबा	10-14, अप्रैल, 2000	11,87,280/-रु.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर दक्षिण सम्मलेन बैठकों में भाग लेने के लिए।

1	2	3	4	5	6
3.	प्रो. मुरली मनोहर जोशी, माननीय मानव संसाधन विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सहित प्रतिनिधिमण्डल	बर्लिन तथा हैनोवर, जर्मनी	19-22, जून, 2000	3,49,000/-रु.	जर्मन अनुसंधान केन्द्रों तथा मेक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट तथा जर्मनी में कुछ औद्योगिक सुविधाओं और जर्मन रिसर्च एसोसिएशन तथा हैनोवर में एक्सपो-2000 का दौरा करने के लिए।
4.	प्रो. मुरली मनोहर जोशी, माननीय मानव संसाधन विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सहित प्रतिनिधिमण्डल	मास्को, से. पीटर्सबर्ग	02-07 जुलाई, 2000	10,23,675/-	(i) मुख्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर सरकारी चर्चा में भाग लेने के लिए। (ii) मास्को में भारत-रूस उन्नत कम्प्यूटिंग अनुसंधान केन्द्र का शुभारम्भ किया गया।

[अनुवाद]

नए सामुदायिक पॉलीटेक्निक केन्द्र

1569. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त पॉलीटेक्नीक केन्द्रों में सामुदायिक पॉलीटेक्निक योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के तहत महाराष्ट्र में चालू वर्ष के दौरान कितने नए सामुदायिक पॉलीटेक्निक केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा सामुदायिक पॉलीटेक्निक केन्द्रों के पाठ्यक्रमों में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों में ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) अद्यतन स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण देश में 617 सामुदायिक पॉलीटेक्निक हैं। 617 सामुदायिक पॉलीटेक्निकों में से देश में 552 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निकों में चलाए जा रहे हैं।

(ग) नए सामुदाकि पॉलीटेक्निक संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर स्थापित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने सभी राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालयों को लिख भेजा है कि वे अपने राज्यों के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निकों के प्रस्तावों को विचार हेतु तथा योजना के अधीन उनकी कवरेज के लिए इस मंत्रालय को भेज दें। इस विभाग को राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय, महाराष्ट्र से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। अद्यतन स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में 50 सामुदायिक पॉलीटेक्निक हैं।

(घ) सामुदायिक पॉलीटेक्निक योजना के अंतर्गत, करीब 135 ट्रेडों में 3-6 महीने की अवधि के रोजगारोन्मुख अनौपचारिक प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इस योजना को ग्रामीण युवाओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाने हेतु इसका पुनर्गठन किया गया है। सामान्य पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त इन ट्रेडों में जहां रोजगार संभावनाएं अधिक हैं वहां क्षमता आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल भी आरंभ किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण

1570. **डा० ए०डी०के० जयशीलन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 79 भवन निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) विद्यालयों के लिए इन भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) 31.8.2001 की स्थिति के अनुसार 95 विद्यालयों के लिये स्थायी विद्यालय भवन निर्माणाधीन हैं। वे निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं और 2003 तक की अवधि में इन भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने की आशा है।

कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम

1571. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री मोइनुल हसन :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त खाद्यान्न को देखते हुए सरकार का विचार कार्य के बदले अनाज जैसी कुछ और योजनाएं लागू करने का है ताकि विकास संबंधी कार्य किया जा सके और इसके मद्देनजर गरीबों को अनाज मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी राज्यों में इस योजना को कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रु० के कुल परिव्यय से 25 सितम्बर, 2001 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्येक वर्ष 5000 करोड़ रु० (किफायती मूल्य) की कीमत का 50 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। शेष धनराशि (5000 करोड़ रु०) का इस्तेमाल योजना के नकद घटक की पूर्ति के लिए किया जाएगा। मजदूरों को मजदूरी के एक भाग के रूप में 5 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रति श्रमदिन के हिसाब से उपलब्ध कराया जाएगा तथा शेष मजदूरी का भुगतान नकद किया जाएगा ताकि मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वैधानिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित हो सके।

ग्रामीण आवास योजना

1572. **श्री अशोक ना० मोहोल :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने ग्रामीण आवास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने राज्य सरकारों को क्या दिशानिर्देश जारी किए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायपरक बनाना

1573. **श्री विष्णु पद राय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने हेतु अब तक शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने की योजना किस वर्ष लागू की गई;

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उक्त कार्यक्रमों को चलाने के लिए कितनी सहायता की मांग की गई;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम को लागू करने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ङ) इस योजना, विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं;

(च) क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यकता का निर्धारण करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की एक केन्द्र प्रायोजित योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से 1987-88 से कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) यह योजना 1987-88 तथा 1989-90 से क्रमश: कर्नाटक राज्य एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) इस योजना के तहत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अब तक 4287.74 लाख रुपये की राशि कर्नाटक की राज्य सरकार को प्रदान की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, राज्य सरकार में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2747.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की है जिसका ब्यौरा राज्य सरकार द्वारा भेजा जाना है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिए अब तक 2.74 लाख रुपये की राशि दी गई है जिसमें से 1.74 लाख रुपये की राशि खर्च नहीं हुई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) इस योजना के तहत देशभर में 10 लाख से अधिक छात्रों के नामांकन की क्षमता तैयार की गई है। वास्तविक नामांकन लगभग 4 लाख है।

(च) और (छ) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता का पता लगाने के उद्देश्य से अब तक 548 जिला सर्वेक्षणों को संस्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 327 जिला सर्वेक्षण पूर्ण किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

मंत्री द्वारा विदेश दौरा

1574. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्री द्वारा कितने देशों का दौरा किया गया;

(ख) उक्त विदेश दौरे पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) उक्त दौरे से क्या उपलब्धि हासिल हुई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) :

क्र. सं.	मंत्री का नाम	देश का नाम जिसका दौरा किया	दौरे की अवधि	दौरे पर हुआ व्यय (रु० में)	दौरे की उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	इजराईल, फ्रांस, फिलिस्तीन और इंग्लैंड	13.6.2000 से 25.6.2000	2,40,480 रु.	इस दौरे से भारत और इजराईल के बीच प्रौद्योगिकीय, तकनीकी और आसूचना सहयोग की अधिक सम्भावनाएं बनी हैं। दोनों पक्ष, दोनों देशों के बीच संयुक्त कार्य ग्रुप की जल्दी स्थापना करने के लिए कार्य करने पर सहमत हुए। फ्रांस के दौरे और उनके आन्तरिक मामलों के मंत्री के साथ बैठक के परिणामस्वरूप, फ्रांस, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रायोजन के खिलाफ, संयुक्त राष्ट्र संघ संकल्प के लिए भारत के मसौदे का समर्थन करने पर सहमत हुआ। इग्लैंड में प्रतिनिधिमंडल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फोरेन एण्ड कामनवेल्थ अफेयर के साथ मिला और इन बैठकों में सीमा पार से आतंकवाद पर भारत की चिंताओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इस बात पर सहमति हुई कि आतंकवाद के खिलाफ विश्व सम्मति बनाने की तत्काल आवश्कता है।

1	2	3	4	5	6
2.	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	जर्मनी, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात	24.6.2001 से 3.7.2001	2,03,870 रु.	जर्मनी, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के दौरान, सुरक्षा संबंधी मामलों और आपसी हित के अन्य मामलों पर विचार-विमर्श हुआ। जर्मनी और तुर्की के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए। संयुक्त अरब अमीरात में उस देश में शरण लिए हुए/वहां कार्य कर रहे संगठित अपराधी गिरोहों के सदस्यों/नेताओं से संबंधित मामलों और इस प्रकार के तत्वों को गिरफ्तार करने और उनके प्रत्यार्पण में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा सहयोग की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित रहा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 28 नवम्बर, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 28 नवम्बर, 2001/7 अग्रहायण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी०एल०एस०-48/20/7/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।